Monday, 02 December, 1974

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13 — सोमवार, 2 दिसंबर 1974/11 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 13 — *Monday, December* 2, 1974/*Agrahayana* 11, 1896 (*Saka*)

निधन सम्बन्धी उल्लेख — Obituary Reference 1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
271	विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को अस्वीकार किया जाना	Rejcetion of USG Fay Scales by University Teachers .	2
272	राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये आयातित उर्वरकों के भुगतान की बकाया राशि	Arrears of Payment for Imported Fertiliser supplied to State Governments . . .	7
275	केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड का सम्मेलन	CABE Conference . . .	9

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या० *S. Q. Nos.			
265	खेती-कार्य में अणुशक्ति के प्रयोग संबंधी अनुसंधान	Research on use of Atomic Energy in Farming . .	14
266	सुवर्णरेखा नदी पर बांध	Dam on Subarnarekha River	15
267	उड़ीसा में सिंचाई परियोजनायें	Irrigation Projects in Orissa	15
268	त्रिपुरा का 'हुडको' का प्रस्ताव	Tripura Proposal to HUDCO	18
269	खाद्यान्न की वसूली के प्रति विक्रेताओं और उत्पादकों का रूख	Attitude of Dealers and Producers in respect of Foodgrains Procurement . . .	19
270	हायर सेकेण्डरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा की नई योजना	New Scheme of Higher Secondary Examination . .	19
274	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के वितरण से होने वाली हानि	Loss on Milk Distribution by Delhi Milk Scheme . .	20
276	मुख्य मंत्रियों द्वारा दिल्ली में उन आवासों का अपने कब्जे में रखा जाना जो उन्हें संसत्सदस्य रहते हुए दिये गये थे	Residences Occupied by Chief Ministers in Delhi allotted to them as M. Ps. . .	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1a—41 LSS/74

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
277	नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड	Selection Grade to Teachers in NDMC Schools . . .	22
278	वर्ष 1974-75 में गुजरात की उर्वरक की मांग	Fertiliser Demand from Gujarat during 1974-75 . .	22
279	पंतनगर विश्वविद्यालय में तैयार की गई सोयाबीन की नई किस्म	Development of a New Soyabean variety at Pant Nagar University	23
280	मध्य प्रदेश में मूंगफली की खेती के बारे में योजना	Scheme regarding Groundnut Cultivation in Madhya Pradesh	23
281	शिक्षा संस्था में नये छात्रों को परेशान करना	Ragging in Educational Institutions	24
282	नदी जल विवाद	River water Disputes . .	24
283	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी	Delhi School Teachers Cooperative House Building Society	25
284	राज्यों में भूमि कटाव से क्षति	Damages caused by Soil Erosion in States	25
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2603	मैक्सिको और भारत के बीच मत्स्य नौकाओं के निर्माण के बारे में समझौता	Agreement between Mexico and India regarding Construction of Fishing Vessels . .	26
2604	सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सौर जल हीटर	All Weather Solar Water Heater	27
2605	सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का स्थगित किया जाना	Postponement of the Construction of Irrigation Projects .	28
2606	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड विषयक जांच अधिकारी के प्रतिवेदन में विलंब	Delay in Report of the Enquiry Officer on Delhi School Teachers Cooperative House Building Society Ltd. . .	28
2607	पंजाब में विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र	Centres for Handicapped persons in Punjab . . .	29
2608	गोआ में कम क्षमता से काम कर रहे वनस्पति संयंत्र	Vanaspati Plants Working below Capacity in Goa . .	29
2609	पांचवीं योजना के दौरान राजस्थान में लघु सिंचाई योजना	Minor Irrigation Scheme in Rajasthan during 5th Plan .	29
2610	उड़ीसा में लघु सिंचाई से सिंचित भूमि का एकड़ों में क्षेत्रफल तथा नहरों की लंबाई	Acreage under Minor Irrigation and Mileage of Canals in Orissa	30

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2611	देश में झुग्गी झोंपड़ी निवासी	Jhuggi Jhonpri Dwellers in the Country	31
2612	गेहूं के आयात के बदले में विदेशों की अन्य वस्तुओं की सप्लाई	Goods supplied to Foreign Countries in Exchange of Import of Wheat	31
2613	शांतिनिकेतन कालोनी में एक आरक्षित भूखंड का दुरुपयोग	Misuse of reserved Plot in Shantiniketan Colony . . .	31
2614	राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र	Centres for Handicapped persons in Rajasthan . . .	32
2615	गोबर गैस संयंत्रों के निर्माण के लिये संयंत्र	Plants for Manufacture of Gobar Gas Plants . . .	32
2616	गेहूं के उत्पादन में कमी	Set Back in Wheat production	33
2617	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गाजियाबाद सेंट्रल डिवीजन को दिल्ली से उत्तर प्रदेश में ले जाना	Shifting of Ghaziabad Central Division of C. P. W. D. from Delhi to U. P. . . .	34
2618	पूर्वी मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल का खराब होना	Failure of Kharif Crop in Eastern Madhya Pradesh .	35
2619	लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों और इक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को कठिन क्षेत्रों में तैनात किया जाना	Posting of C. P. W. D. Assistant Engineers and Executive Engineers to Hard Areas .	35
2620	भोपाल राजधानी विकास परियोजना	Bhopal Capital Development Project	36
2621	दिल्ली में नेताजी नगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में खिड़कियों में शीशे लगाने सम्बन्धी शिकायतें जिन पर कार्यवाही नहीं की गई	Complaints about Glass panes pending with Netaji Nagar C. P. W. D. Enquiry Office, New Delhi	36
2622	गांवों में खाद्य बैंकों की स्थापना	Setting up of Food Banks in Villages	37
2623	चावल के परिवहन पर पंजाब द्वारा लगाये गये प्रतिबंध	Restrictions imposed by Punjab on Movement of Rice .	37
2624	पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में पक्षियों के शरण स्थल	Bird Sanctuaries in Madhya Pradesh during Fifth Plan .	37
2625	संविधान के अनुच्छेद 48 के बारे में पुनर्गठित गोरक्षा समिति की सिफारिशें	Recommendations of reconstituted Cow Protection Committee on Article 48 of the Constitution . . .	38

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2626	सूखे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सिंचाई योजना	Long Term Dry Irrigation Plan	38
2627	सेवा-निवृत्त कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों का वापस किया जाना	Surrender of Government Quarters by the Retired Employees	39
2628	बागमती नदी (बिहार) पर प्रस्तावित बांध का डिजाइन	Design of Proposed Barrage on River Bagmati (Bihar)	40
2629	नई दिल्ली नगर पालिका में क्लर्कों की नियुक्ति के लिए परीक्षा	Examination for appointment of clerks in NDMC . .	40
2630	उड़ीसा में उद्योगों पर सूखे का प्रभाव	Effect of Drought on Industries in Orissa	40
2631	बिहार सरकार की वित्तीय सहायता के बारे में याचिका	Petition of Bihar Government regarding Financial Assistance	41
2632	रियायती शर्तों पर अमरीका से खाद्यान्न	US Food on concessional terms	41
2633	नीलम्बूर (केरल) में उद्योग की स्थापना	Setting up of Industry in Nilamboor (Kerala) . . .	41
2634	उर्वरक के अभाव का कृषि पर प्रभाव	Effect of non-availability of Fertilisers on Agriculture .	42
2635	उर्वरक वितरण हेतु चाय बोर्ड का प्रस्ताव	Proposal from Tea Board for Distribution of Fertilisers .	43
2636	तमिलनाडु को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilisers to Tamil Nadu	43
2637	राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचित भूमि के आबंटन की जांच	Enquiry into Allotment of Irrigated Land in Rajasthan Canal Project Area . .	44
2638	बहराइच, उत्तर प्रदेश में पयागपुर-दाहा रोड परियोजना में धन का दुर्विनियोग	Misappropriation of Funds in Payagpur-Daha Road Project Bahraich, U. P. . .	44
2639	महाराष्ट्र में मत्स्य बंदरगाह का स्थल	Location of a Fishing Harbour in Maharashtra . . .	45
2640	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के बारे में की गई कार्यवाही	Measures to protect the interests of Members of the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society . .	45
2641	यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में खाद्यान्न	Foodgrains from European Economic Community Countries	46
2642	कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये अधिक ध्यान देना	More Attention to boost Agricultural Production . .	46

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2643	नई दिल्ली में केरल सरकार की भूमि	Land belonging to Kerala Government in New Delhi .	47
2644	आयातित गायों से कम दूध का प्राप्त होना	Low Milk Yield from Imported Cows	47
2645	धान की खेती के लिये कुट्टानाडु विकास योजना हेतु केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Kuttanadu Development Scheme for Paddy Cultivation . . .	48
2646	दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से ज्ञापन	Memorandum from Delhi University Teachers Association .	48
2647	विश्व खाद्य सम्मेलन	World Food Conference . .	49
2648	सहारनपुर की चीनी मिलों की ओर बकाया राशि	Amount outstanding against Sugar mills in Saharanpur .	51
2649	मेघालय को भेजे जाने वाले उर्वरक को अन्यत्र भेजने के मामले की जांच का प्रतिवेदन	Enquiry report on diversion of Fertilisers meant to Meghalaya	52
2650	हैडमास्टरों तथा अन्य अध्यापकों के वेतन में विषमतायें	Anomalies in Salaries of Headmasters and other teachers .	52
2651	पब्लिक स्कूलों का भारतीयकरण	Indianization of Public Schools	52
2652	फुटबाल तथा वालीबाल के ओलंपिक खेलों के होने से पूर्व के खेलों में भारतीय दल को शामिल न करना	No entry of Indian team in pre-Olympic test of Football and Volleyball	53
2653	नर्मदा-विवाद न्यायाधिकरण	Narmada Dispute Tribunal .	54
2654	केरल में बन रोपण हेतु आदर्श अग्नि संरक्षण सेवा	Model fire protection service for Forest Plantations in Kerala	55
2655	पंजाब सरकार द्वारा गेहूं के अधिक मूल्य देने की पेशकश	Offer for higher price of wheat by Punjab Government .	55
2656	गुजरात में खरीफ के मौसम में मूंगफली का उत्पादन	Groundnut production during Kharif season in Gujarat .	56
2657	दिल्ली में दूध की आवश्यकता तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उसकी सप्लाई	Requirement and supply of milk by DMS . . .	56
2658	बिकाऊ फालतू खाद्यान्नों की वसूली तथा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को खत्म करने के बारे में की गई कार्यवाही	Steps taken to procure Marketable surplus and eliminate wholesale trade in Foodgrains	56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2659	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Universal Primary Education .	57
2660	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों के बीच सम्पर्क	Liasion between University Staff and Engineers and Scientists	57
2661	छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) की सिंचाई क्षमता	Irrigation potential of Chattisgarh (M. P.) . . .	58
2662	भूमि सुधारों को लागू करने के लिये अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Officers to execute land reforms . .	58
2663	मध्य प्रदेश में महानदी पर कंगरेल बांध	Kangarail Dam over the Mahanadi River in Madhya Pradesh	58
2664	उड़ीसा में गृह निर्माण योजना में जीवन बीमा निगम द्वारा निवेश	LIC investments in Orissa for House Building Schemes .	59
2665	वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 में पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का उत्पादन, केन्द्र द्वारा की गई सप्लाई, वसूली और खपत	Production Central Supply, Procurement and Consumption of Cereals in West Bengal during 1972-73 and 1973-74 .	60
2666	माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच	Inquiry into working of Modern Bakeries (India) Limited, New Delhi	61
2667	महात्मा गांधी की प्रतिमा	Statue of Mahatma Gandhi .	62
2668	सोयाबीन संयंत्र की स्थापना	Setting up of Soyabean Plant .	62
2669	"मल्टीपल क्रापिंग" और रिले क्रापिंग	Multiple Cropping and Relay Cropping	62
2670	12 वर्ष की स्कूल की पढ़ाई की नई शिक्षा पद्धति	New System of Education of 12 years Schooling . .	63
2671	चावल की भूसी	Rice Bran	64
2672	विद्यालयो तथा विश्वविद्यालयो में भारतीय संस्कृति की शिक्षा देना	Imparting of Education on Indian Culture in Schools and Colleges . . .	64
2673	प्रतिवर्ष तूफान से प्रभावित होने वाले पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रो में राहत कार्य	Relief Work in coastal areas of West Bengal affected by Cyclones annually . .	65
2674	फोर्ड फाउंडेशन से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय	Educational Institutions and Universities receiving Assistance from Ford Foundation .	65
2675	पोटाश उर्वरक का आयात करने वाली कम्पनियां	Companies Importing Potash Fertilisers. . . .	65

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2676	मध्य प्रदेश में केला विकास योजना	Banana Development in M. P. .	66
2677	गन्दी बस्तियां हटाने संबंधी योजना	Slum Clearance Operations .	66
2678	राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाएं	Minor Irrigation Projects in Rajasthan	66
2679	डीलरों द्वारा कम उर्वरक खरीदा जाना	Decline in off-take of Fertilisers by Dealers	67
2680	आसाम में चीनी मिलें स्थापित करना	Establishment of Sugar Mills in Assam	67
2681	भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी सेकरिन	Saccharine lying with Food Corporation of India . .	67
2682	राजघाट बांध के लिये नियंत्रण बोर्ड का गठन	Setting up of Control Board for Rajghat Dam . . .	68
2684	लाटरी निकाल पर भूमि के प्लाटों की बिक्री	Disposal of plots of land through draw of lots . . .	68
2685	खुर्दा रोड पर केन्द्रीय विद्यालय	Central School at Khurda Road	69
2686	नारायण विहार कालोनी, दिल्ली	Narain Vihar Colony, Delhi .	69
2687	दिल्ली में भूमि हथयाने संबंधी मामले की जांच	Investigation into the land grab in Delhi	70
2688	सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की 80 प्रतिशत लागत का भुगतान	Payment of 80 percent cost of DDA Flats by Government Employees	70
2689	दिल्ली में देशभक्तो की प्रतिमाओं की स्थापना	Installation of Statues of Patriots in Delhi	70
2690	'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी सहायता	Foreign assistance under operation Flood Programme . .	71
2691	पश्चिम एशियाई देशों को उधार पर कृषि वैज्ञानिकों की सेवायें	Loaning of services of Agricultural Scientists to West Asian Countries	72
2692	सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	Loan to Government employees for house building . .	72
2693	दिल्ली में अनधिकृत मकानों का गिराया जाना	Demolishing of unauthorised Houses in Delhi . .	72
2694	पंजाब के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधायें	Irrigation facilities for Punjab in the First Year of Fifth Five Year Plan . . .	73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2695	अध्यापकों में बेरोजगारी	Unemployment amongst Teachers	73
2696	पांचवीं योजना में राजस्थान में उठाऊ सिंचाई योजनायें	Lift Irrigation Schemes in Rajasthan during Fifth Plan .	73
2697	उड़ीसा में पूरी क्षमता से काम न कर रहे वनस्पति संयंत्र	Vanaspati Plants working below capacity in Orissa . .	74
2698	उड़ीसा में अपाहिज व्यक्तियों के लिये केन्द्र	Centres for handicapped persons in Orissa	74
2699	बूढ़ा बालंगा नदी की बाढ़ नियंत्रण योजना	Flood Control Scheme of Buda Balanga River . . .	74
2700	उड़ीसा में बाढ़ सुरक्षा परियोजना	Flood Protection Project in Orissa	75
2701	राजस्थान में निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे वनस्पति कारखाने	Vanaspati plants working below capacity in Rajasthan .	75
2702	आटा मिलों और चावल मिलों की खाद्यान्नों के अवैध सौदों सहित गतिविधियों की निगरानी	Watch on activities of Flour Mills and Rice Mills indulging in illegitimate deals of food grains . . .	76
2703	केरल सरकार का कागज के लिये अनुरोध	Request from Kerala Government for Paper . . .	76
2704	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति	National Loan Scholarship and National Merit Scholarship .	76
2705	नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को नियुक्त करने का आधार	Criteria for posting C.P.W.D. Engineers to Nepal . .	77
2706	इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये अराजपत्रित स्तर पर पृथक संवर्ग	Separate cadre for Engineering Graduates at non-Gazetted level	78
2707	मध्य प्रदेश में 'तवा' में भूमि विकास कार्य	Land Development Work in Tawa area, M. P. . .	78
2708	खरीफ फसल के लिये ट्राम्बे से उर्वरक की उपलब्धता	Availability of Fertilisers from Trombay during Kharif Season	78
2709	मध्य प्रदेश में नयी सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव	Proposal for a New Irrigation Project by Madhya Pradesh .	79
2710	मध्य प्रदेश में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आवास योजना संबंधी परियोजना प्रतिवेदन	Project Report on Scheme for Housing to Landless Agricultural Labourers in Madhya Pradesh	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2711	नयी दिल्ली में पानी के नलों का लगाया जाना	Water Taps installed in New Delhi	80
2712	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तथा मध्य आय वर्ग वाले समूहों को प्लाटों की बिक्री	Sale of plots to low and Middle Income Groups by DDA .	80
2713	पुनर्गठित गोरक्षा समिति के चेयरमैन को पेश किये गये प्रतिवेदन की प्रति	Copy of Report submitted to Chairman of Reconstituted Cow Protection Committee .	80
2714	राज्यों में रासायनिक उर्वरकों का जमा होना	Piling up of Chemical Fertilisers in States	81
2715	अंतर-राज्यीय नदी जलविवादों के कारण सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि	Rise in Costs of Irrigation Projects due to Inter State River Disputes	81
2716	सहकारी क्षेत्र में नये चीनी एककों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up new Sugar Units in Cooperative Sector	82
2717	श्रिम्प ट्रालरों की सप्लाई के लिये मैक्सिको की कम्पनी के साथ ठेका	Contract with Mexican Company for Supply of Shrimp Trawlers	82
2718	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ फसल के दौरान चावल की वसूली	Procurement of Rice by Food Corporation of India during Kharif	83
2719	स्कूलों में खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाना	Sports as Compulsory subject in Schools	84
2720	रोम में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा परिषद गठित करने का प्रस्ताव	Proposal for Food Security Council at World Food Conference held at Rome . .	84
2721	राजस्थान में सेई डाइवर्जन प्रोजैक्ट के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Sei Diversion Project in Rajasthan ..	85
2722	खास-खास फसल के लिये फसल बीमा हेतु मार्गदर्शी योजनाओं का प्रस्ताव	Proposal for Pilot Schemes for Crop Insurance of Selected Crops	85
2723	कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग की अवधि बढाना	Extension of terms of National Commission on Agriculture .	86
2724	युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा	National Service for Youth .	86
2725	राज्यों के शिक्षा तथा खेल-कूद मंत्रियों तथा राज्यों के खेल-कूद परिषदों के सचिवों का सम्मेलन	Conference of State Education and Sports Ministers and Secretaries of State Sports Councils	87

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2726	फरीदाबाद की नई कालोनी में सरकारी प्रेस कर्मचारियों के मकानों का निर्माण और नलकूपों का लगाया जाना	Construction of Quarters for Government Press Employees and Installation of a Tube well in the New Colony of Faridabad	89
2727	सेवा निवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियो को मकानों का आबंटन	Allotment of houses to retiring Central Government Employees	89
2728	भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद के मुअत्तिल कर्मचारी	Employees of Government of India Press, Faridabad under Suspension	89
2729	नई दिल्ली नगरपालिका में प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के पद	Permanent Posts of Primary School Teachers in NDMC .	90
2730	नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों के समय	N. D. M. C. School Timings .	90
2731	गुजरात में लगाये गये नलकूप .	Tube wells drilled in Gujarat .	91
2732	सिचाई पर विचार गोष्ठी .	Seminar on Irrigation . .	93
2733	आजाद हिन्द फौज का इतिहास लिखने के लिये समिति की नियुक्ति	Setting up of a Committee to write History of INA . .	93
2734	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का संशोधित नक्शा	Revision of Lay out Plan of the Delhi School Teachers Co-operative House Building Society	94
2735	खरीफ फसल के दौरान खाद्यान्नों का लक्ष्य तथा उत्पादन	Target and procurement of foodgrains during Kharif .	94
2736	विश्व खाद्य सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा दिये गये सुझाव	India's suggestions during World Food Conference .	95
2737	भारत सरकार के मंत्रियों और श्रेणी एक के अधिकारियों तथा लोक सभा के सदस्य को दी जाने वाली आवास सुविधाओं में भेद-भाव	Discrimination in housing facilities given to Ministers and Class I Officers of Government of India and Members of Lok Sabha . .	96
2738	समाज के निर्धन वर्ग में कुपोषाहार.	Malnutrition among people of poorer section of Society .	96
2739	पांचवीं योजना के दौरान अंड़े, मांस और दूध की मांग	Demand of eggs, meat and milk during Fifth Plan . .	96
2740	श्यामलाल कालेज दिल्ली के लिये धन-राशि	Fund for Shyamlal College, Delhi	97
2741	स्वीडन से खाद्यान्न का आयात	Food Imports from Sweden .	98

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2742	उड़ीसा में खरीफ उत्पादन में कमी	Shortfall in Kharif Production in Orissa	98
2743	पांचवीं योजना के दौरान बिहार में छोटी नहरें	Small canals in Bihar during Fifth Plan	98
2744	संग्रहालय में चोरी	Museum theft . .	99
2745	सूरजमुखी की खेती	Sunflower Cultivation . .	101
2746	बाल आहार के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण	Check over prices and distribution of baby food . .	103
2747	चीनी के निर्यात के बारे में चर्चा	Discussions on sugar exports .	103
2748	औद्योगिक कर्मचारियों को मकानों के आवंटन में विलंब	Delay in allotment of houses to industrial employees . .	104
2749	केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड की स्थायी समिति	Standing Committee of CABE .	104
2750	महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्यों की सिंचाई क्षमता	Irrigation potential of Maharashtra, Karnataka and Gujarat	105
2751	नदियों के जल को केन्द्रीय विषय बनाना	River Waters as Central Subject	105
2752	मछली पकड़ने के क्षेत्र में संगठित एकाधिकार के विरुद्ध भारतीय मछुओं के हितों की रक्षा	Interest of Indian fishermen against organised monopolies in fishing	105
2753	सरकारी कर्मचारियों को दिये गये क्वार्टरों की प्रतिशतता	Percentage of quarters provided to Government servants .	105
2754	चावल कूटने की नयी तकनीक	New Rice Milling Technology	106
2755	खाद्यान्न की वसूली के लिये बैंकों द्वारा सहायता	Help by Banks in procurement of foodgrains	107
2756	वसूली के लिये दोहरी मूल्य नीति शुरू करना	Introduction of dual price for procurement	107
2757	नई दिल्ली नगरपालिका के विद्यालयों में अध्यापकों का स्थानान्तरण	Transfer of teachers in NDMC Schools	108
2758	गुरुकुल कांगड़ी की मान्यता समाप्त करना	Withdrawal of recognition of Gurukul Kangri . . .	108
2759	गोआ में विकलांग व्यक्तियों के लिये केन्द्र	Centres for Handicapped persons in Goa	109
2760	तिलहन का उत्पादन . .	Oil Seeds Production . .	109

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2761	दिल्ली विकास प्राधिकरण की नारायणा रिहायशी योजना के उपयोग में आयी भूमि का नक्शा	Land use plan for Naraina Residential Scheme of DDA .	110
2762	नारायणा, दिल्ली में निम्न आय वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटो की बिक्री लागत का ब्यौरा	Break up of disposal cost of low income group DDA flats in Naraina, Delhi . . .	111
2763	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् की पुनरीक्षण समिति	Review Committee of Indian Council of Social Science Research	111
2764	सी० एम० डी० ए० के लिए धनराशि का नियतन	Allocation of Funds for CMDA	112
2765	भूमिहीन श्रमिकों के लिये मकान	Houses to the landless labourers	112
2766	नेपाल और भारतीय क्षेत्र में नहर की खुदाई	Excavation of canal inside Nepal and Indian Territory . .	113
2767	मिथिला विश्वविद्यालय से अनुदान और सहायता के लिये अभ्यावेदन	Representation from Mithila University for grants and Assistance	113
2768	दरभंगा जिले में मोहिनी और खिरोई नदियों के बीच तटबंध बनाने की योजना	Scheme for embankment between rivers Mohini and Khiroi in Darbhanga District . .	113
2769	मध्य प्रदेश में परती भूमि के लिये योजना	Scheme for fallow land in Madhya Pradesh . . .	114
2770	अभावग्रस्त राज्यों को लघु और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के लिये ऋण	Loans to scarcity affected States for Minor and Medium Irrigation Projects	114
2771	पांचवीं योजना के दौरान लघु कृषक विकास एजेंसी हेतु आवंटन	Allocation for Small Farmers Development Agency during Fifth Plan	114
2772	सालंदी सिंचाई कमांड क्षेत्र	Salandi Irrigation Command area	116
2773	राज्यों में बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास प्रणाली के लिए परिव्यय योजना	Outlay Plan for Flood Control and Draining System in States	116
2774	दिल्ली स्कूल्स टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के सदस्यों से हलफनामा	Affidavits from the members of the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society, Delhi . . .	116

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2775	राज्यों में निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लिए आवास की व्यवस्था हेतु परियोजनाओं का क्रियान्वयन	Project for Low and Middle Income Group Housing in States	117
2776	प्रौढ़ शिक्षा	Adult Education . . .	117
2777	कावेरी जल विवाद	Cauvery Waters Dispute . .	118
2778	धनी किसानो पर कम लेवी लगाने के लिये राज्य सरकारों को अनुदेश	Instructions to State Governments to impose lower levy on rich farmers	118
2779	नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्यकरण की जांच	Enquiry into working of National Book Trust	119
2780	दिल्ली में विभिन्न राजनैतिक दलों को आबंटित आवास	Accommodation allotted to various political parties in Delhi	119
2781	मध्य प्रदेश में सोयाबीन तथा नारियल के लिये योजना	Scheme for Soyabean and Coconut in M. P. . . .	120
2782	सरकारी कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था	More quarters for Government servants	121
2783	ग्रेन्ड होटल शिमला में 'स्यूट'	Suits in Grand Hotel, Simla .	121
2784	चालू वर्ष में मोटे अनाज की वसूली	Coarse Grain procured during Current Year . . .	121
2785	पालामऊ बिहार में कृषि विकास	Development of Agriculture in Palamau Bihar . . .	122
2786	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण विषयक समिति	Committee on Working of University Grants Commission .	122
2787	उत्तर भारत के चीनी कारखानों में पुरानी मशीनें	Outdated Machines of Sugar Factories in Northern India .	123
2788	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण पश्चिम जोन में अनाज गोदामों का निर्माण कार्य किया जाना	Food Grain godown works constructed in the South Western Zone of C. P. W. D. . .	123
2789	दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियां	Jhuggi Jhonpris in Delhi . .	124
2790	पंजाब के निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे वनस्पति कारखाने	Vanaspati plants working below capacity in Punjab . .	124
2791	पांचवीं योजना में बड़ी तथा मध्यम स्तर की सिंचाई योजनायें	Major and medium irrigation schemes in Fifth Plan . .	124

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2792	सरकारी क्वार्टरों की सफेदी	White washing of Government Quarters	125
2793	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम	Premium charged by DDA	125
2794	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का ऊँची दरों पर बेचा जाना	Higher land premium charged by DDA	127
2795	डिग्री के बिना रोजगार	Employment without degree .	128
2796	मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी और उनके लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for and clearance of Irrigation Projects for Madhya Pradesh . .	128
2797	नर्मदा और माही जल के लिये योजना	Scheme for Narmada and Mahi River Water . . .	129
2798	पश्चिम बंगाल में फुटबाल स्टेडियम की सुविधायें	Football Stadium Facilities in West Bengal . . .	129
2799	रिफाइंड मूंगफली तेल का बनाया जाना	Manufacture of Refined Groundnut Oil	130
2800	डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी०' में क्वार्टर	Quarters in Sector 'D' of DIZ Area, New Delhi . . .	130
2801	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में बच्चों द्वारा हिन्दी सीखा जाना	Learning of Hindi by Children in Non-Hindi Speaking States	131
2802	'वी हैव मोर वेल्थ इन वाटर' शीर्षक से प्रकाशित लेख	Article entitled, We have more Wealth in Water . . .	132
	नियम 377 के अधीन मामले के बारे में	*Re.* Matter under Rule 377 .	132
	विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
	आयात लाइसेंस कांड--अध्यक्ष का विनिर्णय	Import Licence Case—Ruling by the Speaker . .	133, 139, 141
	सभापटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table . .	138, 139
	राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	144
	राज्यसभा द्वारा पास किये गये विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha —	
	(1) टोकियो कन्वेन्शन विधेयक	Tokyo Convention Bill .	145
	(2) छोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक	Small Coins (Offences) Amendment Bill . . .	145

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक—	Code of Civil Procedure Amendment) Bill—	
(1) संयुक्त समिति के लिए लोकसभा के एक सदस्य को नियुक्ति	Appointment of Member of Lok Sahba to Joint Committee	145
(2) राज्य सभा को संयुक्त समिति के लिए एक सदस्य की नियुक्ति करने की सिफारिश	Recommendation to Rajya Sabha to appoint a Member to Joint Committee .	145
नियम 377 के अधीन मामला—	Matter under Rule 377—	
चीनी का लेवी मूल्य बढ़ाये जाने का कथित निर्णय	Reported decision to raise levy price of sugar . .	146
रुग्ण कपडा उपक्रम तथा (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत	Statutory Resolution *Re.* Disapproval of Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance—Negatived,	
और		
रुग्ण कपड़ा उपक्रम तथा (राष्ट्रीयकरण) विधेयक—	Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya . .	147
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	151
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai . . .	153
खंडवार विचार स्थगित	Clauses—consideration adjo - urned . . .	158
आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प, और आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अंतर्गत नजरबन्दी के विरुद्ध किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति आदेश का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव—	Statutory Resolution *Re.* Disapproval of Maintenance of Internal Security Amendment and Ordinance Motion *re.* Disapproval of Presidential order suspending Citizens right to move court against Extension under MISA—	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	159
आधे घंटे की चर्चा—	Half an hour discussion— .	
तेहरान में आयोजित खलकूद प्रतियोगिताताओं में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गये पदक—	Medals won by Indian Sportsmen in Games at Tehran—	
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	161
श्री अरविन्द नेताम	Shri Arvind Netam . .	163

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 2 दिसंबर, 1974/11 अग्रहायण, 1896 (शक)
Monday, 2 December, 1974/Agrahayana 11, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजकर 3 मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Three Minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं सदन को श्रीमती सुचेता कृपलानी की दु:खद मृत्यु की सूचना देता हूं जिनका कल 66 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में स्वर्गवास हो गया।

श्रीमती सुचेता कृपलानी विधान सभा की सदस्य थीं, वह वर्ष 1946 से 52 के दौरान अस्थायी संसद की सदस्य रहीं, 1952-56 की प्रथम लोकसभा, 1957-61 के दौरान दूसरी लोकसभा तथा 1967 से 70 के दौरान चौथी लोकसभा की सदस्यां रहीं।

वह प्रतिष्ठित, बड़ी देशभक्त तथा सुविख्यात संसद और हमारे अत्यधिक सम्मानित नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल गयीं और बहुत सी यातनायें सहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने कई रूपों में देश की सेवा की। वह वर्ष 1948-50 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य रहीं और वर्ष 1960-63 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में श्रम मंत्री, सामुदायिक विकास तथा उद्योग मंत्री रहीं और बाद में वर्ष 1963-67 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने अपने उत्तराधिकारों के लिये निर्धन तथा दलित वर्गों के लोगों की स्थिति सुधारने के लिये अपनी छाप छोड़ी। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमटी की महासचिव भी रहीं। उन्होंने विदेश कार्यों में अत्यधिक रुचि ली और 1949 में संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा जनरल असेंब्ली तथा नागरिक दायित्व और जनजीवन में एशियाई महिलाओं के योगदान में वृद्धि पर बेंगकॉक में वर्ष 1956 में हुई संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी के लिये भेजे गये भारतीय प्रतिनिधी मंडल की वह सदस्य रहीं। नवम्बर 1954 में टर्की को भेजे गये भारतीय संसद शिष्टमंडल तथा वर्ष 1961 में हुई अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन सम्मेलन के लिये भेजे गये भारतीय शिष्टमंडल को उन्होंने अध्यक्षता की। दलित वर्ग के कल्याण के लिये कार्य करने वाले बहुत से राहत शैक्षिक तथा अन्य संस्थानों से वह सम्बद्ध रहीं। इस सभा की सदस्य के रूप में वह एक प्रभावी वक्ता रहीं और उन मामलों से सम्बन्धित वादविवादों में, जिनके लिये उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया, रचनात्मक तथा लाभकारी योगदान दिया। देश विभाजन के समय विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के मामले में उनकी भूमिका अभी भी सराहना से स्मरण की जाती है।

उनकी दु:खद मृत्यु पर, उनके सम्मानित पति आचार्य जे० बी० कृपलानी के साथ हमारी सहानुभूति है।

1—41 LSS/74

हम अपने इस मित्र के बिछड़ जाने पर अत्यधिक शोकाकुल हैं और मुझे विश्वास है श्री कृपलानीजी को अपनी संवेदनाये भेजने में सदन भी मेरे साथ है ।

सभा शोक व्यक्त करने के लिये कुछ देर के लिये मौन खड़ी रहेगी ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों को अस्वीकार किया जाना

*271. **श्री मधु दंडवते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविदयालय के अध्यापको ने विश्वविदयालय अनुदान आयोग के वेतन मानों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये 'सेलेक्शन ग्रेड' भी समाप्त कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले का समाधान करनेहेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अध्यापकों ने नए वेतनमानों का सामान्यत: स्वागत किया है।

(ख) और (ग) इस योजना के अन्तर्गत, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये किसी 'सेलेक्शन ग्रेड' के लिये अथवा राज्यों के उत्तर-स्नातक कालेजों में वरिष्ठ लेक्चरर के पद के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक सुखद संयोग है कि जब मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं विश्व विद्यालय तथा कालिजो के शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं । उनकी ओर से मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा है जिसमें राज्य सरकारों को अपने अपने वेतन मान रखने तथा इन वेतन मानों को उस तिथि से जिस वे उचित समझे भूतलक्षी प्रभाव देने की अनुमति दी है। यदि हां तो संसद के बाहर विश्वविद्यालय शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन को देखते हुये क्या सरकार उस आदेश को वापस लेने की इच्छुक है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है यद्यपि वह इस प्रश्न से नहीं उठता है परन्तु प्रश्न के बारे में आम जनता की रुचि को देखते हुए मैं उत्तर देता हूं ।

विश्वविद्यालय तथा कालिजों के शिक्षकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की सभा में घोषणा करने के तुरन्त पश्चात मैंने राज्य सरकारो को एक पत्र भेजा जिसमें उस समय विद्यमान पदों के सम्बन्ध में 1-1-73 से पांच वर्ष की अवधि के लिये अतिरिक्त व्यय का ८० प्रतिशत भार वहन करने की इच्छा तभी पेशकश की गई । राज्य सरकारों को इस वर्ष नवम्बर में भेज दी गई । मंजूरी पत्र में औपचारिक वित्तीय मंजूरी यह पेशकश भी है कि यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों

के वेतन-मान लागू करते हैं तो हम, जैसा कि मैं ने पहले घोषित किया था केवल 5 वर्ष के लिये अतिरिक्त-व्यय का केवल 80 प्रतिशत हो नहीं देंगे परन्तु कुछ राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गयीं कठिनाइयों के कारण यह सहायता हम पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक अर्थात 31 मार्च, 1979 तक देते रहेंगे। अत: यदि किसी राज्य सरकार को 1-1-73 से नये वेतनमान लागू करने हैं तो अतिरिक्त व्यय की 80 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पांचवी योजना अवधि के अन्त तक दी जायेगी। फिर भी कुछ राज्य सरकारों ने कुछ कठिनाई व्यक्त की है कि वे पांचवी योजना अवधि से पूर्ण ऐसा नहीं कर पायेंगे। अत: हेमने यह बताया कि पांचवी योजनाअवधि के अन्त तक सहायता दी जाती रहेगी परन्तु आरम्भ सम्बद्ध राज्य सरकारों को ही संशोधित करने होंगे। यह प्रस्ताव है कि यदि वे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तरह ही रहती हैं तो केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत भार वहन करेगी। यदि, फिर भी, स्थानीय परिस्थितियों के कारण वे कुछ भिन्नता चाहें, तो वे संशोधित योजना केन्द्र को भेज सकती हैं। जैसा कि चौथी योजना में हुआ, कुछ राज्यों ने कुछ संशोधन किये फिर भी केन्द्रीय सरकार ने अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत भार वहन किया।

प्रो० मधु दंडवते : दूसरा पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या इसका तात्पर्य यह कि केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाये गये वेतनमानो में परिवर्तन करने की भी ढील दी है।

प्रो० एस० नूरुल हसन : प्रश्न केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कोई ढील देने का नहीं है। निर्णय अभी भी राज्य सरकारों का ही है। केन्द्रीय सरकार ने उनसे सिफारिश की है और सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

प्रो० मधु दंडवते : जैसा कि उन्होंने अभी बताया हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये वेतनमान लागू करने से जो व्यय होगा उसका 80 प्रतिशत वह केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा। इसी संदर्भ में मैं. यह जानना चाहता हूँ कि कितने राज्यों ने इन वेतनमानों के क्रियान्वयन के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय करने का निर्णय कर लिया है, कितने राज्यों ने योजना स्वीकार कर ली है और कितने राज्यों ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। कितने राज्यों ने विश्वविद्यालय संघों के प्रतिनिधियों से यह बात कही है कि उन्हें अभी केन्द्र से संदेश नहीं मिला है और यही कारण है कि वे नये वेतनमान लागू नहीं कर रहे हैं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : किसी राज्य ने भी औपचारिक रूप में मुझे यह नहीं लिखा है कि उन्होंने वेतनमान स्वीकार कर लिये हैं; न ही किसी राज्य ने औपचारिक रूप से इन्कार किया है।

जहाँ तक राज्य सरकार द्वारा संघों से दी गई जानकारी का सम्बन्ध है, मैं उसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि जहाँ तक राज्यों की जानकारी का सम्बन्ध है, मैं एक विशिष्ट उद्धरण देता हूं। महाराष्ट्र सरकार के वक्ता ने बम्बई विश्वविद्यालय के वक्ता से कहा है कि "हमें केन्द्र से संदेश की प्रतीक्षा है और यही कारण है कि इनके क्रियान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता", उन्हें इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये, क्योंकि यह क्रियान्वित न करने का बहाना है।

प्रो० एस० नूरुल हसन : जैसा कि मैंने अभी बताया है, यह संदेश, मंजूरी के विवरण सहित यह पत्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा नवम्बर के आरम्भ में ही भेज दिया गया था।

श्री प्रबोधचन्द्र : क्या यह बात शिक्षा मंत्री के ध्यान में आयी है कि बहुत से विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा अन्य कालेज शिक्षकों को वह वेतन भी प्राप्त नहीं होता है जिसकी उन्हें रसीद देनी होती हैं, परिणामतः सरकार द्वारा दी गई वृद्धि उन लोगों को ज़ेबों में जाती हैं जिन्होंने कालेज और स्कूल जैसे वाणिज्यिक संस्थान चला रखे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वेतन मानों के बारे में है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के बारे में हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या पश्चिम बंगाल राज्य का कलकत्ता विश्वविद्यालय को, जो सब से पुराना है, वित्तीय स्थिति खराब है और उन्होंने कई बार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये सुझावों के अनुकूल अर्थात् 80 प्रतिशत अतिरिक्त व्यय केन्द्र द्वारा और 20 प्रतिशत राज्य द्वारा वहन किया जायेगा । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों को लागू करना उनके लिये संभव नहीं है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं । क्या वह पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में पूछ रहे हैं अथवा कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : कलकत्ता विश्वविद्यालय किस प्रकार दे सकता है । उसके पास कर लगाने के अधिकार नहीं है । अतः स्पष्ट है, कि केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय अथवा गैर सरकारी प्रबन्ध पर भार नहीं डाला जायेगा, भार राज्य सरकार को वहन करना है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या इन विश्वविद्यालों के लिये वित्तीय मंजूरी के लिये राज्य सरकार ने सिफारिश की हैं ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह एक विशिष्ट प्रश्न है, इसके लिये आपको इसके लिये अलग नोटिस देना होगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : नोटिस देने का प्रश्न नहीं है । वे बहुत कठिनाई में हैं ।

श्री डी० एन० तिवारी : उनकी स्थिति ऐसी है कि वे 20 प्रतिशत व्यय भी वहन नहीं कर सकते । प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने शत प्रतिशत अनुदान के लिये मंत्री महोदय अथवा केन्द्रीय सरकार को लिखा है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : प्रत्येक राज्य सरकार ने क्या लिखा है यह ठीक ठीक मुझे याद नहीं है । मेरे विचार से बिहार सरकार ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है । उड़ीसा सरकार से अवश्य विचारविमर्श हुआ है । उन्होंने केन्द्रीय सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है ।

श्री जे० माता गौडा : क्या विश्वविद्यालय शिक्षकों ने कोई ज्ञापन भेजा है और यदि है तो उन्होंने क्या मांग की है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : देश में विश्वविद्यालय शिक्षकों से मुझे बहुत से ज्ञापन मिल रहे हैं। पता नहीं माननीय सदस्य का तात्पर्य क्या है ?

श्री जे० माता गौडा : सामान्य मांगें क्या हैं ? वे बाहर बैठे हुए हैं ।

श्री मोहनराज कलिंगराया : मांगें तो 101 हो सकती हैं परन्तु शिक्षकों की महत्वपूर्ण मांग क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति !

श्री पी० के० देव : अध्यापक वहां बैठे हुए हैं और मंत्री महोदय को मालूम नहीं है कि आज क्या हो रहा हैं ।

अध्यक्ष महोदय : धैर्य रखिए, मैं इसको संगत बनाने में आपकी सहायता कर रहा हूँ । प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन मानों को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने उसका उत्तर दे दिया है । अब प्रश्न यह है कि क्या इसको अस्वीकृत करने के बाद वे संतुष्ट हैं या नहीं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : कोई अस्वीकृति नहीं हुई है । यही बात मैंने यहां रखने की कोशिश की है । मैंने दुबारा कागज पत्रों को सावधानी से देखा है, यदि माननीय सदस्य का इशारा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज अध्यापक एसोसियेशन संघ से है, तो उन्होंने तीन मुख्य बातें रखी हैं । पहला यह है कि केन्द्रीय सरकार इस सदन में मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य से मुकर गयी है और मैंने राज्य सरकारों को विकल्प दिया है । मैं इस बारे में पहिले ही कह चुका हूँ । दूसरा, उन्होंने कहा है कि अध्यापकों की सेवा की सांविधिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । संविधान में राज्य विधान मंडलों को विश्वविद्यालयों के बारे में विधायी शक्तियों की व्यवस्था दी हुई है । मैंने राज्य सरकारों को पहिले ही लिखा हुआ है जिसमें विश्वविद्यालयों तथा कालेज के अध्यापकों की सेवा की सांविधिक गारंटी देने के लिये यथोचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया है । तीसरा, वे विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रबंध में महत्वपूर्ण भाग लेना चाहते हैं । इस बारे में निर्णय लेना राज्य विधान मंडलों का कार्य है ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने और अधिक जटिलता तथा अध्यापकों में आंदोलन तथा उत्तेजना की स्थिती पैदा की है ।जब आप निश्चित नहीं थे कि आप बनाई हुई योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं तो आपने इसकी घोषणा क्यों की तथा अध्यापकों में इतनी बड़ी आशा क्यों जगायी ? आशा देने के बाद आप उसको दबा रहे हैं । प्रदर्शन तथा आंदोलन चल रहे हैं । जब आप निश्चित नहीं हैं कि सभी राज्य आपकी योजना को लागू करने की स्थिति में हैं तो आपने यह घोषणा क्यों की कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को नए वेतन मान मिलेंगे जबकि राज्यों के विश्वविद्यालयों के मामलों में राज्य सरकारों को इसको लागू करने या न करने का विकल्प दिया जायेगा ? आपने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए उच्च स्तर के प्राध्यापकों का तथा राज्यों के विश्वविद्यालयों के लिये निम्न स्तर के प्राध्यापकों का वर्ग बनाया है । मैं जानना चाहता हूँ कि (क) क्या आप सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को बैठक बुलायेंगे और आंशिक अथवा पूर्ण रूप से इस योजना को लागू होने से तब तक रोक देंगे जब तक कि सभी विश्वविद्यालयों तथा कालेजों, चाहे वे केन्द्रीय हों या राज्यों के हों, के प्राध्यापकों के लिये समान नीति नहीं बनाई जाती है और (ख) क्या आप आज विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहाँ तक राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का संबंध है, मुझे केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदायी बोर्ड ने ऐसा सम्मेलन बुलाने का अनुरोध किया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ । परन्तु मैं नहीं चाहता कि जब तक यह सम्मेलन न बुलाया जाये, तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को लागू न किया जाये । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश सभी विश्वविद्यालय तथा कालेज के अध्यापकों के लिये समान वेतन मानों के बारे में

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिये है। हमने यह सिफारिश स्वीकार की है। इसलिये हम राज्य सरकारों को इस योजना को क्रियान्वित करने में मदद कर कर रहे हैं। जहां तक उनका दूसरा प्रश्न है, मैं आज दोपहर पश्चात् अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज प्राध्यापक एसोसियेशन संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट कर रहा हूं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार केवल पाँच वर्ष तक अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत भाग देने को सहमत हो गई है? क्या वह चाहती है कि इसके बाद यह भार विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों को वहन करना चाहिये।

प्रो० एस नुरुल हसन : विद्यार्थियों तथा अभिभावकों द्वारा व्यय का भार वहन करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों को दिए गए प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त व्यय-भार विश्वविद्यालयों अथवा कालेज के प्रबन्धकों पर बिलकुल भी नहीं डाला जायेगा अपितु इसका भार राज्य सरकार वहन करेगी। माननीय सदस्य जानते हैं कि पांचवीं योजना के अन्त में वित्त आयोग उन सभी योजनाओं को ध्यान में रखेगा जिसके लिये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था उपलब्ध की गई है और इस आधार पर राज्य सरकारों को उसका भाग देना निश्चित करेगी। यद्यपि मैंने पहिले यह घोषणा की थी कि यह पांच वर्ष के लिये होगा क्योंकि मुझे यह बताया गया था कि वित्त आयोग तर्कसंगत वितरण केवल 1 अप्रैल, 1979 से करेगा, केन्द्रीय सरकार ने सहायता की अवधि बढ़ा दी है।

श्री एस० एन० बनर्जी : क्या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय तथा कालेज प्राध्यापक एसोसियेशन संघ के महासचिव ने उनसे कहा है कि राज्य सरकारों को दिए गए इस विकल्प ने अध्यापकों के बीच कटु भेदभाव उत्पन्न कर दिया है तथा न केवल दिल्ली में अपितु अन्य स्थानों के भी प्राध्यापकों के एसोसियेशनों द्वारा चलाए गए आन्दोलन को देखते हुए यह निदेश अब वापिस ले लिया जायेगा और विश्वविद्यालय के वेतनमानों का क्रियान्वयन सिफारशी न होकर आदेशात्मक होगा? राज्य सरकारों को दिया गया विकल्प वापिस ले लेना चाहिये क्योंकि राज्य सरकारें इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं और प्राध्यापकों को नए वेतन मान नहीं दे रही हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य को मेरे से अधिक संसदीय जीवन और संविधान का अनुभव है, मुझे संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्य करना है तथा इस मामले में मैं राज्य सरकारों को कोई आदेश नहीं दे सकता हूं। मेरे पास सिफारिशी अधिकार हैं और वह मैंने राज्य सरकारों को कर दी है। विकल्प राज्य सरकारों पर है कि वे इसको स्वीकार करें या न करें। चौथी योजना के दौरान भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को की गई थीं। कुछ राज्यों ने उसमें संशोधन किया था। कुछ राज्यों ने उसको बिलकुल भी स्वीकार नहीं किया था, मनीपुर, मेघालय नागालैंड, उड़ीसा और त्रिपुरा ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। आसाम, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल ने इसमें परिवर्तन किया है। अन्य राज्यों ने सिफारिशों को स्वीकार किया है। चौथी योजनावधि में लागू करने की तिथि एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग थी। हम केवल सिफारिश कर सकते हैं। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूं कि मैं राज्य सरकारों को इन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिये समझा बूझाता रहूँगा। परन्तु राज्य सरकारों को बाध्य करने का मेरे पास अधिकार नहीं है। मैं उनको विकल्प दे रहा हूं। संविधान ने राज्य सरकारों को हमारी सिफारिश स्वीकार करने या न करने का विकल्प दिया हुआ है।

राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये आयातित उर्वरकों के भुगतान की बकाया राशि

+

***272. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री धामनकर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय उर्वरक पूल से राज्य सरकारों को सप्लाई किये गये आयातित उर्वरकों के लिये भुगतान के रूप में राज्य सरकारों पर 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त राशि का राज्य वार ब्यौरा क्या है और यह कब से बकाया है; और

(ग) क्या सप्लाई इस शर्त पर की जाती है कि माल प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाएगा और यदि हां, तो इतनी बड़ी राशि किस प्रकार जमा हो गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8617/74]**

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : विवरण से बहुत गम्भीर स्थिति का पता लगता है । आज, जब हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, मुद्रास्फिति का समना कर रहे हैं और जब सरकार राज्य सरकारों को कोई ओवरड्राफ्ट नहीं दे रही है तब कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय उर्वरक पूल से आयातित उर्वरक की सप्लाई के लिये राज्यों की ओर 112 करोड़ रुपए के बकाया ऋण रखने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उनसे धनराशि वसूल किये जाने के लिये क्या तरीका निकाला जा रहा है ? क्या राज्य सरकार धनराशि वसूल कर रही है या नहीं ? यदि उन्होंने राशि वसूल कर ली है तो उन्होंने केन्द्रीय सरकार को वह राशि क्यों नहीं दी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विस्तृत जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । वास्तव में इनमें से अधिकांश धनराशि 1974 और उनके बाद से बकाया है । किन्तु उनमें से कुछ राशि, विशेषकर बिहार, जम्मू और काश्मीर तथा एक अन्य राज्य की ओर 1972 से राशि बकाया है । यह उस उर्वरक के सम्बन्ध में है जो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सप्लाई किया गया था क्योंकि राज्य सरकारों को आयातित उर्वरक सप्लाई करने के लिये भारत सरकार की यही एजेंसी है ; कुछ राज्य सरकारों ने समय पर धनराशि अदा नहीं की ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : राज्य सरकार इन उर्वरकों को नहीं बेचती, इसे कृषि उद्योग निगम बेचता है । उनसे धनराशि वसूल करने के लिये सरकार ने कोई प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जैसे कि कुछ राशि जमा करना ? क्या सरकार उवरक वितरण के लिये तथा उनसे धनराशि वसूल करने के लिये कोई नई प्रक्रिया अपनायेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सरकार का विचार है कि यदि समय पर धनराशि नहीं दी जाती, तो उस पर ब्याज लिया जाये । कभी कभी प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण धनराशि का भुगतान नहीं किया गया । इस मामले में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करना है । यद्यपि कभी-कभी सहकारी समितियां भी उर्वरक का वितरण करती हैं किन्तु उनको राज्य सरकारों की गारंटी का ही उर्वरक दिया जाता है । उनको पृथक रूप से नहीं दिया जाता ।

श्री धामनकर : क्या राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से कुछ वास्तविक कठिनाइयों के कारण जैसे कि कुछ राज्यों में वर्षा के अभाव में अथवा देर से वर्षा होने अथवा सूखा के कारण उर्वरकों का उपयोग न किया जाना, समय पर भुगतान किये जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और यदि हाँ, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या केन्द्रीय सरकार ने शीघ्र धनराशि वसूल करने के लिये किसी सैल की स्थापना की है और यदि हाँ, तो उसकी उपलब्धि क्या है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक सैल की स्थापना का सम्बन्ध है, यह कार्यवाही करने का सुझाव है । हम समझते हैं कि धनराशि बकाया रहने का कारण राज्य सरकार द्वारा उर्वरक का उपयोग न किया जाना नहीं है । हिसाब किताब लगाने में कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ऐसा हुआ है जैसा कि क्या राज्य सरकार को उतनी मात्राएं उर्वरक प्राप्त हुआ था जितनी मात्रा बिलों में आंकित है, आदि । उन बातों के कारण राशि वसूल नहीं की जा सकती है । मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूँ कि इतने दिन तक राशि बकाया नहीं रहनी चाहिये तथा इतनी अधिक राशि बकाया नहीं रहनी चाहिये ।

Shri R. S. Pande : What were the precise terms and conditions of repayment of money at the time when the fertilizer was supp'ied to the states ? May I also know the names of the States which have made the payments?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य की सूची विवरण में दे दी गई है । चन्दीगढ़ के अतिरिक्त लगभग सभी राज्य है । 21 राज्यों तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्र का सूची में उल्लेख है, जिन्होंने बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया । जहाँ तक कारणों का सम्बन्ध है, मैं यह बता चुका हूँ कि राज्यों के साथ हिसाब किताब के बारे में कुछ कठिनाइयों के कारण ऐसा हुआ है ।

Shri Ram Kawnar : What is the amount of outstanding money and what is the head under which it has been shown ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह ब्यौरा विवरण में मौजूद है ।

श्री वसंत साठे : विवरण से ज्ञात होता है कि 21 राज्यों में से 8 राज्यों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर 4 करोड़ रुपए से लेकर 22 करोड़ पए तक की राशि बकाया हैं । ये सभी राज्य बड़े राज्य हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि चूंकि यह धनराशि 1972 और उसके बाद से बाकी है, यहाँ तक कि अप्रल, 1974 तक बाकी है, अतः इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

क्या जो आयातित या स्वदेशी उर्वरक अब दिये जा रहे हैं, उनको देते हुए पहले दिये गये उर्वरक का हिसाब-किताब बराबर किया जायेगा जिससे बकाया राशि वसूल की जा सके ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न बहुत उपयुक्त है । हमने राज्य सरकारों से यह कह दिया है कि जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जायगा, हम उनको उर्वरक नहीं देंगे । दूसरे, हमारा विचार है कि एक सामान्य परिपत्र जारी किया जाये कि समय पर धनराशि का भुगतान न करने पर राज्य सरकारों को ब्याज देना पड़ेगा । यद्यपि हमने प्रत्येक राज्य के साथ अलग-अलग भी पत्र व्यवहार किया है ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा : सूची से ज्ञात हुआ है, जैसा कि श्री साठे ने कहा है, कि कई राज्यों की ओर भारी धनराशि बकाया है जबकि कुछ राज्यों ने धनराशि का भुगतान करने का प्रयत्न किया है । क्या जिन राज्यों ने धनराशि का भुगतान करने का प्रयत्न किया है, उन्हें उर्वरक के नियतन में कोई प्राथमिकता दी जायगी अथवा उनको कोई प्रोत्साहन दिया जायेगा क्योंकि सभी

राज्य आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन राज्यों ने धनराशि का भुगतान करने का प्रयत्न किया है उनको किस प्रकार का प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकारों को उर्वरक के वितरण के ढाँचे को बदलना बहुत कठिन होगा । हमें उनको सहमत कराना होगा । यदि कुछ राज्य सरकारों ने लगातार भुगतान नहीं किया तो यह स्वाभाविक है कि उनको उर्वरक सप्लाई नहीं किया जायेगा तथा हम उन राज्यों के बारे में ही विचार करेंगे, जिन्होंने समय पर धनराशि का भुगतान किया है ।

केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड का सम्मेलन

+
***275. श्री वसंत साठे :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड ने हाल ही में नवम्बर, 1974 के पहले सप्ताह में हुए अपने सम्मेलन में सरकार से शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने हेतु आमूल-शैक्षणिक सुधार करने के संबंध में विशिष्ट रूप से सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8618/74]**

श्री वसंत साठे : इस लम्बे वक्तव्य से पता चलता है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मुख्यतः दो सिफारिशें की हैं । ये सिफारिशें अस्पष्ट सी हैं । एक सिफारिश तो यह है कि सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाये और दूसरे सभी प्रकार की माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध किसी न किसी व्यवसाय से जोड़ा जाए । मेरा पहला प्रश्न यह है कि सभी स्तरों पर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये इन सिफारिशों के आधार पर क्या ठोस उपाय किए गए हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि माननीय सदस्य वक्तव्य के पृष्ठ 3 को देखें, तो इस बारे में पहले ही बताया गया है ।

> "शिक्षा के स्तरों में सुधार कार्यक्रम एक पकेज डील (Package Deal) की भांति हैं । इनमें परिवर्तनशील शिक्षण विधियों का अपनाया जाना, पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण में सहायक सामग्री में सुधार; शिक्षकों की सेवापूर्ण शिक्षा में सुधार और सेवा के दौरान शिक्षा की व्यवस्था; पर्यवेक्षण कार्य में सुधार तथा सभी शैक्षिक संस्थाओं में सामान एवं सुविधाओं की प्रर्याप्त व्यवस्था ।"

ये मुख्य कार्यक्रम हैं । अन्य कार्यक्रम भी हैं जो संक्षेप में बताए गए हैं । मुझे आशा है कि कार्यवाही का विस्तृत वृत्तान्त शीघ्र ही मुद्रित हो जायेगा और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये उसे ग्रंथालय में रख दूंगा ।

बहुत से कार्यक्रमों के बारे में पहले ही कुछ कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य शिक्षा संस्थानों के सहयोग से अपनाये जाने वाले पाठ्यक्रमों के बारे में नये मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार कर रहा है ।

मुझे आशा है कि इस पाठ्यक्रम के बारे में पहली रिपोर्ट इस मास के अन्त तक आ जाएगी और तब हम इसे परिचालित कर देंगे और हम राज्य सरकारों, अध्यापकों और अन्य ज्ञानवान लोगों के साथ परामर्श, चर्चा और वर्कशाप बैठकें प्रारंभ कर देंगे । परन्तु जोर देने योग्य बात यह है कि अब तक राज्य सरकारों के पास जो धन उपलब्ध होता था वह विस्तार कार्य के लिए ही प्रयुक्त होता था । अब बोर्ड ने कहा है कि यद्यपि यह धन सीमित है तथापि इसका कुछ अंश शिक्षा स्तर में सुधार के लिये रखा जायेगा ।

शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के प्रश्न के बारे में भी इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् उच्चशिक्षण वाली विभिन्न संस्थाओं और बेहतर सुविधाओ वाले विद्यालयों का प्रयोग करके शिक्षा के दौरान प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के तथा अन्य शिक्षकों के साथ समूहों में बैठकें और चर्चायें करती रही है । राज्य संस्थान से सिफारिश की गई है कि वे भी ऐसे ही कार्यक्रमो का आयोजन करें । कुछ कालेज माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की योग्यता एवं ज्ञान में सुधार करने में रुची ले रहे हैं । इनमें से कुछ कार्यक्रम तो पहले ही प्रारम्भ कर दिए हैं परन्तु बोर्ड ने सिफारिश की है कि इन्हें और भी ईमानदारी से प्रारम्भ किया जाना चाहिये और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये निश्चित राशि का नियतन किया जाना चाहिये । हमें आशा करनी चाहिये कि राज्य सरकारों को ये सिफारिशें स्वीकार्य होंगी ।

श्री वसंत साठे : पृष्ठ 3 की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं । इसी पृष्ठ के पैरा 4 में कहा गया है कि ऐसे प्रस्तावों का विशेषतः स्वागत किया जाएगा जिनमें ऐसे सुझाव दिए गए हो जिनसे पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन करके उन्हें स्थानीय समुदाय की समस्याओं के साथ जोड़ा जा सके । परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि यह क्या है । क्या आपके पास कोई ऐसी मार्गदर्शी परियोजना है जिसमें आपने कुछ समुदायों में उनकी समस्याओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिये शिक्षा के ढाँचे का पुनर्गठन किया हो ? क्या आप इस दिशा में कार्य कर रहे हैं ? अन्यथा यह भी एक सामान्य निष्कर्ष निकालने वाली बात ही होगी । आपतो कहते हैं कि आप राज्यों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं तथा गोष्ठियां और सम्मेलन किये जायेंगे जिससे आप कार्यविधि तयार करेंगे । परन्तु आप विश्वविद्यायालयवार अथवा समुदायवार ठोस परियोजनायें कब चालू करेंगे ? तब ही हमें पता चलेगा कि क्या किया जा रहा है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य को पता ही है कि विश्वविद्यालयों के बारे में सुझाव, मार्गदर्शी सिद्धांत...

श्री वसंत साठे : कृपया यह मत कहिएगा कि हमारी भूमिका केवल सलाहकार की होगी । ऐसे हम कुछ नहीं कर सकेंगे ।

प्रो० एस० नुरूल हसन : माननीय सदस्य की भावनाओं के बावजूद तथ्य यही है कि क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, सरकार इस बारे में फैसला नहीं कर सकती । शैक्षणिक समुदाय को ही इस बारे में फैसला करना होगा ।

हमने जो विभिन्न सुझाव और परिपत्र भेजे हैं, उसके परिणामस्वरूप कुछ विश्वविद्यालयों ने विभिन्न परियोजनायें प्रारम्भ कर दी हैं । उदाहरणार्थ, माननीय सदस्य को सम्भवतः बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई दो दिलचस्प परियोजनाओं का पता होगा । एक तो स्नातक पूर्व स्तर पर और दूसरी स्नातकोत्तर स्तर पर है जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग एकत्र होकर जिलों की विकास परियोजनाओं में ग्राम सुधार के लिए मिल जूल कर कार्य करते है । स्नातकोत्तर स्तर की परियोजना टाटा समाज विज्ञान संस्थान और बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले है और मुझे युवकों द्वारा किये गये कार्य के बारे में काफी सराहनीय रिपोर्टें मिली हैं ।

इसी प्रकार दूसरी परियोजना भी बहुमूल्य है । यह परियोजना होशंगाबाद में चल रही है जिसमें टाटा मूल अनुसंधान संस्थान और दिल्ली विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक तथा अन्य शिक्षाविद और व्यक्ति अपने ज्ञान का लाभ पर्यावरण के विकास में प्रयुक्त कर रहे हैं ताकि स्थानीय पर्यावरण में परिवर्तन हो सके । यह ऐसा अवसर नहीं है जब मुझे विभिन्न परियोजनाओं की पूरी सूची देना चाहिये परन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में परियोजनायें चालू की गई हैं और कुछ परिणाम वास्तव में आशावर्धक रहे हैं ।

श्री पी० एम० मेहता : समूचे देश में बेरोजगारी और विद्यार्थियों में अशांति व्याप्त है । दोनों का कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ।

प्रो० मधु दण्डवते : शिक्षकों में अशांति का भी यही कारण है ।

श्री पी० एम० मेहता : जैसा कि प्रो० दण्डवते ने कहा है, शिक्षकों में अशांति भी इसी कारण से है । एक लम्बे समय से शिक्षा मंत्रियों और सरकारी पक्ष से शिक्षा में सुधारों के बा में सुनते आ रहे हैं । बोर्ड की सिफारिशें भी कोई नई नहीं हैं । यह उस सिद्धांत और शिक्षा प्रणाली की पुनरावृत्ति है जिसके बारे में विभिन्न निकायों ने समय-समय पर सिफारिशें की हैं । प्रश्न यह है कि सरकार इसे कैसे लागू करेगी ? क्या सरकार के पास किसी निश्चित अवधि में लागू करने के लिये या कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ? योजना के प्रारूप में बताया गया है कि 1972 के मूल्य स्तर पर 1726 करोड़ रुपए का व्यय किया जायेगा । बोर्ड का विचार था कि यदि इतना धन लगा भी दिया जाये तो अध्यापकों और विद्यार्थियों के बारे में होने वाली उपलब्धि आशा से बहुत कम होगी । इसको ध्यान में रखकर सरकार इस मामले में क्या विशिष्ट उपाय करने जा रही है ? मेरा यही प्रश्न है ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य के साथ असहमति व्यक्त करता हूँ कि बेरोजगारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का परिणाम है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : आज देश की शिक्षाप्रणाली पूर्ण अन्धेरे में हैं ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : ऊंचा बोलने से तर्क मजबूत नहीं होता । ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि आर्थिक विकास के किसी प्रमुख क्षेत्र में इस कारण कार्य नहीं हो सका । इस प्रकार की कमियों के कोई इक्का दुक्का मामले हो सकते हैं परन्तु आम तौर पर ऐसी कोई शिकायत नहीं है ।

श्री पी० एम० मेहता : इस बारे में आपको क्या कहना है कि विद्यार्थियों में अशांति इसी शिक्षा प्रणाली का परिणाम है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक व्यापक विषय है; इसका उत्तर एक मिनट में नहीं दिया जा सकता ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : प्रश्न नियतन के बारे में था । प्रारूप-योजना में नियतन 1726 करोड़ रुपए था । परन्तु बोर्ड के ध्यान में यह बात भी आयी है कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान कठिन स्थिति को देखते हुए यह राशि भी उपलब्ध हो सकना संभव नहीं होगा अतः बोर्ड ने सिफारिश की कि कुछ कार्यक्रम चाहे महत्वपूर्ण हैं, परन्तु उन्हें अन्य कार्यक्रमोंके बराबर की उच्च प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए । सीमित संसाधनों को ध्यान में रख कर ही बोर्ड प्राथमिकताओं में परिवर्त के लिये कतिपय सिफारिशें की हैं ।

जहां तक तीसरी बात है, मेरा ऐसा सुझाव नहीं है कि देश को एक पूर्ण रूपेण नया कार्यक्रम चालू करना चाहिये। शिक्षा आयोग (1964-66) ने इस कार्यक्रम की सिफारिश की है और सरकार का यह प्रयास है कि शिक्षा के विकास के लिये इस कार्यक्रम की मोटी-मोटी बातोंको अब लागू कर दिया जाए न कि हम हर बार बिलकुल नये कार्यक्रम के बारे में सोचते रहें।

डा० हेन्री आस्टिन : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्रालय ने बार-बार की जाने वाली इस आलोचना का जवाब देने के लिये कोई आवश्यक उपाय किये हैं कि माध्यमिक और कालेज जैसे विभिन्न स्तरों पर शिक्षा संस्थाओं ने देश में हो रहे विकास कार्यों पर कोई कारगर प्रभाव नहीं डाला है। उदाहरणार्थ मैं हाल ही में कोचीन विश्वविद्यालय के सिनेट की बैठक में भाग लेकर आ रहा हूं। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुभूति से कोचीन विश्वविद्यालय में स्थिति के एक पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं। कोचिन विश्वविद्यालय केन्द्रीय प्राधिकारियों को अभ्यावेदन करता रहा है कि उन्होंने रबड़ प्रौद्योगिकी—जो वर्तमान रुचि का विषय है—को प्रारम्भ करने के बारे में क्या-क्या प्रयास किए हैं। तेल की सम्भावनाओं का पता लगाना भी उस क्षेत्र में वर्तमान रुचि का विषय है और हमें उस दिशा में प्रयास करने चाहिये। हमें जहाज निर्माण वास्तुकला में विकास के लिए भी प्रयास करने चाहिये। ये शिक्षा-विकास के पहलू हैं जिनका देश के विकास में महत्व है। अत: जब तक हम शिक्षा प्रणाली को देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालने की दिशा में विकसित करने का प्रयास नहीं करते, तब तक देश का समेकित विकास करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डा० हेन्री आस्टिन : मेरा प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा मन्त्रालय के पास विकास कार्यों के साथ शिक्षा सबंध जोडने के लिए कोई योजना है ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली विकास प्रयास का एक अंग बन जाए।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहाँ तक सामान्य समस्याओं का प्रश्न है, मैं यही कहूँगा कि संसाधनों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर हम राज्य सरकारों को इस बात के लिये सहमत कराने के सभी प्रयास कर रहे हैं कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर शिक्षा का उस उत्पादन से संबंध जोड़ा जाए, जोकि देश में हो रहा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में जो दूसरा विशिष्ट प्रश्न है जिसका कि आदरणीय सदस्य ने नौसैनिक वास्तुकला का उल्लेख किया है। पहले ही दो संस्थाओं में इसकी व्यवस्था की गई है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा को देश में रोजगार क्षमता को ध्यान में रखकर इसका परिपालन करना होगा और इसी प्रकार पैट्रोलियम की संभावनाओं का पता लगाने के बारे में भी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। उदाहरणार्थ, इण्डिया स्कूल आफ माइन्स एक पाठ्यक्रम चला रहा है और पैट्रोलियम इंजीनियरिंग के थोड़े से स्नातकों को भी पर्याप्त रोजगार नहीं मिल सका है। अत: किसी भी विश्वविद्यालय के अनुरोध को स्वीकार करने से पूर्व इन सब बातों पर विचार करना होता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, जबकि मंत्री महोदय ने पहले ही विस्तृत वक्तव्य दे दिया है और पूरक उत्तरों में उन्होंने आगे कहा है कि शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं :

(क) जहां तक अध्यापकों के लिये बेहतर सामान की बात है; अधिक अर्थपूर्ण और संगत पाठ्यक्रम और पुस्तकालयों और प्रयोग शालाओं के लिये सामान तथा शिक्षा कार्यों के लिये अन्य सामग्री के लिए देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के लिये उनके मंत्रालय ने कितने धन की व्यवस्था की है? (ख) इसी वक्तव्य के पृष्ठ 4 के अन्तिम पैरा में मंत्री महोदय ने बताया है कि बोर्ड सन्तोष के साथ 10×2×3 के समान ढाँचे के बारे में की गई प्रगति को नोट किया है और

राज्यों को ऐसा करने के लिये कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात में भी ऐसा हो रहा है, यदि हां, तो क्या ऐसा उचित तयारी के बाद हो रहा है क्योंकि इसके बग़ैर तो अपने आप को अन्धेरे में धकेलने के बराबर होगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहाँ तक धन की उपलब्धता का सवाल है, मैंने विभिन्न अवसरों पर सदन से निवेदन किया है कि वर्तमान कठिन स्थितियों में जो धन उपलब्ध हो रहा है, वह विभिन्न संस्थाओं को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। तथापि सीमित धन के साथ हम इसका अधिकतम उपयोग करने के प्रयास कर रहे है।

श्री पी० जी० मावलंकर : आप धन में कैसे वृद्धि कर रहे हैं ? क्या आपने अपने सहयोगियों और प्रधान मंत्री को सहमत कराया है ? यदि आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो शिक्षा के लिये और धन अवश्य चाहिये। आप हमेशा धनाभाव का तर्क देते रहते हैं। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

डा० हेनरी आस्टिन : इस मंत्रालय की केवल परामर्शदात्री भूमिका है और कोई शक्तियां नहीं है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : गुजरात से सम्बन्धित विशिष्ट प्रश्न के बारे में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या वह यह जानकारी बाद में देंगे ? इस समय गुजरात में विधान सभा कार्य नहीं कर रही है। अतः हमें यहाँ प्रश्न करने पड़ते हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : यदि माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं निश्चय ही उसका उत्तर दूंगा। या यदि वह मुझे लिखकर देंगे तो मैं उन्हें जानकारी दूंगा। इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को नोट करते हुए कि मंत्री महोदय ने इस पहलू पर बल दिया है कि शिक्षा परिषद् जो चाहती है वही पढ़ाया जाना है और अभी भी राज्य सरकारें शिक्षा के लिये उत्तरदायी हैं तो क्या संविधान के अन्तर्गत सामान्य शिक्षा नीति के मार्ग-दर्शन का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का नहीं है ? इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूँ कि गत लोक-सभा में विरोधी पक्षों के सदस्यों और सरकार तथा राज्य शिक्षा मंत्री समिति एवं देश के 50 कालेजों के प्रिंसीपलों के बीच विचार विमर्श के आधार पर तैयार किये गये कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित सभा पटल पर रखे गये श्वेत-पत्र को क्रियान्वित किया जायेगा ? उसमें बताये गये सुझावों का क्या हुआ ? क्या राज्य सरकारों ने सभी सिफारिशों को रद्द कर दिया है ? केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का क्या हुआ ? क्या वह अभी भी उनके लिए उत्तरदायी है या उसने उनके उत्तरदायित्व से स्वयं को पूर्णतया मुक्त कर लिया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : माननीय सदस्य ने जिस शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प का उल्लेख किया है उसे क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी-लिये मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम यह उचित नहीं समझते हैं कि हर बार नये मार्गदर्शी सिद्धांत दिये जायें। जिन मार्गदर्शी सिद्धांतों पर इस सभा की आम अनुमति दी जा चुकी है वे पहले से ही हैं और हम उन्हें क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकांश सुझाव वही हैं जो शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति संकल्प में सम्मिलित किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

खेती-कार्य में अणुशक्ति के प्रयोग सम्बन्धी अनुसंधान

***265. श्री पी० वेंकटासुब्बया :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने खेती-कार्य में अणुशक्ति के प्रयोग के संबंध में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) खेती-कार्य में इसके कब तक प्रयोग किए जाने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में कृषि और पशु विज्ञान में तथा कृषि और पशुपालन से संबंधित मूल विज्ञान में भी अणु शक्ति के प्रयोग संबंधी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है । कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों के अध्ययन में प्रगति हो रही है, जिनमें विकिरण और रेडियो समस्थानिक के प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन सम्मिलित हैं ।

(1) खनिज पदार्थों की कमी, विशषकर फसलों में जस्ता जैसे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की कमी के कारणों का अध्ययन करना और उनकी कमी को पूरा करने के उपाय खोजना ।

(2) फसलों के पौधों, विशेषकर बारानी क्षेत्रों में उगायी जाने वाली फसलों के पौधों की जड़-वितरण के पैटर्न का अध्ययन करना ।

(3) अधिक प्रकाश-संश्लेषण वाली किस्मों को पृथक करने के लिये दलहनी फसलों की किस्मों की जांच करना ।

(4) 'फसलों पर तृण नाशकों के प्रभाव का अध्ययन;

(5) गो-पशुओ में दूध और मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिये थायराक्सिन के स्त्राव की दर का अध्ययन; और

(6) खाद्य पदार्थ और दूध के खराब होने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और उसे रोकने के लिये डिपीकोलिनिकल आम्ल जीव-संश्लेषण का अध्ययन ।

(ग) (1) फसलो में जस्ते की कमी के कारणों की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है । और डायमोथाईल सल्फोक्साईड (डी०एम०एस०ओ०) जैसे रसायनों के प्रयोग द्वारा इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, इसका पता लगाने के लिये और आगे गहन अध्ययन किया जा रहा है ।

(2) इससे संबंधित अन्य पहलुओं के अध्ययन में प्रगति जारी है और इन अध्ययनों के परिणामों को तभी अमल में लाया जायेगा, जब इनके व्यावहारिक गुणों का पता चल जाएगा ।

सुवर्णरेखा नदी पर बांध

*266. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्णरेखा नदी पर बांध बनाने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार सरकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य अन्तर्राज्यीय नदी सुवर्णरेखा के जल का विकास करना चाहते हैं, जिसमें बाढ़ नियंत्रण भी शामिल है । पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् द्वारा गठित समिति ने 1964 में, कोकापारा पर सुवर्णरेखा में उपलब्ध जल के विभाजन को सिफारिश की थी, जिसका मूल्यांकन 4.5 मिलियन एकड़ फुट किया गया था । बिहार को 3.2 मिलियन एकड़ फुट, उड़ीसा को 1.2 मिलियन एकड़ फुट तथा पश्चिम बंगाल को 0.1 मिलियन एकड़ फुट जल मिलना था । फरवरी, 1973 में बिहार सरकार ने एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी जिसमें बिहार में सिंचाई तथा औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिये जल सप्लाई करने और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण लाभों के लिये दो बांधों और दो बराजों का निर्माण परिकल्पित था । पश्चिम बंगाल सरकार ने सुवर्णरेखा के जल में अपने भाग को बढ़ाने की मांग की तथा तदनुसार बिहार दवारा प्रस्तावित बांधों में 0.5 मिलियन एकड़ फुट अतिरिक्त संचय की व्यवस्था करने के लिये कहा । बिहार सरकार विभिन्न कारणों से इस अनुरोध से सहमत होने में असमर्थ है ।

इस बीच जल विकास से सम्बद्ध, तब तक हल न किए गए मामलों, जिनमें सुवर्णरेखा नदी का विकास भी शामिल था, पर अपनी सिफारिशें देने के लिये बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों दवारा 1972 में गठित बिहार, पश्चिम बंगाल नदी अध्ययन दल, जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारी सम्मिलित किए गए थे, ने मतभेदों का अध्ययन किया तथा मुख्य मंत्रियों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी परन्तु वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके थे । इस मामले पर दोनों मुख्य मंत्रियों दवारा अंतिम पुनरीक्षण किया जाना था जो इस उद्देश्य से अभी तक कोई बैठक नहीं कर सके हैं ।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनायें

*267. **श्री डो० के० पण्डा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तीसरी योजना और चौथी योजना में कितनी सिंचाई परियोजनायें पूरी नहीं की जा सकी; और

(ख) उपर्युक्त सिंचाई परियोजनाओं के कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) तीसरी योजना के आरंभ होने से पूर्व अथवा तीसरी योजना की अवधि के दौरान प्रारंभ की गई निम्नलिखित बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तीसरी योजना अवधि के अंत तक पूरी नहीं हुई थीं।

परियोजना का नाम	स्वीकृति की तिथि	अंतिम अनुमानित लागत	तीसरी योजना के अन्त तक खर्च की गई राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
		(करोड़ रुपयों में)		
बृहत परियोजनाएं				
1 महानदी डेल्टा .	प्रथम योजना	68.38	20.21	पांचवीं योजना में नहर प्रणाली पर कार्य जारी है।
2 सालन्दी .	1959	16.00	6.50	यह परियोजना चतुर्थ योजना के दौरान काफी हद तक पूरी हो गई थी।
मध्यम परियोजनाएं				
1 सालकी .	1957	1.83	1.04	--वही--
2 धनई .	1959	1.66	1.13	स्कीम चतुर्थ योजना के दौरान पूर्ण हो गई है।
3 दारज़ंग .	1960	4.80	2.09	यह परियोजना 1975-76 तक पूरी हो जायेगी।
4 घोडाहाडो	1960	3.66	0.54	--वही--
5 सालिया	1960	3.90	1.46	यह परियोजना चतुर्थ योजना के दौरान काफी हद तक पूर्ण हो गई थी।
6 बुधाबुधिनी .	1961	1.58	1.01	--वही--
7 बहुदा चरण-एक .	1962	2.06	0.49	5 बीयरों में से 4 पर कार्य चतुर्थ योजना में पूरा हो गया था।
8 हीराधरबत्ती .	1963	0.41	0.30	परियोजना चतुर्थ योजना के दौरान काफी हद तक पूर्ण हो गयी थी।
9 पित्तमहल	1965	3.00	0.01	इस परियोजना का 1975-76 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

चतुर्थ योजना के आरम्भ से पूर्व अथवा चतुर्थ योजना के दौरान प्रारंभ की गई निम्नलिखित बृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चतुर्थ योजना अवधि के अन्तर्गत पूरी नहीं हुई थी । इन परियोजनाओं में प्रत्येक की प्रगति भी उसके सामने बताई गई है :--

परियोजना	अंतिम अनुमानित लागत	मार्च, 1974 तक खर्च की की गई राशि	प्रगति
1	2	3	4
	(करोड रुपयों में)		
बृहत् परियोजनाएं			
1. महानदी डेल्टा .	68.38	41.50	मुण्डलाई में वीयर पर कार्य पूरा हो गया है । वितरण प्रणाली पर कार्य प्रगति पर है । 6.83 लाख हैक्टेयर की कुल शक्यता के प्रति चतुर्थ योजना के अन्त तक 4.72 लाख हैक्टेयर की शक्यता निर्मित को जा चुकी है ।
2. सालन्दी . .	16.00	14.21	नहर प्रणाली पर कार्य पूरा हो गया है । फाटकों को लगाने का कार्य प्रगति पर है ।
3. आनन्दपुर बराज	21.94	8.37	कार्य हाथ में लेने से पूर्व राज्य सरकार को बराज के स्थल के संबंध में अंतिम निर्णय लेना है ।
मध्यम परियोजनाएं			
1. दारजंग	4.80	4.07	परियोजना निर्माण को प्रौढ़ावस्था में है और 1975-76 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है ।
2. बहुदा चरण-एक .	2.06	1.19	5 बीयरो में से 4 पर कार्य पूरा हो गया है ।
3. पित्तमहल .	3.00	1.21	परियोजना निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है और 1975-76 के दौरान पूर्ण होने की संभावना है
4. उत्तई .	1.78	0.83	--वही--

2—41 LSS/74

1	2	3	4
5. बघुआ .	1.23	0.31	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 0.35 लाख रुपए के संभव व्यय के साथ यह परियोजना निर्माण की प्रौढावस्था में हैं और 1975-76 में इसके काफी हद तक पूर्ण होने की संभावना है ।
6. धहुका .	1.36	0.05	शीर्ष कार्यों का 75% कार्य पूरा हो गया है और नहर प्रणाली पर कार्य को शीघ्र ही आरंभ करने की संभावना है ।
7. औंग . . .	4.64	0.22	बराज का 50% कार्य पूरा हो गया है और शीर्ष पहुंचों में मुख्य नहर पर कार्य पूर्ण हो गया है ।
8. सुन्दर . . .	2.93	0.22	परियोजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है और मृदा बांध पर कार्य आरंभ कर दिया गया है ।
9. सहपाला . .	2.02	0.16	परियोजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है और मृदा बांध पर कार्य आरंभ कर दिया गया है ।
10. कालो . .	2.95	0.37	शीर्ष के प्रथम 16 किलोमीटर में मुख्य नहर में और मृद बांध पर कार्य आरंभ कर दिया है ।
11. दादरा घाटी . .	2.50	0.05	यह परियोजना निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में है ।
12. खेडकई . .	4.46	0.34	बांध पर मिट्टी कार्य का लगभग 30% और 110 किलोमीटर तक नहर प्रणाली पर सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

उपर्युक्त परियोजना में से योजना से आयोग द्वारा औंग,सुन्दर, सइपाला, कालो और दादराघाटी परियोजनाएं 1972-73 के दौरान और खेडकाई 1973-74 के दौरान स्वीकृत की गई थी ।

त्रिपुरा का 'हुडको 'को प्रस्ताव

*268. **श्री शंकर नारायण सिंह देव : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार ने 'हुडको' को कोई प्रस्ताव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्न की वसूली के प्रति विक्रेताओं और उत्पादकों का रूख

*269. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज व्यापारियों के अनाज की वसूली में सहायता करने के अपने वचन का पालन नहीं किया है और सरकार को नीचा दिखाया है; और

(ख) क्या सरकारी एजेन्सियों और अनाज व्यापारियों तथा बड़े उत्पादकों के बीच सांठगांठ थीं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1974–75 रबी मौसम के लिए गेहूं की अधिप्राप्ति तथा मूल्य निर्धारण नीति में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पांच अधिशेष राज्यों के मंडियों/क्रय केन्द्रों पर सहकारी समितियों समेत सभी खाद्यान्न व्यापारियों की दैनिक खरीदारीं पर 50 प्रतिशत लेवी लागू होगीं। यह सच है कि अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी एसोसिएशन द्वारा दिये गए संकल्पों के परिणामस्वरुप व्यापारियों से लेवी के रूप में माल की प्राप्ति होने के बारे में कुछ आशाएं पैदा हो गयी थीं जोकि फलीभूत नहीं हुई हैं।

सरकारी एजेंसियों और खाद्यान्न–व्यापारियों के बीच किसी प्रकार की सांठ–गांठ का प्रश्न नहीं उठता लेकिन खाद्यान्न व्यापारियों और बड़े उत्पादकों के बीच ऐसी सांठ–गांठ हो सकती है।

हायर सेकैण्डरी (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा की नई योजना

*270. **श्री मोहम्मद शरीफ :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी विद्यार्थी को हायर सेकैंडरी परीक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, यदि हां तो इस निणय की मुख्य बातें क्या है ;

(ख) इसके परिणामस्वरुप विश्वविद्यालय प्रवेश पद्धति में क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा की ऐसी योजना को स्वीकृति दे दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) "परीक्षा–सुधार–कार्रवाई योजना" के संबंध में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए एक कार्यकारी दल की रिपोर्ट में की गई सिफ़ारिशों के अनसरण में, जिससे शिक्षा

मंत्रालय सामान्यरुप से सहमत है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की एक नई प्रणाली तैयार की है। इस प्रणाली के मुख्य पहलु निम्नलिखित ह :—

(i) माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम शिक्षा का परिणाम पांच-सूत्री पैमाने के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए ग्रेड़ों के अनुसार निम्न प्रकार तैयार किया जाएगा :—

ग्रेड 1	उत्कृष्ट
ग्रेड 2	बहुत अच्छा
ग्रेड 3	अच्छा
ग्रेड 4	साधारण
ग्रेड 5	घटिया

ये ग्रेड आमतौर पर क्रमशः निम्नलिखित अंक प्रतिशतता के अनुरुप होंगे :—

75 % तथा उससे अधिक

60 % तथा उससे अधिक परन्तु 75 % से कम

45 % तथा उससे अधिक परन्तु 60 % से कम

33 % तथा उससे अधिक परन्तु 45 % से कम

33 % से कम।

(ii) प्रमाणीकरण के लिए कोई समग्र ग्रेड प्रदान नहीं किया जाएगा। प्रमाणपत्रों में छात्रों की प्रत्येक विषय में उपलब्धि को ग्रेडों के रूप में अंकित किया जाएगा। अतः अनुत्तीर्ण-उत्तीर्ण की पद्धति को समाप्त कर दिया जाएगा।

(iii) यदि कोई छात्र माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम परीक्षा के किसी विषय (विषयों) में अपने ग्रेड में सुधार करना चाहे तो उसे अगली परीक्षा में उस विषय में फिर से बैठने की अनुमति दी जाएगी।

(iv) यदि कोई होनहार छात्र, सामान्यतः परीक्षा में बैठने के एक वर्ष पूर्व बोर्ड की परीक्षा में बैठने को इच्छुक हो तो उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी जाएगी बशर्ते कि संबधित संस्था का प्रमुख यह प्रमाणित करे कि परीक्षा के पूर्ववर्ती शैक्षिणिक सत्र के दौरान छात्र की प्रगति उत्कृष्ट रही थी।

नई परीक्षा पद्धति 1977 से शुरु करने का प्रस्ताव है, जबकि माध्यमिक स्कूल परीक्षा, दसवीं कक्षा के अन्त में, शिक्षा की परिशोधित पद्धति के अन्तर्गत आयोजित की जाएगी। शिक्षा की नई पद्धति के अन्तर्गत 12 वीं कक्षा के अन्त में परीक्षा, जिसके आधार पर विश्वविद्यालयों में दाखिला किया जाएगा, 1979 में होगी, इसी दौरान बोर्ड शिक्षा की नई प्रणाली के निहितार्थी की उसकी समकक्षता तथा दाखिले की नितियों की दृष्टि से जांच कर रहा है। यह मामला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संगठन तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ उठाया जा रहा है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के वितरण से होने वाली हानी

***274. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा रेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली में दूध के वितरण से भारी हानि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकलापों के विषय में वर्ष 1973–74 के खाते को अंतिम रुप दिया जा रहा है। परन्तु पिछले वर्ष अर्थात् 1972–73 में योजना ने 83.89 लाख रुपये की हानि उठाई थी। वर्ष 1959 में योजना के प्रारम्भ होने के समय से वर्ष 1972–73 तक योजना ने कुल 483.97 लाख रुपये की हानि उठाई है।

इस हानि का मुख्य कारण संबंधित वर्ष के दौरान दूध, मशीनरी, स्टोर आदि के क्रय-मूल्यों मजदूरी आदि में काफी वृद्धि होना तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध और दुग्ध उत्पादों के विक्रम मूल्य में तदनुरुपी वृद्धि नहीं होना है। इस संबंध में कुछ उपचार संबंधी उपायों पर विचार किया जा रहा है।

Residences occupied by Chief Ministers in Delhi Allotted to them as M. Ps.

***276. Shri Hukum Chand Kachwai :**
Shri Iswhar Chaudhry :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the names of Chief Ministers who were Members of Parliament before assuming Chief Ministership and who still occupy the residences allotted to them as M. Ps. in Delhi;

(b) the item-wise expenditure incurred on each of them since their appoiniment as Chief Minister;

(c) whether any one of them has expressed a desire to surrender the residence in the near future and if so, their names ; and

(d) the amount of money realised from each of them so far on account of rent and other dues for the residences in Delhi and the portion thereof received from their respective State Governments ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) No, Sir.

(d) Rent Bill for the accommodation placed at the disposal of the State Governments are being sent to them regularly. The amount is to be paid by the respective State Government. The West Bengal Government has not made any payment so far. The dues outstanding against that Govt. are Rs. 108069.33 Paise. The Government of Madhya Pradesh has so far paid a sum of Rs. 32,213.50 Paise and a sum of Rs. 39,336.45 Paise is still due. The Government of Orissa has paid Rs. 4,665.25 Paise, which is the full amount due from it upto 31st October, 1974.

STATEMENT

Statement showing the names of Chief Ministers residing in houses placed at the disposal of the State Governments and expenditure incurred on maintenance of the houses.

None of the Chief Ministers is having a Government owned residential house in Delhi allotted to them in their capacity as Central Minister/M. Ps. However, the houses occupied by Shri S. S. Ray, Chief Minister, West Bengal and Shri P. C. Sethi, Chief Minister of Madhya Pradesh, were placed at the disposal of the Government of West Bengal and the Govt. of Madhya Pradesh and they are in use of the respective Chief Ministers. No. 13, Willingdon Crescent has similarly been placed at the disposal of the Orissa Govt. and is in the use of the Chief Minister of Orissa. The State Governments concerned are required to pay rent for

these houses and the C. P. W. D. is undertaking normal maintenance work for these houses. Item-wise expenditure incurred on these houses for maintenance during the years 1971-72 1972-73 and 1973-74 is as under :—

Bungalow No.	Period	Expenditure on Maintenance			Total
		Civil	Elect.	Horti.	
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
7, Safdarjung Road .	2/72 to 3/73	3,110	98	760	3,968
	1972-73	1,653	629	6,475	8,757
	1973-74	1,646	662	8,060	10,368
2, Circular Road . .	20-3-72 to 31-3-72			125	125
	1972-73	1,622	460	4,900	6,982
	1973-74	1,337	520	6,750	8,607
13, Willingdon Crescent .	4-1-73 to 31-3-73	410	10.50	1,200	1,620
	4/73 to 3/74	1,340		4,950	6,290

Selection Grade to Teachers in NDMC Schools

***277. Shri M. C. Daga :**
Shri Mahadeepak Singh Shakya :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Education Department of New Delhi Municipal Committee has given selection grade to middle pass teachers irrespective of their length of service and in violation of rules; and

(b) whether the New Delhi Municipal Committee propose to give selection grade to such Headmasters also as had been confirmed before this announcement was made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to the information supplied by NDMC, Middle J. V. Assistant Teachers have been given selection grade on the basis of length of service.

(b) The matter is under examination.

वर्ष 1974-75 में गुजरात की उर्वरक की मांग

***278. श्री डी० पी० जवेजा :**
श्री वेकारिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य ने वर्ष 1974–75 के लिये कितनी मात्रा में उर्वरक की मांग की;

(ख) इस मांग के आधार पर कितनी मात्रा में उर्वरक सप्लाई करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1974–75 (फरवरी 1974 से जनवरी, 1975 तक) के लिये कुल 3.6 लाख मीटरी टन उर्वरक (पोषक तत्वों) की मांग की थी। परन्तु राज्य सरकार के साथ विचार–विमर्श करने के पश्चात् तथा राज्य के कृषि उत्पादन कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की उर्वरक की मांग 2.62 लाख मीटरी टन निर्धारित करके उसे अंतिम रूप दे दिया गया था।

(ख) वर्ष के प्रथम 9 महीनों (फरवरी 74 से अक्तूबर, 74 तक) के दौरान राज्य को 1.36 लाख मीटरी टन उर्वरक (पोषक तत्व) सप्लाई किया गया है। राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि राज्य में अत्यन्त सूखे की स्थिति के कारण वह उर्वरकों की अलाट हुई इतनी अधिक मात्रा को उठाने में असमर्थ है। अतः इस उर्वरक को अन्य राज्यों में भेजने के लिये व्यवस्था की गई है। आशा है कि वर्ष 1974–75 के शेष महीनों के दौरान राज्य द्वारा उठाई जाने वाली उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा लगभग 12,000 मीटरी टन होगी।

पंतनगर विश्वविद्यालय में तैयार की गई सोयाबीन की नई किस्म

***279. श्री सी० के० जाफर शरीफ :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **कृषि और सिंचाई** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंतनगर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई सोयाबीन की एक नई किस्म हाल में खेती किये जाने के लिये उपलब्ध की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) गोविन्द वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के अन्तर्गत सोयाबीन में सुधार के लिये सोयाबीन की एक नयी किस्म यू० पी० एस० एस० 38 विकसित की है। इस किस्म को उत्तरी मैदानी क्षेत्र के लिए सिफारिश की गयी है जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, और पश्चिमी बंगाल सम्मिलित हैं। यह किस्म खेत में खड़ी होने की स्थितियों में रतुआ, जीवाणविक और माइक्रोफोमिना रोग–रोधी है। पहले रिलीज की गयी किस्मों की तुलना में इसमें अंकुरण–क्षमता भी अधिक है। यह भी रिपोर्ट मिली है कि यह किस्म के दाने झड़ते नहीं है और अगेती तथा पिछेती बुआई के लिए उपयुक्त होती है।

उपयुक्त गुणों को दृष्टि में रखते हुए, विश्वविद्यालय से यह रिपोर्ट मिली है कि यह किस्म ब्रेग नामक किस्म और उत्तरी मैदान क्षेत्र के लिए रिलीज की गयी अन्य किस्मों से श्रेष्ट है, जहां चित्ति, रतुआ और माइक्रोफोमिना बीमारियों और कम अंकुरण की व्यापक समस्यायें हैं।

मध्य प्रदेश में मूंगफली की खेती के बारे में योजना

***280. श्री फूलचन्द वर्मा :**

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में मूंगफली की खेती के बृहद् विकास के लिये योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ ; और

(ग) योजना के कब तक मंजूर होने की संभावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1974–75 के दौरान राज्य में तिलहन के सघन विकास के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना में राज्य के कुछ जिलों में मूंगफली की खेती के सघन विकास का कार्यक्रम भी शामिल किया गया था।

(ख) जून, 1974 में।

(ग) यह पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

शिक्षा संस्थानों में नए छात्रों को परेशान करना

*281. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरींग, चिकित्सा तथा अन्य शिक्षा संस्थानों में नए छात्रों को परेशान किया जाना बन्द करने के संबंध में कोई नीति अपनाई है ;

(ख) क्या इस वर्ष भारतीय समाचारपत्रों ने विभिन्न शिक्षा संस्थानों में नए प्रवेश पाने वाले छात्रों को परेशान किए जाने की समस्या का खूब प्रचार किया है ; और

(ग) भविष्य में नए दाखिल हुए छात्रों को परेशान किया जाना रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीति की रुपरेखा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) कालेजों विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानो में दाखिले के समय शिक्षा संस्थानों में छात्रों को परेशान करने की खबरें प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रों में छपती हैं। प्रत्येक संस्था के प्राधिकारी रेंगिग को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं जिन्हें वे उचित समझे ताकि अशिष्टता अथवा शारीरिक चोट न पहुंचे। केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने शिक्षा संस्थाओं के प्राधिकारियों को जब भी समय समय पर उन्होंने मांग की है, सदैव अपना समर्थन दिया है।

River Water Disputes

*282. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri P. Gangadeb :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the dates on which each of the river water disputes cropped up, the reasons why each of them has not been decided and the total estimated loss suffered so far under the heads irrigation and power in each case separately ;

(b) whether it is proposed to resolve each of the disputes within a specific period through the process of arbitration ; and

(c) if so, the features there of and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) to (c) The information on the main water disputes is given below :—

	Date on which it arose
(i) Krishna & Godavari Disputes .	Early sixties
(ii) Narmada Dispute . .	1963
(iii) Cauvery	1970

Since no settlement was reached even after a series of discussions and negotiations held by the Central Government the Krishna Godavari and Narmada Disputes were referred for adjudication by Tribunal in 1969. Discussions and negotiations on the Cauveri are in progress.

While the development of irrigation and power potential suffered in some of the river basins where there are disputes, the funds available for irrigation and power development during the various Plans were fully utilised developing the potential under undisputed projects.

There have been differences in regard to some other rivers and also with regard to few individual projects. These are being discussed with a view to reaching settlement.

In view of the complexities involved in determining quantum of water available in the river systems and their equitable distribution, it is not practicable to prescribe any specific period for the work of adjudication by Tribunals which are set up under the provisions of the Inter-State Water Disputes Act, and which lay down their own procedures.

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी

***283. श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्यों ने दिल्ली में प्लाटों/मकानों के स्वामित्व के बारे में जो शपथ-पत्र असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये हैं, उनमें कितने मामलों में झूठी घोषणा किये जाने का पता चला है; और

(ख) इन मामलो में क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सहकारी समितियां दिल्ली के सहायक पंजीयक ने शपथ-पत्र इस दृष्टि से मांगे थे ताकि समिति की सहायता का दावा करने वाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई जा सके। इन शपथ-पत्रों की मांगों का आशय यह प्रगट करना नहीं था कि इन सदस्यों के दिल्ली में अपने अन्य कोई भू-खन्ड मकान हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Damages caused by Soil Erosion in States

***284. Shri R. V. Bade :**

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) State-wise damages caused by soil erosion during the last three years ; and

(b) the amount of assistance given to each of the States by Central Government under this item ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Information on statewise damage caused by Soil erosion during last three years is not available. It is, however, roughly estimated that an area of about 175 million hectares suffers from critical and serious erosion. More accurate figures will be available when soil survey and mapping would be completed for the whole country.

(b) During the last 3 years (1971-72 to 1973-74) a total amount of Rs. 1,403.07 lakh has been granted as Central assistance for Soil Conservation to different States. Statewise details of the amount of assistance are shown in the statement which is being placed on the Table of the House.

STATEMENT

Statement showing amount of Central Assistance to States for Soil Conservation During 1971-72 to 1973-74.

Name of State	Amount of Central assistance (Rs. in lakhs)
1. Andhra Pradesh	40.73
2. Bihar	39.00
3. Gujarat	61.01
4. Himachal Pradesh	159.00
5. Jammu & Kashmir	13.00
6. Kerala	18.32
7. Madhya Pradesh	272.67
8. Orissa	80.62
9. Rajasthan	153.00
10. Karnataka	119.05
11. Tamil Nadu	49.72
12. Maharashtra	41.84
13. Uttar Pradesh	138.30
14. West Bengal	51.10
15. Punjab	5.71
16. Damodar Valley Corpn.	160.00
GRAND TOTAL	1,403.07

मैक्सिको और भारत के बीच मत्स्य नौकाओं के निर्माण के बारे में समझौता

2603. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजाइनों और विस्तृत शाप को सप्लाई करके मत्स्य नौकाओं के निर्माण के बारे में मैक्सिको और भारत में कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) भारत में ट्रालर बनाने हेतु थोक विक्रय, डिजाइन तथा शाप ड्राइंग से लाभ उठाने के लिए सरकार ने ट्रालरों के आयात संबंधी कार्यों का समन्वय किया था। तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं पर सावधानी से विचार करने के बाद शिपयार्डों का चुनाव किया गया था।

मैसर्स एस्टीलरोज इमेसा, मैक्सिको इन शिपयार्डों में से एक थे जिन्हें भारतीय पार्टियों को माडल कान्ट्रैक्ट के आधार पर 23 मीटर साइज के 20 ट्रालरों की सप्लाई करने के लिये चुना गया था। यह शिपयार्ड सरकार को डिजाइन, प्रतिमान शाप ड्राइंग, पूछताछ प्रारम्भ करने संबंधी कापी आर्डर, ट्रायल डाटा शीट आदि के संबंध में प्रतिकृति योग्य वस्तुओं का एक पूरा सेट तथा ऐसे मदों के संबंध में जो ट्रालरों के डिजाइनो तथा शाप फ्लोर नक्शों के अंतर्गत नहीं आते, निर्माण टिप्पणियों मुफ्त सप्लाई करेगा। सरकार को ट्रालरों के निर्माण संबंधी सामान को इस्तेमाल करने के पूरा अधिकार होगा। यह शिपयार्ड उन भारतीय शिपयार्डों को, जो ट्रालरों के निर्माण के लिए मार्गदर्शन तथा जानकारी प्रदान करने के लिए चुने गए हैं, भारतीय शिपयार्डों के खर्च पर अपने एक या उससे अधिक विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने के लिए भी सहमत हो गया है। यह शिपयार्ड अपने शिपयार्ड में ड्राइंग तैयार करने और ट्रालरों के निर्माण में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी सहमत हो गया है। यह साथ ही इस बात के लिए भी सहमत हो गया है कि वह भारतीय समुद्र में उतारे जाने वाले प्रथम ट्रालर से मछली पकड़ने के काम का अपने खर्च पर प्रदर्शन करेगा। सरकार प्रायः आयात संबंधी कार्यक्रम को समन्वित करके सहायता देगी और ट्रालरों की सप्लाई के लिए ठेकों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी। ट्रालर सप्लाई करने के लिए पार्टियों द्वारा 4–9–1974 को दो करारों पर हस्ताक्षर किए गए है। डिजाइन तथा नक्शे सप्लाई करने के लिए भी इमेसा शिपयार्ड तथा भारत सरकार द्वारा 4–9–1974 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं।

सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सौर जल हीटर

2604. श्री ए० के० किस्कु : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा सभी मौसमों में उपर्युक्त घरेलु प्रयोग हेतु एक सौर जल हीटर का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान, संस्थान जोधपुर में कम खर्च में तैयार होने वाले सौर–जल हीटर का डिजाइन व निर्माण किया गया है। इस हीटर में जल भंडारित करने की व्यवस्था भी साथ–साथ है।

इस सौर जल हीटर से जोधपुर में सर्दी के दिनों में चार बजे अपराह्न तक लगभग 90 लीटर गर्म जल (50-55 डिग्री सेंटीग्रेड) मिल सकता है। सर्दियों में सूर्योदय के बाद दो घण्टे के अन्दर स्नान करने लायक गर्म पानी इससे मिल सकता है। जल भांडारण व्यवस्था से युक्त इस सौर जल हीटर को बनाने में प्रति हीटर लगभग 300 रुपये खर्च आता है। रात भर पानी को गर्म रखने और सुबह उसे उपयोग में लाने के लिए पानी को गर्म रखने के लिए उचित उपकरण व्यवस्था करने के लिए संस्थान में कोशिश की जा रही है।

हीटर का डिजाइन : भंडारण व्यवस्था से युक्त सौर जल हीटर में जस्तेदार लोहे (20 गेज मोटा) की आयाताकार टंकी (112×80×10 सें० मी०) लगी रहती है। इस टंकी की लगभग 0.9 वर्ग मीटर सतह खुली रहती है और इसमें लगभग 90 लीटर पानी आ सकता है। इस टंकी को मृदु इस्पात की चादर (20 गेज मोटी) वाले आयातकार ट्रे में रख दिया जाता है। इस ट्रे के सामने की ओर 3 मि० मी० मोटे कांच और पीछे तथा किनारों की ओर कांच व ऊन की रोधी सतह जमायी जाती है। पानी के दबाव से टंकी को फैलने से रोकने के लिए ट्रे के किनारों पर लोहे की कोणीय छड़ लगायी जाती हैं। टंकी के सामने का भाग उचित रेंजकी से उपचारित करके उसे कालिख के समान काले रंग से रंग देते हैं। गर्म पानी निकालने के लिए हीटर के

ऊपर नली लगी होती है। पानी अन्दर भरने के लिए टंकी के नीचे की ओर नली लगी होती है। पानी भरने वाली नली में लगे वाल्व को खोलने से हीटर के ऊपर वाली नली से पानी बाहर आने लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से पानी बाहर निकालने वाली नली में एक छेद किया रहता है। हीटर को चालू करते समय उसका मुख दक्षिण की ओर रखते हैं और धीरे धीरे स्थानीय अक्षांश+15 डिग्री के कोण पर झुका देते हैं। कोण में यह परिवर्तन हीटर के लोहे वाले स्टेंड को घुमाकर किया जा सकता है।

सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण का स्थगित किया जाना.

2605. श्री नारायण चन्द पराशर :

श्री पी० आर० शिनाय :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संसाधनों की कमी के कारण सरकार ने कुछ सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण को स्थगित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके निर्माण को स्थगित किया गया है और वे किन-किन राज्यों में हैं ;

(ग) क्या देश में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने की अत्यधिक आवश्यकता के कारण इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो कितने समय के बाद उक्त स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड विषयक जांच अधिकारी के प्रतिवेदन में विलम्ब

2606. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 5 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1524 के उत्तर तथा 12 अगस्त, 1974 को हुई आधे घण्टे की चर्चा के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के सम्पूर्ण तथा संबद्ध रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण जांच अधिकारी ने सदस्यों से जो हलफनामे मांगे थे, उनकी जांच इस बीच कर ली गई है और उसके आधार पर समिति के सदस्यों की सूची को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और सूची को शीघ्र तैयार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है अथवा की जानी है और क्या समिती को कहा जायेगा कि अपने सदस्यों को भूमि का आबंटन करने का कार्य पूरा करे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :(क) तथा (ख) जांच अधिकारी ने प्राप्त शपथ-पत्रों की जांच कर ली है और उनके जांच परिणामों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र

2607. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में काफी संख्या में विकलांग व्यक्ति हैं ;

(ख) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या वहा विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और यदि हा; तो इन केन्द्रों के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) पंजाब में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा समर्थित स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता संबंधी निवेदनों पर वह विचार करेगी।

गोआ में कम क्षमता से काम कर रहे वनस्पति संयंत्र

2608. श्री पुरुषोतम काकोडकर : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 के प्रथम आठ महीनो के दौरान गोआ के वनस्पति संयंत्र कम क्षमता से काम करते रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : गोआ में कोई भी वनस्पति का कारखाना नहीं है।

पांचवी योजना के दौरान राजस्थान में लघु सिंचाई योजना

2609. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत लघु सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है और इसके लिए मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र से काफी मात्रा में अनुदान की कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 46 से 65 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पूरा किया जाना सम्भव नहीं है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में सामान्य लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 23.39 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। योजनाओं के ब्योरे संलग्न है।

(ख) 17 अगस्त, 1973 को योजना आयोग में हुई बैठक में राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया था और ऋणपत्र के समर्थन की वित्तीय व्यवस्था को छोडकर 12.89 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की सिफारिश की जिसका बाद में योजना आयोग ने अनुमोदन किया था।

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य की योजना के बाहर केन्द्रीय सहायता के लिए राजस्थान सरकार से लघु सिंचाई योजनाओं का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: केन्द्र से धनराशि न मिलने के कारण सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 46 से 76 तक लघु सिंचाई योजनाओ को कार्यान्वित न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपयों में)

(क) राजस्थान भूमिगत जल मण्डल	
1. नलकूप परियोजना	
(क) ह्रास व्यक	31.20
(ख) विद्युती करण . . .	38.25
(ग) प्रशासन	21.70
2. मशीनरी	242.50
3. भवन	12.50
4. कार्मिको का प्रशिक्षण	8.10
5. सर्वेक्षण तथा अनुसंधान	10.00
6. प्रशासन	49.75
	414.00
(ख) सिंचाई विभाग	**500.00**
(ग) कृषि विभाग	
1. लघु सिंचाई कार्यक्रम (ए० एन० पी०)	25.00
2. ऋण पत्र	750.00
3. अन्य	650.00
लघु सिंचाई का योग	2,339.00

उड़ीसा में लघु सिंचाई से सिंचित भूमि का एकड़ों में क्षेत्रफल तथा नहरों की लम्बाई

2610. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लघु-सिंचाई से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होती है तथा नहरों की मीलों में लम्बाई कितनी है ; और

(ख) उड़ीसा में विशेषकर उत्तरी उड़ीसा में नहर व्यवस्था के संवर्धन की योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) 1973-74 के अन्त में लघु सिंचाई से 4 लाख हैक्टर क्षेत्र को लाभ पहुंचने का अनुमान है। नहरों की लम्बाई और उड़ीसा तथा विशेषरूप से उत्तरी उड़ीसा नहर प्रणाली के संवर्धन की योजना संबंधी सूचना राज्य सरकार से मंगाई जा रही है। यह प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

देश में झुग्गी-झोंपड़ी निवासी

2611. **श्री डी० पी० चन्द्रगौडा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लोग झुग्गी-झोंपड़ी में रहते है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में, देश की कूल जनसंख्या के अनुपात में इनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ख) पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक के आरम्भ में उनकी संख्या और प्रतिशतता क्या थी ; और

(ग) अभी स्थिति सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) पांचवीं योजना के लिय योजना आयोग द्वारा स्थापित गन्दी बस्तियों संबंधी कार्यकारी दल ने यह अनुमान लगाया है कि गन्दी बस्ती निवासियो की प्रतिशतता कुल शहरी जन संख्या का 20 से 25 के बीच है। इस आधार पर, कार्यकारी दल ने यह अनुमान लगाया कि 1971 की 1087 लाख की शहरी जन संख्या में से, लगभग 220 लाख लोग गन्दो बस्तो क्षेत्रों में रह रहे होगे। वर्षवार आंकडे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना के अन्तर्गत जो 1956 में आरम्भ की गई तथा जो अब राज्य क्षेत्र में है; गन्दी बस्ती निवासियों को टेनमेंट तथा खुले विकसित प्लाट दिये जा सकते हैं। गन्दो बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार योजना के अन्तर्गत जो 1972 में आरम्भ को गई थी और जो 1-4-1974 से राज्य क्षेत्र में हस्तान्तरित कर दी गई है, गन्दी बस्ती निवासियों को मूल सुविधाएं देने की व्यवस्था है।

Goods supplied to Foreign Countries in Exchange of Import of Wheat

2612. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the goods supplied to foreign countries in exchange of whe at imported during the current year, country-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : No foodgrains have been imported from abroad during the current year on barter basis.

शांतिनिकेतन कालोनी में एक आरक्षित भूखंड का दुरुपयोग

2613. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में यह बात लाई गई है कि सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की शांतिनिकेतन कालोनी में $2\frac{1}{2}$ एकड़ के एक आरक्षित भूखण्ड को जन सुविधाओं के स्थान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संदूषण तथा स्वास्थ्य विरोधी बात से छुटकार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या समिति ने सुझाव दिया है कि उक्त भूखंड को पार्क बना दिया जाए अथवा उसमें से छोटे भूखंड बना दिए जाएं; यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) वहां पर स्कूल की इमारत बनाने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामने क्या कठिनाइयां हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि शान्तिनिकेतन कालोनी में एक स्कूल के लिए उदिष्ट स्थान जन सुविधाओं के स्थान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस प्लाट पर बाड़ लगा दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्कूल की इमारत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नहीं बनाई जानी है, जब कभी कोई अनुरोध प्राप्त होता तो यह स्थान किसी पंजीकृत संस्था / दिल्ली नगर निगम की एक प्राथमिक विद्यालय के लिए आबंटित किया जायेगा।

राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के लिए केन्द्र

2614. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में काफी संख्या में विकलांग व्यक्ति हैं;

(ख) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या उनके लिए विकलांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और यदि हां, तो उन केन्द्रों के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) कोई विश्वासनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) राजस्थान में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है, परन्तु राज्य सरकार दवारा समर्थित स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता संबंधी निवेदनों पर वह विचार करेगी।

गोबर गैस संयंत्रो के निर्माण के लिए संयंत्र

2615. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'गोबर गैस संयंत्र' की शुरुआत को कृषकों ने पसन्द किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संयंत्र का उत्पादन कार्य किसी फर्म को सौंपा गया है या सरकार दवारा ही इसका उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) वर्ष 1974 और 1975 के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कुल कितने संयंत्र लगाये जाने की आवश्यकता होगी और क्या इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) खादी तथा ग्राम उदयोग ने विभिन्न आकार के गोबर गैस संयंत्रों के डिजाइन तैयार करके उन्हें मानकीकृत किया है। इस ऐजंसी ने इन संयंत्रों के लगाने का उत्तरदायित्व लिया है और विभिन्न राज्यों में आयोग दवारा स्थापित/मान्यताप्राप्त कर्मशालाओं में इनके निर्माण की व्यवस्था की है। इसके अलावा कृषि सेवा केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं का भी उपयोग किया जायेगा। कुछ राज्यों में इन संयंत्र के निर्माण का काम स्वीकृत ठेके के आधार पर राज्य कृषि उद्योग निगमों और गैर-सरकारी निर्माताओं को भी सौंपा जा रहा है।

(ग) आरम्भ में वर्ष 1974–75 के दौरान 20,000 गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है। इन संयंत्र से उपलब्ध होने वाली खाद से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। 'आरम्भिक कार्यक्रम' के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले संयंत्र का राज्यवार अनंतिम नियतन नीचे दिया गया है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	1000
2. असम	100
3. बिहार	1000
4. गुजरात	2000
5. हरियाणा	2000
6. कर्नाटक	2500
7. केरल	500
8. मध्य प्रदेश	1000
9. महाराष्ट्र	3000
10. उड़ीसा	250
11. पंजाब	2200
12. राजस्थान	250
13. तमिलनाडु	2000
14. उत्तर प्रदेश	2000
15. पश्चिम बंगाल	100
16. दिल्ली	100

गेहूं के उत्पादन में कमी

2616. श्री मधु लिमये : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं की गत रबी फसल का कोई अंतिम अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो फसल के उत्पादन संबंधी आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या बीजों का उत्पादन विशेष समस्याएं उत्पन्न कर रहा है और "हरित क्रांति" के लाभों को आंशिक रूप से समाप्त कर रहा है; और

(घ) क्या अशुद्ध बीज और मिलावटी उर्वरक तथा कीटनाशी पदार्थ गेहूं के उत्पादन में कमी के लिये आंशिक रूप से उत्तरदायी रहे हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 220 लाख मीटरी टन।

(ग) अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन तथा वितरण करना मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। बीजों की मांग पूरी करने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता देने के लिये राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम, आदि अखिल भारतीय बीज उत्पादन करने वाली एजेन्सियाँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों के कृषि विभाग, सहकारी

समितियां तथा निजी उत्पादक आदि कई एजेन्सियां मौजूद हैं, जो बीजों का उत्पादन तथा विपणन करती है। प्रायः एक सामान्य वर्ष में ये एजेन्सियाँ फसलों के अच्छे बोजों को मांग को पूरा कर सकती हैं। तथापि सूखा तथा बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाओं की स्थिति में बोजों को अप्रत्याशित मांग हो सकती है। यदि ऐसे समय पर अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध न हों तो भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से बोज के रूप में प्रयोग करने के लिये अंकुरण तथा शुद्धता की उपयुक्त जांच करने के पश्चात् अच्छी किस्म के अनाज के स्टाक को निर्मुक्त कर देती है। जहां तक संभव हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये भरसक प्रयास किया जाता है कि पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध न होने के कारण कृषि उत्पादन पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़ने पाए। इस बात को देखने के लिये भी प्रयास किये जाते हैं कि कृषकों को शुद्ध स्तर के बोज उपलब्ध हों। इसके अलावा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि बीजों की अनुपलब्धि से विशेषकर खाद्यान्नों के उत्पादन कार्यक्रम में बाधा न पड़े. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने राज्यों में संगठित बोज उत्पादन एजेन्सियों को स्थापना करके उन्नत बोज कार्यक्रम को सुप्रवाही बनाने के लिये कई कदम उठाये है। इसके अतिरिक्त बोजों की सप्लाई को स्थिर करने तथा बोजों को उपलब्धि में अधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिये भारत सरकार पांचवीं योजना को अवधि में अच्छो किस्म के बीजों के आरक्षित स्टाक को बनाने के लिये कदम उठा रही है, ताकि अनपेक्षित परिस्थितियों के अंतर्गत आरक्षित स्टाक से कृषकों को समय पर अच्छो किस्म के बोजों की पर्याप्त मात्रा निर्युक्त करना संभव हो सके।

(घ) जहां तक गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करने वाले अशुद्ध बोजों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि बीज अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत अशुद्ध बोजों के सप्लाई संबंधो किसी मामले को सूचना नहीं मिली है। इसी प्रकार कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत अशुद्ध कोटनाशी औषधियों के किसी मामले की सूचना भी नहीं मिली है। जहां तक उर्वरकों का संबंध है, चोर-बाजारी तथा अपमिश्रण के संबंध में राज्य सरकारों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। यद्यपि चोर बाजारी के संबंध में राज्य सरकारों से कुछ मामलों को सूचना मिली है, लेकिन अपमिश्रण के संबंध में केवल बहुत कम राज्यों ने सूचना भेजी है। तामिलनाडु, गुजरात तथा पांडिचेरी को सरकारों ने सूचना भेजी है कि उनके राज्यों में अपमिश्रण क्रमशः 14, 15 तथा 16 मामले हुए हैं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 का उल्लंघन करके मिलावट करने वालों के विरुद्ध नियमित कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गाजियाबाद सेंट्रल डिवीजन को दिल्ली से उत्तर प्रदेश में ले जाना

2617. **श्री भोला माझी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करने की सरकार की नीति है। जिनको दिल्ली के बाहर के स्थानों में इस प्रकार स्थानान्तरित करने से उनके कार्यकरण और कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के गजियाबाद सेन्ट्रल डिवीजन का 75 प्रतिशत से अधिक कार्यभार उत्तर प्रदेश में है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रभागीय कार्यालय को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के किसी स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार मुख्यतः इस बात पर जोर देती है कि दिल्ली में नये कार्यालयों को खोलने या मौजूदा कार्यालयों को बाहर से दिल्ली में स्थानान्तरित करने पर नियन्त्रण रखा जाए। जहां तक दिल्ली में पहले से मौजूद कार्यालयों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थानान्तरण करने योग्य कार्यालयों को स्थाना-

न्तरित करने का प्रस्ताव है, परन्तु इसका कार्यान्वयन न केवल संबंधित कार्यालयों के लिये उचित स्थान मिलने पर निर्भर करता है बल्कि इस बात पर भी कि दिल्ली में पहले से रह रहे कर्मचारियों के लिये रिहायशी वास उपलब्ध हो ।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एककों का कार्यभार, समय समय पर भिन्न भिन्न होता रहता है जो स्वीकृत किये गये कार्यों के अवस्थान पर निर्भर करता है। इस समय, गजियाबाद मण्डल का अधिकांश कार्यभार, उत्तर प्रदेश में स्थित हिन्डन हवाई अड्डे पर है।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्वी मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल का खराब होना

2618. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ की फसल के खराब हो जाने के कारण सम्पूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश में कमी की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या क्या राहत उपाय किये हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि खरीफ की फसल खराब हो जाने के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ तथा रीवा प्रभागों के जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं।

(ख) राज्य सरकार ने काफी संख्या में राहत कार्यों की व्यवस्था करके प्रभावित जनता को राहत देने के लिये तत्काल कदम उठाये है। इस समय इन जिलों में 1145 स्केरसिटी कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें 173786 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इसके अतिरिक्त 987 अन्य योजना व गैर-योजना कार्य शुरू किए गए हैं जिनमें 88029 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

अक्तूबर, 1974 में एक केन्द्रीय दल ने सूखे से उत्पन्न स्थिति का मौके पर जाकर मूल्यांकन करने के लिये राज्य का दौरा किया था। भारत सरकार ने कृषि आदानों के लिय 330 लाख रुपये का अल्पावधि ऋण स्वीकृत किया है।

लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों और इक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को कठिन क्षेत्रों में तैनात किया जाना

2619. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनेक सहायक इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कठिन क्षेत्रों में गये बिना ही एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे इंजीनियरों की संख्या कितनी है, जिनको अभी तक कठिन क्षेत्रों में तैनात नहीं किया गया है; और किस तारीख तक उन्हें वहां भेज दिया जायगा; और

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अंडमान में तैनात इंजीनियरों को किस तारीख तक वापस बुला लिया जायेगा?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) दुर्गम क्षेत्रों में इंजीनियरों के पदों की संख्या, काडर की संख्या की तुलना में बहुत कम है। इसलिए यह संभव नहीं है कि उन सब को दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर दिया जाये। किसी निश्चित समय को विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए, समय समय पर अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।

(ग) अधिकारियों को दुर्गम क्षेत्रों में रहने की सामान्य अवधि 3 वर्ष है किन्तु मितव्ययिता करने के उपाय के रूप में बारोबार स्थानान्तरण पर सरकार द्वारा लगायी गई रोक को ध्यान में रखते हुए, इसे 4 वर्ष कर दिया गया है। अंदमान सहित दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किए गये अधिकारियों को, उनको यथावधि पूर्ण होने पर, स्थानान्तरण करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

Bhopal Capital Development Project

2620. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government have submitted to the Central Government the Bhopal Capital Development Project which includes a housing scheme for the employees and construction of buildings for Government offices ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) The Madhya Pradesh Government have sent a copy of the draft Bhopal Development Plan to the Government of India.

(b) The Madhya Pradesh Government has been requested to prepare a comprehensive city development programme.

दिल्ली में नेताजीनगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में खिड़कियों में शीशे लगाने सम्बन्धी शिकायतें जिन पर कार्यवाही नही की गई

2621. श्री वीरभद्र सिंह : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नेताजीनगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय ने खिड़कियों में शीशे लगाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है, यद्यपि इस बारे में ग्यारह महीने से भी पहले शिकायतें की गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो खिडकियों में शीशे लगाने संबंधी ऐसी कुल कितनी शिकायतें हैं, जिनपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अत्यधिक विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या सर्दी की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए कार्य को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी और यदि हां, तो कब तक ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां, कुछ मामलों में देरी हुई है।

(ख) भूल से 4 ऐसे मामलों पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई थी।

(ग) इन पर कार्यवाही की जा चुकी है।

Setting up of Food Banks in Villages

2622. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to set up food banks in the villages like those set up in the cities and towns ; and

(b) if not, the nature of difficulties in implementing this scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चावल के परिवहन पर पंजाब द्वारा लगाये गये प्रतिबंध

2623. श्री विक्रम महाजन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का एक चावल क्षेत्र है;

(ख) अगर पठानकोट (पंजाब) से दिल्ली चावल लाना हो तो, क्या उसके लिए परमिट लने की जरूरत होती है; और

(ग) यदि नहीं तो फिर पंजाब सरकार द्वारा ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा जारी किये गये उत्तरी चावल क्षेत्र (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1968 के अधीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, चंडीगढ़ तथा दिल्ली को मिलाकर उत्तरी चावल क्षेत्र नामक एक संयुक्त चावल क्षेत्र गठित किया गया है। इसके कार्यान्वियन से उत्तरी चावल क्षेत्र में चावल के संचालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और सामान्यतः पठानकोट (पंजाब) से दिल्ली में चावल लाने के लिए किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं है।

लेवी न देने के कार्य को रोकने और चावल की तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार जिला अधिकारियों द्वारा जारी की गई संचलन छिटों के अधीन लेवी मुक्त चावल का संचलन विनियमित कर रही है।

पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में पक्षियों के शरण स्थल

2624. श्री भागीरथ भवंर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित 'बाघ बचाओ कार्यक्रम' परियोजना के अधीन मध्य प्रदेश की राज्य सरकार का विचार ग्वालियर जिले के नूराबाद और रायपुर जिले के सोरपुर में पक्षियो के दो शरणस्थल स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

Recommendations of Reconstituted cow Protection Committee on Article 48 of the Constitution

2625. Swami Bramhanand : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the action taken so far by Government to enforce Article 48 of the Constitution through out the country without delay as was recommended by the reconstituted Goraksha Samiti (Cow Protection Committee) on the 17th September, 1973 ;

(b) in case no action has been taken so far, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to take any action in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) to (c) A Resolution was adopted at the meeting of Cow Protection Committee at its meeting held on 17th September, 1973. As the subject of preservation, protection and improvement of stock in Entry 15th of List 2 in the VII Schedule of the Constitution is a State Subject, the attention of the States/U. Ts. was again drawn towards the implementation of Article 48 of the Constitution as interpretted by the Supreme Court. The whole question relating to protection of cow and its progeny is under consideration of the Committee on Cow Protection and its report is still awaited. It will be possible for the Government to take further action in this regard after the Committee has submitted its report and the Government has taken a decision on the recommendations of the Committee.

सूखे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सिंचाई योजना

2626. **श्री मार्तंड सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में मानसून की बार बार विफलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार सूखे क्षेत्रों में दीर्घकालिक सिंचाई परियोजनायें बनाने और देश में भूमिगत जल संशोधन का उपयोग करने का है, जिससे खाद्य सन्तुलन न बिगड़ सके, जिसके दुर्भाग्यवश बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ; और

(ख) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों सिंचाई का विकास करने तथा नमी का संरक्षण करने के लिये योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. समेकित बारानी कृषि-विकास योजना

यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1970-71 से चालू है। इस योजना के अंतर्गत 12 विभिन्न राज्यों में 24 मार्गदर्शी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। 9 परियोजनाएं वर्ष 1970-71 में और 15 परियोजनाएं वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ की गई थी। ये परियोजनाएं उन क्षेत्रों में स्थित हैं जो बारानी खेती के लिये उपयुक्त है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के 24 अनुसंधान केन्द्रों द्वारा विकसित की गई बारानी खेती की उन्नत प्रणालियों को लोकप्रिय बनाना है। इस योजना के अंतर्गत जल उपयोग, लघु सिंचाई तथा छिड़काव सिंचाई, आदि स्थायी कार्यों के लिये आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम :

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य बार बार सूखे से प्रभावित होने वाले चुनींदा क्षेत्रों का दीर्घावधि समेकित विकास करना है। इस कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण बातों में वारानी खेती, सुरक्षात्मक सिंचाई की व्यवस्था, भूमिगत जल के विकास को बढ़ाकर, तथा भूमिगत संसाधनों का उपयोग करना शामिल है। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 1971 में प्रारम्भ किया गया था। इस समय इस योजना के अंतर्गत 13 राज्यों के 54 मुख्य तथा 18 समीपवर्ती जिले आते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा तथा नमी संरक्षण वारानी खेती, सिंचाई संसाधन, वनरोपण तथा पशू विकास पर मुख्य बल दिया जायेगा।

सेवा-निवृत्त कर्मचारियों द्वारा सरकारी क्वार्टरों का वापस किया जाना

2627. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1971 से दिल्ली में ऐसे कितने सेवा–निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्होंने संपदा निदेशालय द्वारा आबंटित अपने क्वार्टर श्रेणी–वार अभी तक वापस नहीं किये हैं ;

(ख) ऐसा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उन सेनानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है जो 1–1–1971 से अभी तक सामान्य पूल वास पर दखल किये हुए हैं :—

वास का टाइप	सेवा निवृत्त कर्मचारियों की संख्या जो सामान्य पूलवास पर दखल किये हुए हैं
I	24
II	7
III	40
IV	151
V	51
VI	14
VII	7
VIII	1
जोड़	372

(ख) ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सामान्य पूल वास खाली न करने के कारण ये बताएं हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, उनके परिवार के सदस्यों की बीमारी, उपयुक्त वैकल्पिक वास की अनुपलब्धता आदि।

(ग) ऐसे मामलों में, मकानों को खाली करवाने के लिए कारवाई, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन की जाती है।

बागमती नदी (बिहार) पर प्रस्तावित बांध का डिजाइन

2628. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागमती नदी, बिहार पर प्रस्तावित बांध के डिजाइन तथा पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट को केन्द्रीय जल विद्युत आयोग ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसको अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा 5.78 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर बागमती सिंचाई स्कीम 1970 में स्वीकृत की गई थी। बराज के स्थान में परिवर्तन होने के कारण, बिहार सरकार द्वारा 22.55 करोड़ रुपये की लागत की संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा केन्द्रीय जल और विद्यूत आयोग को प्रस्तूत कर दी गई है। इस रिपोर्ट में निहित बराज का अभिकल्प आयोग द्वारा तैयार किया गया था।

संशोधित परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय जल आयोग में जांच कर ली गई है तथा उनकी टिप्पणियों के उत्तरों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है।

नई दिल्ली नगर पालिका में क्लर्कों की नियुक्ति के लिए परीक्षा

2629. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने क्लर्कों की नियुक्ति के लिए दिसम्बर, 1973 में एक परीक्षा ली थी; और

(ख) उक्त परीक्षा का परिणाम रोक लिया गया है, यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) यह परिणाम घोषित हो चूका है।

उड़ीसा में उद्योगों पर सूखे का प्रभाव

2630. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अभूतपूर्व सूखे का उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार सरकार की वित्तीय सहायता के बारे में याचिका

2631. श्री बरके जार्ज : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने योजना आयोग को एक याचिका भेजी है कि राज्य में बाढ़ तथा सूखे से हुई क्षति का अनुमान लगाने और शेष वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिये एक केन्द्रीय दल भेजा जाये ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को बाढ़ तथा सूखे के संबंध में भेजे गये एक पुनरीक्षित ज्ञापन में अपेक्षित वित्तीय सहायता 23 करोड़ रुपये बताई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) राज्य में बाढ़ और सूखे से पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में राज्य का दौरा किया है। अभी इस दल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार के परामर्श से इस संबंध में आगे कारवाई की जाएगी।

रियायती शर्तों पर अमरीका से खाद्यान्न

2632. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 सितम्बर, 1974 को समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "कल भारतीय दूतावास के सूत्रों ने इन्कार कर दिया कि दूतावास ने 'निजी रूप से' अमरीका सरकार से रियायती शर्तों पर दस लाख टन खाद्यान्न लेने हेतु अनुरोध किया था जैसा कि एक अमरीकी समाचार-पत्रों में समाचार छपा है" ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है। अमरीका सरकार और बाहर के अन्य अधिशेष निर्यातक देशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे यह पता करें कि वे भारत को कितना खाद्यान्न दे सकते हैं और किन शर्तों पर। इन देशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

नीलमबूर (केरल) में उद्योग की स्थापना

2633. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलमपूर (केरल) में अनुमानतः 106 करोड़ रुपये लागत का एक बढ़ा उद्योग (सागौन की लकड़ी का फार्म) आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को अब तक केरल सरकार से किसी प्रकार की मांग प्राप्त हुई ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) केरल सरकार का, केरल में 106.986 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से लकडी पर आश्रित उद्योगों और सागवान के वनों के समेकित विषय के लिए योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वित्तीय सहायता हेतु योजना को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तद्नुसार विचार के लिये योजना विश्व बैंक को भेज दी गई है। विश्व बैंक ने परियोजना की छानबीन करने के लिये एक दल भेजा है, जिसने अभी हाल में देश के परियोजना क्षेत्रों का दौरा किया है। वित्तीय सहायता के लिए परियोजना विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है, अत: परियोजना के बारे में विचार करना और उसके संबँध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना बैंक का कार्य है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक के अभाव का कृषि पर प्रभाव

2634. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में उर्वरक के अभाव का कृषि पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में उर्वरक की कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) दो वर्षों के दौरान और इस वर्ष खरीफ और रबी की फसलों के लिए प्रत्येक राज्य को कितना उर्वरक सप्लाई किया गया; और

(घ) सरकारी कीमत कितनी है और इस समय चोर बाजार में कितनी कीमत है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) मांग की तुलना में देश में उर्वरकों की कुछ कमी है। उपलब्ध उर्वरकों का उपयुक्त तथा दक्षपूर्ण ढ़ंग से उपयोग करके कृषि उत्पादन पर उर्वरक की कमी के प्रभाव को कम से कम करने के लिये प्रयास किया जा रहा हैं।

(ख) यह कमी मुख्यत: बिजली की कमी, श्रमिकों की अशान्ति, दुर्घटना तकनीकी समस्या, आदि के कारण देशी उत्पादन में कमी होने तथा विश्व-बाजार में उर्वरकों की कम उपलब्धि के कारण आयात घटने के फलस्वरूप हुई है ।

(ग) वर्ष 1972–73, 1973–74 और खरीफ 74 तथा रबी 74–75 (अक्तूबर के अंत तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार सप्लाई को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

[**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8619/74**]

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित किये गये कुछ महत्वपूर्ण उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं:—

उर्वरक का नाम	**अधिकतम** खुदरा मूल्य
यूरिया (46%)	2000 रुपये प्रति मीटरी टन
युरिया (45%)	1960 रुपये प्रति मीटरी टन
सी० ए० एन० (25%)	1095 रुपये प्रति मीटरी टन
सी० ए० एन० (26%)	1145 रुपये प्रति मीटरी टन

अमोनियम सल्फेट :

(1) 100 कि० ग्राम के थैलों में पैक किया हुआ　　925 रुपये प्रति मीटरी टन

(2) 50 कि० ग्राम के थैलों में पैक किया हुआ　　935 रुपये प्रति मीटरी टन

उर्वरकों की कमी का लाभ उठाने तथा चोर बाजार करने वाले कुछ बेइमान विक्रेताओं के कुछ मामलों की सूचना मिली है। परन्तु, उस मूल्य में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिस पर कि ऐसे उर्वरक बेचे जा रहे हैं।

उर्वरक वितरण हेतु चाय बोर्ड का प्रस्ताव

2635. श्री रानेन सेन : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने उर्वरक वितरण हेतु एक नया प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) भारत सरकार बागानों के लिये उन संबंधित जिस बोर्डों को पूल से उर्वरक आबंटन करती है जिनके लिये सरकार ने जिस बोर्ड (अर्थात चाय, काफी, इलायची तथा रबर) गठित किये हुए हैं। जिस बोर्ड वितरकों का चयन करते हैं जिनके माध्यम से वे पूल उर्वरकों का वितरण करवाना चाहते हैं। कृषि मंत्रालय की स्वीकृति के लिये वे इन नामों को सिफारिश करते हैं। जहां तक दक्षिण भारत के चाय के बगीचों का संबंध है, चाय बोर्ड यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन ऑफ साऊथ इंडिया" को पूल उर्वरक का पुनराबंटन करता है, जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय को स्वीकृति के लिये वितरकों के चयन की सिफारिश करता है। जहां तक उत्तरपूर्वी भारत के चाय के बगीचों का संबंध है, चाय बोर्ड वितरकों का चयन करके स्वीकृति के लिये कृषि मंत्रालय को सिफारिश करता है।

मई, 1974 में चाय बोर्ड ने सुझाव दिया है कि उत्तरपूर्वी भारत में चाय के बगीचों में उर्वरकों के संतुलित वितरण के लिए उत्तर पूर्वी भारत में पूल उर्वरक पहले के उन 3 वितरकों के माध्यम में बांटा जाये जिन्हें भारतीय उर्वरक निगम ने अपने उत्पाद के वितरकों के रूप में नियुक्त नहीं किया है। भारतीय उर्वरक निगम के वितरकों को हटाने तथा इसके फलस्वरूप केवल तीन वितरकों के माध्यम से पूल उर्वरक को वितरण करने की चाय बोर्ड की प्रस्ताविक प्रणाली कृषि मंत्रालय ने स्वीकृत नहीं की।

कृषि मंत्रालय ने चाय तथा अन्य बागानों में पूल उर्वरक के वितरण के लिये सहकारी संस्थाओं तथा अन्य संस्थागत एजेन्सियों को क्रम बद्ध रूप से प्रारम्भ करने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिये एक प्रस्ताव अलग से तैयार किया है। वाणिज्यिक मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ विचार विमर्श करके इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

इस बीच में जिन बोर्डों द्वारा चुने गये वितरकों के माध्यम से तथा कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई उनकी सिफारिश के अनुसार बागानों (चाय सहित) में पूल उर्वरकों के वितरण की प्रणाली को चालू रखा जा रहा है।

तमिलनाडु को उर्वरकों की सप्लाई

2636. श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में उर्वरक की काफी मांग है;

(ख) यदि हां, तो अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान तमिलनाडु राज्य को कुल कितना उर्वरक सप्लाई किया गया;

(ग) क्या उक्त राज्य को सप्लाई किया गया उर्वरक अन्य राज्यों की तुलना में कम था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तमिलनाडु में उर्वरकों की मांग में किसी असाधारण अथवा विशेष वृद्धि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अगस्त, सितम्बर, और अक्तूबर, 1974 के दौरान तमिलनाडु को आयातित और देशी दोनों स्रोतों से सप्लाई की गई एन० पी० और के० के पोध पोषण तत्वों की कुल मात्रा 60,810 मीटरी टन थी।

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का उनके कृषि उत्पादन कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए मूल्यांकन किया जाता है और उपलब्धि के अनुसार सप्लाई की जाती है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों को उर्वरक के आवंटन तथा सप्लाई की तुलना करना संभव नहीं है। तामिलनाडु को सप्लाई की गई मात्रा कुछ राज्यों से अधिक है और कुछ अन्य राज्यों से कम भी है।

Enquiry into Allotment of Irrigated Land in Rajasthan Cannal Project Area.

2637. Shri Panna Lal :
Shri Barupal :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the irrigated land in the Rajasthan Canal Project area of District Ganganagar which is given to the landless Harijans, exists as such merely on paper and that land is not irrigated land ; and

(b) whether Government propose to appoint an enquiry committee consisting of Harijans to enquire into this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) The relevant information is being collected from the State Government and the reply, when received will be placed on the table of the Sabha.

बहराइच, उत्तर प्रदेश में पायागपुर-दाहा रोड़ परियोजना में धन का दुर्विनियोग

2638. श्री वी० आर० शुक्ल : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में द्रुत ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पायागपुर–दाहा सड़क के नाम से कोई सडक निर्माण परियोजना प्रारम्भ की गई थी;

(ख) इस पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) क्या सामान के स्टाक आदि पर व्यय किया गया धन दर्शाई गई व्यय राशि के अनुरूप नहीं है; और

(घ) क्या दर्शाई गई व्यय राशि का मुख्य भाग का वास्तव में संबद्ध लोगों द्वारा दुर्विनियोग किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वर्ष 1971 में बहराइच जिले में पायागपुर–दाहा सड़क के नाम तथा विवरण की कोई सड़क निर्माण परियोजना शुरू नहीं की गई थी। तथापि, पायागपुर शियो दाहा सड़क के नाम की एक सड़क परियोजना आरम्भ की गई थी।

(ख) 5,59,450.86 रुपये की धनराशि खर्च की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह का स्थल

2639. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह के स्थल चयन के संबंध में पांच वर्ष तक विचार विमर्श के बाद भी कोई निर्णय होता नहीं दिखाई देता; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) और (ख) क्षेत्र की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैसून डाक पर वर्षभर खुली रहनी वाली गहरे समुद्र में मछली पकडने के बन्दरगाह के विकास के विषय में सिद्धान्त रूप से निर्णय किया जा चुका है। तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन अनुकूल सिद्ध हुए तो अगरडन्ज को ऐसे बन्दरगाह के लिए उपयुक्त स्थान समझा जाएगा।

अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी जहाजो के ठहरने व माल उतारने व चढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अनेक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के 38 अन्य केन्द्रों में जहाजों के ठहरने माल उतारने व लादने के लिए सीमित सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के बारे में की गई कार्यवाही

2640. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिग सोसाइटी के उन गैर अध्यापक तथा अगस्त 1967 के बाद बनाये गये सदस्यों के हितों की रक्षा करने के बारे में क्य कार्यवाही की गई है जिन्हें आश्वासन दिया गया था कि सोसाइटी ने उन्हें सदस्य बनाने के लिये सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली है और उन्हें देने के लिये पर्याप्त भूमि है;

(ख) अगस्त, 1967 के पूर्व इस सोसाइटी के सदस्यों द्वारा अगस्त, 1967 तक कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई और यह राशि किन प्रयोजनों के लिये खर्च की गई;

(ग) अगस्त, 1967 के पूर्व इस सोसाइटी के सदस्यो द्वारा अगस्त, 1967 के बाद फरवरी, 1973 तक कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई थी;

(घ) अगस्त, 1967 के बने साशायटी के सदस्यो दोनों अध्यापको तथा गैर - अध्यापकों द्वारा कुल कितनी राशि जमा कराई गई; और

(ङ) अगस्त, 1967 के बने बाद उन सदस्यों जिनका अंशदान भूमि की खरीद तथा विकास में बहुत अधिक है, के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ङ) दिल्ली स्कूल टीचर्स सहकारी गृह निर्माण समिति के कार्यों की जांच बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 की धारा 43 के अन्तर्गत एक जांच अधिकारी द्वारा की जाती रही है। जांच अधिकारी का जांच परिणाम हाल ही में प्राप्त हुए है तथा जब निर्णय हो जायगा तो कानून के अधीन अपेक्षित आगे की कार्यवाही की जायगी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में खाद्यान्न

2641. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 नवम्बर, 1974 के एक स्थानीय समाचार पत्र में "इंडिया टु गेट 10 लाख टन्स आफ हवीट बाई ऐप्रेल नेक्स्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सारा आयात एक बार किया जायेगा अथवा आगामी अप्रैल में उसकी पहली खेप आयेगी; और

(ग) इस गेहूं के मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है। लगभग 10 लाख मीटरी टन यू० इ० क० गेहू के प्रस्तावित आयात को जो कि वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक आधार पर किया जाएगा, को अभी अन्तिम रूप देना है। उसके बाद आशा है कि समस्त माल को 5 से 6 महीनों के अन्दर सुपुर्द कर दिया जाएगा।

More Attention to Boost Agricultural Production

2642. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether after independence the required amount of attention on irrigation, supply of fertilizers, seeds and insecticides has not been paid for boosting up the agricultural production ;

(b) whether Government have been paying more attention to importing foodgrains from abroad ;

(c) whether farmers have been paid much less price for their produce as compared to the cost of production; and

(d) if so, the policy adopted by Government now to ensure sufficient agricultural production and remunerative price to the farmers for their produce ?

The Minister of State in the Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The objective of Government's policy since independence has been to increase agricultural production particularly of foodgrains with a view

to achieving self-sufficiency, through measures such as production, distribution and popularisation of improved varieties of seeds, increase in the consumption of chemical fertilisers, improvement in the efficiency of fertiliser use, adequate supply of insecticides, development of command areas of irrigation projects etc. and greater coordination of production plan at national and State levels. The import of foodgrains has been restricted to quantities which are considered absolutely necessary to maintain the public distribution system.

(c) & (d) It has been the Government's policy over the last several years to ensure remunerative prices to the producers. The procurement prices of kharif and rabi cereal are fixed every year based on the recommendations of the Agricultural Prices Commission and in consultation with the State Governments after taking into account all the available data on the cost of production and other relevant factors, so as to ensure not only a remunerative price to the producers, but also to provide incentive for increasing production.

नई दिल्ली में केरल सरकार की भूमि

2643. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में केरल राज्य सरकार की कितनी भूमि है;

(क) क्या कपूरथला प्लाट नामक प्लाट अभी भी केन्द्र सरकार के कबजे में है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्लाट राज्य सरकार को सोंपने का निर्णय किया है और;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे राज्य सरकार को सोंपने में कोई असाधारण विलम्ब हुआ है;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) केरल सरकार को 16.5 एकड भूमि पट्टे पर दी गई है ।

(ख) जी, हां। 6 एकड में से 2.164 एकड भूमि केरल शिक्षा संस्था को दी जा चुकी है ।

(ग) तथा (घ) जी, हां । जैसे ही इस प्लाट की हटमेंटे जो सुरक्षा पुलिस के दखल में है, खाली हो जाएंगी, यह प्लाट राज्य सरकार को सोंप दिया जाएगा ।

आयातित गायों से कम दूध का प्राप्त होना

2644. डा० सरदीश राय : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयातित गायों को बढिया और अधिक चारा देने तथा उत्तम स्थानों पर रखने की सुविधाए प्रदान करने के बावजूद भी उनसे कम दूध प्राप्त हो रहा है;

(ख) क्या गायों के आयात करने के प्रस्ताव को, तत्कालीन पशुपालन आयुक्त द्वारा कई तकनीकी कारणों के आधार पर कडा विरोध करने के बावजूद भी, कार्यरूप दिया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) जी नहीं। सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिये, संकर प्रजनन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिये पशुओं के आयात की आवश्यकता की ध्यानपूर्वक जांच की है और इस मामले के सभी पहलुओं पर जिसमें तद विषयक तकनीकी मत भी शामिल है, विचार करने के बाद एक निर्णय लिया है । सरकार आयातित पशुओं के कार्य निष्पादन से संतुष्ट है।

धान की खेतो के लिये कुट्टानाडु विकास योजना हेतु केन्द्रीय सहायता

2645. **श्री एम० कतामुतु :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने धान का उत्पादन बढाने हेतु बनाई गई अपनी 26 करोड रुपये की लागत की बहुद्देशीय कुटटानाडु विकास योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) केरल सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 26.95 करोड रु० की लागत से कुट्टनाद विकास के लिये एक योजना तैयार की है। इस योजना को केरल भूमि विकास निगम के द्वारा क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। यह निगम, संस्थागत वित्तीय एजेंसियों से आवश्यक स्त्रोत प्राप्त करने और भूमि विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। योजना आयोग राज्य सरकार की पांचवी योजना में 7 करोड रुपये की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है। इस योजना के भूमि विकास के व्यापक कार्यक्रम में निम्न बातें शामिल है -- बाढ का पानी निकालने के लिये बांधों को सुदृढ करने स्थायी प्लावन योग्य क्षेत्रीय बांधों के द्वारा उत्तम जल निकास का निर्माण करना, क्षारीय पानी के अभियानों की रोक थाम करना और ग्रीष्म ऋतु के महीनों के दौरान जल उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम से 50,000 हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त हो जायेगा और इससे 70,000 मीटरी टन चावल का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा।

Memorandum from Delhi University Teachers Association

2646. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a delegation on behalf of the Delhi University Teachers Association (DUTA) met him during September last;

(b) if so, whether they have handed over any memorandum to him; and

(c) if so, the contents thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The demands contained in the two memoranda handed over to me were as follows:—

(i) expeditions promulgation of an Ordinance to provide for—(a) statutory security of service of teachers ; and (b) taking over of mis-managed colleges.

(ii) Uniform applicability of provisions of the proposed amending Bill for Delhi University to all colleges irrespective of any of them being a "minority institution".

(iii) Implementation of the revised scales of pay announced in the Parliament on March 29, 1974 and removal of resultant anomalies.

Government propose to introduce a comprehensive Bill to amend the Delhi University Act in the current Parliament Session.

Government have already conveyed to the University Grants Commission the order regarding the revision of salary scales of teachers in Central Universities. The question of anomalies, if any, arising out of the implementation of the revised scales of pay, will be dealt with as and when they arise.

विश्व खाद्य सम्मेलन

2647. श्री कुमार मांझी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रोम में हुए विश्व खाद्य सम्मेलन की बैठक में उन्होंने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके भाषण का सार क्या है और उन भारतीयों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बैठक में भाग लिया; और

(ग) विश्व खाद्य नीति के सम्बन्ध में किसिंजर योजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) भाषण में निम्नलिखित बातें कहीं गई थीं :—

1. विकासशील देश आजकल जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वे उनकी पैदा की हुई नहीं है क्योंकि कई शताब्दियों के विदशी शासन ने उनकी कृषि पद्धतियों को छिन्न भिन्न कर दिया है । अतः विकसित देशों का कर्तव्य है कि वे वर्तमान स्थिति में उनकी सहायता करें। अब दी गई सहायता को साम्राज्यवादी शक्तियों की समृद्धि के लिए निर्धन देशों द्वारा भूतकाल में किए गए योगदान के लिए स्थगित मुआवजा मात्र जाना चाहिए । विकासशील देशों में कृषि में अपर्याप्त पूंजी निवेश होने का मुख्य कारण संसाधनों की कमी का होना है न कि काम करने को अनिच्छा । बहुत निर्धन देशों में किसानो ने यह कल्पना निराधार सिद्ध कर दी है कि उनमें आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की क्षमता नहीं है ।

2. भारत में 1972-73 और 1973-74 के शीतकालीन मौसम में खाद्यानों के उत्पादन पर वर्षा न होने और पेट्रोलियम के उत्पादों तथा उर्वरकों के मूल्यो में वृद्धि होने आदि का कुप्रभाव पडा था। तथापि भारत को विश्वास है कि कृषि उत्पादन के मामले में वह आगे बढता रहेगा बशर्ते कि सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पर्याप्त सहायता और उर्वरकों की अपेक्षित सप्लाई होती रहे ।

3. जब तक विकासशील देशों के कृषि विकास कार्यक्रमों में सिंचाई को उच्चतम प्राथमिकता न दी जाए तब तक कृषि में अपेक्षित उत्पादन की दर को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। अतः सिंचाई तथा वैज्ञानिक जल प्रबंध की ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है ।

4. कृषि विकासशील देशों में ग्रामीण विकास के कार्यों में सहायता देने तथा ग्रामीण जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाने और औदयोगिक माल के लिये (जो कि आगे आने वाले काफी समय तक मुख्यतः विकसित देशों से पूरा किया जा सकता है ।) मांग का सृजन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । इससे विकासशील तथा विकसित देशों के बीच लाभदायक सहयोग की व्यापक सम्भावनाएं उत्पन्न हो सकेंगी । ग्रामीण कृषि उदयोगों के विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

5. कृषि विकास के लिए गतिशील अनुसंधान और प्रशिक्षण ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है । राष्ट्रीय संस्थानों के अनुसंधान प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्बन्धी परामर्श दल द्वारा स्थापित किए गए क्षेत्रीय और अन्तक्षेत्री अनुसंधान केन्द्रों द्वारा सहायता दी जा सकती है । विकासशील देशों को उनकी अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी क्षमताओं का सुधार करने में सहायता देने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण प्रयास की भी आवश्यकता होगी । विदयुत संकट के प्रभाव से निपटने के लिए एक इन्टरनेशनल रिसर्च इन्स्टीटयूट आफ सोलर एनर्जी स्थापित किया जाना चाहिए जिसे सूर्य की रोशनी के उपयोग के सभी पहलुओं के विषय में कार्य करना चाहिए । भारत ऐसी संस्था को अपेक्षानुसार सुविधायें प्रदान कर सकता है ।

6. विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए विश्व समुदाय को हर सम्भव प्रयास और व्यय करना चाहिए । खाद्यानों का निर्यात करने वाले देशों को भी अपने देश में खादयानों का उत्पादन बढाने के प्रयासों में ढील नहीं आने देनी चाहिए और अपेक्षित सुरक्षा तथा भण्डार की तब तक व्यवस्था करनी चाहिये जब तक कि विकासशील देश उत्पादन का पर्याप्त स्तर प्राप्त करके पर्याप्त खादयानों का भण्डार न बना लें।

7. खादय सुरक्षा परिषद नामक एक राजनैतिक प्राधिकरण होना चाहिए जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्तर का हो । इस परिषद के पास एक विश्व खाद्य नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन की देखरेख तथा मार्गदर्शन करने के लिए अपेक्षित अधिकार होने चाहिए ।

विश्व खाद्य सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की एक सूची संलग्न है ।

(ग) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने अमरीका के विदेश मंत्री डा० एच० ए० किसिंजर दवारा प्रस्तुत किए गए विश्व खाद्य तथा कृषि समस्याओं के विश्लेषण से पूरी सहमति प्रकट की । भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने खाद्य निर्यात, खाद्य उत्पादन और पुंजी निवश तथा खाद्य भण्डारके लिए तीन समन्वय दल संगठित करने के बारे में अमरीका के विदेश मंत्री के सुझाव का भी स्वागत किया। समन्वय हल गठित करने का यह सुझाव विशिष्ट कार्य विषयक सलाहकार दल के समान ही प्रतीत होता है जिसका कि भारत ने अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया था ।

विवरण

रोम में 5 से 16 नवम्बर, 1974 तक हुए विश्व खाद्य सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सूची :

1. श्री जगजीवन राम, कृषि और सिंचाई मंत्री	नेता
2. श्री अप्पा पन्त, रोम स्थित भारतीय राजदूत	वैकल्पिक
3. श्री जी० सी० एल० जोनेजा, सचिव, खाद्य विभाग, नई दिल्ली	वैकल्पिक
4. डा० एम० एस० स्वामीनाथन, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	वैकल्पिक

5. श्री. आबू हाकिम, निदेशक (विदेशी सहायता) कृषि विभाग, नई दिल्ली	वैकल्पिक
6. श्री राम सरण, अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि विभाग, नई दिल्ली	वैकल्पिक
7. श्री आई० एस० चड्डा, "अंकटाड' तथा 'मोट' विषयक रोम स्थित भारतीय उप स्थायी प्रतिनिधी	वैकल्पिक
8. श्री कमला प्रसाद, कौंसिलर (कृषि), भारतीय दूतावास, रौम (इटली)	वैकल्पिक तथा सचिव
9. श्री ओ० पी० अरोडा, कृषि और सिंचाई मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	सहयोगी

Amount outstanding against Sugar Mills in Saharanpur

2648. Shri Mulki Raj Saini : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount outstanding as on October, 1974 against the sugar mills of Saharanpur district, on account of the cost of sugarcane of the farmers, mill-wise; and

(b) the amount outstanding against Lord Krishna Sugar Mill, Saharanpur for the year 1971-72, 1972-73 and 1973-74 separately ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The amounts of sugarcane price outstanding as on 31st October, 1974 against the sugar mills of Saharanpur District are given below :—

Name of the sugar factory	Amount outstanding (Rs. in lakhs)
1. Iqbalpur	19.68
2. Deoband	10.81
3. Laksar	5.79
4. Saharanpur	55.99
5. Sarsawa	2.33

(b) The amounts of sugarcane price outstanding against Lord Krishna Sugar Mill Saharanpur for the following years are —

Year	Amount in Lakhs Rs.
1971-72	8.04
1972-73	29.38
1973-74	18.57

The above information has been furnished by the U. P. Government.

मेघालय को भेजे जाने वाले उर्वरक को अन्यत्र भेजनें के मामले की जांच का प्रतिवेदन

2649. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री मेघालय को भेजे जाने वाले उर्वरक को अन्यत्र भेजने के मामले की जांच के बारे में 12 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2247 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मेघालय राज्य सरकार से मेघालय को भेजे जाने वाले उर्वरक को अन्यत्र भेजने के कथित मामले की जांच के बारे में अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

कृषि और सिचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जनवरी, 1973 में मैसर्ज शिलांग को-आपरेटिव द्वारा 15 मीटरी टन उर्वरक को अन्यत्र भेजे जाने के मामले कीसी० बी० आई० जांच कर रहा है । सी० बी० आई की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

राज्य सरकार ने यह भी सूचना दी है कि दिसम्बर, 1973 में खासी हिल्ज के उपायुक्त ने मैसर्स शिलांग को-आपरेटिव के उर्वरक के गोदाम को सील बन्द कर दिया था क्योंकि ऐसा सन्देह था कि उसमें मिलावटी उर्वरक रखा गया है किन्तु उसका विश्लेषण करने के बाद पता चला है कि उसमें मिलावट नहीं थी । अतः पुलिस ने इस मामल को समाप्त कर दिया ।

Anomalies in Salaries of Headmasters and other Teachers

2650. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a delegation of the Delhi Middle School Teachers' Association met the Prime Minister on the 28th October and requested her to remove anomalies in the salaries of Headmasters and other teachers ;

(b) whether she got those anomalies removed by her personal intervention on a previous occasion also; and

(c) if so, the desirability of the teachers approaching her repeatedly?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) and (b) Representatives of Secondary Teachers Federation, Delhi, met the PrimeMinister on October 28, 1974 and submitted memoranda regarding their demands. Representations made earlier to the Prime Minister regarding the removal of the anomalies in the payscales of teachers had been referred to the Ministry of Education for examination.

(c) Government do not object to the representatives of teachers making representations to the head of the Government whenever they feel that they would like their case to be considered at the heighest level.

पब्लिक स्कूलों का भारतीयकरण

2651. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य स्कूलों की तुलना में इन पब्लिक स्कूलों की क्या विशेषताएं है; और

(ख) इन स्कूलों के भारतीयकरण के लिए तथा उन्हें गुरुकुल पद्धति पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) पब्लिक स्कूल उन्हें कहा जाता है, जो "भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन" नामक संगठन के सदस्य हैं। भारत का कोई भी स्कूल किसी भी समय सम्मेलन का सदस्य बन सकता है यदि वह संगठन द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करता है। इस समय देश में ऐसे 48 स्कूल है जिनमें 5 मिलिट्री स्कूल और 13 सैनिक स्कूल शामिल है। किसी भी स्कूल को अपना सदस्य बनाने के लिए भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन द्वारा निर्धारित शर्तें अनुबंध-1 में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8620/74**] मोटे तौर पर इनमें पब्लिक स्कूलों के संबंध में मुख्य मुख्य बातें दी गयी है और उनमें से बहुत सी बातें उन अन्य सुव्यवस्थित मान्यता प्राप्त स्कूलों के समान है जो भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य नहीं है। पब्लिक स्कूलों की एक विशिष्ट बात यह है कि ये स्कूल बहुधा रियाहशी होते है और इन स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों को छात्रावासो में रहना जरूरी होता है। इन स्कूलों की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्कूल नियमित शैक्षिक कार्य के अतिरिक्त खेलो, पाठयेतर क्रियाकलापो, तथा नेतृत्व और उत्तरदायित्व के लिए प्रशिक्षण पर भी समान रूप से बल दते है।

(ख) ये स्कूल या तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अथवा भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद से सम्बन्ध है और इस प्रकार ये उक्त निकायों द्वारा निर्धारित पाठयचर्या का पालन करते है और उनके द्वारा संचालित परीक्षाओ के लिए ही छात्रों को तैयार करते है। इन स्कूलों की प्रकृति पूरी तरह से भारतीय है। गुरुकुल, जो कि देश में शताब्दियों से चल रहे है, पूर्णतया एक भिन्न पद्धति पर काम कर रहे है। अतः पब्लिक स्कूलों को गुरुकुलों की पद्धति के अनुसार चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

फुटबाल तथा वालीबाल के ओलंपिक खेलों के होने से पूर्व के खेलों में भारतीय दल को शामिल न करना

2652. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फुटबाल तथा वालीबाल के ओलिंपिक खेलों के होने से पूर्व के खेलों में भारतीय दल प्रवेश पाने का हकदार नहीं है जब कि छः वर्ष पूर्व भारतीय दल को ओलंपिक फुटबाल में शामिल करने योग्य समझा गया था; और

(ख) यदि हां, तो फुटबाल खेल का स्तर सुधारने के लिये तथा फुटबाल खेलने संबंधी अनुकूल वातावरण बनाने के लिये क्या राष्ट्रीय नीति बनाई गयी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) भारतीय टीमें फुटबाल और वालीबाल के पूर्व औलंपिक टूर्नामेंटों में भाग लेने की हकदार होती है। अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने 1964, 1968, तथा 1972 में आयोजित ओलम्पिक खेलों के लिए अपनी एक टीम पूर्व-आलम्पिक टूनामेंट में भेजी थी परन्तु इस टीम ने वास्तविक ओलम्पिक टूर्नामेंट में खेलने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की। वालीबाल के मामले में भारत, 1964 के मुख्य ओलम्पिक वालीबाल टूर्नामेंट में भाग लेने की पात्रता प्राप्त करने हेतु पिछलीबार 1963 में आयोजित पूर्व औलम्पिक एशियाई क्षेत्र टूर्नामेंट में खेला था। तब से 1968 और 1972 के ओलम्पिक खेलों में खेलने के लिए भारतीय वालीबाल संघ ने पूर्व ओलम्पिक टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया।

(ख) अखिल भारतीय खेल परिषद की सलाह पर यह निर्णय किया गया है कि एक बहुत बडे क्षेत्र में नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में खेल कार्यकलापों तथा शारीरिक प्रशिक्षण को आधार मूल स्तरों पर व्यापक रूप से आधारित किया जाना चाहिए। इससे यथा संभव एक बडी संख्या में शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त जवान खिलाडी प्राप्त हो सकेंगे तथा एक बहुत बडे क्षेत्र में ठीक छोटी आयु में ही खेल प्रतिभा का भी पता लगाया जा सकेगा।

अखिल भारतीय फुटबाल संघ को वार्षिक चैम्पियनशिप आयोजित करने, वरिष्ठों तथा कनिष्ठों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने तथा विदेश में चुने हुए टुर्नामेंट में भाग लेने के लिए सहायता दी गई है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं राज्य खेल परिषदों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमो में सहायता देने के लिए प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा आगे विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए खेल प्रतिभा मालूम करने हेतु, नेहरु युवक केन्द्रों में प्रशिक्षित खेल प्रशिक्षक भी नियुक्त किये गये है। राज्य खेल परिषदों को फुटबाल सहित विभिन्न खेलों के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई है।

स्कूल तथा विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी जाती है। फुटबाल के खिलाडियों समेत उत्कृष्ट खिलाडियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाते है।

राष्ट्रीय खेल संघों/संगठनों द्वारा, जो स्वायत्त निकाय है, प्रतिस्पर्धा स्तर पर खेल आयोजित किए जाते है। उनके कार्य को गति प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने अप्रैल, 1974 में सरकार से वित्तीय तथा अन्य सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र बनने के लिए मार्ग-दर्शी रेखाएं निर्धारित की। ये मार्गदर्शी रेखाएं 15 सितम्बर 1974 से लागू है।

अखिल भारतीय खेल परिषद की सलाह पर, टीमों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने तथा चयन करने के लिए मार्गदर्शी रेखाएं निर्धारित की गई है तथा अखिल भारतीय फुटबाल संघ समेत अन्य खेल संघों को मार्गदर्शन तथा कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है। सितम्बर 1974 में तेहरान में आयोजित सातवें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाडियों के निष्पादन की समीक्षा अखिल भारतीय खेल परिषद द्वारा दिसम्बर, 1974 में होने वाली अपनी अगली बैठक में की जाएगी तथा भारतीय ओलम्पिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघों को, परिषद द्वारा जो भी सिफारिशें की जाएंगी उन्हें मद्दे नजर रखते हुए, फुटबाल समेत विभिन्न खेलों के लिए, भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में उपयुक्त सलाह दी जाएगी।

नर्मदा विवाद न्यायाधिकरण

2653. श्री राम सहाय पांडेय :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष पूर्व गठित नर्मदा विवाद न्यायाधिकरण संबंधित राज्यों द्वारा अपनाये गये निरपेक्ष रवैये के कारण अपनी बैठक करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) नर्मदा जल विवाद से सम्बद्ध पक्षकार राज्यों में से किसी ने भी नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की कार्यवाही के प्रति कोई उदासीनता नहीं दिखाई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में बन रोपण हेतु आदर्श अग्नि संरक्षण सेवा

2654. श्री सी० जनार्दनन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि वर्तमान अग्नि संरक्षण सुविधाओं से किये गये अथक प्रयासों के बावजूद वनारोपण का बहुत बडा क्षेत्र हर साल अग्नि से नष्ट हो जाता है;

(ख) क्या एफ० ए० ओ०/एस० आई० डी० ए० फारेस्टरो प्रोजेक्ट आइडेंटीफीकेशन मिशन ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि एफ० ए० ओ०/एस० आई० डी० ए० से आवश्यक वित्तीय सहायता लेकर केरल में एक आदर्श अग्नि संरक्षण सेवा की स्थापना की जाये; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। केरल सरकार द्वारा अग्नि से बचाव करने के आम उपाय किए जाने के बावजूद भी गत पांच वर्ष की अवधि में आग से लगभग 3000 हैक्टर क्षेत्र में हानि हुई है।

(ख) जी हां ।

(ग) एस० आई० डी० ए० द्वारा सीमित आर्थिक सहायता का प्रस्ताव रखा जाने के कारण केरल में एक आदर्श वन अग्नि संरक्षण सेवा की स्थापना करने के लिए एफ० ए० ओ०/एस० आई० डी० ए० फारेस्ट्री प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेशन मिशन की सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया जा सका । एस० आई० डी० ए० से अतिरिक्त सहायता मिलने पर एफ० ए० ओ०/एस० आई० डी० ए० मिशन द्वारा सिफारिश की हुई अन्य परियोजनाओं के साथ इसे शुरू किया जाएगा ।

पंजाब सरकार द्वारा गेहूं के अधिक मूल्य देने की पेशकश

2655. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र द्वारा निर्धारित किये गये गेहूं के मूल्य से अधिक मूल्य देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार केन्द्रीय पूल के लिए लेवी भाग के रूप में गेहूं का स्टाक केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 105 रुपये प्रति क्विंटल और लेवी दिया गया गेहूं 139 रुपये प्रति क्विंटल पर ले रही है । तथापि, पंजाब के विपणन संघ तथा सिविल आपूर्ति निगम को खुले बाजार में थोक खाद्यान्न लाइसेंसधारियों के रूप में 116 रुपये प्रति क्विंटल तक गेहूं खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है और वे अपेक्षित लेवी का भाग 105 रुपये प्रति क्विंटल पर दे रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में खरीफ के मौसम में मूंगफली का उत्पादन

2656. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस खरीफ के मौसम में गुजरात में मूंगफली का उत्पादन बहुत कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो मूंगफली के तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या मूंगफली के तेल के मूल्य को कम करने के लिये गुजरात की सहायता करने के लिये अन्य राज्यों में मूंगफली मंगायी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में दूध की आवश्यकता तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उसकी सप्लाई

2657. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली में दूध की आवश्यकता पूरी नहीं कर पायी है;

(ख) इस समय दिल्ली में दूध की कुल कितनी आवश्यकता है; और

(ग) दिल्ली में दूध की सप्लाई बढाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) इस समय दिल्ली दुग्ध योजना अपनी शत प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का प्रयोग करके प्रतिदिन लगभग 3.07 लाख लिटर दूध का वितरण कर रही है, जब कि राजधानी की प्रतिदिन की कुल आवश्यकता 7 लाख लिटर होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी की तरल दूध निपटाने की क्षमता तीन लाख लिटर प्रतिदिन से बढा कर 3.75 लाख लिटर प्रतिदिन की जा रही है और आशा है कि यह विस्तार-कार्य शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। इससे केन्द्रीय डेरी प्रतिदिन 75 हजार लिटर अतिरिक्त दूध का वितरण कर सकेगी। इससे अतिरिक्त एक अन्य डेरी स्थापित की जा रही है, जिसकी अधिष्ठापित क्षमता 4 लाख लिटर तरल दूध की होगी और ये दोनों डेरियां मिलकर राजधानी का तरल दूध की अनुमानित आवश्यकता की न्यूनाधिक पूर्ति कर सकेंगी।

बिकाउ फालतू खाद्यान्नों की वसूली तथा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को खत्म करने के बारे में की गई कार्यवाही

2658. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़े उत्पादकों से बिकाऊ फालतू खाद्यान्न की वसूली को सुनिश्चित करने तथा खाद्यान्नों के थोक व्यापार को खत्म करने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ताकि औद्योगिक तथा शहरी उपभोक्ताओं तथा ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को खाद्यान्न की उपलब्धता की गारंटी दी जाए; और

(ख) पूरे विकाऊ फालतू खाद्यानों को जमा करने के लिये तथा नियंत्रित मूल्यों पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के परामर्श से राज्य सरकारों ने उत्पादकों, मिल मालिकों और व्यापारियों पर लेवी लगाने की प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करने की दिशा में पग उठाए है । इसके अतिरिक्त खाद्यान्नों में व्यापार करने के बारे में गेहूं के थोक मूल्यों पर नियंत्रण करने सहित लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से विनियामक और नियंत्रण-उपायों को भी लागू किया जा रहा है । इसके अलावा, गेहूं और चावल के अन्तरराज्यीय व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं । इन उपायों से अधिप्राप्ति में वृद्धि होने की आशा है जिसके जनसंख्या के कमजोर वर्गों को सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध किए जा सकेंगे ।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

2659. **श्री टुना उरांव :**
श्री कुमार मांझी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की कमी के कारण अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम त्याग दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों के बीच सम्पर्क

2660. **डा० के० एल० राव :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास भी संभव हो सकता है यदि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा वास्तविक क्षेत्र में कार्यरत इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों के बीच निकट का संपर्क हो; और

(ख) यदि हां, तो आगामी दस वर्षों की अवधि में ऐसा करने के लिये शुरू की गई परियोजना हेतु क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) तकनीकी शिक्षा तथा उद्योगों के बीच निकट सहयोग व समन्वय स्थापित करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों में, संतराल पाठ्यक्रमों, उद्योग-उन्मुख उत्तर स्नातक, कार्यक्रमों, कार्यरत कार्मिकों के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन तथा उन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और उन अन्य सुविकसित संस्थानों द्वारा परामर्श सेवाओं का प्रसार शामिल है, जहां अनुसंधान, डिजाईन, विकास और परामर्श कार्य के लिए सुविधाएं और विशेषज्ञ ज्ञान उपलब्ध है ।

इसके अलावा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, तकनोकी संस्थाओं, उद्योगों, अनुसन्धान प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थाओं में अनुसन्धान, विकास परामर्श आदि के कार्यकलापों को समन्वित करने और उनमें निकट सम्बन्ध पैदा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त संस्थागत मशीनरी को स्थापना करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) की सिंचाई क्षमता

2661. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की सिंचाई क्षमता 11 प्रतिशत से अधिक नहीं है जिसमें से 8 प्रतिशत क्षमता स्वतंत्रता पूर्व बनाई गयी थी तथा पिछले 27 वर्षों में केवल 3 प्रतिशत सिंचाई क्षमता ही बढ़ायी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ अंचल, में दुर्ग रायपुर और बिलासपुर जिलों के क्षेत्रों को शामिल समझा जा सकता है। इस क्षेत्र में बृहत और मध्यम स्कीमों से पूर्व योजना सिंचाई शक्यता 2,39,000 हैक्टेयर थी। योजना अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1,47,000 हैक्टेयर को अंतिम शक्यता वाली 11 बृहत/मध्यम स्कीमों को हाथ में लिया गया था जिन में से चतुर्थ योजना के अंत तक 8 स्कीमें पूर्ण हो गई है जिनसे 85,000 हैक्टेयर की शक्यता का निर्माण हो चुका है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने हसदेव बांध, अरपा, जो कि व्यपवर्तन के लिए परियोजना रिपोर्ट भेजी है जिनमें, इस अंचल में 3,61,000 हैक्टेयर की कुल सिंचाई परिकल्पित है।

भूमि सुधारों को लागू करने के लिये अधिकारियों की नियुक्ति

2662. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार योजना आयोग के कार्य कारी दल द्वारा अनुमोदित किए गए भूमि सुधारों को लागू करने के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल): (क) तथा (ख) अनेक राज्यों ने अपनी भूमि सुधार कानूनों और विशेषकर जोत की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों में कानूनों की क्रियान्विति के कार्य को करने के लिये विशेष निकाय बनाने की व्यवस्था की हुई है। इन कानूनों के में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तामिलनाडु के कानून विशेषरूप से उल्लेखनीय है।

Kangarail Dam over the Mahanadi River in Madhya Pradesh

2663. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Union Ministry have taken up the work of any big irrigation project in Madhya Pradesh;

(b) whether more funds have been released this year for the completion of Kangarail dam over the Mahanadi in Madhya Pradesh ; and

(c) whether more funds have been provided from the Centre for the speedy completion of Hasdobangon dam in Bilaspur district of Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Irrigation is a State subject and funds for irrigation schemes are provided for in the State Plans.

The outlay approved by the Planning Commission for the Annual Plan 1974-75 of Madhya Pradesh is Rs. 152.25 crores including an earmarked outlay of Rs. 3 crores for the Mahanadi Reservoir Project. Hasdeo Bango Project has not so far been approved.

उड़ीसा में गृह निर्माण योजना में जीवन निगम द्वारा निवेश

2664. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने उड़ीसा में 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में विभिन्न गृह निर्माण योजनाओं में कोई धन राशि लगाई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष वार कितना धन लगाया है; और

(ग) महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और तामिलनाडु जैसे राज्यों में उन्ही वर्षों में लगाई गई धनराशि की तुलना में इसकी क्या तुलना है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1972–73 1973–74 तथा 1974–75 के दौरान विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए उड़ीसा सरकार तथा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल तथा तामिलनाडु सरकारों को नियत की गयी जीवन बीमा निगम से ऋणों की राशि इस प्रकार है :–

राज्य का नाम	वर्ष के दौरान नियत की गयी राशि (लाख रुपयों में)		
	1972–73	1973–74	1974–75
उड़ीसा .	110.00	110.00	अभी नियतन नहीं किया गया।
महाराष्ट्र .	100.00	100.00	वही
गुजरात	80.00	80.00	105.00
केरल .	80.00	80.00	70.00
पश्चिम बंगाल	100.00	100.00	126.00
तमिलनाडु . . .	150.00	150.00	126.00

वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 में पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का उत्पादन, केन्द्र द्वारा की गई सप्लाई, वसूली और खपत

2665. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में पश्चिम बंगाल में खाद्यानों की कुल उत्पादन कितना है;

(ख) वर्ष 1972–73 और वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य को खाद्यानों की कुल कितनी सप्लाई की थी;

(ग) वर्ष 1972–73 और 1973–74 में खाद्यानों का लक्ष्य तथा उनकी वास्तविक वसूली क्या है;

(घ) वर्ष 1972–73, वर्ष 1973–74 और वर्ष 1974–75 में इस राज्य की खपत क्या है;

(ङ) क्या राज्य में खाद्यानों की कोई वास्तविक कमी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल में 1972–73 और 1973–74 के दौरान अनाजों का कुल उत्पादन इस प्रकार हुआ था :–

(हजार मी० टन में)

वर्ष	अनाजों का उत्पादन
1972–73 . . .	6487
1973–74	6524

(ख) पश्चिमी बंगाल को पंचाग वर्ष 1972, 1973 और 1974 (अक्तूबर तक) में अनाजों की सप्लाई की गई कुल मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(हजार मी० टन में)

वर्ष	केन्द्रीय सप्लाई
1972 . .	1988
1973	1753
1974 (अक्तूबर तक) . . .	1307

(ग) 1972–73 और 1973–74 के दौरान पश्चिमी बंगाल के लिए चावल के लक्ष्य और वहां वास्तव में की गई अधिप्राप्ति का ब्यौरा नीचे दिया गया।

(हजार मी० टन में)

वर्ष	लक्ष्य	चावल की वास्तव में की गई अधिप्राप्ति
1972–73 (नव० अक्तू०) . . .	300	176
1973–74 (नव० अक्तू०)	500	159

हालांकि 1972–73 के लिए (अप्रैल-मार्च) गेहूं की अधिप्राप्ति के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, लेकिन 1973–74 (अप्रैल-मार्च) के लिए 100 हजार मी० टन का कार्यचालन लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 1972–73 में 57 मी० टन और 1973–74 में 371 मी० टन की वास्तविक अधिप्राप्ति की गई थी।

(घ) से (च) अनाजों की उपलब्धता, अन्य वैकल्पिक खाद्य पदार्थों की उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय स्तर, जन संख्या में वृद्धि और शहरीकरण की रफ्तार आदि जैसी कई बातों पर अनाज की खपत सम्बन्धी आवश्यकताएं निर्भर करती है। अतः पश्चिमी बंगाल की अनाज की खपत की आवश्यकताओं का ठीक ठीक मात्रात्मक अंदाजा लगाना सम्भव नहीं है। पश्चिमी बंगाल एक कमी वाला राज्य है और अपनी सरकारी वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनाज के लिए केन्द्रीय सप्लाई पर निर्भर करता है।

माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकरण की जांच

2666. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड नई दिल्ली के गत तीन वर्षों के कार्यकरण की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को उस अवधि की किन अनियमितताओं का पता चला है; और

(ग) उपक्रम के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए है अथवा करने का विचार है।?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। तथापि, सरकारी प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति (पांचवी लोकसभा) ने माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि० के 31-3-73 तक की अवधि के कार्यचालन की जांच की है।

(ख) समिति के निष्कर्ष को उसकी 47 वीं रिपोर्ट, जो कि मार्च, 1974 में संसद् में प्रस्तुत की गई थी, में दिया गया है।

(ग) माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि० रिपोर्ट में उल्लिखित समिति की विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही कर रहा है।

महात्मा गांधी की प्रतिमा

2667. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री महात्मा गांधी की प्रतिमा के बारे में 11 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समिति द्वारा 13 सितम्बर, 1972 के मामले पर विचार न कर पाने के कारण यह मामला दिल्ली नगरीय कला आयोग को सिफारिशों के लिए किस तिथि को निर्देशित किया गया था;

(ख) क्या आयोग की सिफारिशें इस बीच प्राप्त हो गई है और क्या इण्डिया गेट पर गांधी की प्रतिमा की स्थापना के बारे म कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अन्तिम निर्णय लेने में इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 18 सितम्बर 1974 को।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि कला आयोग की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अतः निर्णय लेने में विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सोयाबीन संयंत्र की स्थापना

2668. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं के आटे के प्रोटीन तत्व की कमी को पूरा करने तथा खाद्य तेलों का उत्पादन करने के लिए एक सोयाबीन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो यह संयत्र कहां स्थापित किया जा रहा है और इसमें उत्पादन कब से शुरू हो जायेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा फरीदाबाद में सोयाबिन विधायन संयंत्र स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मल्टीपल क्रापिंग और रिले क्रापिंग

2669. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रही है जिसके अनुसार किसानों को 'मल्टीपल क्रापिंग और रिले क्रापिंग' तरीकों द्वारा उत्पादन बढाने को कहा जाएगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) तथा (ख) : वर्ष 1966–67 में अल्पकालीन अधिक उत्पादनशील किस्मों को खेती शुरू होने से वर्ष में एक से अधिक फसल उगाकर देश में फसल बढाने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। वर्ष 1967–68 में विभिन्न राज्यों में एक बहु फसली खेती का कार्यक्रम (जिसमें अदल बदल कर खेती करने का कार्यक्रम भी शामिल था) शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अधिक उत्पादनशील किस्मों को खेती करके, भूमि व जल संसाधनों का उपयुक्त ढंग से उपयोग करके व उर्वरकों व कीटनाशक औषधियों का उपयोग करके कृषि उत्पादन बढाना था। अनुसंधान सम्बन्धी उपलब्ध जानकारी के आधार पर उपयुक्त विशेष क्षेत्रों के लिए अनुकूल फसल पद्धतियां को सिफारिश को गई थी।

2. चौथी योजनावधि (1969–70 से 1973–74) तक के दौरान देश में लगभग 90 लाख हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र को बहुउद्देशीय फसल का कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। यह लक्ष्य लगभग पूरा हो गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 110 लाख वेक्टर के अतिरिक्त क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है।

3. देश भर में चलने वाले बहुउद्देशीय फसल के सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त भारत सरकार ने 1971–72 के दौरान चुने हुए सम्भाव्य क्षेत्रों में 'बहुउद्देशीय फसल के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएं' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना (जो चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों में क्रियान्वित को जानी थी) शुरू को थी। ये मार्गदर्शी परियोजनाएं फसल क्रमों और अनुकूल अनुसंधान परीक्षणों तथा वैज्ञानिकों प्रदर्शनों के माध्यम से उन्नत खेती को तकनीकियों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्रदान करके सामान्य बहुउद्देशीय फसल कार्यक्रम को सहायता देने और सुदृढ करने के लिए बनाई गई थी। विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए ऐसी 57 परियोजनाएं मंजूर की गई थी।

12 वर्ष की स्कूल की पढ़ाई की नई शिक्षा पद्धति

2670. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने 12 वर्ष को स्कूल को पढाई को शिक्षा पद्धति को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो किन किन राज्यों ने उक्त पद्धतियों स्वीकार नहीं की है और उसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने जिसमें सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों का प्रतिनिधित्व है, एक संकल्प स्वीकार किया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि देश भर में स्कूल शिक्षा को एक नई पद्धति शुरू को जानी चाहिए।

दस वर्षीय प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा तथा उसके बाद 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की 12 वर्षीय स्कूल/शिक्षा प्रणाली अब तक आंध्र प्रदेश, करल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में लागू को गई है। असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में माध्यमिक शिक्षा की परिशोधित प्रणाली लागू को है तथा उच्चस्तर माध्यमिक स्तर पर दो वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू करने को योजना बना रहे हैं। बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उडीसा और राजस्थान नई प्रणाली को लागू करने के लिए ब्योरे तैयार कर रहे है। अन्य राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही है। दिल्ली प्रशासन का मई, 1975 से नयी प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव है। अन्य संघशासित प्रदेशों के स्कूल अपने अपने शिक्षा बोर्डों द्वारा किये गये परिवर्तनों को अपनाएंगे जिनके साथ वे सम्बद्ध है।

चावल की भूसी

2671. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल की भूसी का जो चावल पर पालिश करने के समय उपलब्ध होती है, पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या चावल की इस भूसी में 84 प्रतिशत विटामिन बी 1 और 40 प्रतिशत बी 2 होने से चावल का वास्तविक खाद्य तेल होता है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो हमारे खाद्य को इस प्रकार नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) चावल को पालिश करते समय जो चावल की भूसी प्राप्त होती है उसमें तेल के अलावा विटामिन सी 1 और बी 2 होता है । यह सच है कि चावल की कुछ भूसी का पशु आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है लेकिन सरकार चावल मिलिंग के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे रही है जिसके चावल की ऐसी भूसी प्राप्त हो सके जिसमें अधिक तेल हो और उसमें चोकर न हो । विलायक निस्सारण उद्योग उत्तरोत्तर ऐसी भूसी का मूल्यवान तेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर रहा है ।

चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंसिंग) नियम 1959 में यह व्यवस्था है कि मिलिंग के दौरान 5 प्रतिशत से अधिक या 3 प्रतिशत से कम भूसी नहीं उतारनी चाहिये । इससे पहले पालिस करने से होने वाली पौष्टिक तत्वों की क्षति कुछ हद तक रोकी जा सकती है। सरकार धान से सेला चावल बनाने को बढ़ावा दे रही है जिसके विधायन के दौरान चावल से अधिक विटामिन मोजूदा रहते है । अत: चावल में पौष्टिक तत्व सुरक्षित रखने और उसकी बर्बादी रोकने के लिए प्रयत्न जारी है ।

Imparting of Education on Indian Culture in Schools and Colleges

2672. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfar and Culture** be pleased to state :

(a) the concrete steps taken so far by the Government to impart education on Indian culture in the schools and Universities ;

(b) whether some special books have been got prepared by the Government of India in this regard ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shr D. P. Yadav) : (a) to (c) The cultural content of the curriculum on topics such as Indian Art, Architecture, History, Languages and Literature etc., is adequately emphasised in the school curriculam and syllabus developed by the National Council of Eudcational Research and Training. The question of giving adequate coverage to topics like music and dance in the new 10-year curriculum will be considered during review of the curriculum, which is being made. Curriculum development is a continuing process and revision of curriculum is to be done both at the Central and State levels.

A scheme for the propagation of Culture among college and school students orginally started as a pilot project in 1970, has been continued. Under the scheme refresher courses are organised for teachers drawn from Secondary Schools and Colleges on various aspects of Indian Culture and the teachers in turn impart the knowledge obtained by them in the referesher Course to the students of their respective educational institutions. Educational kits are also supplied to the institutions which sponsor teachers, for the refresher course.

The National Book Trust, under its "Aadan-Pradan" Programme, brings out titles and translations to enable readers, *inter-alia*, in one linguistic region to understand and appreciate the way of life and creative works of other regions. The Trust also brings out titles of cultural interest including folklore and biographies.

The National Book Trust has so far brought out about 160 books and translations under the scheme of Aadan-Pradan Programme and 142 more are likely to be published shortly.

The National Council of Educational Research and Training is developing under its supplementary reading programme a series on our national poets under which books have been written so far on Kalidas, Galib, Tukaram and Nazrul Islam. Books on Amir Khusro and Iqbal are under preparation.

प्रति वर्ष तूफान से प्रभावित होने वाले पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में राहत कार्य

2673. श्री आर० एन० वर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रतिवर्ष तूफान से बहुत अधिक हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तूफान के समय इन क्षेत्रों में प्रभावित होनेवाले लोगों के लिये राहत कार्य प्रारम्भ करने हेतु कोई योजना बनाई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

फोर्ड फाउंडेशन से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाएं एवं विश्वविद्यालय

2674. श्री वयालर रवि : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए अमरीका को फोर्ड फाउंडेशन से कितनी शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता मिल रही है और उनके काम क्या हैं और उस सहायता से आरम्भ की गई परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इन संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उसका वर्षवार और संस्थान-वार ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरूल हसन) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पोटाश उर्वरक का आयात करने वाली कम्पनियां

2675. श्री शशि भूषण : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो भारत को पोटास उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं का अधिकांश भाग आयात करती हैं ;

(ख) क्या इन कम्पनियों में अधिकांश रूप से विदेशी पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनका भारतीयकरण करने का है और यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) पोटाशयुक्त उर्वरकों को कोई कम्पनी आयात नहीं करती है। इन्हें, आपूर्ति विभाग तथा खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा आयात किया जाता है।

मध्य प्रदेश में केला विकास योजना

2676. **श्री नाथूराम अहिरवार :**

श्री नरेन्द्र सिंह :

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री मध्य प्रदेश में केला विकास योजना के बारे में 12 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के उत्तर के संबंध मे यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई केला विकास योजना को इस बीच मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 21 अक्तूबर, 1974 को।

गन्दी बस्तियां हटाने सम्बन्धी योजना

2677. **श्री लालजी भाई :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में कई बार गन्दी बस्तियों हटाने सम्बधी कार्य आरम्भ हुए ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं और यह योजना कब लागू हुई थी ;

(ग) इस योजना की कार्यान्वित से कितने व्यक्ति प्रभावित हुए थे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना से प्रभावित हुए व्यक्तियों को राहत तथा पुनर्वास प्रदान किया था ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) दिल्ली में चलाये गये अभियानों का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 8621/74]** इन अभियानों से लगभग 3000 व्यक्ति प्रभावित हुए। उन्हें अपेक्षाकृत अच्छे क्षेत्रों में नव निर्मित स्लम टेनमेंट अलाट किये गये।

बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में गन्दी बस्ती उन्मुलन अभियान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना राज्य क्षेत्र में है।

राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाएं

2678. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐसी कौन-सी छोटी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनको राज्य में धन के अभाव के कारण स्थगित किया गया है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत एवं उपलब्ध की गई है ; और

(ग) धन कब तक उपलब्ध किया जायेगा और ये योजनायें कब तक आरम्भ की जायेंगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार से सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

डीलरों द्वारा कम उर्वरक खरीदा जाना

2679. श्री हरी सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में प्राइवेट डीलरों और किसानों द्वारा उर्वरक की खरीद में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे उर्वरक का उपयोग बढ़ाया जा सके और किसान तथा प्राइवेट डीलर कारखानों से अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदें ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) भारत सरकार को रिपोर्ट मिली थी कि कुछ राज्यों में 1973 के परवर्ती वर्ष की तुलना में जून-अगस्त, 1974 में उर्वरकों की खरीद में कमी हुई है। खरीद में कमी के कारण यह हैं—सूखा पड़ना तथा बाढ़ों का आना, पर्याप्त मात्रा में ऋण का न मिलना, मूल्यों में वृद्धि होना और कुछ राज्यों में आन्तरिक वितरण पद्धति में परिवर्तन होना। फिर भी ये प्राय: अस्थाई कारण थे जिनके लिये अधिकांशत वित्तीय तथा आन्तरिक वितरण प्रबंधों के समायोजन की जरूरत थी। वित्तीय सहायता तथा वितरण पद्धतियों के संबंध में आवश्यक कदम उठाए गये हैं और उठाए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में उर्वरकों की खरीद में वृद्धि होती जा रही है।

आसाम में चीनी मिलें स्थापित करना

2680. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने मांग की है कि पांचवीं योजना की अवधि में आसाम में सात चीनी मिलें स्थापित की जायें; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनी मिलों के लिये मंजूरी दी गई है और शेष का मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत और आसाम सरकार द्वारा अभिस्तावित 7 आवेदन पत्रों में से निम्नलिखित स्थानो पर सरकारी क्षेत्रों में प्रत्येक 1250 मीटरी टन क्षमता की 3 नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं :—

1. गोई पानी, जिला डिबरुगढ़
2. बोरबोरी, जिला कामरुप
3. कामपुर, जिला नवगोंग

शेष 4 आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी सेकरिन

2681. श्री एम० बी० कृष्णप्पा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 में बड़ी मात्रा में आयात की गई सेकरीन को जो भारतीय खाद्य निगम के पास पड़ी थी इस बीच निपटा दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके आयात पर सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास अभी भी लगभग 2.2 मी० टन सेकरीन पड़ी है ।

(ख) आयातित सैकरीन के निपटान के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, निगम ने 1971, 1972 और 1973 के दौरान तीन बार टेंडर आमंत्रित कर वास्तविक प्रयोक्ताओं को बेचने की कोशिश की थी। क्योंकि किसी ने टेंडर नहीं भेजे थे इसलिए उसे खुले बाजार में बेचने के लिए ढील प्राप्त की गई थी। भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध 3.2 मी० टन की मात्रा में से 1 मी० टन मात्रा खुले टेंडर से बेची गई है। शेष मात्रा को बेचने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) 98,000 रुपये की कीमत पर 5 मी० टन सैकरीन का आयात किया गया था।

Setting up of Control Board for Rajghat Dam

2682. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Control Board for Rajghat Dam proposed to be built near Jhansi has since been constituted;

(b) if so, the names of its Chairman and Members and if not, the reasons therefor and the further time likely to be taken in its constitution ; and

(c) the expenditure proposed to be incurred thereon by the Government of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during the current financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) & (b) The Chief Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh agreed on the 9th December, 1973 to set up a Control Board. Draft notifications were sent to States on the 17th December, 1973. On this Madhya Pradesh raised some legel questions. This was further discussed with the Chief Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh on the 29th May, 1974 and it was agreed that a Control Board should be set up by an Act of Parliament. A Draft Bill for this purpose was framed and sent to States on the 14th August 1974. Uttar Pradesh has concurred in the Draft Bill with slight modifications. Concurence of Madhya Pradesh is still awaited.

(c) Does not arise.

लाटरी निकाल कर भूमि के प्लाटों की बिक्री

2684. **श्री नवल किशोर सिंह : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मकान बनाने के लिये लाटरी निकाल कर निर्धारित मूल्य पर दिल्ली के निवासियों को पिछली बार कब भूमि आबंटित की थी ;

(ख) इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में बिक्री के लिये कितने एकड़ भूमि है तथा कितनी भूमि का अभी विकास किया जा रहा है;

(ग) इस भूमि में से कितनी भूमि की बिक्री नीलामी से की जाएगी तथा कितनी की निर्धारित मूल्य पर लाटरी निकाल कर; और

(घ) लाटरी निकाल कर भूमि के प्लाटों की बिक्री के लिये कब तक आवेदन पत्र मांगे जायेंगे ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग में व्यक्तियों को निश्चित दर पर रिहायशी प्लाटों का आबंटन समय समय पर पर्ची डाल कर करता आ रहा है। आखिरी ड्रा दिसम्बर, 71—जनवरी, 1972 में निकाला गया था।

(ख) झुग्गी वासियों के पुनर्वास और गन्दी बस्ती उन्मूलन योजनाओं तथा मुख्य सड़कों, बृहत योजना, "हरित" क्षेत्रों, अस्पताल आदि के लिये विकसित की गयी। विकसित की जा रही भूमि के क्षेत्र को छोड़ कर लगभग 4000 एकड़ रिहायशी क्षेत्र का पहले ही विकास किया जा चुका है तथा लगभग 6000 एकड़ रिहायशी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

(ग) मौजूदा सीमांकन तथा विकास के चरणों के अनुसार, 200 वर्ग गज से अधिक के आकार के 400 प्लाट नीलामी के लिए उपलब्ध हैं।

निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को लगभग 1950 प्लाट पर्चियों द्वारा बेचे जाने की सम्भावना है। निम्न आय वर्ग प्लाट का क्षेत्रफल 125 वर्ग गज तक है तथा मध्यम आय वर्ग के प्लाट का क्षेत्रफल 126 से 200 वर्ग गज तक है।

(घ) 16 दिसम्बर, 1974 से आगे।

खुर्दा रोड पर केन्द्रीय विद्यालय

2685. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन तथा उड़ीसा सरकार की ओर से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि खुर्दा रोड डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर, जहां 6 से अधिक भाषाएं बोलने वाले चार हजार से अधिक रेलवे कर्मचारी रहते हैं, केन्द्रीय विद्यालय खोला जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तथा (ख) खुर्दा रोड रेलवे कालोनी में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में दक्षिण-पूर्व रेलवे खुर्दा रोड के प्रभागीय अधीक्षक से ही एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 1975–76 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के अन्य प्रस्तावों के साथ साथ यह प्रस्ताव भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के विचाराधीन है। इस बारे में, उड़ीसा सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नारायण बिहार कालोनी, दिल्ली

2686. **श्री भानसिंह भौरा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "नारायण बिहार" कालोनी दिल्ली के निवासियों की दयनीय जीवन दशा की ओर दिलाया गया है क्योंकि उनकी दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली परिवहन निगम तथा डाक-तार विभाग द्वारा पूर्ण उपेक्षा की गई लगती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस कालोनी के निवासियों के कल्याण के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यह सही नहीं है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली परिवहन निगम तथा डाक व तार विभाग द्वारा कालोनी की उपेक्षा की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जलपूर्ति, मल-निर्यास, बरसाती नालियों तथा सड़कों की बाह्य सेवाओं की व्यवस्था कर दी है तथा इनका अनुरक्षण कार्य दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया है। उन्होंने जलपूर्ति, मल-निर्यास, बिजली सड़कों तथा गलियों में बिजली की आन्तरिक सेवाओं की व्यवस्था भी कर दी हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक सुविधाजनक पणन केन्द्र भी बना दिया है। सड़कों, बरसाती नालियों तथा सफाई सेवाओं का अनुरक्षण कार्य दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। कालोनी के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बस-सेवा अच्छी है। डाक व तार विभाग द्वारा इस क्षेत्र के लिए डाक की पर्याप्त सुविधाओं की भी व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में भूमि हथियाने सम्बन्धी मामले की जांच

2687. **श्री के० एम० मधुकर : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में भूमि हथियाने के मामले की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) न्यू फ्रेन्डस को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली के आबंटन तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में सरकार ने अभी किसी जांच के आदेश नहीं दिए हैं; मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की 80 प्रतिशत लागत का भुगतान

2688. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या निर्माण और आवास** मंत्री 25 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1870 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की शेष 80 प्रतिशत लागत के भुगतान के सम्बन्ध में सरकार का सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयां किस प्रकार कम करने का विचार है;

(ख) क्या नकदी में भुगतान करने वाले एलाटियों के मामले में 80 प्रतिशत भुगतान की पद्धति को किराया खरीद में बदलने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई अनुदेश दिये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह कहने का है कि जब तक भाग (ख) के बारे में कोई निर्णय न हो जाये तब तक शेष 80 प्रतिशत के भुगतान की अवधि बढ़ा दी जाये ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) रोक हटाने सम्बन्धी सामान्य आदेशों में दी गई नीति, उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण या आवास बोर्डों, या ऐसे अन्य निकायों द्वारा बने बनाये मकान/फ्लैट आबंटित किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) जी नहीं।

दिल्ली में देशभक्तों की प्रतिमाओं की स्थापना

2689. **श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली में देशभक्तों की कांस्य प्रतिमाओं की स्थापना के बारे में 18 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशभक्तों के नाम क्या है जिनकी प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की जायेंगी और दिल्ली में किन-किन स्थानों पर; और

(ख) ये प्रतिमायें कब तक स्थापित की जायेंगी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

सरकार ने एक शहीद स्मारक स्थापित करने का निर्णय किया है। यह कृति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये अभियान का नेतृत्व करते हुए महात्मा गांधी को चित्रित करेगी। गांधी जी की मूर्ति की स्थापना के लिये एक और प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

कोई निश्चित समय सीमा बताना कठिन है क्योंकि मामलों का निपटान दिल्ली नगर कला आयोग के परामर्श से किया जाना है। तथापि, इस शर्त के साथ, दिल्ली नगर निगम अप्रैल, 1975 तक मूर्तियों को स्थापित कर देने की आशा करता है ।

विवरण

उन व्यक्तियों के नाम जिन की मूर्तियां दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है	प्रस्तावित स्थान
1. श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी	दिल्ली गेट के पास खूनी दरवाजे के सामने ।
2. श्री सुभाष चन्द्र बोस	लाल किले के सामने सुभाष पार्क ।
3. महाराणा प्रताप	कुडसियां गार्डन ।
4. श्री भगत सिंह	भगत सिंह मार्ग ।
5. हकीम अजमल खां	अजमल खां पार्क, करोल बाग ।
6. श्री सावरकर	लाजपत नगर ।
7. स्वामी विवेकानन्द	पंचकुईं रोड तथा चित्र गुप्त रोड के चौक में ।
8. श्री दीन दयाल उपाध्याय	दीन दयाल उपाध्याय मार्ग ।
9. श्री मदन मोहन मालवीय	मालवीय नगर ।

दिल्ली नगर कला आयोग ने क्रम सं० 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित मूर्तियों के स्थान निर्धारण का अनुमोदन कर दिया है ।

आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सहायता

2690. श्री धामनकर : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय आई० डी० सी० एवं एन० डी० डी० बी० तथा राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम के प्रारम्भ से लेकर 31 मार्च, 1974 तक, वर्ष वार तथा संस्थान वार, कितने मूल्य की सहायता प्राप्त हुई ; और

(ख) कितनी विदेशी सहायता मशीनों, धन और अन्य सामग्री के रूप में प्राप्त हुई ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) "आपरेशन फ्लड' परियोजना को खाद्य तथा कृषि संगठन के विश्व खाद्य कार्यक्रम से सहायता मिलती है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम एशियायी देशों को आधार पर कृषि वैज्ञानिकों की सेवायें

2691. श्री एम० रामगोपाल रेडडी :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ तेल समृद्ध पश्चिम ऐशियाई देशों ने भारत सरकार से काफी संख्या में कृषि वैज्ञानिकों की सेवाएं उधार देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां । भारत सरकार को भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की सेवाओं के लिये ईरान, ईराक और ओमान आदि पश्चिम एशिया के अधिक तेल उत्पादन करने वाले मित्र देशों से अनुरोध प्राप्त हुये हैं ।

(ख) भारत सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है और इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिये हर प्रयास किया गया है ।

सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण

2692. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष, मकान बनाने के लिए ऋण दिये गये ; और

(ख) क्या इस प्रक्रिया को भविष्य में भी जारी रखा जायेगा ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गत तीन वर्षों की संख्या निम्नलिखित है :—

(i)	1971–72	4956
(ii)	1972–73	7263
(iii)	1973–74	4450

1973–74 वर्ष के सामने दिए गए 4450 के आंकड़े केवल 28 अगस्त, 1973 तक हैं क्योंकि आर्थिक कठिनाई के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 29–8–73 से गृह निर्माण अग्रिम देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

(ख) जी, हां ।

दिल्ली में अनधिकृत मकानों का गिराया जाना

2693. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर और अक्टूबर, 1974 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में कितने अनधिकृत मकान गिराये गये ;

(ख) क्या गिराये गये अनधिकृत मकानों के बदले में वैकल्पिक आवास दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निर्माणाधीन वाणिज्यिक संरचनाओं, झोपड़ियों और चहार दीवारी को छोड़कर 13 मकान इस अवधि के दौरान गिराये गये ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 13 परिवारों को जे० जे० टेनामेंटस में वैकल्पिक वास दिये गये थे ।

पंजाब के लिए पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सिंचाई सुविधायें

2694. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में पंजाब में उपलब्ध की जाने वाली सिंचाई सुविधाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) 1974-75 वर्ष के लिए पंजाब में सिंचाई स्कीमों हेतु स्वीकृत परिव्यय 10.83 करोड़ रुपये है । इस वर्ष के दौरान विभिन्न तलवर्ती तथा भू-जल स्कीमों से लगभग 85,000 हैक्टेयर की शक्यता का निर्माण किए जाने की संभावना है ।

अध्यापकों में बेरोजगारी

2695. श्री एन० ई० होरो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापकों में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा राज्य का विषय होने के नाते अध्यापकों की भर्ती करना राज्य सरकारों का दायित्व है । केन्द्रीय स्तर पर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशिक्षित अध्यापकों की बेरोजगारी के उन्मूलन का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है । तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार के कार्यक्रमों से प्रशिक्षित अध्यापकों की बेरोजगारी में कमी होने में काफी योगदान मिलने की संभावना है ।

पांचवी योजना में राजस्थान में उठाऊ सिंचाई योजनाएं

2696. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्विति हेतु राजस्थान में विभिन्न पानी रहित क्षत्रों में पीने का पानी तथा सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कितनी उठाऊ सिंचाई योजनाएं भेजी है और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार का निर्णय क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी लागत आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) राजस्थान सरकार से बृह और मध्यम सिंचाई सैक्टर में ऐसी किसी नई लिफ्ट स्कीम की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है बहरहाल राज्य सरकार ने अपने पांचवीं योजना के प्रस्तावों में "अन्य नई स्कीमों" के लिए 12.34 करोड रुपये का परिव्यय शामिल किया है जिसके ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पूरी क्षमता से काम कर रहे वनस्पति संयंत्र

2697. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के पहले आठ महीनों के दौरान उड़ीसा के वनस्पति संयंत्र कम क्षमता से काम करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन क्षमता के अप्रयुक्त पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) उड़ीसा में वनस्पति की कोई भी फैक्ट्री नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में अपाहिज व्यक्तियों के लिये केन्द्र

2698. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में अपाहिजों की संख्या काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है; और

(ग) क्या उनके लिए अपाहिज पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और यदि हां, तो उन केन्द्रों के कब तक खुलने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) उड़ीसा में विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा समर्थित स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता संबंधी निवेदनों पर यह विचार करने को तैयार होगी।

बूढा बालंगा नदी की बाढ नियंत्रण योजना

2699. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार ने बूढा बालंगा नदी को बाढ़ के नियंत्रण की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या इस बारे में कोई प्रारंभिक कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा बूढ़ाबालंगा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण की एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है। मयूरभंज जिले के कुलियाना में बूढ़ा बालंगा नदी पर एक बांध बनाने के लिए प्रारम्भिक अनुसंधान किए गए है और इनसे पता चलाता है कि इस स्थान पर बांध बनाने में लागत अधिक आएगी। अतः राज्य सरकार ने इसके स्थान पर बंगोरोपोसी में बांध बनाने के लिए अनुसंधान करने का प्रस्ताव किया है।

राज्य सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान इस बेसिन में कटाव-रोधी, जल निकास सुधार और अन्य कार्यों के कार्यान्वियन का प्रस्ताव किया है जिसके लिए राज्य को पांचवीं योजना के मसौदे में 25 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में बाढ सुरक्षा परियोजना

2700. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने सुवर्णरेखा नदी घाटी बाढ़ सुरक्षा परियोजना के जिस रुप को स्विकार किया था उस पर उड़ीसा सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) परियोजना का कार्य कब तक प्रारंभ होगा; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा होगा तथा इससे कितने क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा होगी?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा सुवर्णरेखा बेसिन के लिए संस्तावित व्यापक बाढ़ नियंत्रण स्कीम में, बिहार की सुवर्णरेखा बहूद्देश्यीय परियोजना में सम्मिलित चांढील बांध में बाढ़ जल-संचय की व्यवस्था; बाढ़ों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में तटबंधो का निर्माण और उड़ीसा में खालजोरी और चित्ताई नाले में जल-निकास में सुधार की व्यवस्था है। जबकि चांढिल बांध में बांढ़ जल-संचय की व्यवस्था पर बिहार, उडीसा और पश्चिम बंगाल के तीनों राज्य सहमत हो गए हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खपत करने वाले उपयोग के संचय की व्यवस्था के संबंध में मतभेद हैं तथा इस पर पत्रव्यवहार किया जा रहा है। परिणामस्वरुप, चांढिल बांध के प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रुप नहीं दिया गया है।

विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पहले तैयार की गई तटबंध स्कीमों का उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा संशोधन किया जा रहा है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तटबंधों का निर्माण चांडिल बांध के पूर्ण होने के बाद ही किया जाना चाहिए।

उड़ीसा क्षेत्र में जल-निकास स्कीमों को, राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण तथा माडल-अध्ययन करने के बाद ही तैयार किया जाना है।

(ख) और (ग) परियोजनाओं को अन्तिम रुप देने तथा इनके कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन के बाद इनके विभिन्न संघटकों के निर्माण का कार्यक्रम बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाना है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा यथा अनुमानित इस परियोजना के लाभों में उड़ीसा में 80,000 हैक्टेयर तथा पश्चिम बंगाल में 2,43,000 हैक्टेयर क्षेत्र की सुरक्षा प्राप्त होना सम्मिलित है।

राजस्थान में निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे वनस्पति कारखाने

2701. श्री श्रीकिशन मोदी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के पहले 8 महीनों से वनस्पति कारखाने निर्धारित क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो निष्कार्य क्षमता के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस अवधि के दौरान स्थापित क्षमता का 33.9 प्रतिशत उत्पादन हुआ था जबकि एक सामान्य वर्ष में लगभग 46.3 प्रतिशत उत्पादन होता है ।

(ख) ऐसा इन महीनों में लाभकारी मूल्यों पर कच्चे तेलों की कम मात्रा मिलने के कारण हुआ था ।

आटा मिलों और चावल मिलों की खाद्यान्नों के अवैध सौदों सहित गतिविधियों की निगरानी

2702. श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल मिल और आटा मिलें अवैध सौदों और खाद्यान्नों को अन्यत्र भेजने का स्रोत है, और

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखने हेतु क्या विशेष निगरानी की जा रही है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कड़ी कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को फ्लोर मिलों और चावल मिलों द्वारा खाद्यान्नों के नाजायज़ सौदे करने या उन्हें इधर-उधर भेजने पर उनके विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के लिए अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम/भारत सुरक्षा नियम आदि के अन्तर्गत जारी किए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों के अधीन पर्याप्त अधिकार मिले हुए हैं । जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्यवाही की जाती है ।

केरल सरकार का कागज के लिए अनुरोध

2703. श्री वयालार रवि : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में कागज की कमी के कारण विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकें तथा लिखने की कापियां प्राप्त करने में अनुभव की जा रही कठिनाइयों का पता है; और

(ख) क्या केरल सरकार ने इस प्रयोजन हेतु अधिक कागज प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को सहायता मांगी है और यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है और पाठ्य पुस्तकों की कमी की समस्या को हल करने के लिए सरकार का अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने जुलाई, 1974 में भारत सरकार के नोटिस में यह बात लाई थी कि पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों के लिए कागज की कमी अनुभव की जा रही है । उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4995 टन कागज केरल को आवंटित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त जनवरी से मार्च तक की तिमाही के लिए अगले मास के आरंभ में आवंटन किए जाने की संभावना है ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति

2704. श्री वयालार रवि : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी ऋण छात्रवृत्तियां तथा योग्यता छात्रवृत्तियां दी गई हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए दी गई कुल राशि का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात को जानकारो है कि छात्रवृत्तियों को कुल संख्या तथा प्रत्येक छात्र-वृत्ति के लिए दो जाने वाली राशि बहुत ही कम है और निर्धन विद्यार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी धन दिये जाने को आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का उस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 86221/74]**

(ख) और (ग) सरकार, छात्रवृत्तियों को संख्या तथा उसको राशि में भी वृद्धि करने को आवश्यकता से अवगत है। सोमित साधनों को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिए भरसक प्रयास किया जायेगा ।

नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को नियुक्त करने का आधार

2705. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को नियुक्त करने का एक समान आधार 1965 के बाद से लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार लोक निर्माण विभाग में विभिन्न ग्रेड के इंजिनियरों को नेपाल, इराक, आदि देशों को भेजने के लिए क्या आधार थे/हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) पहले नेपाल में तैनाती को "कठिन क्षेत्र" में तैनाती के रूप में माना जाता था। सहायक इंजीनियरों तथा उससे उपर के दर्जे के अधिकारियों को अखिल भारतीय आधार पर सामान्य रूप में नियुक्त किया जाता रहा तथा कनिष्ठ इंजीनियरों को, जो तृतीय श्रेणी सेवा से सम्बन्ध रखते हैं, केवल उत्तरी क्षेत्र से क्योंकि नेपाल को उत्तरी क्षेत्र से संलग्न कठिन क्षेत्र के रूप में समझा जाता था।

2. बाद में, सरकार ने जब और जैसे ही भत्ते स्वीकृत किए, नेपाल में तैनाती को कठिन क्षेत्र में तैनाती के रूप में समाप्त कर दिया गया और यह बहुत आकर्षक बन गई। बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसी तैनाती के लिये अपनी सेवाएं अर्पित करना आरम्भ कर दिया। अत: विकल्प मांगने तथा केवल विकल्प देने वालों को ही रैंक में उनकी वरिष्ठता के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शर्तों पर तैनात करने का निर्णय किया गया था :—

(क) उनका सेवा रिकार्ड अच्छा हो।

(ख) उनकी आयु 52 वर्ष से अधिक की नहीं हो।

(ग) उनको नेपाल में पहले तैनात न किया गया हो।

(घ) वे नेपाल की जलवायु आदि में कार्य करने के लिय शारीरिक रूप से ठीक हो।

3. सहायक इंजीनियरों तथा इससे उपर के दर्जे के अधिकारियों को, उनकी अखिल-भारतीय वरिष्ठता तथा निचले अधिकारियों को उनकी क्षेत्रीय वरिष्ठता के अनुसार तैनात किया जाता है। अन्य क्षेत्रों के कनिष्ठ इंजीनियरो की तैनाती पर भी अब उत्तरी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों, दक्षिण भारत सहित के लिए 3 : 1 : 1 के अनुपात में विचार किया जाता है।

4. इराक में प्रतिनियुक्ति वस्तुतः केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को ईराक में सौंपे गये कार्य पर प्रतिनियुक्ति नहीं थी। वास्तव में, भारत तथा इराक के बीच हुए समझौते के अनुसार यह तो चुने गये अधिकारियों को ईराक में इराकी प्राधिकारियों के अधीन अस्थायी सेवा के लिये भेजा गया था। इसका चयन स्वयं इराकी अधिकारियों द्वारा किया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केवल आरम्भिक जांच की गई थी परन्तु इराकी अधिकारियों ने अपनी सन्तुष्ठता के अनुसार चयन किया तथा वे प्रत्याशियों को अपनी सुविधानुसार बुलाना चाहते थे।

इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये अराजपत्रित स्तर पर पृथक संवर्ग

2706. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए अराजपत्रित स्तर पर उंचे वेतनमान वाला कोई पृथक संवर्ग बनाने पर विचार कर रहा था जिससे इस स्तर पर अधिक स्नातक विभाग की ओर आकर्षित हो सकें और विभाग की कार्यकुशलता बढ़ा सकें ;

(ख) यदि हां, तो क्या पृथक वेतनमान वाला संवर्ग बना दिया गया है और यदि हां, तो कब और बनाए गए संवर्ग ग्रेड की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो एक पृथक संवर्ग बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) श्रेणी III के स्तर के पद तथा अर्हताओं के गठन के बारे में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है परन्तु अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Land Development work in Tawa area, M. P.

2707. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the 'Tawa' (M. P.) catchment retends to Hoshangabad and Betul districts of Madhya Pradesh and substantial parts of the work in Betul district has already been carried out of the funds meant for the work in drought affected areas and it has also been decided to limit the use of those funds only to small irrigation works ;

(b) if so, whether it will not be desirable to make funds available for land development work from other sources ; and

(c) whether alround development of Tawa valley, in execution of entire scheme of small irrigation soil construction and water supply, will not be possible if the Tawa Catchment is included in river valley project ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) to (c) The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha when received.

Availability of Fertilisers from Trombay during Kharif Season

2708. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had made available some fertilizers from Trombay for the agricultural sector during the last kharif season ; and

(b) whether Government propose to continue this arrangement this year also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) & (b) A major part of the production from the Trombay Unit of the Fertilizer Corporation of India is allocated for use in the agricultural sector. While separate figures regarding release of fertilizer from this Unit during kharif 1974 are not available, during the year 1974-75, as a whole, only about 5% of the total expected production of the Unit was released for industrial use. Thus, during the year 1974-75, taking both kharif and Rabi seasons, about 95% of the total expected production of fertilizers from Fertilizer Corporation of India, Trombay, has been allocated for agricultural use. A major part of production from Fertilizer Corporation of India, Trombay, will continue to be allocated for agricultural purposes in future also.

Proposal for a New Irrigation Project by Madhya Pradesh

2709. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have recently sent a proposal regarding a new irrigation project ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri K. N. Singh) : (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh have sent reoprts for the following new irrigation projects during the last three months. The statement also gives their estimated costs and benefits envisaged.

Scheme	Estimated cost in Rs. lakhs	Irrigation benefits in '000 hectares
1. Mehgaon Tola Tank	144.30	2.834
2. Bansagar (Modified) . .	17244.00	248.882
3. Quazikhede .	104.41	1.255

Project report on Scheme for Housing to Landless Agricultural Labourers in Madhya Pradesh

2710. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the outline of the scheme for housing landless agricultural labour was sent by the Government of Madhya Pradesh to the Central Government much before the time fixed by the Centre ;

(b) whether even after repeated reminders by the State Government, the Central Government have not approved the project report and the grant involved ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) The scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas was introduced in the Central Sector in October, 1971. The Government of Madhya Pradesh started sending project proposals under the scheme to the Central Government in early 1973.

(b) & (c) 73 project proposals of the State Government for provision of 1,34,496 house-sites at an estimated cost of Rs. 199.63 lakhs were approved by the Central Government during 1973-74 and an amount of Rs. 49.91 lakhs was released to the State Government for the execution of these projects. With effect from 1st April, 1974 the Scheme has been transferred to the State Sector and a sum of Rs. 50 lakhs has been specifically provided for the implementation of this Scheme by the Government of Madhya Pradesh during 1974-75.

Water taps installed in New Delhi

2711. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of water taps installed for citizens and visitors/tourists in New Delhi-I area ;

(b) the number of those in working condition as also the number of those which are not in working condition; and

(c) the improvements likely to be made in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia): (a) There are 90 water hydrants for visitors/tourists in N.D.M.C. area

(b) All the hydrants are in working condition.

(c) Does not arise.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तथा मध्य आय वर्ग वाले समूहों को प्लाटों की बिक्री

2712. श्री एम० एम० जोजफ : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न तथा मध्यम आय वर्ग वाले समूहों को आबंटन द्वारा 2000 प्लाटों को बेचने का निर्णय किया है; और

(ख) सरकार का विचार किस दर पर इन प्लाटों को बेचने का है तथा अलाटियों को प्लाटों के लिए लिया गया ऋण कितने किस्तों में चुकाना पड़ेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को लगभग 1950 प्लाट पर्चियों द्वारा अलाट करने का निर्णय किया है ।

(ख) वसूली मूल्य जो क्षेत्रानुसार भिन्न भिन्न होगा, पर विचार किया जा रहा है तथा आवंटन के समय बता दिया जाएगा ।

Copy of Report submitted to Chairman of Reconstituted Cow Protection Committee

2713. Swami Brahmanand : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Swami yogeshwar Videhi Hariji Maharaj the member of the former reconstituted Go Raksha Samiti (Cow Protection Committee), had sumbitted before the expiry of the tenure of the Samiti, any report to the Chairman of the Committee for its onward transmission to Government ; and

(b) if so, whether the copies of the said report will be made available to the Members of Parliament or whether the Hon. Minister will make a statement in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabnudas Patel) : (a) Yes, Sir, Swami Yogeshwar Videhi Hariji Maharaj a Member of the reconstituted Committee on Cow Protection had sent a letter to the Chairman of the Committee containing views on the issue relating to protection of cow and its progeny with a request that it may be transmitted to the Government.

(b) Since the letter contains the views of a single member of the Committee and cannot be taken as a report of the Committee, it is not considered necessary to either place copies on the table of the Sabha or make a Statement.

राज्यों में रासायनिक उर्वरकों का जमा होना

2714. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री पी० गंगा देव :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में सितम्बर-अक्तूबर, 1974 के दौरान रासायनिक उर्वरकों का जमाव हो रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है; और

(ग) इस समय स्थिति क्या है तथा क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है और किसानों द्वारा उर्वरकों को खरीदने के कार्य में सुविधा देने के लिए ऋण तथा प्रक्रिया व्यवस्था को नया रूप देने हेतु राज्य सरकारों को यदि कोई अनुदेश दिये गये हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) सितम्बर/अक्तूबर, 1974 के महीनों के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा हरियाणा तथा कुछ अन्य राज्यों में उर्वरकों के स्टाक जमा हो जाने के बारे में समाचार प्राप्त हुए थे। आंध्र प्रदेश अथवा पंजाब के सम्बन्ध में इस प्रकार के कोई समाचार नहीं मिले थे।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित कुछ राज्यों में सूखे तथा बाढ़ के प्राकृतिक संकट उत्पन्न होने, उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने, पर्याप्त ऋण की उपलब्धि न होने तथा कुछ राज्यो में आंतरिक वितरण की कठिनाईयों आदि के कारणों उर्वरकों के स्टाक इकट्ठे हो गए थे।

(ग) रबी की बुवाई शुरु हो जाने से उर्वरकों की कुल खरीद में सुधार दिखाई दे रहा है। तथापि भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से पर्याप्त वित्तीय तथा ऋण सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करने और आंतरिक वितरण प्रणाली की कठिनाइयां दूर करने के लिए कई उपाय किए हैं।

अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारण सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

2715. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री धमनकर :

श्री प्रबोध चन्द्र :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिर्णीत अन्तर-राज्यीय नदी जल विवाद तथा सिंचाई क्षमता का उपयोग न करने के कारण सिंचाई परियोजनाओं को लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणाम-स्वरुप खाद्य उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तर-राज्यीय नदी जल विवाद को हल करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

6—41 LSS/74

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) विवादों के कारण हाथ में न ली जा सकीं अन्तरराज्यीय परियोजनाओं को लागत में वृद्धि हुई है।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं के लिए योजनाओं में उपलब्ध की गई धनराशि बिना विवाद वाली परियोजनाओं पर पूर्ण रुप से समुपयोजित कर ली गई है। अत: जल-विवाद के कारण खाद्य उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) मतभेदों को बात-चीत द्वारा हल करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जाते हैं। कुछ मामलों में जहां पर ऐसा करना संभव नहीं हो पाया था, विवादों के न्यायनिर्णय हेतु न्यायाधिकरणों को गठित किया गया है।

सहकारी क्षेत्र में नये चीनी एककों की स्थापना का प्रस्ताव

2716. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के बाजार में इस समय चीनी की मांग में वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार सहकारी क्षेत्र में नये चीनी कारखानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने नये कारखानों को वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा वित्त के लिए किन वैकल्पिक संसाधनों की खोज की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) देश में आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के प्रति सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फक्ट्रियां स्थापित करने के लिए सरकार ने अब तक 43 लाइसेंस जारी किए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रिम्प ट्रालरों की सप्लाई के लिये मैक्सिको की कम्पनी के साथ ठेका

2717. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको की एक फर्म ने 6 श्रिम्प ट्रालर, 26 लाख रुपये प्रति ट्रालर के हिसाब से सप्लाई करने का ठेका किया है जबकि ऐसे प्रत्येक ट्रालर का विश्व बाजार में वर्तमान मूल्य 32 लाख रुपये है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार पर हस्ताक्षर कब हुए थे और उस समय ऐसे ट्रालर का विश्व मंडी में मूल्य क्या था;

(ग) क्या मैक्सिको की सरकार ने नये ट्रालरों की बिक्री पर रोक लगा दी है और ये स्वयं नये ट्रालर अन्य देशों से खरीद रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है कि उक्त फर्म भारत को पुराने ट्रालर न दे?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) :(क) थोक खरीद के लाभों को सुनिश्चित करने और भारत में उसी प्रकार के ट्रालरों के पूरे डिजाइनों तथा शाप ड्राइंग सप्लाई करने के लिए सरकार ने ट्रालरों के आयात कार्य को समन्वित किया है। तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं पर सावधानी से विचार करने के बाद ही विदेशी शिपयार्डो का चुनाव किया गया था। मैसर्स एस्टीलरोज, इमेसा, मैक्सिको उन शिपयार्डों में से एक है जिसे भारतीय पार्टियों को माडल कन्ट्रैक्ट के आधार पर 20 ट्रालरों की सप्लाई करने के लिए चुना गया है। मूल डिजाइन के चार रूप हैं। उपकरणों में मामूली परिवर्तन करके उनमें मामूली हेर फेर किया गया है। इन चारों डिजाइनों के मूल्य निम्न प्रकार हैं :

	लाख रु०
डिजाइन 1	24.31
डिजाइन 2	23.01
डिजाइन 3	24.65
डिजाइन 4	23.55

ग्राहकों की उपकरणों की मांग के अनुसार मूल्यों में और समायोजन किया जा सकता है।

ऐसे ट्रालरों के लिए कोई नियमित विश्व मूल्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। एक शिपयार्ड के मूल्य दूसरे शिपयार्ड के मूल्य से भिन्न हैं।

(ख) 4-9-74 को नई दिल्ली में दो भारतीय पार्टियों और मैसर्स एस्टीलरोज ईमेसा मैक्सिको सिटी के बीच अलग अलग करारों पर हस्ताक्षर हुए थे। आयातित ट्रालर के डिजाइन तथा शाप नक्शों की सप्लाई के लिए भी सरकार और शिपयार्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ग) सरकार ने सभी प्रकार की पूछताछ के बाद यह सुनिश्चित किया है कि मैसर्स एस्टीलरोज इमेसा के सामने भारत को ट्रालर निर्यात करने में कोई कठिनाई नहीं है। एक रिपोर्ट मिली थी कि मैक्सिन शिपयार्ड मैक्सिकम मत्स्य कार्यक्रम के लिए नौकाएं सप्लाई करने के लिए बचन-बद्ध हैं और उन्ह अन्य देशों को नौकाएं निर्यात करने के लिए लायसेंस स्वीकृत नहीं किए जा रहे ह। अत: मक्सिको में अपने राजदूत के जरिए इस बारे में पूछताछ की गई और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मैसर्स एस्टीलरोज इमेसा को निर्यात कायक्रम पूरा करने की अनुमति मिल जाएगी।

(घ) इस करार में विशेषरूप से ट्रालरों के निर्माण और सपुदर्गी की व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए आकार के ट्रालर नए ढंग के हैं और उनमें परम्परागत मैक्सीकन डिजाइन की तुलना में कुछ अन्तर हैं। इसमें सैकन्ड हैन्ड ट्रालरों की सप्लाई शामिल नहीं है। नए ट्रालर तैयार करने पड़ेंगे। करार में यह व्यवस्था की गई है कि निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में खरीददार या उसका प्रतिनिधि निरीक्षण कर सकता है और निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले सामान के प्रमाणीकरण की भी व्यवस्था की गई है। सारा निर्माण कार्य क्लासीफिकेशन सोसायटी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। सरकार की समय समय पर निर्माण कार्यक्रम की देखभाल करेगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीफ फसल के दौरान चावल की वसूली

2718. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री भान सिंह भौरा :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ फसल की वसूली पहले ही कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम ने अब तक चावल की कितनी वसूली की है; और

(ग) इस मौसम में खरीफ का कुल उत्पादन अनुमानत: कितना है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चालू खरीफ विपणन मौसम 1974-75 पहली नवम्बर, 1974 से शुरु हुआ है। 28-1-74 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी सरकारी एजेंसियों ने देशभर में लगभग 5.4 लाख मी० टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की अधिप्राप्ति की है। इसमें से 22, 100 मी० टन चावल और 2, 13,400 मी टन ध्यान भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त किया गया था।

(ग) इस वर्ष खरीफ मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन संबंधी पक्के अनुमान चालू कृषि वर्ष के अंत में अर्थात् जुलाई -अगस्त, 1975 में किसी समय उपलब्ध होंगे। मौजूदा संकेतों के अनुसार, चालू खरीफ मौसम में खरीफ के खाद्यान्नों का उत्पादन मुख्यतः अनियमित मानसून के कारण 1973-74 के स्तर की अपेक्षा कम होने की संभावना है।

स्कूलों में खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाना

2719. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूलों में खेलकूद को अनिवार्य विषय बनाने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस को दृष्टि में रखते हुए कितने प्रशिक्षित खेलकूद अध्यापकों की आवश्यकता होगी; और

(घ) इस समय ऐसे अध्यापक कितने हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) शिक्षा और खेलकूद राज्य विषय होने के कारण, यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, 2 और 3 नवम्बर, 1974 को नई दिल्ली में हुई खेलकूद राज्य मंत्रियों राज्य खेलकूद परिषदों के अध्यक्षों और अखिल भारतीय खेलकूद परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि राज्य सरकारों को शारीरिक शिक्षा, खेलकूद को स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाने की संभावना और उनमें भाग लेना तथा अर्हता प्राप्त करने, स्कूल परीक्षाओं में पात्रता की पूर्व शर्त बनाने पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

(ग) और (घ) यदि उपरोक्त सुझाव राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है तो उनको प्रतिशित खेलकूद कामिकों की आवश्यकताओं के ब्यौरे तैयार करने होंगे। इस समय स्कूलों में नियुक्त ऐसे कार्मिकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

रोम में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा परिषद गठित करने का प्रस्ताव

2720. **श्री मधु दंडवते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रोम में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा परिषद गठित करने का प्रस्ताव विफल रहा है;

(ख) क्या हमारे प्रतिनिधि विकसित देशों से समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने प्रस्ताव में रुचि रखने वाले राष्ट्रों को इसका ब्यौरा उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग) विश्व खाद्य सम्मेलन में कृषि और सिंचाई मंत्री द्वारा, विश्व खाद्य सुरक्षा परिषद की स्थापना करने के विषय में पेश किये गये प्रस्ताव को काफी समर्थन प्राप्त हुआ है। सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई विश्व खाद्य परिषद प्रायः भारत द्वारा पेश किये गये सुझाओं पर ही आधारित है।

राजस्थान में सेई डाइवर्जन प्रोजेक्ट के लिए केन्द्रीय सहायता

2721. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई डाइवर्जन प्रोजेक्ट जिससे राजस्थान में जालोर तथा पाली के बार-बार सूखे सुप्रभावित होने वाले जिलों को सिंचाई संबंधी सुविधाओं मिलेंगी तथा जोधपुर शहर को पेयजल के संसाधनों में वृद्धि होगी, धन की कमी के कारण संतोष जनक रूप से प्रगति नहीं कर रहा है;

(ख) क्या योजनानुसार इस कार्य को 1976-77 तक पूरा हो जाना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी जायगी ताकि इसको समय पर पूरा किया जा सके और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निणय किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) स्कीम पर निर्माण कार्य पहले ही काफी हो चुका है तथा राज्य सरकार की ओर से धन की कमी के कारण इसकी असंतोषजनक प्रगति के संबध में कोई संकेत नहीं मिला है।

(ख) जी, हां।

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वियन राज्य सरकारों द्वारा उनकी विकास योजनाओं के अंदर किया जाता है। राज्यों की केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा वह किसी विशिष्ट स्कीम, स्कीम-समूह अथवा विकास-शीर्षों से सम्बद्ध नहीं होती।

खास-खास फसल के लिये बीमा हेतु मार्गदर्शी योजनाओं का प्रस्ताव

2722. **श्री एन० ई० होरो** :
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन द्वारा प्रायोजित संयुक्त प्रस्ताव में केन्द्रीय सरकार ने चुने हुए क्षेत्रों में खास-खास फसल के लिए फसल बीमा हेतु राज्य सरकारों से और अधिक मार्गदर्शी (पायलट) योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इस समय कौन कौन सी फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं तथा उसके या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारत सरकार और जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन ने राज्य सरकारों को चुने क्षेत्रों में चुनी फसलों के लिए एच-4 कपास के संबंध में गुजरात राज्य के बड़ौदा जिले में चल रही फसल बीमा योजना की तरह पायलट योजनायें शुरू करने की विषय में लिखा है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे पायलट योजना शुरू करने के लिये उपयुक्त फसलों तथा क्षेत्रों का चयन करें और उन उचित सहयोगी अभिकरणों का भी पत्ता लगायें जो आधार ढांचा सम्बन्धी सहायता प्रदान कर सकें।

2. इस समय कपास के लिए चार पायलट योजनायें, गुजरात और महाराष्ट्र में एक और तमिलनाडु में दो, चल रही हैं। इसके अलावा, मुंगफली के लिए दो योजनायें आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात राज्य में चल रही हैं। चालू वर्ष की कपास की योजनाओं के परिणाम अगले वष के शुरू में फसल कटने के बाद उपलब्ध होगे। पिछले वर्षों में केवल गुजरात कपास योजना ही चल रही थी और उनके परिणाम निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	शुद्ध बीमा किस्त (रुपये)	भुगतान किए गए दावे (रुपये)
प्रथम वर्ष . .	16,859	18,189
द्वितीय वर्ष	16,216	5,32,411

कृषि सम्बंधी राष्ट्रीय आयोग की अवधि बढ़ाना

2723. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की अवधि को और दस महीने के लिये बढ़ाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां। दिनांक 30-6-1975 तक।

(ख) आयोग की अवधि बढ़ाने के कारणो का प्रदर्शित करने वाला एक नोट (अनुबंध) संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या० एल० टी० 8623/74]

युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा

2724. **श्री वसन्त साठे :**

श्री धामनकर :

श्री बयालार रवि :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के युवको के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा के बारे में एक विस्तृत तथा स्वीकृत योजना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभागमें उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सरकार ने 1968 में इस एक व्यापक प्रस्ताव पर विचार किया था कि राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय केडेट कोर अथवा राष्ट्रीय खेल संगठन की तीन योजनाओं में से एक योजनामें शामिल होना सभी विश्वविद्यालयो 'कालेजों के छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह योजनाए इस समय स्वैच्छिक आधार पर चल रही हैं परन्तु इनका उद्देश्य सभी योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक युवा छात्रों को सम्मिलित करना है। इसी बीचमें, छात्र और गैर-छात्र युवकों को सामूहिक सेवा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न जिलों में नेहरू युवक केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेवा नामक एक योजना भी सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत नए स्नातकों को राष्ट्रीय सेवा के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

राज्यों के शिक्षा तथा खेल कूद मन्त्रियों तथा राज्यों के खेल कूद परिषदों के सचिवों का सम्मेलन

2725. **श्री वसन्त साठे :**

श्री धामनकर :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित राज्यों के शिक्षा तथा खेल कूद मन्त्रियों तथा राज्यों के खेलकूद परिषदों के सचिवों के सम्मेलन में केन्द्रीय सरकार को अनेक सिफारिशें की गई हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कोई सक्रिय कार्यक्रम बनाया जा रहा है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) शिक्षा और खेल राज्य के विषय होनेसे, यह मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। राज्य खेल मंत्रियों, राज्य खेल परिषदों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों और अखिल भारतीय खेल परिषद के सदस्यों की एक बैठक नई दिल्ली में 2 और 3 नवम्बर, 1974 को हुई थी। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्रों में राज्य सरकारों और राज्य खेल परिषदों के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का पुनरीक्षण किया गया था। इस क्रियाकलापों को व्यापक समझने के उपायों पर मूल आधार स्तर पर चर्चा की गई थी और निम्नलिखित विस्तृत निष्कर्ष निकाले गए थे :—

(1) खेलों को मूल आधार स्तर से ऊपर व्यापक बनाने की दृष्टि से, प्रत्येक खण्ड से लगभग 1500 नवयुवकों को सक्रिय खेलों में शामिल करके इस प्रकार से लगभग 80 लाख नवयुवक पुरूषों और महिलाओं के भाग लेने को सुनिश्चित करने के कायक्रम आरम्भ करना चाहिए। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों की योजनाओं में उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्थानीय इलाकों में लोक प्रिय खेलों और उन खेतों को भी, जिनके उपकरण आदि के खरीदने में अथवा नई शारीरिक सुविधाओं के पैदा करने में अधिक खर्चा नहीं हो, तरजीह दी जानी चाहिए। विभिन्न खेलोमें नवयुवकों के उपयुक्त प्रशिक्षण और शिक्षण को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय शिक्षण योजना तथा नेहरू युवक केन्द्रो के अन्तर्गत प्रदत्त शिक्षकों की सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए।

(2) राज्य सरकारें राज्य खेल परिषदों को सक्रिय बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगी तथा उन स्थानों पर उन राज्य खेल परिषदों का गठन करेंगी जहाँ पर ये नहीं हैं ताकि ये परिषदें खेल कूद के विकास में सार्थक अदा कर सके तथा इस क्षेत्र में राज्य खेल-कूद संघ के सहयोग से क्रियाकलापों का कारगर समन्वय कर सकें।

(3) इस बात पर सहमति थी कि सरकारें और राज्य खेल परिषदें, राज्य खेल संघों को दिए गए वित्तीय अनुदान तथा अन्य सहायता के सम्बन्ध में इस मंत्रालय के पत्र दिनांक 9 अप्रैल, 1974 में परिचालित मार्गदर्शी रूपरेखाओं का पालन करेंगी।

(4) राज्य सरकारें शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूदों को स्कूल स्तर पर अनिवार्य बनाने तथा इनमें भाग लेने को स्कूल परीक्षाओं में पात्रता तथा उन्हें उत्तीर्ण करने के लिए एक पूर्व शर्त बनाने की संभावना पर गंभीरता से विचार करेंगी।

(5) राज्य सरकारें तथा राज्य खेल परिषदें अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष समारोह के एक भाग के रूप में वर्ष 1975 के दौरान महिलाओं के लिए जिला वार खेल प्रतियोगिता के कार्यक्रम तयार करेंगी।

महिलाओं में अधिक लोकप्रिय तथा अपेक्षाकृत कम खर्चे वाले खेलों पर अधिक बल दिया जाएगा।

(6) राज्य सरकारें खेल के मैदानो के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्थानों के संरक्षण और सुधार करने के लिए--जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो, विधान को अधिसूचति करने सहित, उपयुक्त कदम उठाएंगी।

(7) राज्य सरकारें और राज्य खेल परिषदें ऐसे क्षेत्रों में खेल के मैदानो उपयोगी स्टेडियम, व्यायाम शालाएं, तरणताल आदि जैसी बुनियादी शारीरिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए एक योजना तैयार करेंगी, जहाँ इन सुविधाओं का अभाव है। राज्य सरकारें इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि स्थानीय प्राथमिकताओ के क्रम में बड़े ध्यानपूर्वक इन परियोजनाओं का चयन हो तथा उन्हें यथा संभव न्यूनतम समय में पूरा कर लिया जाए, ताकि राज्य और केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक कोषों का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जा सके। इस सम्बद्ध में राज्य सरकारें और राज्य खेल परिषदें इस बात पर सहमत थीं कि ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पेशकश को उच्चतम सीमा तक उपयोग किया जाए। भारत सरकार राज खेल परिषदों की वित्तीय सहायता हेतु योजना के विभिन्न सवर्गों के अन्तर्गत सहायता की मात्रा में वृद्धि करने के सुझाव पर विचार करेगी।

(8) राज्य खेल परिषदें और नेहरू युवक केन्द्र आधार मूल स्तरों पर खेलो को आयोजित करने के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने में एक दूसरे से सहयोग करेंगे।

(9) राज्य खेल परिषदें मित्र देशो के साथ किए गए द्विपक्षी सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के अन्तर्गत, आगन्तुक विदेशी दलों के लिए अपने राज्यों में खेलों को आयोजित करने के अवसर का लाभ उठाएंगी।

(10) राज्य सरकारें उन सभी खिलाड़ियों और महिलाओं को समुचित प्रेरणाएं प्रदान करने के लिए विचार करेंगी जो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में विशिष्ठता प्राप्त कर चुके हैं।

(11) बैठक में यह आशा व्यक्त की गई कि राज्य खेल परिषदें, राज्य खेल संघ अखिल भारतीय खेल परिषद और राष्ट्रीय खेल प्रतिष्ठान/संघ देश में खेल कूदो के विकास और प्रोत्साहन में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे ।

2. उपरोक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्रवाई आरम्भ करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है। यह मंत्रालय कार्यान्वयन की प्रगति की जाँच करेगी ।

Construction of Quarters for Government Press Employees and Installation of a Tube-well in the new Colony of Faridabad

2726. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state ;

(a) the number of quarters being constructed in the new colony being built for the employees working in the Government of India Press situated in the Faridabad complex ;

(b) when the construction of the said colony will be completed and quarters allotted to the employees ; and

(c) whether a tube-well is being installed in this new colony to supply water to the old as well as to this colony and when will it be installed ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) 300.

(b) The construction is expected to be completed by September, 1975 and the allotment to eligible employees will be done thereafter.

(c) A tube well is being installed in this new colony to supply water to this colony only. The question of augmenting water supply to the old colony by diverting surplus water from this tube-well is under consideration.

Allotment of Houses to Retiring Central Government Employees

2727. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government propose to allot houses to the retiring Central Government employees in Delhi ;

(b) whether this scheme is proposed to be extended to other cities also ; and

(c) if so, the names of those cities and the rules regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) The Delhi Development Authority has a scheme to allot flates in Delhi to retiring public servants.

(b) There is no such scheme with the Central Government.

(c) Does not arise.

Employees of Government of India Press, Faridabad under Suspension

2728. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of employees of the Government of India Press, Faridabad who are under suspension and for what time ;

(b) whether the enquiry going on against many of the employees for years has not been completed so far and the number of such employees and the time for which they have been denied justice ;

(c) whether the existing Conduct Rules, 1965 which are applicable to Class II, III and IV staff are being improved or revised rules governing departmental enquiry are being framed and if not, the reasons therefor when this subject has repeatedly been discussed in the National Council ; and

(d) the minimum and maximum time fixed for completion of departmental enquiries in repsect of Class, II III and IV staff in accordance with the existing Conduct Rules ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) 7 employees are at present under suspension from different dates, as shown in Appendix I. [*Placed in Library. See No. L. T.* 8624/74]

(b) 32 such enquiries have not yet been completed. A list with the dates of commencement of enquiries is enclosed (Appendix II). [*Placed in Library See No. L. T.* 8624/74.]

(c) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 are a set of Rules regulating the conduct of all classes of Central Government employees. The procedure for holding departmental enquiries into the misconduct of Government servants is provided for in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965. Certain suggestions made by the Staff Side of the National Council set up under the Joint Consultative Machinery for amending the CCS(Conduct)Rules, 1964 are being examined by a Committee of that Council. As regards the CCS (CCA) Rules, 1965, certain matters arising out of those Rules were the subject matter of discussion in the National Council and appropriate orders have been issued, wherever necessary, based on the decisions of the Council.

(d) No minimum and maximum time-limit has been fixed for completion of departmental enquiries under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 Department has been asked to expedite the enquirty proceedings.

Permanent Posts of Primary School Teachers in N. D. M. C.

2729. **Shri M. C. Daga** :
Shri Janeshwar Mishra :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the total number of teachers at present in the Primary Schools of the N. D. M. C. ; and

(b) whether there are only 649 permanent posts in these shcools ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) At present there are 903 posts of Assistant Teachers in Primary Schools Primary Sections of Middle Schools run by the N. D. M. C. and 60 posts of Headmasters attached to Primary Sections.

(b) The total number of permanent posts is 643. According to in formation supplied by New Delhi Municipal Committee, more temporary posts will be due for conversion into permanent ones in the year 1975.

N.D.M.C. School Timings

2730. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether school hours in the single shift schools of N. D. M. C. are from 10 A. M. to 4 P. M. during winter season while all primary schools of Delhi Administration and Municipal Corporation of Delhi do not function for more than five hours ; and

(b) if so, the action being taken by Central Government to remove resentment prevailing among the teachers on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture Shri D. P. Yadav) : (a) The school hours in single shift schools of the New Delhi Municipal Committee are from 10.00 A.M. to 3.45 P. M. in winter season. Single shift schools runby the Mnuicipal Corporation of Delhi do not function for more than 5 hours. Delhi Administration has no separate Primary Schools. However, the school hours prescribed for Day shift schools by the Directorate of Education for Higher Secondary and Middle Schools in winter are as under :

10 A.M. to 3.45 P.M. *or* 8 A.M. to 1.45 P. M.

(b) The matter regarding school timings is under examination of the New Delhi Municiapl Committee.

गुजरात में लगाये गये नलकूप

2731. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में गुजरात में जिलेवार कितने नये नलकूप लगाये गये हैं ; और

(ख) वर्ष 1974-75 में गुजरात राज्य में कितने नये नलकूप लगाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमीगत जल मण्डल ने वर्ष 1973-74 के दौरान गुजरात में 19 समयेषी कुओं, 5 पर्यवेक्षी छिद्रणों और 11 उत्पादन कुओं का वेधन किया था जिन स्थानों तथा जिन जिलों में वेतन कार्य किया गया था उनके बारे में संलग्न विवरण में जानकारी दी गई है। वर्ष 1974-75 के दौरान केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल का गुजरात में 5 समन्वेषी कुओं, 10 पर्यवेक्षी कुओं, 2 स्लिम होल तथा 24 उत्पादन कुओं का वेधन करने का विचार है।

गुजरात सरकार द्वारा वेधन किये गये नलकूपों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

I. समन्वेषी कुएं :

स्थान	जिला
1. पनाली .	कच्छ
2. लक्ष्मीपुर i . .	,,
3. लक्ष्मीपुर ii	,,
4. खिरसाडा i	,,
5. खिरसांडा ii . .	,,
6. टिमूवरवा	बडौदा

स्थान	जिला
7. कोठी	भडौच
8. किया	,,
9. चरसना i .	मेहसाना
10. खिमयाना . .	,,
11. चरसना ii	,,
12. खोरादा i . . .	,,
13. खोरादा ii	,,
14. वगरोल	वनसकंठा
15. जादवपुर .	सुरेन्द्र नगर
16. पंचसर	मेहसाना
17. लखपड	कच्छ
18. रामपुरसुर्वा . . .	,,
19. अलीमथिर	बडोदा
II. पर्यवेक्षी छिद्रण :	
1. लक्ष्मीपुर iii	कच्छ
2. खिरसरा ii	,,
3. खिरसरा ii	,,
4. कमलोवाडा .	मेहसाना
5. चरसना	,,
III उत्पादन कुए :	
1. महुदी . .	मेहसाना
2. सारवाल .	,,
3. धानपुरा .	,,
4. पिलुद्रा .	,,
5. करोदा . .	,,
6. वोलेरा	,,
7. चन्स्मा .	,,
8. पाली . .	,,
9. वलिया	,,
10. वामनवा	,,
11. अनोदिया . .	,,

सिंचाई पर विचार गोष्ठी

2732. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई पर हुई विचार गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि सिंचाई परियोजना क्षेत्रों से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और दुर्बल वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता के लिए सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित होने वालों से कृषि भूमि का एक भाग अधिगृहीत किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कर्नाटक में इस दिशा में कोई प्रगति की गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) ज्ञात हुआ है कि ऐसा सुझाव अक्तूबर, 1974 में बंगलोर में सामाजकि और आर्थिक परिवर्तन संस्थान तथा भारतीय कृषि-अर्थव्यवस्था संस्था द्वारा आयोजित सेमिनार में दिया गया है। सेमिनार की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आजाद हिन्द फौज का इतिहास लिखने के लिए समिति की नियुक्ति

2733. श्री समर गुह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आजाद हिन्द फौज का इतिहास लिखने के लिये समिति नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो किन व्यक्तियों को यह कार्य सौंपा गया है और इसके चुनाव के लिये क्या कसौटी अपनाई गई ;

(ग) प्रस्तावित कार्य का स्वरूप, ध्येय और विषय विस्तार क्या होगा ; और

(घ) कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (घ) सरकार द्वारा ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई है। तथापि, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् को सुझाव दिया है कि भारत की 25 वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के सिलसिले में आजाद हिन्द फौज का अधिप्रमाणित लिखित इतिहास तैयार करे। परिषद् द्वारा गठित संपादकीय बोर्ड को अपनी 20 अक्तूबर, 1972 को हुई बैठक में यह पता चला कि आजाद हिन्द फौज के इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त लिखित सामग्री पहले ही से उपलब्ध है। आजाद हिन्द फौज का इतिहास लिखने का नया प्रयास तभी उचित होगा, यदि नए स्रोतों का पता चलाया जा सके तथा नई स्थिति निर्धारित की जा सके बोर्ड ने महसूस किया कि यदि 1905–1947 की अवधि के दौरान भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत से बाहर हुई क्रान्तिकारी घटनाओं से संबंधित स्रोतों का संकलन करके उन्हें उपलब्ध कराया जाए तो वह अधिक उपयोगी होगा। बोर्ड की सलाह पर परिषद् ने इस प्रकार के स्रोतों को तैयार करने का कार्य दो खण्डों में शुरू किया है पहला 1905–1927 की अवधि से तथा दुसरा 1927–1947 की अवधि से संबंधित है। पहला खण्ड पूरा हो चूका है, और दूसरा खण्ड भी लगभग पूरा हो गया है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का संशोधित नक्शा

2734. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक से अधिक, अध्यापक अथवा गैर-अध्यापक, सदस्यों को, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई सोसायटी में लगा दी है लगभग एक ही क्षेत्रफल के प्लाट देने के लिए और अधिक प्लाट बनाने हेतु दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटीव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के नकशे में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या मार्च, 1974 तक पंजीकृत सभी सदस्यों को प्लाट देने के लिए इस सोसायटी को अतिरिक्त भूमि देने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली स्कूल टीचर्स सहकारी गृह निर्माण समिति के विन्यास नक्शे पर विचार करना तब तक के लिए छोड़ दिया गया है । जब तक कि समिति की कार्य व्यवस्था की जांच पूरी नहीं हो जाती तथा इसे आबंटित भूमि की किस्त का अन्तिम रूप से निर्धारित वसूली नहीं हो जाती । जब समिति की वैध सदस्य संख्या मालूम हो जायेगी तो काटे जाने वाले प्लाटों की संख्या के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) जी नहीं ।

खरीफ फसल के दौरान खाद्यान्नों का लक्ष्य तथा उत्पादन

2735. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री बनमाली पटनायक :
श्री के० लकप्पा :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री के० मालन्ना :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खरीफ की फसल के लिए कृषि मूल्य आयोग ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) क्या सरकार को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है ओर अब तक कितने खाद्यान्नों की वसूली हुई है ; और

(ग) किसानों को विवश हो कर बिक्री न करनी पड़े इसके लिए तंत्र के कार्य में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि ओर सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी०शिन्दे) : (क) और (ख) कृषि मूल्य आयोग ने खरीफ मौसम 1974-75 के लिए 50 लाख मी० टन चावल ओर 15 लाख मी० टन मोटे अनाज अधिप्राप्त करने के लक्ष्यो की सिफारिश की है । हालांकि प्रत्याशित अधिप्राप्ति की मात्रा को बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन खरीफ के खाद्यान्नों की अधिकतम मात्रा में अधिप्राप्ति करने की दिशा में सभी प्रयत्न किए जा रहे है ।

28 नवम्बर, 1974 तक प्राप्त सूचना के अनुसार खरीफ के अनाजों की जितनी मात्रा अधिप्राप्त की गई है, उसका ब्योरा नीचे दिया गया है :--

	(हजार मी० टन में)
1. चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) . .	540.5
2. खरीफ के मोटे अनाज . . .	22.5

(ग) मौजूदा मूल्य स्थिति के संदर्भ में किसानों द्वारा विवश होकर बिक्री का प्रश्न सामान्यता नहीं पैदा होगा। तथापि, अधिप्राप्ति एजेंसियों ने अधिप्राप्ति मूल्यों पर बिक्री के लिए पेश किए गए सभी खाद्यान्नों को खरीदने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है।

विश्व खाद्य सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा दिये गये सुझाव

2736. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री एम० कतामुतु :
श्री वी० मायावन :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 नवम्बर, 1974 को रोम में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व खाद्य नीति का निर्धारण करने के लिये 'खाद्य सुरक्षा परिषद्' स्थापित करने का भारत ने सुझाव दिया था ;

(ग) यदि हां तो क्या इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया और अनेक देशों ने इसका समर्थन किया था ; और

(घ) अन्य कौन कौन से सुझाव दिये गये और क्या क्या निर्णय किये गये ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी, हां। इस प्रस्ताव पर सम्मेलन में काफी ध्यानपूर्वक विचार किया गया था। विश्व खाद्य सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई विश्व खाद्य परिषद्, प्रायः भारत द्वारा सुझाये गये प्रस्ताओं पर ही आधारित है।

(घ) सम्मेलन की कार्यवाही शुरू करने से पहले विश्व खाद्य सम्मेलन के लिए कार्य सूची तैयार करने के लिये तीन प्रारम्भिक बैठकें हुई थीं और भारत ने इनके विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया था। विश्व खाद्य सम्मेलन में भारत ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर वैज्ञानिक जल प्रबन्ध, सिंचाई जल निकास और बाढ़ नियंत्रण, कृषि विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रिय फण्ड, आबादी और खाद्य सप्लाई के बीच वांछनीय संतुलन रखने और 1975 और 1976 में खाद्य समिति में सुधार करने के विषय में अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। इन प्रस्तावों के मूलभाग को प्रायः मंजूर कर लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों के सम्बन्ध में अनेक प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें से महत्वपूर्ण ये हैं--विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये बाहरी सहायता, उर्वरक उत्पादन क्षमता का सृजन और विकासशील देशों को उर्वरकों की सप्लाई, खाद्य और कृषि अनुसंधान, विस्तार और प्रशिक्षण नीतियां और पोषण-आहार में सुधार करने के लिये कार्यक्रमों को तेज करना, विश्व मुद्रा चार्टर और भूमि क्षमता का मूल्यांकन करना, खाद्य उत्पादन कार्यों के लिए स्त्रियों का सहयोग लेना, खाद्य और कृषि के सम्बद्ध में शीघ्र जानकारी व चेतावनी देने की व्यवस्था करना, खाद्य और अन्य उत्पादों के सम्बन्ध में खाद्य सहायता और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये उन्नत नीति।

Discrimination in Housing Facilities given to Ministers and Class I Officers of Government of India and Members of Lok Sabha

2737. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether special attention is paid to the housing facilities and maintenance of houses given to Ministers and Class I officers of the Government ;

(b) whether lesser attention is paid to the residences of Members of Lok Sabha even though rent is charged from them also for the house ;

(c) whether the needs of Ministers and Class I officers are attended to urgently because they would powers to punish which Members of Lok Sabha do not possess ; and

(d) If so the reasons for this discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) Except functional requirements of Ministers in the public interest no special attention is paid either to Ministers' houses or the houses of Class I Officers.

(b) No Sir.

(c) No Sir.

(d) Question does not arise.

समाज के निर्धन वर्ग में कुपोषहार

2738. **डा० सरदीश राय** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुपोषहार सारे देश में विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो समाज के निर्धन वर्ग के खुराक के लिए पशुओ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन को उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या भुखमरी के शिकार निर्धन वर्ग में खाद्यान्न की पर्याप्त सप्लाई की जाती है?

कृषि और सिचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) यह मालूम ही है कि जनसंख्या के गरीब वर्गों में कुपोषण है ।

(ख) पशुपालन, मुर्गीपालन, मछली पालन, सूअर पालन और डेरी उत्पादों के विकास के सरकारी कार्यक्रमों का साथ-साथ उद्देश्य यह भी है कि पशुपालन प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि की जाए ।

(ग) जनसंख्या के कमजोर और गरीब वर्गों की उपयुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों राशन की दुकानों के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने की व्यवस्था की जा रही है ।

पांचवी योजना के दौरान अंडे, मांस और दूध की मांग

2739. **डा० सरदीश राय** : क्या **कृषि और सिचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पांचवी योजना में 12500 करोड़ अंडी, 2460 लाख किलो मांस और 5.126 करोड़ लिटर दूध की वार्षिक अनुमानित मांग की तुलना में इस समय 80 करोड़ अंडी, 3700 लाख किलो मांस, और 2.586 करोड़ लिटर दूध उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, हां। सरकार को देश में अंडे, मांस और दूध की मांग और उपलब्धि के मध्य अधिक अन्तर होने की जानकारी है। राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1981 में 12,500 लाख अंडों और 512.6 लाख मीटरी टन दूध की कुल वार्षिक आवश्यकता होगी। 1979 में लगभग 6460 लाख कि० ग्रा० मांस की आवश्यकता होगी। इस समय लगभग 7700 लाख अंडे, 232 लाख मीटरी टन दूध और 3700 लाख किलोग्राम मांस है।

(ख) तथा **(ग)** दूध, अंडे और मांस आदि प्रमुख पशु उत्पादों के उत्पादन और उनकी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए कई उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रमुख दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमों में उच्च क्षमता के विदेशी नस्ल की पशुओं के साथ स्थानीय पशुओं का व्यापक संकर प्रजनन कराना, दाने चारे के संसाधनों में वृद्धि कराना, कारगर स्वास्थ्य व्यवस्था करना, विस्तृत विपणन सुविधाएं उपलब्ध करना तथा उपज के लिए अच्छे मूल्यों की व्यवस्था करना शामिल है। भेड़ मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए द्विउद्देशीय भेड़ो के उत्पादन हेतु संकर-प्रजनन का कार्यक्रम भी शुरु किया गया है। अंडों के वाणिज्यिक उत्पाद के लिए अधिक अंडे देने वाले कुक्कुटों की उन्नत किस्मो का विकास और प्रचार किया जा रहा है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1978-79 के लिए 286 लाख मीटरी टन दूध और 124400 लाख अंडो के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

श्यामलाल कालेज दिल्ली के लिए धनराशि

2740. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्याम लाल कालेज, दिल्ली के प्रशासी निकाय ने अध्यापकों के वेतन का भुगतान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कालेजो और विश्वविद्यालयो को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धन किस आधार पर मिलता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आयोग, केन्द्र तथा राज्य दोनो विश्वविद्यालयों और कालिजो को विकास अनुदान तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों को अनुरक्षण अनुदान देता है। विकास अनुदान विश्वविद्यालयो/कालिजों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों के आधार पर दिया जाता है जिनमें परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय तथा उनकी आगामी आवश्यकताएं बताई जाती है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण को अनुदान सामान्यत: चार तिमाही किस्तो में दिया जाता है। तथापि, पहली किस्त दो भागों में दी जाती है–पहली किस्त कुल अनुदान का बारहवां भाग तथा दूसरी छठा भाग होती है, जो कि क्रमश: अप्रल तथा मई में दी जाती है। शेष तीन तिमाही किस्तें जून, सितम्बर, तथा दिसम्बर के महीनो में दी जाती ह।

7—41 LSS(ND)/74

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजो को अनुरक्षण अनुदान सामान्यत: चार बराबर की किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त कालेज के अन्तिम वर्ष से एक वर्ष पूर्व के लेखा परोक्षित लेखे प्राप्त होने के बाद अप्रैल में दो जाती है। दूसरी किस्त जून के अन्तिम सप्ताह में दो जाती है। तीसरी किस्त, परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष की पहली अप्रैल से 30 सितम्बर, तक की आयव्यय के विवरण प्राप्त होने के बाद अक्तूबर में दो जाती है। अन्तिम किस्त पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों की एक अग्रिम प्रतिलिपि प्राप्त होने के बाद जनवरी में जाती दी है ।

स्वीडन के खाद्यान्न का आयात

2741. श्री वीरभद्र सिंह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन सरकार भारत को खाद्यान्न सप्लाई करने पर राजी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितना खाद्यान्न सप्लाई किया जाएगा ; और

(ग) उस सम्बन्ध में किए गए करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) स्वीडन से सीमित मात्रा में गेहूं प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है लेकिन अभी तक कोई विशेष क़रार नहीं हो पाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में खरीफ उत्पादन में कमी

2742. श्री श्याम सुन्दर महापात्रा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खरीफ उत्पादन में कितनी कमी हुई है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस कमी को पूरा करने का है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1974-75 के उत्पादन के पक्के अनुमान कहीं जुलाई-अगस्त, 1975 में उपलब्ध होंगे। तथापि, मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार कम वर्षा होने के कारण खरीफ के खाद्यान्नों की पैदावार पिछले स्तर तक नहीं पहुंच सकती है ।

इस स्थिति का मुक़ाबला करने के लिए राज्य सरकार ने रबी उत्पादन कार्यक्रम तेज़ कर दिया है इसके साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों का वितरण कार्यक्रम भी तेज़ कर दिया गया है। इसके अलावा, बाज़ार में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुधारने के लिए पंजाब से व्यापार खाते में लगभग 32000 मी० टन गेहूं भेजने की अनुमति भी दी गई है।

पांचवी योजना के दौरान बिहार में छोटी नहरें

2743. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान बिहार में कितनी छोटी नहरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) तीसरी तथा चौथी योजनावधि में आरंभ की गई कितनी नहरों का निर्माण अभी पूरा किया जाना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) बृहत् अथवा मध्यम, प्रत्येक सिंचाई स्कीम में, विभिन्न क्षमताओं वाली बड़ी और छोटी नहरें जैसे मुख्य नहरें, शाखा नहरें, वितरणियां, माइनर, सब-माइनर, जल मार्ग और खेतों की नालियों का निर्माण करना परिकल्पित होता है ।

बिहार को पांचवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। बहरहाल, बिहार सरकार ने अपनी पांचवीं योजना के मसौदे में 21 बृहत् और 35 मध्यम नई सिंचाई स्कीमों को शामिल किया है। 10 बृहत् और 14 मध्यम सिंचाई स्कीमें भी पिछली योजनाओं से चली आ रही हैं। इन सभी स्कीमों में विभिन्न क्षमताओं वाली बृहत् एवं लघु नहरों का निर्माण सम्मिलित है।

संग्रहालय में चोरी

2744. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत संग्रहालय में चोरी हुई थी तथा इसमें अधिकारी अथवा सम्बन्धित लोग उत्तरदायी पाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दिशा में कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) सरकार ने इस प्रकार की चोरियों को रोकने अथवा जन संग्रहालयों में सुरक्षा प्रबन्ध कड़ा करने हेतु क्या कार्यवाही की है; और

(घ) देश में इन सभी संग्रहालयों में से कुल कितनी मूर्तियां और प्राचीन कलाकृतियां गुम पाई गई हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (घ) मई, 1972 में सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद से हुई 14 लघु चित्रों की एक चोरी में, एक कर्मचारी के उसमें शामिल होने का आरोप था जिसके विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया है।

2. सितम्बर, 1974 में भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता से 16 पत्थर की मूर्तियों की चोरी के एक हाल ही के मामले में, पुलिस ने 13 व्यक्तियों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 6 संग्रहालय के दरबान थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

संग्रहालयों में सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदम

3. केन्द्रीय संग्रहालयों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने तथा अन्य बातों के साथ-साथ इन संग्रहालयों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित संग्रहालयों की सुरक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करने हेतु सिफारिशें करने के लिए सरकार ने 1968 में एक समिति नियुक्ति की थी। उक्त समिति की सिफारिशों को, उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वित किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है :—

(i) प्रत्येक केन्द्रीय संग्राहालय में सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा पहरा और निगरानी के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है।

(ii) सालारगंज संग्रहालय, हैदराबाद में सशस्त्र पुलिस गार्डों की व्यवस्था कर दी गई है और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में इसी प्रकार के प्रबन्ध करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(iii) इन संग्रहालयों में खिड़कियों तथा दरवाजों और प्रवेश के अन्य स्थानों में लोहे की जालियों की भी व्यवस्था की गई है तथा रोशनदानों, जल-निकासों की नालियों तथा नल-तंत्रों को कांटेदार तार से ढक दिया गया है।

(iv) संकेतक घड़ियां और खतरा संकेतक की व्यवस्था कर दी गई है।

(v) वरिष्ठ अधिकारियों को विथियों को खोलने और बन्द करने तथा आकस्मिक जांच पड़ताल करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

(vi) केन्द्रीय संग्रहालयों में और अधिक मूल्यवान वस्तुओं के लिए मजबूत कक्षों को व्यवस्था को जा रहो है।

(vii) शो-केसों के लिए तालों को व्यवस्था को जा रहो है।

(viii) छिपने के संभावो स्थानों को समाप्त करने के लिए विथियों में आवश्यक परिवर्तन को व्यवस्था कर दो गई है।

(ix) जो कुछ भो जरुरो है, बेहतर सुरक्षा के लिए बार दोवारो को व्यवस्था को जा रहो है।

4. संग्रहालयों से पुरावस्तुओं, मूर्तियों, दुर्लभ पांडुलिपियों आदि को चोरो को रोकने तथा सुरक्षा के उपायों को सामान्य रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ अन्य कदम भो उठाए गए है जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) सोमा शुल्क कर्मचारियों को सेवाकालिन प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वे उन स्थानों पर पुरावस्तुओं का पता लगा सके जहां से उनको भारत से बाहर तस्करो करने के प्रयास किए जाते है। कलकत्ता, बम्बई और दिल्लो के महत्वपूर्ण हवाईअड्डों तथा बन्दरगाहों पर भारतोय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारो भो तैनात किए गए हैं।

(ii) केन्द्रीय संग्रहालयों में संग्रहालय को वस्तुओं के चित्रों का क्रमबद्ध प्रलेखन कार्य किया जा रहा है तथा राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे भो पुरावस्तुओं के ऐसे हो प्रलखन तैयार करें।

(iii) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे भारतोय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण के अन्तर्गत चुने हुए संग्रहालयों में पुलिस गार्ड देने को व्यवस्था करें।

चुराई गई अथवा लापता पाई गई वस्तुओं का ब्योरा :

5. उन कला वस्तुओं का ब्यौरा जो केन्द्रीय संग्रहालयों और भारतोय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुक्षत संग्रहालयों से चुरा ली गई थी अथवा लापता पाई गई थो, नोचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	चोरो को तारोख	चुराई गई लापता वस्तु का विवरण	कैफियत
1	2	3	4
1. राष्ट्रोय संग्रहालय, नई दिल्ली			
(i)	मार्च, 1965	अपसरा को एक छोटो सो लकडो को बनो अलंकारिक वस्तु।	वस्तु अभो तक वाप प्राप्त नहीं हो सको है।
(ii)	4 मार्च, 1967	मानव शास्त्रोय नमूनों को 120 वस्तुएं जिनमें चान्दो और सोने के आभूषण भी शामिल है।	चोरो का अभो तक पता नहीं चल सका है।
(iii)	25/26, अगस्त 1968	जेवरात की 125 वस्तुएं और 32 सोने के सिक्के।	18 जेवरात की वस्तुएं और 32 सोने के सिक्कों को छोड़कर शेष सभो वस्तुओं का पता लग गया था।

1	2	3	4
(iv)	15 नवम्बर, 1973	41 चान्दी के सिक्के	एक सिक्के का अभी तक पता नहीं लग सका है ।
ii. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता			
(i)	20 मई, 1967	एक लघु चित्र ।	चित्र का अभी तक पता नहीं लग सका है ।
(ii)	12 सितम्बर, 1974	पत्थर की 16 मूर्तियों ।	सभी मूर्तियों का पता लग गया था ।
iii. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद ।			
(i)	9 फरवरी, 1971	एक नव-प्रसाधन सन्दूक ।	वस्तु का अभी तक पता नहीं लग सका है ।
(ii)	29 मई, 1972	14 नव-प्रसाधन चित्र ।	11 चित्रों का पता लग गया था ।
(iii)	4 जुलाई, 1974	एक हाथी दांत की आकृति	वस्तु का अभी तक पता नहीं लग सका है ।
iv. पुरातत्वीय संग्रहालय			
(i)	1961 और 1962	पुरातत्वीय संग्रहालय, नालन्दा, बिहार से 16 तांबे के बुत चोरी हो गए थे ।	तांबे के एक बुत का पता लग गया था ।
(ii)	अक्तूबर, 1966	पुरातत्वीय संग्रहालय, सारनाथ से बुद्ध का एक बुत चोरी हो गया था ।	बुत का अभी तक पता नहीं लग सका है ।

सूरजमुखी की खेती

2745. श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूरजमुखी की खेती के लिये बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी एकड़ भूमि में इसके पौधे लगाए गए है लगाये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या रूमानियां, फ्रांस और अन्य देश सुधरे हुए बीज सप्लाई करने के लिये सहमत हो गए हैं;

(घ) क्या हमारे कोई विश्वविद्यालय इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त बीज पैदा करने में विशेषता प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ङ) उनके प्रयासों के परिणाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) सूरजमुखी के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, 1974-75 के दौरान 4.75 लाख हैक्टर क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती शुरू करने का लक्ष्य है ।

(ग) रूमानिया ने इसको कुछ किस्में और संकर किस्में सप्लाई की हैं, जिनको देश के चुनीदा क्षेत्रों में आजमायश की जा रही है। उनकी उत्पादनशीलता के आधार पर हमारी परिस्थितियों के अनुकूल एक 'रेमसनरिकार्ड' नामक किस्म को चुना गया है और बड़े स्तर पर खेती करने के लिये इसके बीजों में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

सूरजमुखी की संकर किस्मों के बारे में अभी निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं हुये हैं, क्योंकि परीक्षणों में अभी कुछ समय और लगेगा और रूमानिया से हर समय संकर बीजों को प्राप्त करने के मार्ग में कुछ कठिनाई रही है। हाल ही में बुचारेस्त में 16 से 21 सितम्बर, 1974 तक भारत-रूमानियां संयुक्त आयोग की एक बैठक हुई थी, उसमें भारत की मांग को पूरा करने के लिये ही नहीं बल्कि सूरजमुखी की संकर किस्मों में रूचि रखने वाले बाहर के देशों को निर्यात करने की दृष्टि से वाणिज्यिक आधार पर भारत में सूरज मुखी के संकर बीजों का उत्पादन करने के लिये संयुक्त प्रयास करने हेतु भारत और रूमानिया के मध्य एक करार तय हुआ था। प्रारम्भिक कदम के रूप में भारत की विभिन्न जल-वायु संबंधी परिस्थितियों में रूमानिया की संकर किस्मों की अनुकूलता की जांच करने और इनके वाणिज्यिक उत्पादन के लिये अधिक उपयुक्त क्षेत्रों का चयन करने के विषय में परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस संबंध में रूमानियां परीक्षण हेतु संकर बीजों को सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तिलहनों के विकास के लिए अखील भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से इन संकर किस्मों के व्यापक परीक्षणों की व्यवस्था कर रहा है। परीक्षण के लिये रूमानिया से संकर बीजों का आयात करने की व्यवस्था की जा रही है। सूरज मुखी की खेती की दृष्टी से फ्रांस भी एक महत्वपूर्ण देश है। परन्तु हम ने फ्रांस से कोई किस्में नहीं मंगाई हैं।

(घ) और (ङ) तिलहन परियोजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रमुख अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है : (1) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर (2) कृषि विज्ञान सम्बन्धी, विश्वविद्यालय, बंगलोर, (3) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, दिगराज, और (4) पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, अकोला।

फसल उत्पादन अनुसंधान और फसल रक्षण समस्याओं के लिये प्रमुख केन्द्र के अतिरिक्त अकोला के एक बीज तकनोलोजी एकक की भी स्थापना की गई है।

सीमित उत्पादन समस्याओं के बारे में अनुसंधान करने के अतिरिक्त, नई किस्में पैदा करना और नर्मुक्त की गई किस्मों के केन्द्रक बीजों का उत्पादन करना ही इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य है।

सूरजमुखी के बीजों का उत्पादन करना एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है और यह फसल ऐसी है कि जब तक गुण और शुद्धता सम्बन्धी समस्याओं को काफी सावधानी पूर्वक नहीं सुलझाया जाए तब तक बीज के उत्पादन और बीज में तेल की प्रतिशतता के संबंध में अच्छे स्तर को बनाये रखना मुश्किल है। इसलिये फोर-टाईर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम का विकास करके उसकी क्रियान्विति की गई है। इसमें चार-चरणों में बीजों का उत्पादन करना शामिल है। ये चार चरण हैं "सुपर-इलाइट", 'इलाइट', 'सर्टीफाइड' और 'कामर्शियल'। इस तकनीकी के फलस्वरूप चुनीदा किस्मों के केन्द्रों, अर्थात् कोयम्बातूर, बंगलोर, कानपुर, दिगराज और अकोला से चार मीटरी टन 'सुपर इलाइट' के बीज का उत्पादन किया गया है। यह बीज अब और गुणन करने के लिये राष्ट्रीय बीज निगम को सौंप दिया गया है।

आयात किये गये बीजों को जांच करने और अपनाये गये बीजों का वाणिज्यीकरण करने के अतिरिक्त देश के अन्दर कोयम्बटूर, बंगलौर, दिगराज और अकोला में नई किस्में पैदा करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। तिलहन परियोजना के अन्तर्गत, इन केन्द्रों में विकसित सामग्री की विभिन्न चरणों में जांच की जा रही है।

बाल आहार के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण

2746. **श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल आहारों की भारी कमी है;

(ख) क्या बाल आहार के मूल्यों और वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) देश के कुछ भागों में शिशु आहार की कमी होने के समाचार प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) दुग्ध आहारों के वितरण पर कोई सांविधिक मूल्य नियन्त्रण नहीं है। तथापि, इस पदार्थ के निर्माता मूल्य वृद्धि करने के लिए सरकार की सहमति प्राप्त करते हैं।

चीनी के निर्यात के बारे में चर्चा

2747. **श्री मधु लिमये : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि

(क) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच चीनी के निर्यात के बारे में चर्चा हुई थी ;

(ख) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने बड़ी मात्रा में चीनी के निर्यात का देश में चीनी के मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की ओर वाणिज्य मन्त्रालय का ध्यान आकर्षित किया है ;

(ग) क्या कृषि और सिंचाई मन्त्रालय ने चीनी के मूल्यों को कम करने तथा इसका निर्यात बढ़ाने हेतु चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाए बनाई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : दो मंत्रालयों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के बीच चीनी के निर्यात से संबंधित मामलों पर बातचीत करने के लिए जब कभी आवश्यक होता है अक्सर विचारविमर्श होता रहता है। आन्तरिक खपत के लिए न्यूनतम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के अनुरूप खाद्यान्नों, उर्वरकों, पेट्रोलियम प्रोडक्टस आदि जैसी आवश्यक मदों का आयात करने के लिए अति आवश्यक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए विश्व की मंडी में चल रही अत्यधिक आकर्षक मूल्यों के संदर्भ में चीनी का अधिकतम मात्रा में निर्यात करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) मूल्यों को नीचे लाने और निर्यात में वृद्धि करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय किए गए हैं :—

(1) इस वर्ष गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि कर दी गई है।

(2) आंशिक नियंत्रण की नीति, जोकि चीनी फैक्ट्रियों को गन्ना उत्पादकों को गन्ने का वास्तव में अधिक मूल्य देने में मदद देती है, ताकि अधिक उत्पादन करने के लिए पर्याप्त गन्ना प्राप्त करने के लिए गुड़ और खाण्डसारी उत्पादकों से होड़ को रोका जा सके, को जारी रखा जा रहा है।

(3) इस वर्ष से चीनी फैक्ट्रियों से सांविधिक रूप से अपेक्षा की जाती है कि वे 'मुक्त' बिक्री की चीनी से प्राप्त अपने अधिक लाभ 50 प्रतिशत को गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के रूप में गन्ना उत्पादकों को दें।

(4) चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिए मौसम में पहले और बाद में पिराई करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों को उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है।

(5) मौजूदा फैक्ट्रियों को अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार पिराई करने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जा रहा है और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों तथा उद्योग के परामर्श से पग उठाए जा रहे हैं।

(6) नई लाइसेंसशुदा फैक्ट्रियों को समय पर स्थापित करने में आने वाली कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से हल किया जा रहा है।

(7) चुकन्दर से चीनी का उत्पादन करने की सम्भावना सरकार के विचाराधीन है।

(8) चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गन्ने की किस्म और मात्रा में सुधार करने के लिए दीर्घकालिक उपाय सरकार के विचाराधीन हैं।

औद्योगिक कर्मचारियों को मकानों के आबंटन में विलम्ब

2748. श्री मधु लिमये : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के एक विधायक ने सरकार का ध्यान, औद्योगिक श्रमिकों को मकानों के आबंटन में हुए विलम्ब कारण उन्हें हो रही कठिनायों की ओर दिलाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जब औद्योगिक श्रमिकों ने अपना नाम दर्ज कराया था तब वे निर्धारित आय वर्ग में आते थे और मकानों के आबंटन के लिए अधिकारी थे परन्तु मकान मिलने में हुए विलम्ब तथा इस बीच मजूरी दर में हुई वृद्धि के कारण वे अब इसके अधिकारी नहीं रहे हैं ;

(ग) क्या मुद्रास्फिति में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार औद्योगिक श्रमिकों की आय-सीमा को 500 रुपये तक बढ़ाएगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो आय-सीमा के न बढ़ाये जाने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) कतिपय औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा आबंटन के लिये पंजीकरण करवाने के बाद उनकी मजदूरी में हुई वृद्धि के कारण, औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकान प्राप्त करने में जो कठिनाई अनुभव की जा रही हैं उसके बारे में विभिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) तथा (घ) मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा, योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों के प्रारंभिक आबंटन के लिये पात्रता की आय सीमा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड की स्थायी समिति

2749. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मामलों के लिए केन्द्रीय शिक्षा परामर्शदात्री बोर्ड की स्थायी समितियां बनाने का निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये समितियां नियुक्त कर दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन के नाम और गठन क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अभी समितियों का गठन किया जाना है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्यों की सिंचाई क्षमता

2750. श्री बी० वी० नायक : क्या **कृषि और सिंचाइ** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्यों की सिंचाई क्षमता क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : तीनों राज्यों में चतुर्थ योजना के अन्त तक बृहत्, मध्यम और सिंचाई परियोजनाओं द्वारा निर्मित सिंचाई शक्यता निम्न प्रकार है :—

महाराष्ट्र . .	2.22 मिलियन हैक्टर
कर्नाटक . .	1.78 मिलियन हैक्टर
गुजरात	1.90 मिलियन हैक्टर

नदियों के जल को केन्द्रीय विषय बनाना

2751. श्री बी० वी० नायक : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्यीय नदियों के मामले में उनके जल का वितरण राज्य की सिंचाई क्षमता के आधार पर किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सभी नदियों और उनके जल को केन्द्रीय विषय बनाने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) अन्तर्राज्यीय नदी बेसीन में किसी राज्य की सिंचाई क्षमता ऐसे नदी बेसिन के जल के संविभाजन करते समय विचार किए जाने वाले तथ्यों में से एक है।

(ख) 'जल' को केन्द्रीय विषय बनाने तथा उसके परिणामस्वरूप संविधान में अपेक्षित संशोधन की कठिनाइयों का अध्ययन किया जा रहा है।

मछली पकड़ने के क्षेत्र में संगठित एकाधिकार के विरुद्ध भारतीय मछुओं के हितों की रक्षा

2752. श्री बी० वी० नायक : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समुद्र तट पर गहरे समुद्र में यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने वाले संगठित एकाधिकारियों के अतिक्रमण के विरूद्ध भारतीय मछुओं के हितों के रक्षा करने के लिए क्या विभिन्न उपाय किये जा रहे है ; और

(ख) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी देते समय कृषि मंत्रालय से सलाह ली जाती **है ?**

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) बिना यंत्र-चालित नौकाओं, यंत्र-चालित नौकाओं और मछली पकड़ने के बड़े जलयानों के लिए अलग अलग क्षेत्र निर्धारित करने संबंधी अधिकार राज्य सरकारों को देने का प्रस्ताव है। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी हां ।

सरकारी कर्मचारियों को दिये गये क्वार्टरों की प्रतिशतता

2753. श्री बी० वी० नायक : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को श्रेणीवार, कितने प्रतिशत क्वार्टर दिये है ;

(ख) आबंटन का आधार 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जाता है अथवा किसी अन्य प्रकार से ; और

(ग) सरकारी कर्मचारी को क्वार्टर पाने के लिये औसतन कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) दिल्ली / नई दिल्ली में 98,891 रिहायशी एककों की कुल मांग के मुकाबले, 1-10-1974 की स्थिति के अनुसार केवल 41,079 एकक हैं तथा परितुष्टि की समस्त प्रतिशतता 41.5 है। पात्र टाईपों के लिये टाईपवार परितुष्टि की प्रतिशतता निम्नलिखित है :--

टाईप- I	47.8
टाईप- II	38.5
टाईप- III	34.5
टाईप- IV	49.7
टाईप- V	34.5
टाईप- VI	38.3
टाईप- VII	28.5
टाईप- VIII	14.3

(ख) आबंटन का आधार अग्रता की तारीख है जिसका हिसाब उस तारीख से लगाया जाता है जब से कोई अधिकारी सेवा में भर्ती हुआ हो (टाईप--I से IV तक के लिये) अथवा उस तारीख से जब से कोई अधिकारी टाईप विशेष से संबंधित परिलब्धियों लेता है (टाईप V तथा उससे ऊपर के लिए)

(ग) दिल्ली / नई दिल्ली में सामान्य पूल वास का आबंटन, विभिन्न टाईपों के रियाहशी एककों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसी सरकारी कर्मचारी को क्वार्टर का आबंटन होने से पहले प्रतीक्षा की औसतन अवधि निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि सामान्य पूल वास की कमी को देखते हुए आवेदन सीमित आधार पर आमंत्रित किए जाते हैं।

चावल कूटने की नयी तकनीक

2754. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल कूटने की कोई नई तकनीक क्रियान्वयन हेतु तैयार है जिससे चावल की अधिक मात्रा प्राप्त हो सकेगी और उसकी भूसी का उपयोग खाद्य तेल बनाने के लिए किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब क्रियान्वित की जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1970 में यथा-संशोधित चावल मिलिंग उद्योग (विनियमन और लाइसेंसिंग) नियम, 1959 के नियम 3(3) में की गई व्यवस्था के अनुसार एक से अधिक हुलर, हुलर-कम-हुलर और शैलरों की चावल मिलों के लिए पहले ही यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे अधिक मात्रा में चावल प्राप्त करने तथा अच्छी किस्म की भूसी प्राप्त करने के लिए विकसित मिलिंग टेक्नोलाजी को अपनाएं। इन नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे प्रयोजनों के लिए तीन वर्षों की अवधि के दौरान और अपवादात्मक मामलों में पांच वर्षों के अन्दर, एक से अधिक हुलर वाली मिलों को धान की भूसी उतारने के लिए हुलर को इस्तेमाल करने

की इजाजत नहीं होगी और उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे या तो अण्डर रनर शेलर और एक धान सेपरेटर लगाएं या धान क्लीनर तथा धान सेपेरेटर के साथ-साथ रबड़ रोलर शेलर लगाये। यदि यूनिट शेलर-कम-हुलर किस्म का है और शेलर यूनिट में धान सेपेरेटर के साथ अण्डर-रनर शेलर है, तब यूनिट धान क्लोनर और धान सेपेरेटर के साथ रबड़ रोलर शेलर लगाएगी। इन नियमों के अधीन, हुलर को केवल चावल की पालिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा न कि धान की भूसी उतारने के लिए। शेलर किस्म की मिलों की तरह, उपर्युक्त अवधि के अन्दर शेलर उपकरण के स्थान पर रबड़ रोलर लगाए जाने है जिनमें धान क्लीनर और धान सेपेरेटर लगे होंगे।

इन उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारें सख्त कार्यवाही कर रहीं है।

खाद्यान्न की वसूली के लिए बैंकों द्वारा सहायता

2755. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंकों को देश में खाद्यान्न की वसूली के लिए वित्तपोषण करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने खाद्यान्न की वसूली के लिए सभी सरकारी एजेन्सियों को सहायता देने के लिए बैंकों से बातचीत की है;

(ग) क्या इन बैंकों को मंत्रालय ने कोई सुझाव दिए हैं; और

(घ) इससे खाद्यान्न वसूली में कितनी सहायता मिली है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) राज्य सरकारों, भारतीय खाद्य निगम और सहकारी एजेन्सियों के खाद्य अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यचालनों के लिए अप्रैल, 1970 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कंसोरशियम प्रबंधों के अधीन पैसा दिया जा रहा है। भारत के रिजर्व बैंक ने कंसोरशियम में भाग लेने वाले बैंकों को परामर्श दिया है कि अधिप्राप्ति कार्यचालनों के लिए बैंकिंग सैक्टर से सरकारी अधिप्राप्ति एजेन्सियों की ऋण सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को केवल कंसोरशियम के माध्यम से ही पूरा किया जाना चाहिए।

क्योंकि उपर्युक्त व्यवस्था को पर्याप्त पाया गया है, इसलिए इस मंत्रालय द्वारा बैंकों को कोई सुझाव नहीं दिए गए हैं। तथापि. यदि कोई ऐसी आवश्यकता पैदा होती है, सम्बन्धित प्राधिकारियों से बातचीत की जाएगी।

वसूली के लिए दोहरी मूल्य नीति शुरू करना

2756. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिल नाडु सरकार ने वसूली के लिए दोहरी मूल्य नीति शुरु करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नीति आशा से अधिक खरीफ फसल प्राप्त करने में सहायक हुई है; और

(ग) क्या इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को वसूली के लिए दोहरी मूल्य निति अपनाने के किए कहा है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) तमिल नाडु सरकार ने धान के ऊंचे अधिप्राप्ति मूल्यों की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्होंने लेवी के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली धान के वही अधिप्राप्ति मुल्य निर्धारित करना मान लिया है जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचित किए गए हैं।

Transfer of Teachers in N. D. M. C. Schools

2757. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether academic session of all the primary schools of New Delhi Municipal Committee and Municiapl Corporation of Delhi starts from July;

(b) whether the policy of the Administration is that the transfers of the teachers be made before the academic session starts;

(c) whether New Delhi Municipal Committee has transferred more than one hundred teachers in October-November and as a result of which studies of the students have been adversely affected ; and

(d) if so, the steps to be taken by the Government to ensure that such untimely transfers of teachers do not occur in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare, and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) The academic session starts from 1st May.

(b), In the schools run by the New Delhi Municipal Committee transfers are made after the post fixation on the basis of enrolment as on 31st July of every year.

In the schools run by the Municipal Corporation, general transfers are made till 30th September every year. Transfers on administrative grounds continue throughout the year.

(c) and (d) The position is being ascertained from the New Delhi Municipal Committee-

Withdrawal of Recognition of Gurukul Kangri

2758. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether University Grants Commission is considering a proposal to withdraw the recognition of Gurukul Kangri and whether the students and workers have made a demand not to withdraw the recognition ; and

(b) if so, the reasons for withdrawing the recognition and the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) The Univrsity Grants Commission had appointed a Committee to review the working of Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, an institution deemed to be a University. The Commission considered the report of the Committee at its meeting held in March, 1972 and decided that the Vishwavidyalaya and may consider and implement the recommendations made by the Committee.

The comments of the Vishwayidyalaya on the report were considered by the Commission in September, 1972. The Commission decided that a Committee may look into the implementation of the recommendations by the Vishwavidyalaya. This Committee *Inter alia* felt that no useful purpose had been served in granting the status of an institution deemed to be a University to the Gurukul Kangri Vishwavidyalaya, and that the present activities and standing of the Vishwavidyalaya do not justify the continuance of the deemed status to it. The report was considered by the Commission at its meeting held in October 1974. The Commission felt deeply concerned at the present working of the Vishwavidyalaya and desired that the Vishwavidyalaya be requested to send its comments on the report by December 31, 1974, and the matter brought up before the Commission again.

Some representations were received against the proposed withdrawal of the deemed status.

गोआ में विकलांग व्यक्तियों के लिये केन्द्र

2759. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ राज्य में विकलांग व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके लिए पुनर्वास केन्द्र खोलने की कोई योजना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) गोआ में विकलांग व्यक्तिओं के लिए पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है, परन्तु गोआ की सरकार द्वारा समर्थित स्वयंसेवी संगठनों से वित्तीय सहायता सम्बन्धी निवेदनों पर यह विचार करेगी।

तिलहन का उत्पादन

2760. श्री रानेन सेन : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कितने तिलहन का उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने गैर-पारम्परिक तिलहनों की काश्त के लिए 36 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि के उपयोग पर विशेष बल दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) वर्ष 1973-74 के लिए तिलहनों के अन्तिम अनुमानों के अनुसार चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में मूंगफली, तोरिया तथा सरसों, तिल, अलसी और एरंड पांच प्रमुख तिलहनों का कुल उत्पादन 86.829 लाख टन था, इस आधार पर चौथी योजना में कुल उत्पादन 412.802 लाख टन है।

(ख) तथा (ग) इस प्रयोजन के लिए परिचालित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 14.90 लाख हैक्टर क्षेत्र में सूरजमुखी और सोयाबीन जैसी अपारम्परिक तिलहनों की काश्त का विचार है। अलग-अलग फसलों और अलग अलग राज्यों के क्षेत्र के लक्ष्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य	अन्तर्गत का क्षेत्र (लाख हे०)	
	सूरजमुखी	सोयाबीन
आन्ध्र प्रदेश	2.00	—
गुजरात	1.00	0.10
कर्नाटक	1.20	0.10
मध्य प्रदेश	0.30	2.00
महाराष्ट्र	1.40	0.10
उड़ीसा	0.50	—

राज्य	अन्तर्गत का क्षेत्र (लाख हे०)	
	सूरजमुखी	सोयाबीन
तमिल नाडु	2.50	—
उत्तर प्रदेश	0.60	1.70
प० बंगाल	0.50	—
पंजाब	0.60	—
बिहार	—	0.20
हरियाणा	—	0.10
कुल	10.60	4.30

दिल्ली विकास प्राधिकरण की नारायणा रिहायशी योजना के उपयोग में आयी भूमि का नक्शा

2761. श्री एस० एन० मिश्र : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की रिहायशी की योजना के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि है ;

(ख) उपयोग में भूमि का नक्शा तथा प्लाटों, ग्रुप हाऊसिंग, सामुदायिक सुविधा, समदाय केन्द्र स्थलों सड़कों, पार्कों तथा खुले स्थानों आदि के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोगों में आयी भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्लाटों की बिक्री से, ग्रुप हाऊसिंग फ्लैट्स के अलाटियों से, दुकानों, सामुदायिक केन्द्रों, स्कूलों तथा डाकघरों आदि से भूमि प्रीमियम के रूप में अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ; और

(घ) कालोनी में कितना क्षेत्र बिक्री के लिए शेष है और इससे कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 170.00 एकड़।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

	एकड़
प्लाटों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र	55.90
ग्रुप हाउसिंग	18.42
शैक्षणिक सुविधाएं	22.53
पार्क तथा खुले स्थान	24.17
स्थानीय पणन केन्द्र	2.26
समाज केन्द्र	7.00
सड़कें तथा सर्विस लेन्ज़	34.28
केन्य सुविधाएं	5.44

(ग) 174.98 लाख रुपये

(घ) बिक्री के लिए उपलब्ध रिहायशी क्षेत्र	लगभग 13425 वर्ग गज
प्रत्याशित वसूली	9.54 लाख रुपये

नारायणा, दिल्ली में निम्न आय वर्ग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की बिक्रीलागत का ब्यौरा

2762. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एच० और आई० ब्लाक, नारायणा, दिल्ली में बेचे गए निम्न आय वर्ग के फ्लैटों की बिक्री लागत का योजनावार ब्यौरा क्या है ;

(ख) फ्लैट बनाने वाले विभिन्न ठेकेदारों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में कितनी कितनी राशि दी गई ; और

(ग) प्रत्येक योजना पर हुए किसी विभागीय व्यय का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नारायणा में एच तथा आई ब्लाकों में बेचे गये निम्न आय वर्ग के फ्लैटों की लागत का अलग अलग ब्यौरा अनुलग्नक I में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8625/74]**

(ख) बड़े बड़े ठेकेदारों के नाम जिन्होंने फ्लैटों का निर्माण किया तथा उनको दी गई कुल राशियां अनुलग्नक-11 में दी गई हैं। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8625/74।)**

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण, योजनावार विभागीय व्यय के ब्यौरे नहीं रखता और इसलिए प्रत्येक योजना पर किए गये विभागीय व्यय को बताना संभव नहीं है।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् की पुनरीक्षण समिति

2763. श्री एस० एन० मिश्र :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मल्लिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज-विज्ञान, अनुसंधान परिषद् की पुनरीक्षण समिति ने सरकार को अपनी प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा नियुक्त पुनरीक्षण समिति ने परिषद् को अपनी रिपोर्ट नवम्बर 1973 में प्रस्तुत की थी। समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातों का विवरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा। गया देखिए संख्या एल० टी० 8626/74]** रिपोर्टकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) परिषद् द्वारा उक्त रिपोर्ट पर विचार किया गया है। समिति द्वारा की गयी बहुत सी सिफारिशों पर परिषद् अपने आप कार्रवाई करने के लिए समर्थ है और इस सम्बन्ध में परिषद् द्वारा पहले ही से कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है। ऐसी सिफारिशों से संबंधित मामला जिन पर सरकार की निर्णय की जरुरत है परिषद द्वारा सरकार को भेज दिया गया है और उसकी जाच की जा रही है।

सी० एम० डी० ए० के लिये धनराशि का नियतन

2764. श्री एन० ई० होरो :

श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में सी० एम० डी० ए० कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि नियत की गई ;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने 1974-75 के दौरान सी० एम० डी० ए० कलकत्ता के कार्य के लिए कोई धनराशि देने से इन्कार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) चौथी योजना अवधि में कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में दी गई कुल केन्द्रीय सहायता की राशि क्रमशः 10.39 करोड़ रुपये तथा 20.68 करोड़ रुपये है। 1974-75 में भी कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिये 7.50 करोड़ रुपये की राशि का ऋण के रूप में नियत किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमिहीन श्रमिकों के लिये मकान

2765. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन श्रमिकों को आवास हेतु भूमि तथा मकान सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है अथवा की जा चुकी हैं ;

(ख) क्या पांचवी योजना के अन्त तक सभी भूमिहीन श्रमिकों को मकान के लिए भूमि अथवा मकान सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निम्न तथा मध्यम आय वर्ग की आवासीय स्थिति सुधारने के लिये कई सामाजिक आवास योजनाएं पहले ही आरम्भ की जा चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने की एक अलग योजना भी अक्तूबर, 1971 में आरंभ की गई थी। ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा सभी राज्य क्षेत्र कार्य-क्रमों के लिये केन्द्रिय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें, विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिये, जिस में आवास शामिल है, अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार जिसका निर्धारण वे स्वयं करती हैं, निधियां निर्धारित करने में स्वयं सक्षम हैं। भूमिहीन मज़दूरों को वास-भूमि का अधिकार देने के लिये अनेक राज्य सरकारों ने किसी न किसी रूप में आवश्यक कानून बना लिया है।

(ख) तथा (ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को आवास स्थल देने के लिये 108.16 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को लगभग 40 लाख वास स्थल देना संभव हो सकेगा ।

नेपाल और भारतीय क्षेत्र में नहर की खुदाई

2766. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री 31 जुलाई 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1119 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि के अधिग्रहण नेपाली और भारतीय क्षेत्रों में नहर की खुदाई के कार्य में क्या प्रगति हुई है और कार्य के पूरा होने का कार्यक्रम क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : नेपाल सीमा में 35 किलोमीटर तक की भूमि के कब्जे के प्रति अभी तक केवल 15.5 किलोमीटर तक की भूमि परियोजना प्राधिकारियों को सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त, इस भाग में किसानों ने धान की फसल बोई हुई है तथा वे फसल की कटाई तक नहर की खुदाई नहीं होने दे रहे हैं। भारतीय क्षेत्र में भूमि को अधिग्रहण करने से संबंधित कार्यवाही की जा रही है।

नेपाल-क्षेत्र में नहर का निर्माण 1975 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया था परन्तु अब इसमें देरी हो जाएगी। भारतीय क्षेत्र में निर्माण-कार्य के 1979-80 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

मिथिला विश्वविद्यालय से अनुदान और सहायता के लिए अभ्यावेदन

2767. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री मिथिला विश्वविद्यालय से अनुदान और सहायता के लिए अभ्यावेदन के बारे में 29 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 930 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत नियमों को इस बीच बना लिया गया है और मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा, बिहार से अनुदान और सहायता के लिए प्राप्त अभ्यावेदन पर निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संम्बन्धी रुपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या 42 कालेजों के अतिरिक्त, कालिदास विद्यापति कालेज, वेणीपट्टी (उचरथा) को वित्तीय सहायता दी जा रही है अथवा दी जाएगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदानों के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की पात्रता) नियम, 1974 अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों को राज्य सरकारों और विश्वविदयालयों को भी भेज दिया गया है। तथापि मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) इस समय, मिथिला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 33 कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत लाया गया है अतः आयोग से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। जहां तक कालिदास विद्यापति कालेज, वेणीपट्टी का सम्बन्ध है, मिथिला विश्वविद्यालय ने उसको धारा 2 (च) के अन्तर्गत लाने के लिए विश्वविदयालय अनदान आयोग के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

दरभंगा जिले में मोहिनी और खिरोई नदियों के बीच तटबन्ध बनाने की योजना

2768. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री हरिहरपुर और कालीगांव के बीच जलफाटक एवं पुल बनाने के बारे में 28 अगस्त 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3768 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला दरभंगा में मोहिनी नदी के साथ सिंधवाडा से खिरोई नदी तक तटबंध बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) राज्य सरकार ने अभी तक स्कीम को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Scheme for Fallow Land in Madhya Pradesh

2769. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received a scheme from the Government of Madhya Pradesh to make fallow land in the State as cultivable land ; and

(b) if so, the broad features of the scheme and the reaction of the Central Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अभावग्रस्त राज्यों को लघु और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के लिये ऋण

2770. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खरीफ फसल की क्षति को ध्यान में रखते हुए रबी फसल उगाने के लिये शुरू की जाने वाली लघु तथा मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं के लिये अभावग्रस्त राज्यों को ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को किन शर्तों पर ऋण दिया गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) राज्य लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था अपनी योजना में से करते है और चालू वर्ष में अब तक राज्यों को ऐसी परियोजनाओं के लिये योजना के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पांचवी योजना के दौरान लघु कृषक विकास एजेंसी हेतु आबंटन

2771. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में लघु कृषक विकास एजेन्सी तथा सीमान्त किसान और कृषि श्रम योजना के लिए आबंटित संशोधित राशि कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आबंटित की गई तथा कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने हाल ही की शोचनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषकों को राजसहायता की सुविधा दी है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पांचवी पंचवर्षीय योजना में छोटा किसान विकास एजेन्सी और सीमान्त किसान तथा खेतीहर मजदूर योजना के कार्यान्वियन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । यह निर्णय भी किया गया है कि पांचवी योजना में सभी एजेन्सियों को छोटा किसान विकास एजेन्सी का नाम दिया जाए जो मिले जुले स्वरूप की होगी तथा उसमें छोटा किसान, सीमान्त किसान और कृषि मजदूर शामिल होंगे ।

(ख) वर्तमान पद्धति के अनुसार केवल अनुमोदित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति और प्रत्येक मामले के प्रत्याशित व्यय के आधार पर एजेन्सियों को सीधे सहायक अनुदानों का बंटन किया जाता है । प्रत्येक सीमान्त किसान विकास एजेन्सी परियोजना के लिए 5 वर्षों की अवधि हेतु 150.00 लाख रुपये का परिव्यय है । विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित परियोजनायें संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ग) जी नहीं ।

विवरण

राज्यों को आबंटित एजेन्सी यूनिटें

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	कुल एजेन्सी यूनिटें
आंध्र प्रदेश	15
असम	4
बिहार	18
गुजरात	6
हरियाणा	3
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू तथा कश्मीर	4
केरल	4
मध्य प्रदेश	12
महाराष्ट्र	12
मणिपुर	1
मेघालय	2
मैसूर (कर्नाटक)	7
नागालैण्ड	1
उड़ीसा	7
पंजाब	4
राजस्थान	5
तामिलनाडु	12
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	26
पश्चिम बंगाल	9
केन्द्र शासित क्षेत्र तथा आरक्षित	5
	160

सालन्दी सिंचाई कमान्ड क्षेत्र

2772. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालन्दी सिंचाई कमांड क्षेत्रों में क्रियान्वयन कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेष कारण क्या है; और

(ग) कमांड क्षेत्रों में क्रियान्वयन कार्य निश्चित रूप से कब तक पूरा हो जाएगा?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) सालंदी परियोजना के अन्तर्गत नहर प्रणाली लगभग पूर्ण हो गई है और 61900 हैक्टेयर की कुल शक्यता के प्रति 54630 हैक्टेयर सिंचाई शक्यता का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

(ख) पूर्ण शक्यता का निर्माण न किए जाने के कारण क्रेस्ट फाटकों के लगाने में देरी होना है। इस कार्य को उड़ीसा सरकार के उपक्रम "उड़ीसा निर्माण निगम लिमिटेड" को सौंप दिया गया है और इसकी क्रियान्विति पर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) यह परियोजना समग्र रूप से 1975-76 तक पूर्ण होनी संभावित है।

राज्यों में बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास प्रणाली के लिए परिव्यय योजना

2773. श्री अर्जुन सेठी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ नियंत्रण तथा जल निकास प्रणाली के लिए कुल कितने परिव्यय का प्रस्ताव है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या उड़ीसा को वैतरणी तथा ब्राहमणी नदी के बाढ नियंत्रण को भी इसमें शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में निर्दिष्ट बाढ नियंत्रण और जल निकास के लिए कुल परिव्यय 281 करोड़ रुपये है जिसमें से 172.6 करोड़ रुपये राज्य योजनाओं के परिव्यय में है। पांचवी योजना के परिव्यय और बाढ नियंत्रण और जल निकास के लिए राज्य वार आबंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

उड़ीसा राज्य को पांचवी योजना के मसौदे में बाढ नियंत्रण और जल निकास के लिए 500 लाख रुपये का प्रावधान है। इसमें ब्राहमणी बेसिन और वैतरणी बेसिन में कार्यों के लिए 100-100 लाख रुपये शामिल है। ये प्रावधान इन बसिनों में कटाव रोधी कार्यों, जल निकास सुधार और अन्य लघु कार्यों के कार्यान्वियन के लिए है।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, दिल्ली के सदस्यों से हलफनामा

2774. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स को आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सदस्यों द्वारा मई, 1972 में प्रस्तुत हलफनामों के विवरण उन हलफनामों के विवरणों से मिलाये गए है;

जो सदस्यों ने दिल्ली प्रशासन के नोटिस संख्या 954(एम)।42 दिनांक 2 मार्च, 1974 के अनुसार दाखिल किए है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यदि मिलाए गए है, तो कुल कितने मामलों में कमियां पायी गयी तथा किस प्रकार की;

(ख) जिन मामलों में 1972 के हफलफनामों तथा अब 1974 में दाखिल किए गए हलफनामों के बीच अन्तर पाए गए है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) 2 मार्च, 1974 के नोटिस के उत्तर में प्राप्त शपथ पत्रों की जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई थी तथा उसके निष्कर्षों पर विचार किया जा रहा है ।

राज्यों में निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लिये आवास की व्यवस्था हेतु परियोजनाओं का क्रियान्वयन

2775. श्री एम० एस० पुरती :
श्री एस० एन० सिंहदेव :
श्री देवेन्द्र नाथ महाता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों से निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लिए आवास सम्बन्धी परियोजना के बारे में आवास तथा नागरिक विकास निगम को प्रस्ताव मिले है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों पर की राज्य वार मुख्य बातें क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम को केवल महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से ही कम्पोजिट आवास योजनाएं प्राप्त हुई । इन में निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग आवास भी शामिल थे ।

(ख) तथा (ग) एक विवरणपत्र संलग्न है (**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 8627/74)

Adult Education

2776. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of adu ts educated during the last two years under various adult literaty programmes ;

(b) whether Government have increased to some extent the amount of expenditure to be incurred thereon during the current financial year; and

(c) if so, whether the criterion followed in this regard was based on population or on backwardness ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the table of the House.

कावेरी जल विवाद

2777. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्री की उपस्थिति में नई दिल्ली में तामिलनाडु और कर्नाटक के प्रतिनिधियों के बीच कावेरी जल विवाद पर हाल ही में कोई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) कावेरी संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने तामिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल के मुख्य मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में 28 और 29 नवम्बर, 1974 को बातचीत की थी।

(ख) इस समय कावेरी जल का पूर्ण समुपयोजन किया जा रहा है । इसलिए जब तक वर्तमान समुपयोजन में किफायत नहीं की जाती, कावेरी जल का और समुपयोजन विकसित करना संभव नहीं होगा। बचत किए जाने वाले जल की मात्रा तथा वर्तमान समुपयोजन में किफायत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस प्रकार की गई जल की बचत को तीनों राज्यों में संविभाजित करने के आधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। बातचीत के दौरान, की जा सकने वाली जल बचत की मात्रा तथा ऐसे उपायों पर जिनके आधार पर इसका संविभाजन किया जा सके, सामान्य तौर पर मतैक्य हो गया था ।

कावेरी जल का सर्वाधिक न्यायसंगत विभाजन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कावेरी जल को सप्लाई के, नियमित करने के लिए कावेरी घाटी प्राधिकरण के गठन करने पर भी मतैक्य हो गया था। यह प्राधिकरण किफायत करने की स्कीमों का प्रबोधन भी करेगा तथा इस प्रकार बचाए गए जल को मान्य आधारों पर विभिन्न राज्यों के बीच आबंटन करेगा विचार विमर्श करने के दौरान विचारो के आदान प्रदान में स्वतंत्रता तथा निसंकोचता थी तथा सभी की प्रबल इच्छा थी कि इसमें विहित जटिल मामलों को हल करने के लिए।

धनी किसानों पर कम लेवी लगाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश

2778. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री मधु दण्डवते :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को हाल ही में जारी किए गए परिपत्र से धनी किसानों पर, जिनके पास अपने नलकूप है, उन किसानो की अपेक्षा जो सरकारी सिंचाई व्यवस्था पर निर्भर है कम लेवी लगायी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1974–75 मौसम के लिए खरीफ के अनाजों के मूल्यों और अधिप्राप्ति की नीति को बताते समय राज्य सरकारों को साथ साथ यह भी सलाह दी गई थी कि वे इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन लोगों को सिंचाई की अपनी सुविधाओं पर निर्भर करना पड़ता है, उनकी तुलना में सरकारी पैसे से बनें सिंचाई वर्कस से पानी प्राप्त कर रहे उत्पादकों को चाहिए कि वे अधिक लेवी दे। यह महसूस किया गया कि सरकारी पैसे से सुलभ की गई सुविधाओं का जो किसान इस्तेमाल करते है, उन्हें सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए जायज रुप से अपनी अधिक जिम्मेदारियां निभानी चाहिये।

नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्यकरण की जांच

2779. **श्री वीरेन्द्र सिंहराव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्यकरण की कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान किस प्रकार की अनियमिततायें सरकार के ध्यान में आयी है; और

(ग) बोर्ड की कमियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यह जानने के लिए कि क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कार्यकरण में कोई अनियमितता हैं सरकार द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान कोई जांच नहीं की गई है। तथापि, सरकार द्वारा श्री निहार रंजन रे की अध्यक्षता में स्थापित पुनरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें, अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी जांच की गई है कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल रहा है तथा अपने प्रकाशनों आदि का मूल्य निर्धारण मुद्रण वितरण तथा बिक्री से संबंधित अपनी वर्तमान पद्धति एवं नीति में सुधार करने के बारे में सिफारिशें की गई है। रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Accommodation Allotted to various Political Parties in Delhi

2780. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) The Government accommodation allotted to various political parties in Delhi for housing their offices or for providing accommodation for their office employees or for other purposes indicating the dates since when the accommodation has been allotted;

(b) monthly rent and the amount of rent outstanding in each case ;

(c) the names of the political parties which have put up a demand for land or building and the demands among them met and those under consideration and those rejected, and

(d) the reasons for rejection ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) A statement is attached. **[Placed in library. See No. L.T.8628/74]**

(c) and (d) The position is as under :

(1) Requests for land from the Commiunist Party of India and the Delhi Pradesh Congress(O) have been met and allotments of land made.

(2) Requests of the Delhi Pradesh Congress Party (R) and the All India Congress Committee for allotment of land and of the Bhartiya Lok Dal for allotment of accommodation are under consideration.

(3) A request from the Samyukta Socialist Party for allotment of 500 sq. yds. of land was received. The Party was asked to furnish a Bank's certificate showing the amount of cash to its credit.

(4) The request of the All India Congress Committee for ad hoc allotment of general pool accommodation for use by the members of their staff was rejected due to shortage of accommodation in the general pool.

(5) A request of the Jana Sangh Party in Parliament for additional space could not be accommodated.

Scheme for Soyabean and Coconut in M. P.

2781. Shri B. S. Chowhan :
Shri Shrikrishna Agrawal :

Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have sent a scheme to the Central Government to boost up production of Soyabean and Coconut ;

(b) if so, the main features of the scheme ; and

(c) the action taken by the Central Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Prabhudas Patel) : (a) A Centrally Sponsored Scheme for the Development of Soyabean in Madhya Pradesh during 1974-75 has been received from the State Government. No such scheme for Coconut Development has been received from the Government of Madhya Pradesh.

(b) A statement is enclosed.

(c) The Soyabean Development Scheme has already been sanctioned.

STATEMENT

Main features of the Centrally Sponsored Scheme for Soyabean Development submitted by the Government of Madhya Pradesh for implementation during 1974-75 are as follows :

1. To extend the cultivation of Soyabean to an area of 50,000 ha. spread over nine divisions.
2. Laying out of 2,000 demonstrations of 0.4 ha. each spread over 800 ha in 11 divisions with a view to evolving suitable package of practices in different areas for obtaining optimum yields.
3. To meet the requirements of seed, it is proposed to take up production of Nucleus Foundation and Certified Seed.
4. Introduction of crop competition to make the cultivators more interested in the cultivation of this new crop as well as for increasing the yields.
5. Deployment of additional staff to look after the successful implementation of the Scheme.
6. Provision of training of extension personnel.

सरकारी कर्मचारियों के लिये और अधिक क्वार्टरों की व्यवस्था

2782. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये दिल्ली में टाइप i तथा ii के और क्वार्टर बनवाये जा रहे है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 में कितने क्वार्टर बनाये गये और 1975 में कितने क्वार्टर बनाये जाने की संभावना है; और

(ग) कुल कितने सरकारी कर्मचारी अभी तक सरकारी आवास प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) निर्माण और आवास मंत्रालय केवल सामान्य पूल के मकानों के निर्माण से संबंधित है । इस वर्ष पूर्ण किये गये अयवा होने वाले मकानों की संख्या 388 है । 1975 में 580 मकानों के पूर्ण किये जाने की संभावना है ।

(ग) सूची के अनुसार, टाईप i तथा टाइप ii के वास के लिये 10,779 कर्मचारी प्रतीक्षा कर रहे है ।

ग्रैन्ड होटल शिमला में "स्यूट"

2783. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रैन्ड होटल, शिमला के उस भाग को, जो बालजोज के कब्जे में था, अब सरकारने लो ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसको कब तक अधिकार में लिए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सम्पदा अधिकारी ने बेदखली आदेश, 25-3-70 को दिए थे । पट्टाधारी श्री सी० बालाजी ने बेदखली आदेश के विरुद्ध जिला न्यायाधीश, शिमला के न्यायालय में अपील दायर की । अपील जिला न्यायाधीश, शिमला के न्यायालय में अभी भी निलम्बित पड़ी हुई है । जिला न्यायाधिश शिमला के न्यायालय द्वारा अपील पर निर्णय किए जाने पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

चालू वर्ष में मोटे अनाज की वसूली

2784. श्री बेकारिया : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चालू वर्ष में किस किस राज्य से कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन से मोटे अनाज वसूल किए ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अधिप्राप्ति से सम्बन्धित आंकडों को खरीफ अथवा रबी विपणन मौसम के लिए वर्ष वार विपणन के आधार पर तैयार किया जाता है । सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान वास्तव में अभिप्राप्त किए गए मोट अनाजों के आंकड कवल खरीफ विपणन मौसम से संबंधित है ।

एक विवरण संलग्न है, जिसमें खरीफ विपणन मौसम 1973–74 नवम्बर से अक्तूबर 1974 और खरीफ विपणन मौसम 1974–75 (पहली नवम्बर, 1974 से 30 नवम्बर, 1974) के दौरान विभिन्न किस्मों के मोटे अनाजों की की गई अधिप्राप्ति का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8629/74]**

पालामऊ बिहार में कृषि विकास

2785. कुमारी कमला कुमारी : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार के पालामाऊ जिले में कृषि विकास के लिये कोई नई योजना आरम्भ करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : जी नहीं। तथापि कृषि विकास के लिए बिहारके पालामू जिलेमें दो योजनायें समेकित बारानी खेती विकास और सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम पहले से ही चल रही है । इन योजनाओं में, अन्य बातों के साथ साथ सूखा प्रतिरोधी कम समय में तैयार होने वाली किस्मों की फसलें, भूमि विकास कार्य और भूमि संरक्षण कार्य, जल उपयोग लघु सिंचाई का विकास, सडकों का निर्माण वनरोपण आदि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सुधरे हुए दुधारु पशुओ को सप्लाई कुक्कुट पालन सूअरपालन विकास और पशुपालन कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को विशेष रूप से लाभ पहुंचता है । ये योजनाएं इस जिले में पांचवी योजना अवधि के दौरान चालू रहेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण विषयक समिति

2786. श्री राजदेव सिंह : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण विषयक समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या शिक्षा आयोग तथा अन्य सुविख्यात निकायों ने समय समय पर उच्च शिक्षा के ढांचे और विषय क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तनों का सुझाव दिया था और उन पर गंभीरता पूर्वक कोई भी अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) शिक्षा आयोग (1964–1966) की सिफारिश को भावी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कार्यान्वित किया जाना है और केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में योजनागत आबंटनों को अन्तिम रूप देते समय सामान्यतः उन्हें ध्यान में रखा जाता है । शिक्षा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को जैसे देश भर के स्कूलों और कालेंजो के लिए एक समान शिक्षा पद्धति माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण कार्य अनुभव अनौपचारिक शिक्षा को राज्यों को शैक्षिक योजनाओ के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया गया है ।

उत्तर भारत के चीनी कारखानों में पुरानी मशीनें

2787. श्री राजदेव सिंह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अक्तूबर में आरम्भ हुई पिराई की फसल में बनी चीनी के निर्यात से 1.71 करोड़ रुपये की मुद्रा कमाई गई है;

(ख) क्या इस वर्ष अनुमानित उत्पादन गत वर्षों की तुलना में अधिक होगा;

(ग) क्या उत्तर भारत की अधिकांश चीनी मिलों में पुरानी मशीनें है जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त चीनी की प्रतिशतता कम रहती हैं; और

(घ) यदि हां, तो मशीनें बदलने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 1973–74 के उत्पादन से अब तक वास्तव में निर्यात की गई चीनी से लगभग 149 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमायी गयी है।

(ख) मौजूदा संकेतों के अनुसार उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से कोई खास अधिक नहीं हो सकता है ।

(ग) जी हां, लेकिन कई एक कारणों में से यह भी एक कारण है जिसका वसूली पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य है जो कि गन्ने के विकास और पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण तथा उनके पुनर्वास करने की दिशा में पग उठा रहे है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण-पश्चिम जोन में अनाज गोदामों का निर्माण कार्य किया जाना

2788. श्री भोला मांझी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अनाज गोदामों का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिण पश्चिम जोन ने किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'फूड जोन' के कार्यभार में 80 प्रतिशत कार्य गैर खाद्यान्न गोदामों से सम्बन्धित है; और

(ग) क्या क्षेत्रीय सन्निध्य के आधार पर 'फूड जोन' पुनर्गठित करने तथा इसका नाम सेन्ट्रल जोन करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) खाद्य जोन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जोनों में से एक जोनका केवल नाम रखा गया है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यभार तथा कार्य केन्द्र समय समय पर बदलते रहते है। जब आवश्यकता समझी जाती है तो पुनर्गठन किया जाता है तथा किया जा सकता है, परन्तु इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Jhuggi Jhonpris in Delhi

2789. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a large number of persons in Delhi are residing in unauthorised jhuggi-jhonpris and Government have failed to evict them ;

(b) the number of such jhuggi-jhonpris as also the number of persons residing there ; and

(c) the steps being taken by Government to get these unauthorised jhuggi-jhonpris vacated ?

The Minister of State in the Ministry of Works & Housing (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) As per a survey carried out in 1973, there were 1,42,000 jhuggis, with a population of 6 lakhs persons living in them, in the Union Territory of Delhi. The Jhuggi dwellers are removed from public land and resettled in J. J. colonies under the Jhuggi-Jhonpri Removal Scheme as and when the land needs to be cleared.

पंजाब के निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन कर रहे वनस्पति कारखाने

2790. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 के प्रथम आठ महीनों में पंजाब के वनस्पति कारखानो ने निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो अप्रयुक्त क्षमता के क्या कारण है; और

(ग) क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इस अवधि के दौरान क्षमता का 31.3 प्रतिशत उत्पादन हुआ था जबकि सामान्य वर्षों में लगभग 54.0 प्रतिशत उत्पादन होता है ।

(ख) ऐसा मुख्यत: इन महीनों के दौरान लाभकारी मूल्यों पर कच्चे तेलो की कम मात्रा मिलने के कारण हुआ था ।

(ग) पंजाब के पास जो क्षमता उपलब्ध है वह राज्य को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी अधिक है । उसका अधिक उपयोग पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेलों के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा और सरकारी देशी उत्पादन में अधिकतम वृद्धि कर और यथा आवश्यक आयात कर उसमें वृधि करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है ।

पांचवी योजना में बड़ी तथा मध्यम स्तर की सिंचाई योजनाए

2791. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी योजनावधि में सिंचाई सुविधायें प्रदान करने के लिये कितनी बडी तथा मध्यम स्तर की सिंचाई योजनायें है;

(ख) प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं से कितने अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी; और

(ग) अमृतसर के पिछडे क्षेत्रों में कितनी सिंचाई योजनाअे आरंभ करने का विचार है तथा इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों के पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है बहरहाल पांचवी योजना में सभी 230 सतत बृहत/मध्यम स्कीमों और बहुत सी नई स्कीमों पर कार्य हाथ में लिए जाने की संभावना है। नई परियोजनाओं के चुनाव करते हुए उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है जिनसे सूखा प्रभावित और आदिम जाति एवं पिछड़े क्षेत्रों को लाभ पहुंचेंगे। पांचवीं योजना के मसौदे में बृहत/मध्यम स्कीमों द्वारा 6.2 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का निर्माण करने के लिए 2401 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित है।

सरकारी क्वार्टरों की सफेदी

2792. श्री आर० एन० बर्मन : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्वार्टरों (विशेषकर मध्यम अथवा निम्न आय वर्ग) की हर दूसरे वर्ष सफेदी करवाने की नीति अपना रखी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकारी कालोनियों के क्वार्टरों से अस्वच्छता की स्थिति को दूर करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जहां सफेदी करने की सुविधाएं सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं होती है तथा निम्न आय वाले सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने क्वार्टरों में सफेदी करवा सकें;

(ग) क्या सरकारी कालोनी मोती बाग I में चिकित्सा अथवा विवाह के आधार पर सफेदी करवाना नामंजूर कर दिया गया है जब कि निकटवर्ती कालोनी मोती बाग II (नानकपुरा) में इन्हीं आधारों पर सफेदी की गई है; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर हां में है तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन सरकारी मकानों पर (वेतन का ध्यान न रखते हुए) पिछले वित्तीय वर्ष में सफेदी की गई थी, उन पर अब सफेदी करने में कुछ भी खर्च न किया जाये।

(ख) यह निर्णय मितव्ययिता तथा आर्थिक कठिनाई के कारण किया गया है। प्रतिवर्ष सफेदी न करने से ही अस्वच्छता की स्थिति पैदा नहीं होती।

(ग) ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिया जाने वाला प्रीमियम

2793. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एच ब्लाक नरैना में मध्यम आय वर्ग के 96 फ्लैटों (चार मंजिले ब्लाक) की भूमि के लिये कुल कितना प्रीमियम लिया गया, उनका कुल क्षेत्र कितना है और प्रीमियम किस दर में लिया गया;

(ख) इन फ्लैटों के निर्माण पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुल कितनी धनराशि खर्च की और अलाटियों से विभागीय प्रभारों की और ब्याज स्वरूप कितनी राशि वसूल की गयी;

(ग) फ्लैटों का मूल्य निर्धारित करने के लिये क्या कसौटी अपनाई गई, नकद और किराया खरीद के आधार पर आबंटन से अब तक कुल कितनी धनराशि वसूल हुई, और किराया खरीदारों से मूल के रूप में अभी कितनी धनराशि वसूली की जानी है और यदि कोई अनबिके फ्लैट हैं, तो उनका मूल्य कितना है; और

(घ) भूमि और फ्लैटों के रूप में इस योजना से कुल कितनी आय हुई है और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) भूमि के लिये लिया गया कुल प्रोमियम 55.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4,41,600 रुपये है।

ग्रुप हाउसिंग पाकेट का कुल क्षेत्र 9.098 एकड़ है, 96 फ्लैट जिस का एक भाग है।

(ख) निर्माण पर किया गया व्यय . . .	19,59,360/- रुपये
विभागीय तथा प्रशासनिक प्रभारों के रूप में ली गई राशि .	3,61,536/- रुपये
ब्याज के रूप में ली गई राशि . . .	2,53,440/- रुपये

(ग) फ्लैटों का मूल्य निर्धारण करने में अपनाया गया फार्मूला अनुलग्नक I में दिया गया है।

जुलाई, 1974 तक नकद तथा किराया खरीद आबंटन द्वारा वसूल की गई राशि तथा अब वसूल की जाने वाली धनराशि अनुलग्नक II में दी गई है।

(घ) कुल वसूल की गई राशि यथोचित संयोजन के पश्चात कुल परिकालित व्यय से 0.92 लाख कम होगी, जो कि नारायण रिआयशी योजना के सम्पूर्ण कार्य में संयोजित कर ली जाएगी।

विवरण

अनुलग्नक-I

फ्लैटों का मूल्य निर्धारण करने में अपनाया गया फार्मूला

(क) निर्माण की लागत (वास्तविक तथा अनुमानित देयताएं)

(ख) उपर्युक्त (क) पर 15 % की दर से विभागीय प्रभार

(ग) उपर्युक्त (क+ख) पर $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिये $7\frac{1}{2}\%$ की दर से ब्याज।

(घ) उपर्युक्त (क+ख) पर $1\frac{1}{2}$ वर्ष के लिये $1\frac{1}{2}\%$ की दर से प्रशासनिक प्रभार

(ङ) कुल (क+ख+ग+घ)

(च) फर्शी क्षेत्र के आधार पर विभाजित दिल्ली प्रशासन द्वारा ली गई भूमि की लागत।

(छ) एक फ्लैट की कुल लागत (ङ+च)

विवरण

अनुलग्नक-II

7/74 तक एच ब्लाक नारायणा के 96 आबंटियों से प्राप्त लागत का ब्यौरा

नकद भुगतान के आधार पर आबंटित फ्लैटों की संख्या .	35
किराया खरीद आधार पर आबंटित फ्लैटों की संख्या . .	61/96
नकद आधार पर अलाटियों से वसूल की गई रकम .	10,82,290.00 रुपये
किराया खरीद आधार पर (केवल प्रीमियम) अलाटियो सें वसूल की गई रकम	7,20,132.78 रुपये
नकद आधार पर वसूल की जाने वाली देय राशि . .	19,210.00 रुपये
किराया खरीद आधार पर केवल मूल वसूल की जाने वाली देय राशि	*11,71,967.22 रुपये

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का उंची दरों पर बेचा जाना

2794. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नारायणा, नई दिल्ली 28 (पेज 11) एच ब्लाक में मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अपने 96 फ्लैटों के लिये प्रत्येक फ्लैट (771 वर्गफीट प्लिंथ एरिया के) के अलाटी से भूमि प्रिमियिम के रूप में 4600 रुपये लिया है,

(ख) क्या इन अलाटियों के मामले में भूमि प्रीमियम (प्लिंथ एरिया का) 6 रुपये प्रति वर्ग फूट की दर से लिया गया जब कि एच ब्लाक में ही लगभग उसी समय अन्य सभी आबंटनों में प्लिंथ एरिया का 5 रुपये प्रति वर्ग फुट लिया गया; और

(ग) इन 96 फ्लैटों के मामले में अधिक भूमि प्रीमियम लेने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां । (किन्तु फ्लैट का कुर्सी क्षेत्रफल 741 वर्ग फुट है)

(ख) जी, हां ।

(ग) इस प्रिमियम का हिसाब पहले बडे कुर्सी क्षेत्रफल वाले डिजाईन के अनुसार लगाया गया था जिसे बाद में संशोधित किया गया था। यह निर्णय किया गया है कि आबंटियों को 800 रुपये प्रति फ्लैट इस शर्त पर वापस किया जाय कि वे फालतू भूमि पर निर्माण करने पर आपत्ति नहीं करेंगे ।

---

*इस राशि में मास प्रति मास से बकाया मूलधन पर $7\frac{1}{2}$ % प्रति वर्ष की दर से वसूली योग्य ब्याज शामिल नहीं है ।

डिग्री के बिना रोजगार

2795. **श्री समर गुह :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक कालेज अथवा विश्वविद्यालय की डिग्री के बिना रोजगार प्रदान करने की योजना अपनाई है अथवा अपनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव अपने अधीन नोकरियों के लिए विश्वविद्यालय की डिग्रियों की अनिवार्यता को समाप्त करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श प्रारम्भ करने का है।

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी और उनके लिए केन्द्रीय सहायता

2796. **श्री भारत सिंह चौहान :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र मंज़ूरी दी जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इन योजनाओं को कब तक मंज़ूरी मिलने की संभावना है; और

(घ) इन योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीमों को स्थिति राज्य सरकार को स्पष्ट कर दी गई थी। चुंकि धन की तंगी के कारण, अधिक संस्था में परियोजनाओं को प्रारंभ करने से परियोजनाओं को पूर्ण करने तथा उनसे लाभ प्राप्त होने में देरी होने की संभावना हो सकती थी इसलिए उन्हें कुछ एक परियोजनाओं पर ही ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि जोहिल्ला रुसी हसदेव बंगो तथा महानदी जलाशय परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए। जब तक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय नहीं लिए जाते, नर्मदा और गोदावरी बेसिनों में परियोजनाओं के निर्माण का एक न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) राज्य सरकार को परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत कराने के लिए संबंधित अधिकारि को विचार विमर्श के लिए केन्द्रीय जल आयोग में भेजने का सुझाव दिया गया है।

(घ) सिंचाई राज्य विषय है तथा बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य योजनाओं में की जाती है।

राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रिय सहायता समग्र योजना के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रुप में दी जाती है और वह किसी विशिष्ट परियोजना अथवा विकास-शिर्ष से सम्बद्ध नहीं होती।

नर्मदा और माही जल के लिये योजना

2797. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जालोर जिले में निरन्तर पड़ने वाले सूखे को समाप्त करने के ठोस उपाय के रूप में राजस्थान सरकार ने नर्मदा और माही नदी के जल को जलोर ले जाने के बारे में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इसके लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदारनाथ सिंह) : (क) राजस्थान सरकार से इस प्रकार की कोई विशिष्ट स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में फुटबाल स्टेडियम की सुविधाएं

2798. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि स्टेडियम की सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण पश्चिम बंगाल में फुटबाल को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय फुटबाल टीम में अधिकांश खिलाड़ी बंगाल के है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में फुटबाल के विकास के लिए स्टेडियम परियोजना हेतु धनराशि देने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) स्टेडियम इत्यादि जैसी सुविधायें प्रदान करने का प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। स्टेडियम इत्यादि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अनुरोधों पर, योजना के उपबन्धों के अनुसार जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार/राज्य खेल कूद परिषदों को इस प्रकार के अनुदान दिए जाते है, सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाता है।

(ख) यह तथ्य है कि फुटबाल, पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय खेलों में से एक है और इस राज्य के काफी संख्या में खिलाड़ियों को इस खेल में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का श्रेय प्राप्त होता है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने जुलाई 1972 में भारत सरकार से कलकत्ता के साल्ट लेक क्षेत्र में फुटबाल स्टेडियम क निर्माण के लिए अनुरोध किया था और राज्य सरकार को परियोजना सम्बन्धी कुछ स्पष्टीकरण/ब्यौरे भेजने के लिए सलाह दी गई थी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर कारंवाई नहीं की है।

रिफाइन्ड मूंगफली तेल का बनाया जाना

2799. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या है जिन्हें वर्ष 1973-74 तथा 31 अक्तूबर 1974 तक रिफाइन्ड मूंगफली तेल बनाने की अनुमति दी गई तथा प्रत्येक निर्माता की क्षमता कितनी थी;

(ख) क्या सरकार उन्हें नियन्त्रित दर पर मूंगफली तेल का कुछ कोटा देती है;

(ग) क्या रिफाइन्ड मूंगफली तेल के मूल्य पर सरकार का किसी प्रकार का नियन्त्रण है;

(घ) दिल्ली में उपभोक्ताओं को रिफाइन्ड मूंगफली तेल किस दर बेचा जा रहा है,

(ड़) क्या रिफाइन्ड मूंगफली तेल दिल्ली में गणेश फ्लोर मिल्स तथा डी० सी० एम० द्वारा बनाए जा रहे वनस्पति घी से बेहतर है, यदि हां, तो किस रूप में ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) वनस्पति उत्पादन उत्पादक (परिष्कृत तेल निर्माण विनियमन) आदेश 1973 के अधीन निर्धारित सीमा के अन्दर वनस्पति फैक्ट्रियों के मामले में परिष्कृत तेलों के बनाने के लिए किसी लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) दिल्ली में 28 नवम्बर, 1974 को 4 किलो 2 किलो तथा 1 किलो के प्रत्येक टिन का खुदरा मूल्य क्रमशः 46.90 रुपये 24.75 रुपये और 13.05 रुपये था ।

(ङ) अप्रैल 1972 से वनस्पति में कम से कम 10 प्रतिशत तरल तेल, जो कि पोली असंतृप्त वसा-अम्ल से भरपूर होता है, को अनिवार्य रुप से मिलाने से वनस्पति और परिष्कृत मुंगफली तेल के बीच इस संबंध में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं होता है ।

डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली के सेक्टर 'डी०' में क्वार्टर

2800. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जेड० क्षेत्र, नई दिल्ली से सेक्टर 'डी' में विभिन्न टाइपों के कितने क्वार्टर है;

(ख) इस क्षेत्र में कितने सार्वजनिक उद्यादन है और क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) क्या इन उद्यानों को विकसित किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है जब कि ये क्वार्टरों तीन से अधिक वर्ष पूर्व निवासियों को आबंटित किए गए ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विभिन्न टाइप के क्वार्टरों की संख्या नीचे दी जाती है :-

वास का टाइप	संख्या
I	64
II	192
III	168

(ख) 0.50 एकड़ के आकार का एक पार्क।

(ग) पार्क का विकास किया जा चुका है।

गैर हिन्दी भाषी राज्यों में बच्चों द्वारा हिन्दी सीखा जाना

2801. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर हिन्दी भाषी राज्यों में राज्यवार, स्कूल जाने वाले बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चों ने हिन्दी सीखी; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार, हिन्दी शिक्षा के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अपेक्षित सूचना संबंधित राज्यों से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा अहिन्दी भाषी राज्यों को निम्न लिखित योजनाओं के अंतर्गत स्कूलों में हिन्दी शिक्षा के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई समेकित राशि दिखाई गई है :-

(i) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति,

(ii) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना, और

(iii) हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	दी गई राशि (रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	395,25,908
2.	असम	69,27,622
3.	गुजरात	42,36,425
4.	केरल	127,44,528

क्रम सं०	राज्य का नाम	दी गई राशी (रुपये)
5.	जम्मू और कश्मीर	1,30,525
6.	कर्नाटक	132,17,146
7.	महाराष्ट्र	19,37,911
8.	मणिपुर	6,07,250
9.	मेघालय	1,00,800
10.	उडीसा	89,64,244
11.	पंजाब	3,52,125
12.	तमिलनाडु	13,94,425
13.	पश्चिम बंगाल	43,03,013
14.	नागालेंड	11,04,435
		964,46,357

'वी हैव मोर वैल्थ इन वाटर' शीर्षक से प्रकाशित लेख

2802. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अक्तूबर 1974 के एक साप्ताहिक में कैप्टन डी० दस्तूर के "वी हैव मोर वैल्थ इन वाटर दैन अरेबिया हैज इन आयल" शीर्षक से प्रकाशित लेख की और दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख) जी हां, इस लेख में लेखक ने दो नहरों नामक "गारलैण्ड कनाल" मध्य भारत के लिए तथा 'ग्रेट हिमालयन कनाल' हिमालय के निचले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, के निर्माण का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव स्थलाकृति भू वैज्ञानिक जल वैज्ञानिक और आर्थिक त्रुटिपूर्ण से प्रतीत होता है।

नियम 377 के अधीन मामलें के बारे में

RE. MATTER UNDER RULE 377

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैंने आपको लिखा था कि मैं नियम 377 के अधीन प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय बाद।

श्री पी० के० देव : यदि यह आपका विनिर्णय है तो मेरे निवेदन से आपको सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टेप रिपोर्टरों के प्रयोजन के लिये है। जिसे सदस्यों को नहीं सौंपा जा सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री पी० के० देव : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति का अध्ययन करूंगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : If an hon. Member says that irregularity takes place in recording the statement of our hon. Minister through short hand and that record is challenged, can that particular tape-recorder not be heard ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ऐसे वाक्यांश बतायें।

Shri Atal Bihari Vajpayee : If it is the attitude of the Secretariat that an hon. Member can hear only his speech on tape-recorder and not the remaining proceedings, it is not fair. Whatever is tape-recorded tnat is the property of the House.

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जब एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मंत्री महोदय द्वारा दिया गया आश्वासन भिन्न है तो उसे टेप-रिकार्डर से मिलाया जाना चाहिए।

श्री पी० के० देव : मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा था कि मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरों के प्रतिवेदन से उद्धृत कर रहा हूं। अगले दिन नियम 368 की अपेक्षा करने के लिये उन्होंने कह दिया, "मैंने उद्धृत नहीं किया था।" अतः समूचे टेप को, यदि यहां नहीं तो, कम से कम आपके चैम्बर में सुना जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थिति का अध्ययन करना होगा।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाइसेंस कांड–अध्यक्ष का विनिर्णय

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री मधु लिमये, ज्योतिर्मय बसु, श्यामनन्दन मिश्र और अटल बिहारी वाजपेयी ने आयात लाइसेंस के मामले के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाए दी। उनका कहना है कि :

(1) श्री उमाशंकर दीक्षित और श्री एच० आर० गोखले ने 9 सितम्बर, 1974 को सभा को दिये गये अपने आश्वासन पूरे न करके विशेषाधिकार भंग किया है;

(2) श्री के० ब्रह्मानंद रेड्डी ने भूतपूर्व गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा दिये गए वचने और आश्वासन को पूरा न करने तथा 12 नवम्बर, 1974 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के द्वारा सभा को गुमराह करके विशेषाधिकार भंग किया है;

(3) प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने 9 सितम्बर, 1974 को गलत और भ्रामक वक्तव्य देकर विशेषाधिकार भंग किया है; और

(4) श्री तुलमोहनराम संसद सदस्य ने रिश्वतखोरी और जालसाजी से, जैसा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में जांच के बाद निष्कर्ष निकाला है, विशेषाधिकार भंग किया है तथा वह संसद सदस्य के रूप में दुराचरण के दोषी हैं।

मैंने उन माननीय सदस्यों, जिन्होंने उपरोक्त नोटिस दिये हैं, तथा कुछ अन्य सदस्यों जिन्होंने इन नोटिस को गृहीत किये जाने के प्रश्न पर व्यवस्था के प्रश्न उठाने में भाग लिया था, के विचार सुने हैं और साथ ही मंत्रिगण, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी, श्री एच० आर० गोखले और प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय के विचार भी सुने हैं, जिन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले सदस्यों के उत्तर में अनेक बयान दिये।

9 सितम्बर, 1974 को तत्कालीन गृह मंत्री, श्री उमाशंकर दीक्षित ने सभा में निम्न बयान दिया था :

"मैं वचन दे रहा हूं और आश्वासन दे रहा हूं कि यह जांच पूरी हो जाने के पश्चात हम सबसे पहला काम यह करेंगे कि संसद में आकर यह कहेंगे कि "अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, कृपया हमें बतायें कि हम क्या करें।" उसके बाद हो हम संसद को इच्छा के अनुसार कार्यवाही करेंगे। हम संसद द्वारा आगे जांच किये जाने के लिये द्वार बंद नहीं कर रहे हैं। इस बात को बहुत ही कम संभावना हो सकती है कि यह मामला समिति को सौंपा जाये। इस समय की स्थिति को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि इस बात पर अधिक बल न दिया जाये।"

विधि मंत्री के रूप में श्री एच० आर० गोखले ने निम्न बयान दिया :

"वाद के अवसर पर की गई मेरी टिप्पणियों को कृपया देखा जाये। उस समय मैंने कहा था कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हम सभा को विश्वास में लेंगे। जांच के परिणाम मिलने के बाद हम सभा को विश्वास में लेंगे, उस समय सभा के विचार के लिये यह समूचा मामला खुला रहेगा।"

यह विदित ही है कि श्री उमाशंकर दीक्षित ने 10 अक्तूबर, 1974 को गृह मंत्री का कार्यभार त्याग दिया और बिना विभाग के मंत्री बन गए। उस तारीख के बाद ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच पूरी हुई थी और 11 नवम्बर, 1974 को केन्द्रीय जांच ब्यूरों का आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। स्पष्ट है कि उन्होंने 9 सितम्बर, 1974 को जो वक्तव्य सभा में दिया वह सरकार की ओर से दिया गया था, न कि व्यक्तिगत रूप से दिया गया था। उन्हें अपने द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा न किये जाने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता क्योंकि वह जांच पूरी होने से पूर्व ही उस मंत्रालय का कार्यभार त्याग चुके थे।

इसी प्रकार विधि मंत्री ने भी सरकार की ओर से वक्तव्य दिया था। बहरहाल, उन्होंने वे परिस्थितियां स्पष्ट कर दो जिनमें उन्होंने वह आश्वासन दिया था। मैं 25 नवम्बर, 1974 को दिये गये उनके वतक्व्य का सारांश नीचे देता हूं :

"मैंने कहा है कि जांच के परिणाम मिलते ही सभा को विश्वास में लिया जायेगा। अब, जब ऐसा हो गया है............मैंने इस बात पर बल दिया था कि यदि अपराध किये हुए देखे जायें और यदि अपराधियों को पहचान की जा सके तो सरकार की यह राय है कि उसके लिये उचित फोरम न्यायालय है। मैंने कहा कि सभा को विश्वास में लिया जायेगा जिसका तात्पर्य यह था कि सभा को जांच के परिणामों से अवगत कराया जायेगा जो, मैं निवेदन करता हूं कि, कर दिया गया है...मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों की रिपोर्ट सभापटल पर रखी जायेगी।"

गृह मंत्री, श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने 12 नवम्बर, 1974 को सभा में दिये गये अपने वक्तव्य में उन कानूनी अनिवार्यताओं और परिस्थितियों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरों को, इससे पहले कि इस मामले में सरकार सभा के समक्ष आये, जांच पूरी होते ही न्यायालय में जाना पड़ा।

जैसा कि मैंने 12 नवम्बर को सभा में कहा था कि गृह मंत्री और विधि मंत्री द्वारा दिये गए आश्वासन स्पष्ट है और सरकार को उन्हें पूरा करना है। तथापि, यह मामला मंत्रियों का नहीं है कि वे इसे पूरा नहीं करेंगे। वास्तव में यद्यपि थोड़े समय पश्चात् वे सभा में आये हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच का सारांश सभा के समक्ष रखा है...

कुछ माननीय सदस्य :...प्रश्न, जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में दायर किया गया आरोप-पत्र रखा है और जिस ढंग से आश्वासन पूरे किये गए है उसे स्पष्ट किया है। अतः यह प्रश्न नहीं है कि सरकार ने जानबूझकर आश्वासन पूरा करने से इन्कार किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : वे अपने आप नहीं आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर विवाद हो सकता है कि आश्वासन पूरी तरह या समय पर पूरे नहीं किये गये हैं तथा इसका समाधान सभा में वाद-विवाद के द्वारा ही हो सकता है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : सभा यह जानती है कि उसके पास विभिन्न उपचार हैं जिससे वह सरकार से उनका पालन करवाये परन्तु किसी आश्वासन का पूरी तरह पालन न किया जाना या उसे पूरा करने में विलम्ब किया जाना विशेषाधिकार का भंग होना नहीं होगा।

फिर भी मुझे यह कहना चाहिये कि औचित्य की मांग है कि सरकार को 11 नवम्बर को, जब वर्तमान सत्र आरंभ हुआ था, सभा में वक्तव्य देना चाहिये था और उसके बाद उसे यह मामला न्यायालय में ले जाना चाहिये था, विशेषकर तब जब कि 11 नवम्बर को ही यह मामला न्यायालय में दायर किया गया था।

श्री ब्रह्मानंद रेड्डी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की दूसरी बात यह है कि उन्होंने 12 नवम्बर, 1974 को सभा में गुमराह करने वाला कथित वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा :

> "जांच से यह पता नहीं चला कि इस मामले से सम्बद्ध अधिकारियों में से किसी अधिकारी द्वारा अपराध किया गया हो।"

श्री ब्रह्मानंद रेड्डी ने बाद में 21 नवम्बर, 1974 को सभा में दिये गये वक्तव्य में कहा :

> "जांच के के दौरान श्री एस० एन० पिलै के बयान से मिलता-जुलता कोई साक्ष्य नहीं मिला। मैंने अपने वक्तव्य में यही आशय बताना चाहा था, और अधिक कुछ नहीं।"

विशेषाधिकार के भंग होने अथवा सभा की मानहानि के लिये यह सिद्ध करना होगा कि वक्तव्य न केवल गलत था भ्रामक ही था अपितु सभा को गुमराह करने के लिये यह जान-बूझ कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में मैं तत्कालीन अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह द्वारा 18 अप्रैल, 1966 को दिये गये विनिर्णय का उल्लेख कर सकता हूं। वह विनिर्णय निम्न प्रकार है :

> "यदि कोई असंगति है या यदि कोई वक्तव्य सही नहीं है तो उस समय तक विशेषाधिकार के प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है जब तक यह सिद्ध नहीं किया जाता कि गलत वक्तव्य सही स्थिति को जानते हुए जानबूझ कर दिया गया है।"

यह नहीं कहा जा सकता कि श्री ब्रम्हानन्द रेड्डी ने इस सम्बन्ध में जानबूझ कर कोई भ्रामक वक्तव्य दिया है। अतः इस कारण विशेषाधिकार के भंग होने अथवा सभा की मानहानी का कोई प्रश्न ही नहीं है।

वाणिज्य मंत्री, श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय के सम्बन्ध में सदस्यों की शिकायत है कि उन्होंने 9 सितम्बर 1974 को अपने वक्तव्य द्वारा सभा को गुमराह किया था, जब उन्होंने यह कहा था:

"...इन फर्मों को काली सूची में नहीं रखा गया था, आयोग्य घोषित नहीं किया गया था या ये आस्तित्व हीन थीं.... हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई कि इन लाइसेंसों को बेचा जाता है।"

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि लाइसेंसो को रोके जाने के समाचार से इस बात का संकेत मिलता है कि वाणिज्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य गलत और भ्रामक था।

श्री चट्टोपाध्याय ने 26 नवम्बर, 1974 को सभा में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा "मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सर्व प्रथम मेरा यह कहना है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दौरान लाइसेंस बेचे जाने पर संदेह हुआ। आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक ने लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये जिनमें उनसे पूछा गया कि उनके लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिये जायें और जब तक मामले पर विचार हो रहा है तब तक उन्हें क्यों न निलम्बित कर दिया जाये। लाइसेंस निलम्बित किये जाने का कार्य लाइसेंसों के बेचे जाने के आधार पर किया गया है न कि लाइसेंसधारी की पात्रता के आधार पर... उपलब्ध रिकार्डों से पता चलता है कि इन फर्मों को नियमित रूप से कोटा मिलता था और लाइसेंस जारी किये जाने से पूर्व इनकी पूरी जांच कर ली गई थी।"

उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए, मैं नहीं समझता कि उन्होंने अपना पहला वक्तव्य जानबूझकर सभा को गुमराह करने के लिये दिया था। अतः श्री चट्टोपाध्याय द्वारा विशेषाधिकार भंग किये जाने या सभा की मानहानि किये जाने का प्रश्न नहीं है।

अब मैं श्री तुलमोहन राम, संसद सदस्य के बारे में कहता हूं। सभा में सदस्यों ने बताया है उन्होंने आयात लाइसेंस के कुछ आवेदकों के मामले को सरकार के पास पहुंचाने में रिश्वत ली है तथा कुछ संसद सदस्यों के जाली हस्ताक्षर बनाये हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है।

श्री तुलमोहन राम ने 14 नवम्बर, 1974 को मुझे लिखे अपने पत्र में, जिसे मैंने 20 नवम्बर 1974 को सभा में पढ़ कर सुनाया था, तर्क दिया है कि चूंकि मामला न्याय निर्णयाधिन हो गया है इसलिये इस समय इस पर सभा में चर्चा नहीं होनी चाहिए।

यह सुस्थापित कानून है कि न्याय निर्णयाधिन का नियम विशेषाधिकार के मामलों या जहां सभा के अपने सदस्यों के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार का सम्बन्ध होता है, लागू नहीं होता है फिर भी विशेषाधिकार के भंग किये जाने या सभा की मानहानि तभी बनती है जब सदस्य के दुराचरण का सभा के कार्य से सम्बन्ध हो। वर्तमान मामले में सदस्य ने संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का पैसे के लिये सरकार के पास आवेदन-पत्र भेज कर और अन्य सदस्यों के जाली हस्ताक्षर बनाकर कथित दुरुपयोग किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने भी रिश्वत और जालसाजी के इन आरोपों की प्रथम दृष्टि में पुष्टि की है जो निश्चय ही बहुत गंभीर हैं, एक संसद सदस्य के लिये अशोभनीय है तथा उन्हें सभा की गरमिया कम करने का दोषी ठहराया जा सकता है।

अतः मैं निर्णय देता हूं कि सभा का श्री तुलमोहन राय के आचरण से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये छूट है और न्याय निर्णयाधिन का नियम इसमें बाधक नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : We accept your ruling but this gives rise to two-three points . . .

Mr. Speaker : We shall discuss it later on.

Shri Atal Bihari Vajpayee : You have allowed discussion. But how can us discuss without a C. B. I. Report in our hands ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय पहले ही दे चुका हूं।

श्री श्यामनंदन मिश्र : यदि शासक दल में आत्म-सम्मान की भावना होती तो सरकार ने त्याग-पत्र दे दिया होता। सरकार आश्वासन को भंग करने की दोषी है।

आपने तुलमोहन राम के आचरण पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। लेकिन जब तक हमें केन्द्रीय जांच ब्यूरों का प्रतिवेदन नहीं मिल जाता, हम इस पर चर्चा कैसे कर सकते हैं ? क्या हमें इसके लिए सत्याग्रह करना होगा ? इस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जाना आवश्यक है ।

एक माननीय सदस्य के आचरण पर चर्चा की जानी है। इसलिए आपके विनिर्णय का पालन किया जाना चाहिए। दस्तावेज को स्तुत करने के बारे में आपने जो विनिर्णय दिया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट सभा-पटल पर रखना या न रखना सरकार का काम है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : तो यदि हम रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सदन में सत्याग्रह कर दें तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

यदि बहुमत हमारी तर्कसंगत बातों पर हावी होना चाहता है, तो हमारे सामने सत्याग्रह करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है **(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए —

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) **:** We want clarification of your ruling. You may please permit us.

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय देना मेरा कर्तव्य है। मैं उस पर कोई टिप्पणी या भाषण सुनना नहीं चाहता।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : हम आपके विनिर्णय का विरोध नहीं कर रहे ।

श्री श्यामनंदन मिश्र हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा मार्गदर्शन यही है कि विषय पर चर्चा की जा सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना यह कैसे सम्भव हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को विवश नहीं कर सकता ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गुजरात ग्राम पंचायत सचिव (भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 इत्यादि

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 9 फरवरी, 1974 को उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित गुजारत पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 323 की उपधारा (4) के अन्तर्गत गुजरात ग्राम पंचायत सचिव (भर्ती, प्रशिक्षण तथा सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम 1974 की एक प्रति जो दिनांक 5 अगस्त, 1974 के गुजरात सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या के० पी० 74-180 टी सी एम-3073 सी एच में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखे देखिए। देखिए संख्या एल० टी०–8608/74]**

केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, 1973–74

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं केन्द्रीय भाण्डागार निगम अधिनियम, 1972 की धारा 31 की उपधारा (11) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और तत्सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता, हूं। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०–8609/74]**

दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध (निर्यात) नियन्त्रण आदेश, 1974

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दुग्ध (निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 15 नवम्बर, 1974 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 657 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8610/74]**

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाइसेंस कांड—अध्यक्ष का विनिर्णय

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय पर न तो व्यवस्था का प्रश्न ही उठाएं और न ही कोई टिप्पणी करें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं तो केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि गत 15 दिनों के दौरान गृह मंत्री ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भेजा था। यह दस्तावेज अब सदन की सम्पत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : वह दस्तावेज मैंने उसी दिन लौटा दिया था।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सदन की अनुमति के बिना ऐसा क्यों किया गया?

अध्यक्ष महोदय : दस्तावेज पर घोषणा करना मेरा कार्य नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपके विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा। उस दिन मैंने यह प्रस्ताव पेश करना चाहा था कि मामले की जांच करने के लिए आपकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जाए।

अध्यक्ष महोदय : जो नोटिस वर्तमान चर्चा के चलते हुए दिए गए थे, वे अभी विचाराधीन है और मैं उनकी जांच करूंगा।

Shri Janeshar Mishra : We want clarification upon your ruling . . . (*Intrruptions*)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम आपके विनिर्णय को चुनौती दिए बिना एक स्पष्टीकरण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया स्पष्टीकरण न मांगे और न ही कोई टिप्पणी करें। मैं नोटिसों की जांच करूंगा।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : दस्तावेज सदन की सम्पत्ति है। आपने उसे लौटाकर सरकार का पक्ष लिया है। दस्तावेज देखने का हमारा अधिकार है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Privilege Motion aganist Shri L. N. Mishra is still pending. Kindly allow us to raise it.

अध्यक्ष महोदय : कल ही ऐसा हो सकता है।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विदेश यात्राकर (संशोधन) नियम, 1974 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) वित्त संख्या (2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत विदेश यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक

23 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1236 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–8611/74**]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 667 (ङ) (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–8612/74**]

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का वार्षिक प्रतिवेदन, 1973-74, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1974 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए कतिपय विश्वविद्यालयों की पात्रता) नियम, 1974 तथा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कलकत्ता तथा मद्रास का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–8613/74**]

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) संशोधन नियम 1974 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1029 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिये कतिपय विश्वविद्यालयों की पात्रता) नियम, 1984 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 1030 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०–8614/74**]

(3) भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, मद्रास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–8615/74**]

(4) भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता के 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [**ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०–8616/74**]

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

आयात लाईसेंस काण्ड--अध्यक्ष का विनिर्णय

Shri Atal Bihari Vajpayee :(Gwalior) : You have said that discussion can be allowed over the conduct of Tul Mohan Ram. Unless we receive C. B. I. Report, how can we discuss (*Interruptions*). It is a serious matter of propriety.

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि विनिर्णय के बारे में कोई टिप्पणी न की जाए। यदि आप इसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहते हैं तो मैं एक दो मिनट दे सकता हूं।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : आपने अपने विनिर्णय में कहा है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन के अनुसार तुल मोहन राम के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध हो गया है।

आपने इस विषय पर चर्चा की अनुमति भी दे दी है। रिपोर्ट के बिना मामले पर चर्चा कैसे की जा सकती है; **(व्यवधान)**

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : आपने श्री तुल मोहन राम के आचरण के बारे में चर्चा की अनुमति दे दी है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान मई के "पार्लियामेंटरी प्रक्टिस" के 18वे संस्करण के पृष्ठ 128 की ओर दिलाना चाहता हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं अपने विनिर्णय के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं बता चुका हूं कि इस विषय पर चर्चा की जा सकती है **(व्यवधान)**

Shri M. C. Daga (Pali) : No discussion should be allowed after your ruling.

Mr. Speaker : I have already requested you not to comment upon my ruling. You may make a submission on other matter.

श्री सी० एम० स्टीफन (मुनतुपूजा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा की कार्य सूची में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को रिपोर्ट के बारे में चर्चा का विषय आपके विनिर्णय के बाद समाप्त हो जाना चाहिए। क्या माननीय सदस्यों को यह अधिकार नहीं कि वे सभा-की कार्य सूची में दर्ज अगली मद पर चर्चा करें?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि विनिर्णय के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। आप यदि कोई निवेदन करना चाहते हो, तो कीजिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा निवेदन यही है कि कार्यसूची में दर्ज मदों की अवहेलना कर, हम किसी अन्य मद को चर्चा के लिए प्राथमिकता नहीं दे सकते। अत: अन्य मामलों के बारे में निवेदन आपत्तिजनक है तथा उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह बाहर चले जायें ताकि सदन की कार्यवाही चलाई जा सके। अजीब बात है कि वह हमें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : अब विचार के लिए कार्यसूची का अगला विषय ले लिया गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I want to make a sumbmission on your ruling. He *is* challenging your ruling.

श्री मल्लिकार्जुन : (मेडक) : अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय पहले ही दे चुके हैं। **(व्यवधान)** यदि वे उसे मानने को तैयार नहीं हैं तो आप कृपया सदन से बाहर चले जाईये। **(व्यवधान)**

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, we want your guidance on three points. You stated that the information given by home Minister is inadequate and that can be discussed. . .(*Interruptions*) But until and unless we have got adequate information, how can we discuss the same . . . (*Interruptions*). The copies of the CBI report have been sent to you by the Home Minister and it is upto you whether you place them on the table of the House.

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी ओर से कैसे रिपोर्ट सभा-पटल पर रख सकता हूं। मैं पूरी रात इसके बारे में सतर्क रहा। रिपोर्ट के किसी भी पहलू के बारे में किसी प्रकार की कानूनी सलाह देना मेरा काम नहीं है। यह कार्य उन्हें स्वयं करना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : When they have sent the report to you it will be your discretion to place it on the Table. Can there be any legal check on your discussion ? You know it very well that without seeing the report, there cannot be any fruitful discussion on it. This issue will be constantly raised till the report is placed on the Table.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) **:** It was stated by Shri S. N. Mishra that they will continue to raise this issue till 20th December. . . (*Interruptions*). It is very wrong on the part of the opposition to say that you are siding with the Government. They have to abide by the ruling. . . (*Interruptions*).

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : आप के विनिर्णय के बारे में हम भविष्य की कार्यवाही के लिए विचार करना चाहते हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इनकी बात सुनने के बाद ही मैं आपकी बात सुनूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं आपके विनिर्णय को समझ पाया हूं, उसके अनुसार सभा इस पर विचार कर सकती है कि क्या आश्वासनों को पूरा किया गया है, क्या पूरी जानकारी दी गई है या नहीं ? परन्तु यह सब कुछ जानने के लिए सी० बी० आई० की रिपोर्ट तथा उसके मुख्य दस्तावेजों पर विचार करना अनिवार्य होगा।

दूसरी बात यह है कि अध्यक्ष के विनिर्णय के अनुसार सभा श्री तुलमोहन के व्यवहार पर विचार कर सकती है। इसके बारे में उन्होंने यह भी बताया कि उनके विरुद्ध प्रत्यक्षतः मामला बनता है। अतः माननीय सदस्य तथा सभा के सम्मान की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वे दस्तावेज उपलब्ध करवाये जायें जिनके आधार पर माननीय सदस्य पर अभियोग चलाया जा सके। ये दस्तावेज उपलब्ध करवाना अध्यक्षपीठ का कर्तव्य है ताकि श्री तुल मोहन के व्यवहार पर चर्चा की जा सके।

श्री सी० एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा कोई भी पत्र सभा-पटल पर नहीं रखा जा सकता जिसका कार्य-सूची के विषयों से सम्बन्ध न हो। अतः जब तक आपके विनिर्णय के बारे में यह प्रस्ताव नहीं लाते तब तक यह प्रश्न उठाना पूर्णतया असंगत है। अतः इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं यह आशा कर रहा था कि आपके विनिर्णय के बाद सदन का नेता या संसदीय कार्य मंत्री श्री तुल मोहन के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में कुछ पहल करेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वासन पूरा न करने तथा सभा के विशेषाधिकार को भंग करने का अन्तर स्पष्ट किया है। आपने यह स्पष्ट किया कि सरकार विशेषाधिकार भंग करने की दोषी नहीं है परन्तु आश्वासन को पूरा न करने की दोषी अवश्य है। यह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष है तथा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

दूसरे मामले का सम्बन्ध श्री तुल मोहन राम के आचरण से है। हमें इसके बारे में चर्चा करनी होगी। चर्चा तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे पास अपेक्षित सामग्री उपलब्ध हो जिसके आधार पर हम उनके पक्ष या विपक्ष में अपनी दलील दे सकें। अतः सरकार को हमें सी० बी० आई० के प्रपत्र उपलब्ध करवाने चाहिये ताकि हम श्री तुल मोहन राम के आचरण के बारे में सही अनुमान लगा सकें क्योंकि उनका नाम बार बार उछाला जा रहा है (**व्यवधान**) अतः उन पत्रों को उपलब्ध करवाने के लिए हम सदन के नेता या संसदीय कार्य मंत्री पर नहीं अपितु अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करते हैं और हमें आशा है कि वह हमारी सहायता करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : आपका विनिर्णय संसदीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहा है (**व्यवधान**)। आप का विनिर्णय भली प्रकार सोचा समझा हुआ है और उसे विरोधी दलों द्वारा किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। हर बार विरोधी दल सी० बी० आई० की रिपोर्ट का प्रश्न उठा देते हैं। परन्तु हमें इस बारे में पूर्णतया सतर्क रहना चाहिये कि हम कोई भी ऐसा पहलू चर्चा के लिए न उठायें जिस पर सी० बी० आई० द्वारा विचार किया जा चुका हो। सी० बी० आई० ने प्रत्यक्ष रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि श्री तुल मोहन राम दुराचार के दोषी हैं। इस स्पष्ट स्थिति में सम्पूर्ण रिपोर्ट का सभा-पटल पर रखा जाना मैं उचित नहीं समझता। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि कुछ प्रपत्र ऐसे भी होते हैं जो गुप्त रखने ही पड़ते हैं। अतः मेरा निवेदन यही है कि सदस्यों के अनियंत्रित व्यवहार पर रोक लगाई जानी चाहिये तथा सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाई जानी चाहिये

श्री मल्लिकार्जुन : सम्पूर्ण विश्व की लोकतांत्रिक परिपाटियों को तोड़ा नहीं जा सकता। आज तक कहीं भी विश्व में कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहां सी० बी० आई० की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा गया हो। सरकार ने पहले ही रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कर दिया है और अध्यक्ष महोदय ने अपने निर्णय में यह बात स्पष्ट शब्दों में कही है कि श्री तुल मोहन राम अपराध के दोषी है। अतः इसके निर्णय के लिए न्यायालय है तथा सदन को इस विषय पर अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहिये।

श्री समर गुह : मैं आपके विनिर्णय की आलोचना नहीं कर रहा। परन्तु जिस प्रकार वह विनिर्णय दिया गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने विनिर्णय के बारे में किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : मैं आपके विनिर्णय पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यही उल्लेख कर रहा हूं। कि आपने अपने विनिर्णय के बारे में कुछ कहने की अनुमति दे दी है। अब हम केवल यही जानना चाहते हैं कि श्री तुल मोहन राम के बारे में चर्चा किस प्रकार उठाई जा सकती है।

हम उन मामलों की जानकारी चाहते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं या जिन्हें हम उठा सकते हैं। श्री तुल मोहन राम के विरुद्ध शिकायत के संक्षिप्त ब्यौरे की जानकारी आपने सदन को दी। आपने विशेषाधिकार भंग करने और औचित्य हनन करने के बीच भी अन्तर किया है। आपने यह भी कहा कि मंत्री महोदय ने विशेषाधिकार भंग नहीं किया है, बल्कि औचित्य भंग किया है। अब अगर औचित्य के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें तथ्यों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। आपके पास कुछ कागजात हैं, जिनके आधार पर आपने निर्णय किया है, परन्तु हम तो पूर्णतः अन्धकार में हैं। हम उन कागजात के बारे में जानकारी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री समर गुह : आपको पूरे कागजात मिले या कुछ कागजात मिले? क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो और तुल मोहन राम के बीच कोई सांठगांठ थी, जब तक हमें इन बातों की जानकारी नहीं होगी, हम चर्चा में ठीक प्रकार से भाग नहीं ले सकेंगे। गृह मंत्री ने औचित्य का हनन किया है और आप इस बारे में क्या

[श्री समर गुह]

कार्यवाही करने जा रहे हैं? सारा देश उत्सुकता से इस विवाद की ओर देख रहा है। आपको यह चर्चा बन्द नहीं करनी चाहिए।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मेरे विचार में इस मामले पर उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो उपाय हो सकते हैं। एक तो यह कि श्री तुल मोहन राम के विरुद्ध जो विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव है, उस पर चर्चा की जाय। दाण्डिक अपराध के मामले में हम इस सदन को न्यायालय नहीं बना सकते। इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विचार हो चुकने के बाद नियम 184 के अधीन श्री बनर्जी के प्रस्ताव को लिया जा सकता है। कार्य मंत्रणा समिति को भी समय का निर्धारण करना है। नियम 225 के अन्तर्गत इसे कल पेश किया जा सकता है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा पहला निवेदन यह है कि जब भी किसी मामले पर चर्चा होती हो, तो क्या सदन का यह अधिकार नहीं है कि उसे सभी प्रकार के कागजात और सूचना उपलब्ध हो, जिससे समुचित रूप से चर्चा की जा सके? जब तक निर्बाध रूप से जानकारी उपलब्ध न हो तब तक निर्बाध और स्वतंत्र चर्चा नहीं की जा सकती। मेरा निवेदन यह भी है कि सारा राष्ट्र आप से और इस सदन के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वे कुछ उत्तरदायित्व दिखायें, जिससे सभी को सत्य की जानकारी हो सके। आप इस प्रकार से कार्यवाही को व्यवस्थित करें जिससे सार्थक चर्चा हो सके।

श्री भगत और अन्य सदस्यों ने नियमों और तकनीकी बारीकियों का उल्लेख किया है। यह ठीक है कि वर्तमान कानूनों और नियमों के अधीन सम्भवत: इस सदन को रिपोर्ट सभा-पटल पर पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु एक सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार सत्य की जानकारी सर्व-सुलभ होनी चाहिए।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : If we want to save the time of the House, the C. B. I. Report must be laid on the Table of the House. The members of the ruling party indulge in shouting in the presence of the Prime Minister, whereas outside they support our demand.

I would also like to know as to how an assurance would be implemented when a Minister is removed from his office? I would like to urge that the C. B. I. report be placed on the Table of the House.

Shri R. R. Sharma (Banda) : This House has got two separate functions—one, Legislative function and the other, Judicial function. Even a small magistrate can ask for case diary. In this particular situation, case diary is not being presented in the House as not only Shri Tul Mohan Ram but Shri Mishra and various senior ministers are also involved in the matter. I would like to say that constitutionally also we are entitled to see the case diary.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। इस बारे में सदन ही निर्णय कर सकता है।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा 27 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में नौसेना (संशोधन) विधेयक 1974 में लोक सभा द्वारा 12 नवम्बर, 1974 को किये गये संशोधनों से सहमत हो गयी है।

(दो) कि राज्य सभा 27 नवम्बर, 1974 की अपनी बैठक में भारतीय रक्षा संकर्म (संशोधन) विधेयक, 1974 में लोक सभा द्वारा 12 नवम्बर, 1974 को किये गये संशोधनों से सहमत हो गयी है।

(तीन) कि राज्य सभा 27 नवम्बर, 1974 को अपनी बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1974 में लोक सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1974 को किये गये संशोधन से सहमत हो गयी है।

(चार) कि राज्य सभा ने 27 नवम्बर, 1974 को अपनी बैठक में टोकियो कन्वेंशन विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

(पांच) कि राज्य सभा ने 28 नवम्बर, 1974 को अपनी बैठक में छोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक, 1974 पास कर दिया है।

राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) टोकियो कन्वेंशन विधेयक, 1974

(2) छोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक, 1974

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

एक, संयुक्त समिति के लिए लोक सभा के एक सदस्य की नियुक्ति

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री प्रभुदास पटेल के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री तुलसीदास दासप्पा को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्री प्रभुदास पटेल के त्यागपत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर श्री तुलसीदास दासप्पा को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

(दो) संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के एक सदस्य की नियुक्ति करने की सिफारिश

श्री लीलाधर कटकी : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त

[श्री लीलाधर कटकी]

समिति से श्री विपिनपाल दास द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये, सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति से श्री विपिनपाल दास द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे तथा राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामला

MATTER UNDER RULE 377

चीनी के लेवी मूल्य बढ़ाये जाने का कथित निर्णय

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं आपका ध्यान 1 दिसम्बर 1974 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक चिन्ताजनक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। चीनी के लेवी मूल्य में एक पखवाड़े के अन्दर वृद्धि की जायगी। इण्डियन शूगर मिल्स लि० के श्री पिल्ले को केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने इस आशय का आश्वासन दिया है।

सरकार मूल्य-वृद्धि को रोकने के मामले में गम्भीर मालूम पड़ती थी, परन्तु लेवी चीनी की कीमत में वृद्धि करने से खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की कीमत में भी वृद्धि होगी। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी। सबसे अधिक चिन्ता और दुख की बात तो यह है कि केंद्रीय सरकार ने इस बात को इण्डियन शुगर मिल्स फेडरेशन के अध्यक्ष के माध्यम से देश को बताया है, जब कि संसद का सत्र चल रहा है। चेयरमैन, श्री पिल्ले ने कहा है कि उन्होंने गत सोमवार को यह आश्वासन दिया था। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री यहां उपस्थित होकर इस समाचार की पुष्टि करें या खंडन करें।

इसमें औचित्य तथा विशेषाधिकार का प्रश्न भी आता है। यदि मूल्य बढ़ाया ही जाता है तो जब सत्र चल रहा है तो सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिये। हम यह समाचार इंडियन शूगर मिल्स के चेयरमैन के मुंह से नहीं सुनना चाहते हैं।

अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री महोदय से कहें कि वह इस सभा में यह बतायें कि यह समाचार सही है या नहीं। यदि यह सही है तो लेवी चीनी का मूल्य बढ़ाये जाने के विरुद्ध हमें आवाज उठाने का अवसर दिया जाये। यह न केवल सभा के अधिकार अपितु विशेषाधिकार का भी प्रश्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, Sir, have you allowed this matter under Rule 377 ? It is a matter of privilege.

Shri Shyamnandan Mishra (Begusarai) : The Hon. Member has given notice and the hon. Minister is not present in the House.

श्री भोगेन्द्र झा : यदि मंत्री महोदय ने ऐसा कोई आश्वासन दिया था तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात मंत्री महोदय तक पहुंचा दी जायेगी। श्री मौर्य।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर मेरे स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। कृपया वित्त मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न को प्रतिदिन किसी न किसी रूप में उठाते हैं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इस विषय पर सभी कर्मचारियों में चिंता है।

श्री था किरुतिनन (शिवगंज) : यह महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा; मैं कोई वचन नहीं देता हूं।

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश के निरनुमोदन संबन्धी सांविधिक संकल्प तथा रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE AND SICK TEXTILE UNDERTAKINGS NOTIFICATION BILL

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये द्वारा 25 नवम्बर, 1974 को पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा अर्थात् :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

तथा श्री बी० पी० मौर्य द्वारा 25 नवम्बर, 1974 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात् :—

"कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रुग्ण कपड़ा उपक्रमों को इस दृष्टि से पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के कपड़े और धागे के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जनसाधारण का हित साधन हो सके, ऐसे रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामियों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मौर्य।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : इस चर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के 28 माननीय सदस्यों ने भाग लिया जिससे पता चलता है कि हम सब ने इस विधेयक की प्रशंसा की है। दृष्टिकोण तथा कार्यकरण के बारे में मतभेद हो सकता है परन्तु जहां तक विधेयक के मुख्य उद्देश्य का सम्बन्ध है चर्चा में भाग लेने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से इसका समर्थन किया है। परन्तु अधिकांश माननीय सदस्यों ने खण्ड 5, 14 और अनुसूची **II** की रचना पर भारी चिंता व्यक्त की है।

मैं उन परिस्थितियों को याद करने का अवसर लेता हूँ जिनके कारण 103 रुग्ण कपड़ा उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण किया गया। केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 द्वारा मिली शक्तियों से 1959 और 1972 के बीच ऐसे 57 कपड़ा उपक्रमों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया था जो या तो बंद हो गये थे या रुग्ण होने की स्थिति में थे तथा जिनमें उत्पादन कम हो गया था

[श्री बी० पी० मौर्य]

और रोजगार की स्थिति में भी गड़बड़ हो गई थी। जन समुदाय के कल्याण के लक्ष्य के लिये वचनबद्ध सरकार उत्पादन में कसे गिरावट आने दे सकती है और श्रमिकों को जबरन छुट्टी कैसे करने दे सकती है। 1972 में समस्या इतनी गंभीर हो चुकी थी कि कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। अधिग्रहण दो अवस्थाओं में किया जाना था—एक प्रबन्ध ग्रहण करके तथा दूसरे, आस्तियों का मूल्यांकन कार्य पूरा करके उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करके, जैसा कि कोकर कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले में किया गया था।

रुग्ण कपड़ा उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय को अनेक कारणों से प्रेरणा मिली। यह माना गया था कि गैरसरकारी क्षेत्र इन उपक्रमों के पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिये अपेक्षित आवश्यक संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं है। यह उचित नहीं समझा गया कि इन उपक्रमों की स्थिति में सुधार करने के लिये धन लगाया जाये।

श्री मधु लिमये ने अपने भाषण में कहा था कि "इन मिलों के राष्ट्रीयकरण का एक समेकित और श्रम प्रधान कपड़ा नीति लागू करने के लिये प्रयोग करें"।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार ने इस दिशा में पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है। यह समझा गया था कि राष्ट्रीयकरण के बाद ये उपक्रम उत्पादन बढाने की सरकार की नीति प्राप्त करने में सक्रिय होंगे। दूसरे, इन उपक्रमों में रोजगार निरन्तर बना रहेगा। तीसरे इन उपक्रमों के दीर्घावधि भविष्य का आयोजन किया जायेगा और सरकार आवश्यक वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करने के लिये बेहतर स्थिति में होगी।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब स्थगित होती है। मंत्री महोदय दोपहर बाद अपना भाषण जारी रखा सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये तीन बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sakha then adjonrned for Lunch till Fifteen Hours of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा तीन बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Five minutes past Fifteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): माननीय सदस्य, श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री राम सिह भाई, श्री प्रसन्न भाई मेहता, श्री राम सहाय पांडे तथा अन्य सदस्यों ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि इन 103 रुग्ण कपड़ा मिलों के मालिकों को 39 करोड़ रुपये की इतनी बड़ी राशि क्यों दी जा रही है चूंकि सरकार को अधिकार सौंपने के लिये मालिक को धन का भुगतान किया जाना आवश्यक है अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, केन्द्रीय सरकार ने न केवल इन 103 रुग्ण कपड़ा उपक्रमों को आस्तियां ही ली है अपितु विधेयक के खंड 5 के उपखंड 2 के अन्तर्गत दायित्व भी संभाले हैं, विधेयक की प्रथम अनुसूची में 39, 18, 13,000 रुपये की कुल राशि निश्चित की गई है।

फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने इन उपक्रमों के अन्य दायित्व नहीं संभाले हैं। ऐसे दायित्वों के दावे भुगतान आयुक्त के समक्ष दायर किये जाने हैं: अतः यह कहना गलत है कि मालिकों को 39 करोड़ रुपये की भारी राशि का भुगतान किया जा रहा है।

दो या तीन माननीय सदस्यों ने अनुसूची एक के कालम 4 में निर्दिष्ट धनराशि की प्रमाणिकता के बारे में संदेह व्यक्त किया है। ये सात मिलें हैं जिन्हें 1000 रुपये की नाममात्र की राशि का भुगतान किया जाना है।

अध्यादेश के बारे में मैं पहले ही अपना निवेदन कर सकता हूं। फिर भी कुछ माननीय सदस्यों ने रुग्ण कपड़ा मिल अधिग्रहण अध्यादेश, 1974 के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया है। मैंने विधेयक को विचार के लिये प्रयुक्त करते समय पहले कारण बता दिये है कि उक्त अध्यादेश क्यों आवश्यक हो गया। इससे पहले भी इन्हीं हालातों में सरकार द्वारा अध्यदेश जारी किया जाना जरुरी समझा गया। इससे पहले भी जब कि ऐसी परिस्थितियां आई संसद में सम्बन्धित विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के बाद भी अध्यादेश जारी किए गये हैं।

माननीय सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण पांडे ने कालीश्वर मिल्स लिमिटेड "ख" युनिट के प्रबन्ध ग्रहण के बारे में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय द्वारा कथित टिप्पणियां किये जाने का उल्लेख किया है। वास्तविकता यह है कि रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने 23 सितम्बर, 1974 को इस मिल का कब्जा अपने हाथों में लेने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था। उसी दिन उच्चतम न्यायलय ने 23 सितम्बर, 1974 के स्थिति बनाये रखने के लिए आदेश जारी किया। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि उच्चतम न्यायालय ने इस निगम को शाम को आदेश जारी किए थे जबकि उस दिन सुबह ही मिल का प्रबन्ध ग्रहण कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा 27 अक्तूबर, 74 को जारी किए गए लिखित आदेशों में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं लगाये गये हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की हाल में स्थापना की गयी है और रुग्ण कपड़ा मिलों के चलाने के लिए उन सभी अधिकारों को अपने पास ले रहा है जो इससे पहले राज्य कपड़ा निगमों तथा राज्य सरकारों के पास थे। इन 103 कपड़ा उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था को कुछ तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम सम्भाल रहा है और कुछ राज्य कपड़ा निगम सम्भाल रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में राज्य कपड़ा निगमों की स्थापना हो गई है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : आन्ध्र प्रदेश की क्या स्थिति है? वहां भी रुग्ण मिल्स हैं।

श्री बी० पी० मौर्य : जहां राज्य कपड़ा निगम स्थापित नहीं हुये है, वहां राज्य सरकारें इसका प्रबन्ध संभाल रही हैं।

उन राज्यों की मिलों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम चला रहा है जहां राज्य कपड़ा निगम नहीं हैं। इन उपक्रमों की वित्तीय आवश्यकताओं की केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 51.40 के अनुपात से पूर्ति की जा रही है। लेकिन राज्य सरकारों के पास संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम को राज्य सरकारों के शेयर छोड़ने पड़े हैं।

यदि राज्य कपड़ा निगम बने रहें तो इनसे कई हानियां होती है। राज्य सरकारों से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया है कि इन मिलों को कुशलता से चलाने और एक समान प्रबन्ध व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायक निगमों को सौंप दी जाए। इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि राज्य सरकारें इन सहायक निगमों के प्रबन्ध में पूर्ण सहयोग दे रही है, यह निर्णय किया गया है कि इन सहायक निगमों के चयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक राज्य सरकारों के परामर्श से नियुक्त किए जा...

[श्री बी० पी० मौर्य]

कहा गया है कि राज्य सरकारों ने रुग्ण कपड़ा मिलों में धन लगाया है और प्रबन्ध के अधिग्रहण से पहले की अवधि में मिलों के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों द्वारा दी गई गारंटियों को सुरक्षा प्रदान की जाय। इस विधेयक में प्रबन्ध के अधिग्रहण से पहले के दायित्वों और बाद के दायित्वों में विशेष अंतर किया गया है। जहां तक दी गई गारंटियों की बात है, ये प्रबन्ध अधिग्रहण के बाद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों से सम्बन्धित हैं। अतः यह दूसरी अनुसूची के वर्ग में है। इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि ऐसे सभी दायित्व, जब तक वे प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट राशियों में से न हों, केन्द्रीय सरकार अपने उपर ले लेगी। पट्टे की अवधि में लगाया गया धन अधिग्रहण से पहले के दायित्व हैं और यह कानून के अनुसार नहीं होगा कि उन्हें अधिग्रहण के बाद की अग्रिम राशियों को प्राथमिकता दी जाये। ऐसा प्रस्ताव विधेयक में दी गई प्राथमिकताओं की योजना का सीधा उल्लंघन होगा।

जहां तक भविष्य निधि का संबंध है, खण्ड 14 का संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है ताकि न केवल सेवा की अवधि, अधिकार पेंशन और उपदान का ही बल्कि अधिग्रहण के पहले और बाद की भविष्य निधि का भार भी केन्द्रीय सरकार अपने उपर ले ले। प्रस्तावित दायित्वों की राशि स्पष्ट नहीं है। पहले के मालिकों के केवल भविष्य निधि सम्बन्धी दायित्व को केन्द्रीय सरकार द्वारा लेना अधिक अनेक अनेक दायित्वों के सामने भेदभावपूर्ण माना जायेगा और इसे असंगत होने के रुप में चुनौती दी जायेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम माननीय मंत्री श्री पाई तथा मौर्य से मिले थे और उन्होंने कहा था कि भविष्य निधि-निर्दिष्ट की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर उस समय बोलें अब इस खंड पर चर्चा हो।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह ठीक है लेकिन श्री पाई अभी यहां पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब यह खंड चर्चा के लिये आये तो आप इस पर बोल सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपूर) : मंत्री महोदय यह बतायें कि ये "अन्य मामले" क्या हैं? इसका स्पष्ट उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अच्छा रहेगा यदि इस प्रश्न को उस समय उठाया जाये जब इस खंड पर चर्चा हो।

श्री बी० पी० मौर्य : यह बात चिंताजनक है रुग्ण मिलों के पहले के अनेक स्वामी मुकदमों से बच गये हैं। सम्बन्धित अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई दोषी दंड से न बच पाये। कर्मचारियों की बकाया राशि के बारे लगभग सभी माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है।

खंड 3 के अन्तर्गत नियुक्त दिवस (1 अप्रैल, 1974) के बाद प्रत्येक रुग्ण कपड़ा मिल के मालिक सम्बन्धी सभी अधिकार तथा हित केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित हो जायेंगे।

प्रथम अनुसूची में दिये गये दायित्वों का दर्जा वास्तव में खंड 5 के उपखंड (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार के दायित्वों के समान है। ऋण-दाताओं को अपने दावे सबसे पहले भुगतान आयुक्त के समक्ष दायर करने हैं जबकि खंड 5 के अधीन लिये गये दायित्वों के बारे में कोई दावे दायर नहीं किये जायेंगे। अनुसूची II के वर्ग 2 में दी गयी राशियां, हालांकि वे प्रबन्ध अधिग्रहण के बाद की है, को ऐसे अन्य दायित्वों जो दूसरी अनुसूची के वर्ग में हैं, के समान आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, फिर भी प्रथम अनुसूची में दी गयी राशि से दावे चुकने के उद्देश्य से वर्ग 2 की बकाया राशि प्रबन्ध अधिग्रहण से पहले के अन्य दायित्वों जो कि वर्ग उसे 4 तक अनुसूची दो में दिये गये हैं, इसे पहले आती है।

प्रबन्ध अधिग्रहण से पहले की अवधि की बकाया राशि के मामले में प्राप्त ऋणों के वर्ग 3 में रखा गया है और उन्हें कर्मचारियों की बकाया राशि, राजस्व, कर आदि से जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों को देय है को वर्ग 4 में रखा गया है। व्यापारिक ऋणों में तथा अन्य देय राशियो को वर्ग 5 में रखा गया है।

प्राप्त संशोधनो का सम्बन्ध अधिग्रहण से पहले की कर्मचारियों की बकाया राशियो को प्राथमिकता देने से है। प्रबन्ध अधिग्रहण के बाद की अवधि की कर्मचारियों की बकाया राशियों को सरकार ने अपने उपर ले लिया है।

सरकार ने यदि राष्ट्रीयकरण से पहले के दायित्वो में से केवल कर्मचारियों की बकाया राशि के दायित्व को अन्य दायीत्वों की उपेक्षा करके अपने उपर ले लिया तो इससे अधिनियम के सम्बन्धित उपबन्धो को न्यायालय में चुनौती दी जायेगी। राष्ट्रीयकरण के बाद जिन कर्मचारियों की सेवाएं राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अथवा उसके सहायक कार्यालय में हस्तान्तरित की गई है तो उनको देय उपदान और पेंशन देने के विषय में उनकी पूरी सेवा अवधि को ध्यान में लिया जायेगा।

बहुत ही रुग्ण मिलें या तो पहले हो बंद हो चुकी है या वे बंद होने ही वाली है। सरकार ने उनके 1,60,000 कर्मचारियों के रोजगार को सुनिश्चित कर दिया है। मिलो के राष्ट्रीयकरण से पहले की पूरी अवधि के लिये कर्मचारियों की बकाया राशि के दायित्व कों लेना सरकार के लिये बहुत कठिन है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों की बकाया राशि, जो प्रबन्ध के अपने हाथ में लेने से पहले की है, को वर्ग, 3 में रख दिया जाये और मिलों द्वारा लिए गए ऋणों को वर्ग 4 में रख दिया जाये, अर्थात् कर्मचारियों की मजदूरी, वेतन और उनकी अन्य बकाया राशियों को लिये गये ऋणों से उपर का स्थान दिया जाये। मैं इस संशोधन को स्वीकार कर रहा हूं कि वर्ग 4 की बकाया राशियों को वर्ग 3 में रख दिया जाये और प्राप्त किये गये ऋणों को जो वर्ग 3 में रखे गये हैं को वर्ग 4 में बदल दिया जाये। मजदूरों द्वारा जहां तक कपड़ा मिलो के प्रबन्ध में भाग लेने की बात है इस पर सरकार के उच्चतम स्तर पर नोति सम्बन्धी विषय के रूप में विचार हो रहा है।

माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलो के काम पर चिंता व्यक्त की है अंर्थात वे नियंत्रित मूल्य संबंधी अपने दायित्व पूरे नहीं कर रही हैं। समाज के निर्बल वर्ग के हित में ये मिलें नियंत्रित मूल्य के कपड़े के उत्पादन सम्बन्धी दायित्वों को पूरा कर रही हैं। जब से कंट्रोल के कपड़े का दायित्व शुरू हुआ है जून 1971 से 1974 तक इन सरकार द्वारा नियोजित मिलों ने 33 करोड़ वर्ग गज कपड़े के लक्ष स्थान पर 37.8 करोड़ वर्ग गज कपड़ा तैयार किया। 1974 के दौरान अगस्त तक 9.8 करोड़ वर्ग गज़ के स्थान पर 12.6 करोड़ वर्ग गज कपड़ा तैयार किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे संसदीय कार्य मंत्री से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। कि वरिष्ठ मंत्री राज्य मंत्री के तर्को को और अधिक सबल बनाएगे। वरिष्ठ मंत्री श्री मधु लिमये के बाद अपना भाषण देंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to lay emphasis on few points which I have raised during my previous speech.

The Main question is how do these mills become sick ? What are the reason therefor ? The profits earned by these mills are squeezed out and as a result of which they become sick. Government is not paying timely attention to the deteriorating. Condition of these mills. If the profits are ploughed back for renovation and modernisation of these mills, they can be prevented from becoming sick. An amount of Rs. 250 crore have been spent for the modernisation of these mills and I am afraid that after spending so much money these mills will not be able to earn any profit. There are 1100 mills in Private Sector that are earning profit and the owners of these mills are investing a part of their profit for the renovation and moder-

[**Shri Madu Limaye**]

nisation of their mills. But in most of the mills a number of mal-practices are resorted to by the management, and Government instead of taking strong action against the management is shielding the guilty persons. In this connection I would take to refer to a letter written by Miss Saroja, a desciple of Shri Vinoba Bhave. This is in respect of the three mills of M/s. British India Corporations which is under Ministry of Industrial Development and the Government has 50 per cent equity participation in these mills. I have sent this letter to the Prime Minister.

यह पत्र उक्त निगम में व्याप्त कदाचार के संबंध में है इसमें लिखा है कि उन को खरीद, रंगों और रसायनों और अन्य स्तरों को खरीद में और ऐजंटों की नियुक्ति में किस प्रकार गडबड हो रही है । इस पत्र के अनुसार श्रीमती निर्मला बजोरिया निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रही है । श्रीमती बजोरिया और उनके अधिकारियों ने मिलकर श्री उमाशंकर दीक्षित और अन्य लोगों के साथ एक सौदेबाजी की है । श्री दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी के लिए चन्दे की पहली किश्त क रूप में 5 लाख मांगा था । जब चेयरमन ने झिझकर दिखाई तो श्रीमती बजोरिया और अन्य लोगों से सीधे बात की गई श्रीमती बजोरिया ने चेयरमन को बताया कि यदि हम बाजार से ऋण लेना है तो मांग पूरी की जानी चाहिए। अन्ततः काले धन का 10 लाख रुपया कांग्रेसी नेता को दिया गया । मैं चाहता हूं जिस विषय को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।

श्री विक्रम महाजन (कांगडा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम के अनुसार किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधरोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जाएगा। जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष या संबंधित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दी हो ।

श्री मधु लिमये : मैंने नियम 352 के अंतर्गत प्रधान मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित और श्री रघुरामैया को पूर्व सूचना दे दी है ।

श्री विक्रम महाजन : परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिसिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक हित सिद्ध नहीं हो। आज मुझे समाचार पत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि श्री बीजू पटनायक के घर पर आयकर प्राधिकारियों द्वारा छापा मारा गया है किन्तु श्रीमती बजोरिया और उनके साथियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि उन्होंने आपके दल को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए काफी धन दिया था ।

This letter I had written a month and half back but I have'nt received the acknowledgement as yet. I am of the opinion that no benefit will accuse to these sick mills simply by nationalising them. It is imperative to take necessary steps in time to prevent them from becoming sick. Government should see that these mills are not allowed to be exploited under Government management. Stern action should be taken against those who resort to corrupt practices.

These mills should fulfil their obligations in respect of controlled cloth. The controlled cloth should be of coarse and medium varieties.

Government should also make efforts to find out if more cloth can be manufactured from given quantity of cotton by increasing the number of counts.

I have submitted an amendment that the dues of the workers like provident fund, gratuity etc. should be the first change on payments by the Government. I will urge upon the hon. Minister to accept it.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मुझे श्री मधु लिमये ने एक नोटिस दिया था कि वह सदन में ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के विरुद्ध कुछ आरोप लगाने जा रहे है और इस संबंध में उन्होंने एक महिला सर्वोदय कार्यकर्ता का उल्लेख किया है जो प्रधान मंत्री को मिली थी और उन्होंने बी० आई० सी० के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें और कुछ आरोप लगाए उन आरोपों को प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा जांच की गई और उनके निष्कर्षों पर कार्यवाही करने हेतु मेरे पास पहुंचा दिए गए है । माननीय महिला ने किसी राजनीतिज्ञ के विरुद्ध आरोप नहीं लगाए है । श्री लिमये का अनुमान है कि वे कार्य या प्रथाएं अभी तक चालू है क्यों कि उनमें कुछ राजनीतिक व्यक्तियों का स्वार्थ निहित है मेरे पास श्री उमाशंकर दीक्षित का पत्र है जिनमें इन आरोपों को जोरदार खण्डन किया गया है ।

श्री लिमये का कहना है कि इस महिला को अपने पत्र का एक पैराग्राफ काटने लिए कहा गया। जैसा माननीय सदस्य कहते है उन पर हमें विश्वास करना होगा लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस महिला ने किसी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया उन्होंने बी० आई० सी० के कुप्रबंध के बारे में आरोप लगाया है जिसको वह मुझसे जांच कराना चाहती थी। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि यदि वह आरोप जांच कराने पर सही साबित हुए और कार्यवाही आवश्यक समझी जाएगी तो मैं कठोर कार्यवाही करूंगा, केवल अनुमान लगाकर किसी पर दोषारोपण करना न्यायोचित नहीं है। मेरे पास जांच की रिपोर्ट है यदि माननीय सदस्य उसे देखना चाहते हैं तो मुझे दिखाने मे एतराज नहीं । किन्तु मैं इस बात का प्रचार नहीं करना चाहता कि मैं आगे क्या कार्यवाही करने जा रहा हूं । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे ।

श्री मधु लिमये ने यह जानना चाहा है कि यह उद्योग संकटग्रस्त कैसे हो जाते है। हम किसी उद्योग को स्वयं संकटग्रस्त नहीं बनते और यदि कोई उद्योग संकटग्रस्त हो जाता है तो उसमे निर्धारित उत्पादन नहीं हो सकता । आप कपडा मिलों को देखिए हमें किन परिस्थितियों में उन मिलों को अपने हाथ मे लेना पडा और उनके राष्ट्रीयकरण की क्यों आवश्यकता पड गई इस बात पर हमें विचार करना है । यह संकटग्रस्त मिले मुख्यता इसलिए अपने हाथों में ली गई क्यों कि बहुत बडी संख्या में श्रमिकों को रोजगार से निकाला जा रहा था । और हमें उनके रोजगार को बरकरार रखना था । हमने अधिनियम में व्यवस्था की थी कि हम इन मिलों को पांच वर्ष तक चलाएंगे। इसके बाद फिर पांच वर्ष तक अपने हाथों में रखेंगे जब उनकी स्थिति सुधर जाएगी तो हम इन मिलों को उनके मालिकों को वापिस कर देंगे । लेकिन यह हास्यास्पद स्तिति है कि क्यों कि सरकार को कपडा उद्योग के लिए एक नर्स के रूप में समझा गया है जो संकटग्रस्त मिलों को वापिस सामान्य स्तर तक लाएगी और अन्य लोगों को उसे बीमार करने की स्वतंत्रता होगी ।

एक बात का आप ध्यान रखे कि निगमित स्वामित्व व्यवस्था में किसी कपडा मिल का एजेंट या जो भी प्रबंधक होता है वह मिल का मालिक नहीं होता । कई बार तो वह केवल बहुत थोडा विनियोजन करता है और मिल के अनेक छोटे छोटे शेयरधारी होते है और अगर मिल बन्द कर दी जाए तो उनका धन बट्टे खाते में पड जाएगा । सरकारी वित्तीय संस्थाओं के जिन्होंने शेयर खरीदे हुए है उनके शेयर पूंजी भी बट्टे खाते में पड जाएगी । मिल को उस समय सुरक्षित आधार पर ऋण देने वाले बैंकों को यदि हम उन्हे उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आपके हाथों में नहीं लेते, इनको बन्द करने और अपनी बकाया राशि से वसूल करने का अधिकार है क्यों कि उनका ऋण सुरक्षित है । इस अधिनियम के अंतर्गत हमने इन्हें ऐसी कार्यवाही करने से रोक दिया है

[श्री टी० ए० पाई]

क्योंकि हमने उनसे कहा है कि उनके ये सब अधिकार निलंबित रखे जाएंगे जिसके फलस्वरूप 10 या 15 वर्ष की अवधि के बाद उनको प्रतिभूति भी घटती जाएगी और एक दिन वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी ।

आश्चर्य की बात है कि इन कर्मचारियों की भविष्य निधि की अत्यधिक राशि भी बकाया पड़ी है । भविष्य निधि की राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से करने हेतु कर्मचारियों के लिए सब प्रकार के कानून हैं किन्तु कानूनों के बावजूद वे इस राशि का दुरुपयोग करते रहे हैं और वे सभी कानून निष्प्रभावी हो गए हैं । औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के सम्पूर्ण नॅय में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया है क्योंकि यदि अन्ततः राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई तो मिल मालिकों के अतिरिक्त अन्य सभी लोग या जो इन मिलों की चलाने के उत्तरदायी हैं वे इस सभी अपराधों से मुक्त रहेंगे और यह बात बहुत दुखद होगी आज अहमदाबाद में मिल मालिकों के पास उपदान निधि की 14 करोड़ रुपये की राशि पड़ी है । मैं इनसे इस राशि को भी लेना बेहतर समझता हूं ताकि कर्मचारियों को जो भी निधि है वह सुरक्षित रहे जिससे ऐसी बात दोबारा न हो । बड़ी मात्रा में राशि जमा नहीं की गई । इससे स्पष्ट है कि हम इसे उतनी कठोरता से लागू नहीं कर रहे है जितना कि हमें करना चाहिए ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : सरकार भविष्य निधि अधिनियम और उपदान अधिनियम के अंतर्गत अपने सांविधिक दायित्वों की जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकती है ।

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे (बम्बई मध्य) : काफी समय पहले हमने महाराष्ट्र में मांग की थी कि भविष्य निधि आयुक्त भविष्य निधि की देय राशि एकत्र नहीं कर रहा और मिल मालिकों को वह राशि जमा कराने के लिए जोर नहीं डाला जा रहा । क्या सरकार भी इस धोखा धड़ी में शामिल है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : रत्न काटन मिल, कानपुर के मामले में तत्कालीन श्रम मंत्री श्री खाडिलकर ने कहा था कि वह वहां की स्थिति ठीक कराएंगे । किन्तु उन्होंने कुछ नहीं कराया और मिल मालिक अपनी मनमानी कर रहे ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा) : कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नहीं कर सकते । यदि धन एकत्र नहीं किया गया और जमा नहीं किया गया तो सरकार और भविष्य निधि आयुक्त उनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर सकता है उन्हें दण्ड दे सकता है और जेल भिजवा सकता है सरकार ने वह नहीं किया है । यह मेरी पहली बात है ।

दूसरा प्रबंध को अपने हाथ में लिया गया था, यह नए प्रबंधक का दायित्व था कि वह कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान करता उद्योग विकास तथा नियमन अधिनियम में कुछ अधिनियमों को स्थगित करने की व्यवस्था है परन्तु भविष्य निधि वैसा अधिनियम नहीं है, नए प्रबंधक का भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत यह दायित्व था कि भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान करता और भविष्य में भी भुगतान जारी रखता, परन्तु ऐसा नहीं किया गया, इस मामले में बकाया राशि के भुगतान के लिए मालिक के पास जाने की बात कही गई है जो तर्कसंगत नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह कहना सही नहीं है कि इसमें यूनियन की गलती है, वास्तव में भविष्य निधि मशीनरी की अथवा राज्य या केन्द्रीय सरकार की असफलता है जो मंत्री महोदय को इस राशि को वसूली करने के बारे में सलाह नही दे सकता है, कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय को निर्दिष्ट करना चाहिए कि निधि का भुगतान किया जाने चाहिए मेरा यही कहना है कि कर्मचारियों को भविष्य निधि का भुगतान किया जाना चाहिए ।

श्री इराज्मुद सेक़ैरा (मारमागोआ) : भविष्य निधि अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि मालिक भविष्य निधि का भुगतान नहीं करता है तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, यदि सरकार की मशीनरी असफल रही है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, धारा 14 में कहा गया है कि इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों पर पेंशन उपदान आदि समान रूप से लागू होंगे परन्तु धारा 5 में कहा गया है कि रुग्ण कपड़ा मिलों के कर्मचारी मजूरी, बोनस, भविष्य निधि पेंशन आदि के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर दावा नहीं कर सकेंगे, सरकार को यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : न केवल भविष्य निधि और उपदान के मामले में अपितु अन्य मामलों में भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, मिलों में काम चालू करते समय कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि ज्यों भी मिलें लाभ कमाना आरम्भ करेंगी त्योंही उनका कटोती किया हुआ महंगाई भत्ता देना शुरू किया जायेगा उन्होंने अभी पूरा महंगाई भत्ता नहीं दिया है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कहना चाहिए कि सभी आश्वासन को पूरा किया जायेगा।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मैं माननीय सदस्यों को बता रहा था कि इन उद्योगों के रुग्ण हो जाने के क्या परिणाम हुए है, विभिन्न कानून बनाए गए थे परन्तु वे प्रभावी सिद्ध नहीं हुए । मैं श्रम मंत्री से इस संबंध में बातचीत करूंगा ताकि ऐसी बातों की पुनरावृत्ति न हो और कर्मचारियों की गाढी कमाई की बचत का मालिक दुरुपयोग न करें, में राजा कुलकर्णी को बताना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में दिए गए आवश्वासनों को पूरा करेगी, श्री मौर्य ने जो कुछ कहा है उसे वर्तमान विधेयक में शामिल करना संभव नहीं है, यह निगम विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करेगा और विभिन्न आश्वासनों को लागू करने में मदद करेगा।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : अनेक कारखानों ने पिछले 10 से 15 वर्षों तक यह राशि जमा नहीं किया है परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई जांच कार्यवाही नहीं की है। सरकार को कारखानों को अपने आधिकार में लेने की एवज में मालिको को जो धन देना है उसमें से इस राशि को काट लिया जाये ।

श्री वसंत साठे (अकोला) : श्री मौर्य द्वारा दिए गए तर्क आश्वासनपूर्ण नहीं है, कर्मचारियों के पहले के दावे और अधिकार कोई अनुग्रह नहीं है अपितु वे तो कर्मचारियों के सांविधिक अधिकार है जिसको मालिकों ने धोखे से छीन लिया है । मालिकों ने उनका भविष्य निधि सरकार के पास जमा नहीं किया और सरकार ने भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की, इसमें कर्मचारियों का क्या अपराध है ? इसका मानवीय पक्ष भी है, क्या सरकार मिलों को अपने नियंत्रण में लेते समय यह कहेगी कि वह पिछली देनदारियों को पूरा नहीं करेगी आप कह सकते है कि कर्मचारियों को अपनी देनदारियों के लिए मालिकों के पास जाना पडेगा । मालिक कहेंगे कि वे मिल के कर्मचारी नहीं है क्या आप कानून बनाकर मालिक को इसके लिए जिम्मेदार नहीं बना सकते है ? इस लिए इसमे भेदभाव का प्रश्न नही है, यह

[श्री वसंत साठे]

एक निरंतर अधिकार तथा दायित्व है, दायित्व के मामले में मालिक को एक स्तर पर कैसे रखा जा सकता है? यह कहना निरर्थक है कि यह प्रबंध को ग्रहण करने को बाद को अवधि है इसलिए इस श्रेणो के अंतर्गत व्यवस्था को गई राशि समाप्त हो जाएगो, इस श्रेणो में कर्मचारियों को रखने से उन्हें कुछ नहो मिलेगा बेहतर होगा यदि आप इसे स्थगित कर दें, आपको इस मामले में हमें अपने विश्वास में लेना चाहिए अन्यथा आप हमें बडो असमंजसपूर्ण स्थिति में डाल रहे हैं ।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : The Central Government and N. T. C. had asked the Solicitor General to give opinion in respect of provident fund and gratuity. The Solicitor General gave opinion that workers should be given gratuity and provident fund. I am placing the finding of Solicitor General on the Table of the office.

सभापति महोदय : आप यदि चाहें तो यह मंत्रो महोदय को दे सकते है।

प्रो० मधु दंडवते : तोसरे वाचन में अनेक कठिनाइयां उठेंगी, सत्तारुढ दल के कुछ सदस्यों को बात को मान लेना चाहिए । इस वादविवाद को स्थगित करने के बाद के सलाह मशविरा करने के उपरान्त लाया जा सकता है।

Shri Ram Singh Bhai : If this clause is passed then the provident fund and gratuity which we are getting, will be stopped.

श्रो राजा कुलकर्णी : इस विषय पर वाद विवाद कुछ समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाये ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस पर हमें सलाह मशविरा करना चाहिए चाहे कुछ भो हो हम कर्मचारियों के साथ को जा रहो धोखाघडी में शामिल नहीं होंगे, हम इसका विरोध करेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इन्दोर में कपडा मिलों में हड़ताल हुई थो महान्यायाधिकारो ने राज्य अथवा निगम के अध्यक्ष को कुछ स्पष्टीकरण दिया जिसके आधार पर हड़ताल समाप्त कर दी गई, नियम 368 के अन्तर्गत मैं मांग करता हूं कि वह दस्तावेज जिसका उद्धरण श्री रामजोभाई वर्मा ने किया था सभा पटल पर रखा जाय, मैंने उपाध्यक्ष महोदय को एक प्रस्ताव भेजा था कि महान्यायवादो को सदन में आकर यह समझाने को कहा जाये कि और अन्य मामलों से क्या तात्पर्य है।

Shri Madhu Limaye : I had given a notice of a motion regarding adjournment of this discussion.

सभापति महोदय : क्या मंत्रो महोदय इस बारे में कुछ कहना चाहते है ?

श्री टी० ए० पाई : मेरो भो कर्मचारियों को प्रति सहानुभूति है, मुझे कहा गया था कि इससे सांविधिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकतो है महान्यायाभिकर्ता को यहां बुलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा, हमें इस विषय पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपके अपने तर्क है, इन सब बातों पर निर्णय करके निर्णय किया जायेगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाये तब तक इस पर खंड वार चर्चा स्थगित रखो जाये। रुग्ण मिलों का राष्ट्रोयकरण इस उद्देश्य से नहीं किया गया है कि उनके लाभकारो बनने पर उन्हें उनके मालिकों को वापिस लोटा दिया जाये, मैं चाहता हूं राष्ट्रोय कपड़ा निगम ऐसो नोतियां बनाए

जिसका अनुसार शेष अन्य कपडा मिलें भी करें, आम खपत का कपडा अन्य मिलों को भी बनाना चाहिए अन्यथा जनसाधारण के लिए औद्योगिक विकास का कोई मतलब नहीं होगा, मैं चाहता हूं कि सरकार को राष्ट्रीयकृत कपडा उद्योग से कपडा खरीदना चाहिए । इसके अलावा आधुनिकीकरण से तात्पर्य केवल पुरानी मशीनों के स्थानों पर नई मशीनों लगाना नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय कपडा निगम के बारे में निश्चित नीति निर्धारित की जाएगी ताकि आम जनता को कपडे की कठिनाई महसूस न हो यह शिकायत की जाती है कि सरकार के बार बार हस्तक्षेप करने के कारण कपडा मिलें रुग्ण हो गई हैं परन्तु मेरे विचार में इसका कारण औद्योगिक एककों द्वारा अपने सामाजिक दायित्व को न निभाना है । अनेक मिल मालिकों ने कपडे के मूल्य गिरने के कारण कर्मचारियों को जबरन् छुट्टी कर दी है और तिसरी पारी को बंद कर दिया है । मैं चाहता हूं कि किसी कर्मचारी को जबरन छुट्टी न की जाए और देश में अपेक्षित कपडे का उत्पादन किया जाये । भारी मुनाफा कमाया जा रहा है परन्तु कपडा मिलों का आधुनिकीकरण न करके उन्हें रुग्ण बनाया गया और इस प्रकार उन्हें सरकार को सौंपा गया ।

मैं यह चेतावनी भी देना चाहूंगा कि सरकार रुग्ण मिलों को ही अधिकार में नहीं लेना चाहती। अच्छा यह हो कि उन्हें उस समय अधिकार में लिया जाए जब वह स्वस्थ हों जिससे कि कपडा उद्योग से अपेक्षित आकांक्षाएं पूरी की जा सकें।

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : नियम 69 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधेयक से सम्बद्ध वित्तीय ज्ञापन को पर्याप्त के बारे में है । हमें ऐसे विधेयक को पारित करने को कहा जा रहा है जिसके अन्तर्गत 39 करोड की अदायगी होगी परंतु इस राशि के ब्योरे संसद को नहीं बताये गये है । चर्चा के एक सदस्य ने कहा कि इंडिया यूनाइटेड मिल का मूल्यांकन 1000 से किया गया है, जब कि उसमें 2,25,000 तकुए एवं 7000 करघे हैं । इसकी तुलना में अहमदाबाद जुपिटर मिल का मूल्यांकन 2.5 करोड किया गया है जब कि इस की क्षमता इंडिया युनाइटेड की क्षमता की 1/6 है इसको देखते हुए इस मूल्यांकन के बारे में संशय उत्पन्न होता है । सरकार को सदन को पर्याप्त सूचना उपलब्ध करनी चाहिये जिससे उचित निर्णय लिये जा सकें।

वित्तीय ज्ञापन के अनुच्छेद 27 में लिखा है कि केन्द्रीय सरकार अनुसूची 2 के वर्ग i में उल्लिखित किसी भी मद के बारे में रुग्ण मिल की देयताओं को ग्रहण करेगी। अनुमान है कि यह देयताएं लगभग 9 करोड रु० की होंगी । यह कोई मामूली बात नहीं है अतः मेरा अनुरोध है कि ज्ञापन में दी गई जानकारी अपर्याप्त है इस प्रकार नियम 69 की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है ।

कानूनी प्राधिकरण के बिना समेकित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। बजट में भी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अतः सरकार को इसके लिए अनुपूरक मांग प्रस्तुत करनी चाहिये थी, परन्तु ऐसा न करना कानून के विरुद्ध है ।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I may be permitted to introduce my motion (*Interruptions*). There is complete unanimity in the House about Provident Fund and other dues. In these circumstances the hon. Minister should respect the feelings of the House and evolve a way so that workers' dues get priority.

In my speech I had levelled a charge against Shri Dikshit whereas the reply to that charge has been given by Shri T. A. Pai. This defence is against the rules. I had given proper notice before levelling this charge . . .(*Interruptions*). He should have personally replied to that charge. I, therefore, wish to move an adjournment motion on these two counts.

श्री टी० ए० पाई : मैंने श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से कोई सफाई नहीं दी ।

सभापति महोदय : इस चर्चा को स्थगित करने का अनुरोध है । क्या आप इससे सहमत हैं ?

श्री के० राघुरमैया : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद इसे स्थगित किया जाए ।

सभापति महोदय : श्री सेकैरा ने वित्तीय ज्ञापन की बात उठाई है । माननीय सदस्य उसे पर्याप्त न समझें परंतु मेरे विचार से उसमें पर्याप्त जानकारी है । अतः इस आधार पर इस चर्चा को स्थगित नहीं किया जा सकता यदि किसी सदस्य अथवा मंत्री पर कोई आरोप लगाया जा जाए तो उस के विरुद्ध कार्यवाही करना उसी का काम है । अध्यक्ष पीठ द्वारा किसी को उपस्थित होने को नहीं कहा जा सकता । अब मैं श्री मधु लिमये का निरनुमोदन प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित रुग्ण कपडा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was Negatived.

सभापति महोदय : मैं अब मुख्य प्रस्ताव विचार के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

> "कि प्रथम अनुसूचि में विनिर्दिष्ट रुग्ण कपडा उपक्रमों को इस दृष्टि से पुनर्गठन और पुनर्वास करने के लिए कि विभिन्न प्रकार के कपडे और धागे के उत्पादन में वृद्धि और उचित कीमतों पर उसके वितरण द्वारा जनसाधारण का हित साधन हो सके, ऐसे रुग्ण कपडा उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामियों के अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयो का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : इस समय मेरे समक्ष तीन प्रस्ताव है ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करें हम उसे स्वीकार कर लेंगे ।

श्री के० राघुरमैया : क्या अध्यक्षपीठ द्वारा इसे स्थगित नहीं किया जा सकता ?

सभापति महोदय : मेरे विचार से अध्यक्षपीठ द्वारा किसी विधेयक विशेष पर चर्चा को स्थगित करना उचित नहीं ।

श्री के० राघुरमैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पर खंडकर विचार स्थगित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर खंडकर विचार स्थगित किया जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) तथा अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा अन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी के विरुद्ध न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलम्बित करने वाले राष्ट्रपति आदेश का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव

STATUTORY RESOLUTION *re.* DISAPPROVAL OF MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) AND ORDINANCE AND MOTION *re.* DISAPPROVAL OF PRESIDENTIAL ORDER SUSPENDING CITIZENS RIGHT TO MOVE COURT AGAINST DETENTION UNDER MISA

सभापति महोदय : एक संकल्प राष्ट्रपति के अध्यादेश के निरनुदेश मोदन और एक राष्ट्रपति के आदश के निरनुमोदन के बारे में है । श्री वाजपेयी दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, I move :

"This House disapproves of the Maintenance of Internel Security (Amendment) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 11 of 1974) promulgated by the President on the 17 th Setptember, 1974."

Sir, I also move the following resolution :

"That this House disapproves of the Presidential Order issued on the 16th November 1974 under clause (1) of article 359 of the Constitution suspending citizens' right to move any court with respect to orders of detention under the Maintenance of Internal Security Act, 1971 for the enforcement of the rights conferred by article 14, article 21 and clauses (4), (5), (6) and (7) of article 22 and also suspending all proceedings pending in any court for the enforcement of the aforesaid rights with respect of orders of detention under the Maintenance of Internal Security Act.

Sir, to-day's newspapers contain a report that activities of smugglers have again started in a number of big cities in the country. According to a country-wide survay those smugglers who had gone under-ground due to a fear of being caught have again come out and they have started their activities again.

Smuggling is a big business and it is not correct to say that 500-600 persons have been able to spread the net work of smuggling in the country. The Government has amended MISA in order to detain smugglers. This did not prove adequate. The courts released the smugglers. The Government did not consider the reasons for this but instead it issued an order under Art. 359 to detain the smugglers from moving the courts.

Emergency was declared in the country on 3rd December 1971 at the time of Pakistan's attack on our country. The relations between the two countries have been normalised but emergency is still being continued. When certain smugglers detained under MISA were

[**Shri Atal Bihari Vajpayee**]

released by courts Government deprived them of their fundamental rights throuh a Presidential order. We are in favour of stern action against smugglers. Smuggling is an anti-national act and those who indulge in it are traiters. Hence, they should be trated as such legel action should be taken against them as there is a rule of law in the country. But I feel that Govenrment does not intend taking legal action under normal laws against smugglers. The whole country is demanding that smugglers be produced in courts so that their political links and patrons are exposed. But Government is not prepared for all this and is in favour of detaining them. In fact a person is detained in order to pervent him from doing certain acts. It is not utilized to punish him for his past acts. Is the smuggling going to end with the arrest of these 600 smugglers ? Detention is not punishing them for their past actions.

Use of MISA against smugglers is a mockery of country's laws. If normal laws of the country are not adequate enough to deal with the sumugglers that should be strengtnened The House will not feel shy of empowering the Government to put an end to smuggling. I feel that Government would release the smugglers after detaining them for some time. otherwise there is no other reason for preventing them from moving courts.

A few years back law Commission had considered this matter and stated in its 47th Report that it would be advisable for the Government to secure Constitutional amendment enlarging the contents of item 9 in list I of the Seventh Schedule by including Preventive detention for reasons connected with defence,...the effective realisation of duties of customes and excise or the conservative of Foreign Exchange in it. The Government slept over this suggestions and smuggling fourished in the country. It did not adopt any stern measure against smugglers. Previously Gold was smuggled into India but now in addition Textiles, Diamonds, Watches, Transistors, etc. are being smuggled into India. Smuggled goods worth Rs. 8.50 were seized in 1971 and this figure rose to Rs. 11.50 crores for 1972, 14.50 crores for 1973 and Rs. 17.00 crores for first 8 months of 1974.

In an interview with the Press it was stated by a Government official that smugglers are running their own reserve Bank. Shri Ganeshan. ex-Deputy Finance Minister also exploded the bomb-shell by saying that smugglers were running a paralel Government in the country and they have political links. He named these Smugglers also. I congratulate him But it is a pity that he has now been would out of the fiance ministry In it because he has the Government in to trouble by his utterances. he has put the Government in to dock expose the publics.

We have to consider how the smuggling flourished? How these smugglers gained the position of millionaires who povided patronage and who forced political leaders to touch their feet ? All this cannot happen without government's complicity Smuggling can not take place without the connisance of Government officials. Smuggling own *modus-operandi* It includes under invoicing over invoicing and bungling in repatriation of income by Indians living abroad. These methods deprive the Reserve Bank of that foreign exchange and sumuglers get foreign exchange for their anti national activities. Antigues. Statres etc. are smuggled out and foreign exchange thus obtained is utilized for smuggling activities.

The question is now to stop these activities. Had Government been serious in its anti-smuggling drive we would have extended our Co-operation. But we do not believe in this drive. The Government had arrested Haji Abdullah of Kasargoda, who was well known smuggler of the area. After his arrest theres was some calmnes in the area but activities have again started. This Haji Abdullah was chairman of Reception Committee of recently held Conference of Literatures. Therein he stated that serving of an arrest warrant to him was an irony.

समापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

तेहरान में आयोजित खलकूद प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक

Medals won by Indian Sportsmen in games at Tehran*

Shri Moolchand Daga (Pali) : I congratulate those players who won gold and Bronze Medals at Tehran Asian games, but I express my resentment over the management of sports organisations. (*Interruptions*). It is only because of them that Indians' position has so deteriorated in the field of sports and games. India obtained 2nd position in 1951 Games but to-day our position is low in comparison to other small countries like Iran South Korea, North Korea, etc., it has obtained 7th-8th position. Japan has won 75 Gold Medals, Iran won 36, China 33 whereas India could get only 4. (*Interruptions*). We should bow our heads with shame. Our football, Volley ball, Water-Polo, Tennis, Cycling etc. seven teams could not stand any chance. We were world champions in the field of Hockey. But where we stand to-day? That position has been attained by Pakistan.

The treatment being given to Players in our country is not fair. Timely selections are not made. We sent a contingent of 15 players. Out of them 12 fell ill and complained of inadequate treatment facilities. During the coaching period Pakistan pays Rs. 25 per head per day to its players, Iran pays Rs. 100 per head per day, whereas in our country we are paying Rs. 8 per day per head.

So far as observers are concerned in the Education Ministry, a handful of officers in the sports cell who have the capacity to twist the pen to their advantage have begun to feel that they are the almighty people of sports.

Inspite of all these hurdles those who have won have done so due to their own capacity and capability.

I would like to ask the Government as to what they have done for the encouragement of players ? Their demands are not met and then there is no arrangement for their proper coaching. The Government has allocated a sum of Rs. 18 crores for sports in a Plan of Rs. 55 thousand crores. How can we complete other countries in this way.

There is politics in selection of playrs and sports organisations. Dr. K. L. Shrimali had stressed that it was necessary to ensure that ful use was made of our human and material resources in the field of sports so that better results may follow in International competitions. Inspite of this situation is deteriorating. I may suggest that there should be a separate Ministry for sports so that due improtance may be attached to this subject. A national policy should be envolved and special arrangements should be made to impart training to the players and they may be sent abroad for this purpose if necessary. Sport councils should be set up at village, district and state levels. Undesirable elements should be removed from the sports organisations. It has been observed that instructions given by the Ministry are not followed by the sports organisations. It may decide that no person should hold key position in a federation for more than two terms of three years each. The move was initiated by the AICS in 1964 and it took tne Government nearly four years to issue directions. If a target is not achieved in 15 years then what for they are sitting in the Board ? What for the observers go there ? There are certain Managers who treat the tours nothing more than an all-paid holidays abroad. How can such things be tolerated ? In view of this a national policy should be evolved. Only persons of integrity should come in the field of sports. The image of sports is at low-key and we can enhance our prestige only by giving encouragement to genuine players. They should be given proper coaching. True sportmen should head the sports organisations.

आधे घंटे की चर्चा

Half an Hour Discussion

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : खेल कूद का विषय देश के लिये बहुत महत्व-पूर्ण है, हमें खेल कूद का आयोजन इस प्रकार करना चाहिये कि विश्व में हमारे देश का सम्मान बढ़े। तेहरान में जो खेल हुए है उनमें हमारा देश काफी पीछे रहा है। जापान को 75 सोने के, 50 चांदी के और 51 कांसे के पदक मिले है और भारत केवल 4 सोने के, 12 चांदी के और 12 कांसे के पदक प्राप्त कर सका है। हमें खेलों के बारे में ठोस नीति बनानी चाहिये। सभी खेलों में सुधार करने को काफी गुंजाईश है। तेहरान में 16 खेलों में से भारत ने केवल 12 खेलों में भाग लिया था। माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ खेलों में सुधार को काफी गुंजाईश है। क्या इस का तात्पर्य यह है कि कुछ अन्य खेलो में सुधार करने को गुंजाईश नहीं है। हमें राष्ट्रीय खेलों के बारे में ठोस नीति अपनानी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि उन चार खेलों के नाम क्या है जिन में भारत ने भाग नही लिया? मंत्री महोदय ने कहा था कि तेहरान में भारत को जो स्थिति रही वह अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ताकि वह उस में सुधार करने के बारे में सुझाव दे सके। क्या उक्त परिषद को कोई बैठक हुई है और यदि नहीं तो उसकी बैठक कब होगी ?

यद्यपि खल कूद को प्रतिभा के विचार से भारत को क्षमता बहुत अच्छी है परन्तु तेहरान में हुए खेलों में भारत की स्थिति पर गर्व नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह नही कि हमारे खिलाड़ी कमजोर है बल्कि इसका कारण यह है कि इस कार्य को सु-व्यवस्थित ढंग से नही किया जा रहा। क्या यह सच नही है कि खेल-कूद के मामले में भी राजनीति घुस गई है। एक ही खेल के दो दो राष्ट्रीय फेडरेशन बने हुए है, मंत्रालय को इस सम्बन्ध म समचित कार्यवाही करनी चाहिये और इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये।

क्या खिलाडियों, अधिकारियों, और प्रशिक्षकों में अनुशासन लागू करने के लिये कोई आचार संहिता बनाई गई है ? जब मंत्रालय किसी खिलाडी को चुनता है तो उसे खेलनक लिये जाना चाहिये। व कैसे कह सकते है कि वे अधिक महत्वपूर्ण खेलों में ही भाग लेंगे। यह बात ठीक नही है। उन्हें कवल अपने लिये नही बल्कि देश के सम्मान के लिये खेलना होता है। अतः सर्वोत्तम खिलाडियों को खेलने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये।

आज समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि जूनियर बास्केट बाल के प्रतियोगी किसी टूर्नामेंट विशेष में भाग नही ल सके थे। वे तीन महीने तक प्रशिक्षण कैम्प में रहे परन्तु मंत्रालय ने उन्हें खेलने की स्वीकृति नहीं दी। मुझे इस समाचार से बहुत अप्रसन्नता हुई है, मंत्री महोदय को मरी इन बातो का उत्तर देना चाहिये।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशदपुर) : मैं पूछना चाहता हूं कि किसी खिलाडी को दोष-गुण के आधार पर अथवा पैरवी के आधार पर चुना जाता है ? क्या सरकार एशियाई खलों म भाग लने वाले खिलाडियों के कार्य से संतुष्ट है और क्या सरकार पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसमें खिलाडियों को प्रशिक्षण देने और भविष्य में प्रशिक्षित खिलाडियों को ही विदेशों में भेजने की व्यवस्था है ? फिर मेरा सुझाव यह है कि खिलाडियों को काफी पहले चुना जाना चाहिये ताकि उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके यह खद की बात है कि भारत ने हाकी के खेल के बारे अपनी प्रतिष्ठा खो दी है। मुझे पता चला है कि कुछ राजनीतिज्ञ खिलाडियों को चुनवाने के लिये दबाव डालते है, इस प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहिये। अन्त में मैं उन खिलाडियों की प्रशंसा करता हूं जिन्होने भारत को चार सोन के, बारह चांदी के और बारह कांसे के पदक दिलवाये है।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : यह ठीक है कि तेहरान में हमारी हार हुई है परन्तु म निराशावादी नही हूं। हमें हार के कारणों पर विचार करना चाहिये। मेरे विचार में खिलाडियों का चयन ठीक ढंग से नही किया जाता। फिर हमारे खिलाडियों का स्वास्थ्य

भी इतना अच्छा नही होता जितना अन्य देशों के खिलाड़ियों का होता है। हमें उनके लिए अच्छी खुराक और प्रशिक्षण को व्यवस्था करनी चाहिये। कई खिलाड़ियों को आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब होती है कि वे स्वेटर तक नही खरीद सकते। फिर भी हम उनसे आशा रखते है कि वे विजयी हों।

मुझे पता है कि आदिवासियों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाडी है परन्तु माइकल कुन्दू को छोड कर छोटा नागपुर से किसी आदिवासी को नही चुना गया। खेल कूद के मामले में राजनीति का कोई स्थान नही होना चाहिये। खेल कूद परिषद में ऐसे व्यक्ति रखे जाने चाहिये जिनका राजनीति के साथ कम से कम सम्बन्ध हो। राजनीति के कारण ही बेदी को क्रिकेट मैच में शामिल नही किया गया। अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मैच नही रखा गया और इस प्रकार उसके साथ अन्याय किया गया है। कानपूर की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण है? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें कि कानपुर में एक मैच खेला जाएगा।

हम भी खेलों में रुचि रखते है, बहुत से सदस्य क्रिकेट पसन्द करते है। हम मैच के लिये टिकट लेना चाहते है परन्तु वे भी नही मिलती। बड़े बड़े व्यापार गृह पहले ही टिकटे खरीद लेते है और फिर सरकारी अधिकारियों को दे कर उनपर अहसान करते है। मैं पैसे दे कर भी टिकट नही खरीद सकता। मैं चाहता हूं कि कम से कम एक पंक्ति संसद सदस्यों के लिये आरक्षित होनी चाहिये। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह संसद सदस्यों के लिये टिकटों की व्यवस्था करें।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : I had not gone to Tehran but I had gone to attend other Olympics. I shall however suggest that special attention cannot be paid towords sports unless separate Ministry or Department is set-up. Therefore a separate Minister of sports should be appointed. The sport organisations should be re-organised in such a way that there is complete freedom and people should not monopolise the posts for everal years. Many a time Ministry of Education also expresses its inability to deal with such elements. In view of this Government should introduce a bill for this purpose. We should lay more emphasis on training of our players. Our players lack in practice and this is main reason for the debacle. The organisers should make arrangement for intensive training in all the sports. Then they should be given nutritious diet only. Then they should be able to play for 8-10 hours a day. Besides we have stadiums of similar type. Infa ct. specific type of stadiums should be constructed for different types of sports such as boxing, long racing etc. We have very good players having sufficient stamina but we donot have stadium suitable for such sports. Our players should be given training in various techninques adopted by players of foreign countries. In fact training should start at school level.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : It is not correct that official delegation went to Tehran without prior information because Indian Olympic Association was fully aware of it. Moreover Government informs the embessy of the other country as well as Indian Olympic Association whenever an official delegation goes abroad. We get the badges and passes on which entry was allowed without any difficulty. The hon'ble Member has referred to the newspaper reports. We have contacted Indian Olympic Association on this basis and they have given in writing that no inconviences was caused to them.

It has been stated that the performance of our players was not upto the mark and we could win less number of medals as compared to other countries particularly Japan, Iran and China. But if we see the record of this previous Asian games, then it will be clear that India has secured 28 medals now as compared to 21 in 1966 and 25 in 1970. There were some countries who had participated in these games for the first time and have shown better results. China and North Korea participated for the first time and their position was third and fourth.

However we have issued guidelines to the sports organisation recently. There are 49 Federation and out of them 15 Federations has sent their acceptance and replies from two more are expected. We shall give financial and other types of assistance only to such organisation which will adopt our guidelines.

[**Shri Arvind Netam**]

It has been pointed out by some hon'ble Members that selection system is wrong. In fact respective Federations or sports organisations are responsible for selection of players. They are autonomous bodies and we do not interfere in their working. All India Sports Council scrutinise the names suggested by these organisations. Atleast we do not come into the picture in so far as selection of players is concerned.

We have asked for the details of the scheme regarding hockey tournaments in Punjab in 1975 from Punjab government to which Sardar Swaran Singh Sokhi had referred but a reply is still awaited.

Some hon'ble Members have stated the question of discipline. It is true that previously some complaints were received but we had issued a code of conduct to our players this time. Moreover there were strict security measure in Tehran and we have not received any complaints this time.

In so far as tickets for cricket match is concerned we have contacted the Cricket Control Board and seperate arrangements is being made for Members of Parliament.

Shri S. M. Banerjee: I wanted to know whether a cricket match will be held in Kanpur or not. Uttar Pradesh should not be ignored.

Shri Arvind Netam: He is fully aware that Cricket Control Board arranges all these things. We asked them and they replied that they cannot change it at this late stage.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि जब कोई टीम अगली बार आयेगी तो कानपुर की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

Shri Arvind Netam: It will be considered at the appropriate time.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं कानपुर और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता।

तत्पश्चात् श्री एस० एम० बनर्जी सभा भवन से बाहर चले गये।

SHRI S. M. BANERJEE *then left the House.*

Shri Arvind Netam: It is true that we do not have sufficient equipment for various sports. They are not availabe in our country and we find it difficult to import them. We are soon convensing an inter Ministry Conference in which we shall request the Finance Ministry to sanction foreign exchange for this purpose. In order to give more incentives in future another conference was held on 3rd November in which State Ministers of sports, Chairman of Sports Councils of States and all the members of All India Council of Sports Council took part. There are 10-11 points on which consensus of opinion reached. I can read them out.

सभापति महोदय : वह उन्हें सभा पटल पर रख दें।

Shri Arvind Netam: In so far as question of farming associations is concerned Government always tries to see that rival bodies are not set up. But if they come into being Government cannot prevent them. However guidelines have been laid and there is lesser possibility of forming rival bodies.

तत्पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 3 दिसम्बर, 1974/12 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday December 3, 1974/*Agrahayana*, 12 1896 (*Saka*).

GIPN—S-5—41 Lok Sabha (N.D.)74—31-3-75—200.